पंचम माला, खंड 8, अंक 1-10 सोमवार, 15 नवम्बर, 1971/24 कार्तिक 1893 (शक)
Fifth Series, Vol. VIII, No. 1-10 Monday, November 15, 1971/ Kartika 24, 1893 (Saka)

लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र / Third Session]

Preservation Unit
12-8-9?
Fumigated
On 8.2.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. VIII contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

Lok Sabha Debates
(Hindi)

Vol. VIII

No 1-10

15-26 Nov.

1971

P.L.

विषय सूची/CONTENTS

अंक 1, सोमवार, 15 नवम्बर, 1971/24 कार्तिक, 1893 (शक)
No. 1, Monday, November 15, 1971/Kartika 24, 1893 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	Alphabetical List of Members	
सभा के पदाधिकारी	Officers of the House	
भारत सरकार के मंत्री, राज्य मन्त्री आदि	Government of India Ministers, Ministers of state etc.	
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	Members sworn	1
निधन-सम्बन्धी उल्लेख	Obituary References	1—6
श्री सिद्धार्थ शंकर राय के प्रभाराधीन विभाग के सम्बन्ध में वक्तव्य तथा नये मन्त्री का परिचय	Stalement re. Portfolio of Shri Siddhartha Shankar Ray and Introduction of New Minister	6

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

1	सरकारी कर्मचारियों को तदर्थ आधार पर आवास का आवंटन	Allotment of Ad-hoc Accommodation to Government Employees	7—10
2	विश्वविद्यालय प्रशासन में छात्रों को शामिल करना	Students Participation in University Administration	10—13
3	चौथी योजना के दौरान वनस्पति तेल के कारखाने	Vegetable Oil Factories during Fourth Plan	14—15

प्रश्नों के लिखित उत्तर — **WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**

4	दुर्गापुर आसनसोल क्षेत्र में दामोदर नदी के जल का दूषित होना	Pollution of River Damodar in Durgapur Asansol Region	15—16
5	गुजरात में कैंसर के मामलों में वृद्धि	Increase in the Incidence of Cancer in Gujarat	16—17

किसी नाम ... ंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा ...

The ... sign marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him,

ता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6	हल्दिया पत्तन परियोजना का निर्माण	Construction of Haldia Port Project	17
7	हल्दिया में जहाज बनाने का कारखाना	Ship Building Yard at Haldia	17—18
8	चावल और गेहूं का आवंटन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का अनुरोध	Request from West Bengal for Allotment of Rice and Wheat	18
9	बंगला देश से आए शरणार्थियों के शिविरों के लिए डाक्टरों की सेवाएं	Services of Doctors for Bangla Desh Refugees Camps	18—19
10	राज्य सेवा में रत डाक्टरों के लिए सैनिक सेवा	Army Service for Doctors in State Service	19
11	ग्रामीण आवास के लिए केन्द्रीय योजना	Central Scheme for Rural Housing	20
12	कैंसर रोग का शीघ्र पता लगाने के लिए अनुसंधान	Research for early detection of Cancer	20—21
13	कोचीन में मत्स्य निगम आरम्भ करने के लिए फ्रांस की पेशकश	French offer to start Fishing Corporation at Cochin	21
14	केन्द्रीय भूमि सुधार समिति का प्रतिवेदन	Report of the Central Land Reforms Committee	21
15	पर्वतारोहण का सम्बर्द्धन	Promotion of Mountaining	21—22
16	बन्दरगाहों के लिए बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन करने की प्रक्रिया	Procedure for constituting Board of Trustees for Ports	22
17	संग्रहालयों के कार्यकरण के सम्बन्ध में समितियों के प्रतिवेदन	Report of Committees on working of Museums	23
18	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में गजेन्द्रगडकर जांच आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommodations of Gajendra Gadkar Enquiry Commission re: B.H.U.	23
19	पश्चिम बंगाल के बाढ़-पीड़ित कृषि मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के उपाय	Steps to provide Employment to flood affected Agricultural Labourers of West Bengal	23—24

ता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
20 पश्चिम बंगाल के कन्टाई सब-डिवीजन में बाढ़ के कारण कृषि उत्पादन में गिरावट और कृषकों को सहायता हेतु किए गए उपाय	Fall in Agricultural Production in Contai, (West Bengal) due to Floods and Steps taken to help the Agriculturists	24
21 माडर्न बेकरीज में बासी डबलरोटियां बनाये जाने के बारे में शिकायतें	Complaints reg. Stale Breads baked in Modern Bakeries	24—25
22 कैंसर से होने वाली मृत्यु को दर में वृद्धि	Increase in Deaths due to Cancer	25
23 खाद्यान सम्बन्धी हमारी आवश्यकता तथा पी० एल० 480 के अन्तर्गत उनका आयात	Requirement and Imports of Food grains under PL—480	25—26
24 खाद्य स्थिति का मूल्यांकन और 1972 के लिए खाद्य उत्पादन का लक्ष्य	Assessment of Food situation and target for Food production in 1972	26—27
25 कलकत्ता के कालेजों के समक्ष वित्तीय संकट	Financial Crisis faced by Calcu. tta Colleges,	27
26 बंगला देश के शरणार्थियों के लिये राजस्थान यूनिट के डाक्टरों पर असामाजिक तत्वों द्वारा आक्रमण	Attacks by Unsocial Elements on Doctors of Rajasthan Unit for Refugees of Bangla Desh,	27—29
27 बिहार में बाढ़ों के कारण फसलों को हुई क्षति तथा इसके परिणामस्वरूप बिहार को खाद्यान्न की सप्लाई	Damage to Crops in Bihar due to Floods and Consequent Supplies of Foodgrains to Bihar	29
28 आसाम में खाद्य पदार्थों की कमी	Scarcity of Food stuffs in Assam	29
29 मैडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना	Setting up of Medical University	29—30
30 अखिल भारतीय सेवारत डाक्टरों का मांग दिवस	All India Doctors in Employment Demands Day	30—31
अता० प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.		
1 पंजाब में स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgrading of Schools in Punjab	31
2 पालामऊ जिले में प्राचीन स्मारक	Ancient Mounments in Palamu District	31—32

3 बीज वर्धन फार्म	Seed Multiplication Farms	32—33
4 बिहार से होकर जाने वाली ग्रांड ट्रंक रोड की स्थिति	Condition of Grand Trunk Road Passing through Bihar	33
5 नई दिल्ली में आय-कर कार्यालय के निकट पुल का उपयोग	Use of Bridge near Income Tax Office, New Delhi	33—34
6 एक केन्द्रीय सड़क समिति का गठन	Constitution of a Central Road Committee	34
7 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ड्राफ्ट्समैन	Draftsmen in C. P. W. D.	34—35
8 कोचीन शिपिंग कम्पनी द्वारा पुराने जहाजों का क्रय	Purchase of Second hand Vessels by Cochin Shipping Company	35
9 हिन्दुस्तान लाटेक्स, त्रिवेन्द्रम	Hindustan Latex, Trivandrum	36
10 विश्वविद्यालय के कार्यों में विद्यार्थियों द्वारा भाग लिये जाने के बारे में अन्तर-विश्वविद्यालय सेमिनार	Inter-University Seminar on tu-dents participation in University Affairs	36
11 दिल्ली में एक सड़क दुर्घटना में मारे गये श्री फौजीराम की शिनाख्त	Identification of Shri Fauji Ram, killed in Road Accident in Delhi	36—37
12 सरकारी आवास की तथा कथित उप-किराया दारी के मामलों में दंडात्मक किराया आदि लिया जाना	Imposition of Penal rent etc, in case of alleged sub-leting of Government accommodation	37—38
13 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों को समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance to Junior Engineers of C. P. W. D.	38—39
14 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनीयर इंजीनियरों, सहायक इंजीनियरों तथा कार्यकारी इन्जीनियरों को सौंपे गये दायित्व	Duties assigned to Junior Engineers, Assistant Engineers and Executive Engineers of C. P. W. D.	39
15 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों के मामले	Cases of Junior Engineers in C. P. W. D.	39—40

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q, Nos.		SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
16	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, में एक्सरे फिल्मों की भारी कमी	Acute Shortage of X-Ray Films in the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi	40—41
17	जापान से क्रयादर्शित पत्तन मशीनरी	Port Machinery ordered from Japan	41
18	विदेशी छात्रवृत्तियां	Foreign Scholarships	41—42
19	नगरीय विस्तार के हेतु भूमि अर्जन तथा विकास के लिए राज्यों में आर्वतक निधि की स्थापना	Setting up of revolving funds in the States for acquisition and development of land for Urban expansion	42
20	राज्यों का ट्रैक्टरों का आवंटन और उनकी काले बाजार में बिक्री	Allotment of Tractors to States and their Sale in Black Market	43
21	दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाटों पर गृह निर्माण हेतु ऋण देने के लिए गैर-हकदारी प्रमाणप त्रदेना	Non-encumberance Certificate for grant of House Building Loan on D. D. A. plots	43—44
22	सरकारी कर्मचारियों की आवास-आवंटन सम्बन्धी नीति	Policy regarding Allotment of Accommodation to Government Employees	44
23	पाकिस्तान के मुकाबले में भारतीय हाकी टीम की हार	Defeat of Indian Hockey Team by Pakistan	44—45
24	ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बृहत योजना	Master Plan for Medical care and Health Facilities in Rural and Urban areas	45—46
25	बच्चों तथा गर्भवती स्त्रियों के लिए पौष्टिक आहार परियोजना	Project for Nutritious Food for Children and Expectant Mothers	46
26	अक्तूबर 1971 में नई दिल्ली में हुए राज्यों के खाद्य मन्त्रियों के सम्मेलन में चावल के अन्तर्राज्यीय संचालन और खाद्यान्नो की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में विचार विमर्श	Discussion on Inter-State movement of Rice and public distribution system of foodgrains at State Food Minister's Conference held in New Delhi in October, 1971	46

अता० प्रश्न सँख्या विषय U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
27 भारतीय बीज निगम द्वारा बिहार को बीजों की सप्लाई में विलम्ब तथा अन्य राज्यों को उनका वितरण	Delay in Supply of Seeds to Bihar by Seeds Corporation and its Distribution to other States	47
28 चौथी योजना में पीने के पानी के लिए धन राशि का आवंटन	Allocation of funds for Drinking Water in Fourth Plan	47—48
29 मध्य प्रदेश के पोखर गांव में पाए गए सोने व चांदी के सिक्कों का काल	Period of Silver and Gold Coins found in Pokhar Village, Madhya Pradesh	48
30 अनाज के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए गांव में उचित मूल्य की दुकानों का खोलना।	Opening of Fair Price Shop in Villeges tocheck rise in prices fo Foodgrains	48—49
31 कृषि मूल्य आयोग का वर्ष 1971–72 का प्रतिवेदन और अक्तूबर 1971 में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में उनके द्वारा व्यक्त विचार	Report of Agricultural Price Commission for 1971—72 and views of Chief Ministers at their Conference held in October, 1971	49—50
32 भारत-पाकिस्तान-इंगलैण्ड रूस पर सामान्य मालभाड़े की दरों में वृद्धि	Increase in General Freight Rates on India-Pakistan-U. K. route	50—51
33 गुजरात में चावल, गेहूं और मक्का का उत्पादन	Production of Rice, Wheat and Maize in Gujarat	51—52
34 नेशनल लाइब्रेरी एम्पलाइज एसोसिएसन से ज्ञापन	Memorandum from National Library Employees Association	52
35 जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति	Appointment of Academic Persone by Jawaharlal Nehru University	52—53
36 दिल्ली के अस्पतालों में सहायक तकनीकी कर्मचारी	Auxiliary Technical Staff in Delhi Hospitals	53
37 नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में स्थित कैन्टीन के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against the Canteen in Safdarjung Hospital, New Delhi	53—54
38 दिल्ली के अस्पतालों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए काम के घण्टे	Dutly hours for Class IV employees in Delhi Hospitals	54
39 दिल्ली में पेन्सलीन के इन्जेक्शन से हुई एक व्यक्ति की मृत्यु	Death of a person due to Pencillin Injection in Delhi	54—55

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ /PAGE
40	दिल्ली में डी० डी० टी० फैक्टरी के अवशिष्ट द्रवों द्वारा मछलियों की मृत्यु	Mortality of fish by D. D. T. actory in Delhi.	55
41	भारत और विदेशों में रुई की खेती और उत्पादन	Cotton cultivation and Production in India and in other Foreign countries	55—56
42	मैसूर राज्य में इंजीनियरी कालेजों में प्रवेश	Admission to Engineering Colleges in Mysore State	56
43	कोचीन बन्दरगाह पर 'सुपरटक' बर्थ का निर्माण	Construction of Super Tank Berth at Cochin	56—57
44	चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के बारे में 'फोर्ड फाउन्डेशन की सिफारिश	Recommendation of Ford Foundation for Increasing Rice Production in India	57
45	द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तिम योजनायें और उनके लिये उड़ीसा को केन्द्रीय अनुदान	Final Schemes under Crash Programme and Central Grant to Orissa therefore	57—58
46	भारत की योजना में कृषि के बारे में गोष्ठी	Seminar on Agriculture in India's Planning	58—59
47	ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेघर लोगों के लिए मकान	Houses for Homeless Persons in Rural and Urban Areas	59—60
48	पी० एल० 480 के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को वित्तीय सहायता	Financial Aid to Indian Council of Medical Research under PL—480	60
49	विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद को दी गई सहायता	Aid given by W. H. O. to Indian Council of Medical Research	60
50	बिहार में अध्यापकों को वेतन का भुगतान न किया जाना	Non-payment of Salaries to teachers in Bihar	61
51	निम्न आय वर्ग के लिए नई आवास योजना	New Housing Scheme for Low Income Group	61

ता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
52 द्वितीय हावड़ा पुल का निर्माण	Construction of Second Howrah Bridge	61—62
53 बाढ़ के कारण पश्चिमी बंगाल के कन्टाई सब डिवीजन में स्कूल-भवनों को हुई क्षति	Damage to School Buildings in Contai Sub-division, West Bengal due to Flood	62
55 बाढ़ के कारण फसलों को क्षति और अन्न के आयात पर इसका प्रभाव	Damage of Agricultural Crops due to Floods and its effect on Import of Food	62—63
56 बंगला देश को अनाज की सप्लाई से अनाज उत्पादन में आत्म निर्भरता पर पडने वाला प्रभाव	Effect of Food Supply to Bangla Desh on Self-sufficiency in Food	63
57 माडर्न बेकरी में बनाने वाली डबलरोटी के आवरण पर तिथि अंकित करना	Stamping of date on wrappers of Breads produced in Modern Bakeries	63—64
58 दुग्ध विपणन और डेरी विकास की परियोजना	Project for Milk Marketing & Dairy Development	64
59 बाढ़ के कारण बिहार द्वारा रबी फसल के लिए बीजों की मांग	Request for Rabi-seeds from Bihar due to Floods	64—65
60 सर गंगा राम अस्पताल नई दिल्ली के एक कर्मचारी की मृत्यु	Death of an Employee of Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi	65
61 भूमि की अधिकतम सीमा को कम करने के बारे में राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ आगे वार्ता	Talks with Chief Ministers of States regarding lowering of ceiling of land	66—67
62 आन्ध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय अध्ययन दल	Central study team to study drought condition in Andhra Pradesh	67—68
63 दिल्ली परिवहन के कर्मचारियों के छात्रों के साथ झगड़े	Clashes of D. T. U. Staff with Students	68
64 चीनी के उत्पादन में गिरावट का अनुमान	Estimate of Decline in Sugar production	68—69
65 बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में समाज विरोधी तत्व	Anti-social elements in Banaras Hindu University	69—70
66 विदेशी विद्यार्थियों का डाक्टरी शिक्षा के लिए भारतीय संस्थाओं में दाखिला	Admission to Foreign Students in Indian Institutions for Medical Education	70—71

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.		SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
67	छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता	Crowing indiscipline among Students	71
68	राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की वसूली का रोका जाना	Stopage by Rajasthan Govt. of procurement of Foodgrains by Food Corporation of India in Rajasthan	71—72
69	दिल्ली में दिल्ली परिवहन के सम्बन्ध में छात्रों की शिकायतों का अध्ययन करने के लिए पेनल	Panel to study the grievances of Students in Delhi regarding D. T. U.	72—73
70	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का बन्द किया जाना	Closure of Central Universities	73—74
71	अक्टूबर 1971 में दिल्ली में आयोजित मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Ministers' Conference held in Delhi during October, 1971	74—75
72	कुष्ठ रोग का उन्मूलन	Eradication of Leprosy	75—77
73	ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम में प्रगति	Progress in Crash Programme for Rural Employment	77—78
74	पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्रों का बन्द किया जाना	Closure of Panchayat Raj Training Centres	78
75	कल्यानी विश्वविद्यालय का पुनः खोला जाना	Reopening of Kalyain University	78
76	कलकत्ता के महानगरीय क्षेत्र में जल की अपर्याप्त सप्लई	Inadequate Water supply in Calcutta Metropolitan area	79
77	केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा निर्धारित 'स्वर्ग की सैर' नामक पुस्तक	'Swarga Ki Sair' Prescribed by Central Schools	79—80
78	दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा धन का दुर्विनियोग	Misappropriation of Articles etc. of Delhi University	80
79	बाल कार्यक्रम पर राष्ट्रीयनीति सम्बन्धी संकल्प	National Policy Resolution on Children Programme	80
80	राष्ट्रीय कृषि आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन	Interim Report of National Commission in Agricultural	81
81	तैयार कृषि तथा खाद्य उत्पादों विषयक उच्च अधिकार समिति का नियुक्त किया जाना	Appointment of High powered Committee on Processed Agricultural and Food Products	81

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
82 भारत तथा यूनेस्कों के बीच सहायता सम्बन्धी समृति पत्र पर किये गये हस्ताक्षर	Aid Memoire signed between India and UNESCO	82
83 गुजरात विश्वविद्यालय सिन्डीकेट द्वारा परीक्षाओं के लिये भुज परीक्षा केन्द्र को बन्द करने का निर्णय	Gujarat University Syndicate Decision to close down Bhuj Centre for Examination	82—83
84 गुजरात में प्रमुख तिलहनों के उत्पादन में कमी	Fall in the Production of Major oil Seeds in Gujarat	83
85 राष्ट्रीय राजमार्गों सम्बन्धी कार्यक्रम	Programme regarding National Highways	83—84
86 जीवाजी विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में अनुसंधान कार्य करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त होने वाली सहायता	Research Scholars in Botany Department, Jiwaji Univer sity receiving U. G. C. Assistance	84
87 दिल्ली और चंडीगढ के अस्पतालों में प्रशासनिक और इन्जीनियरिंग सेवाओं के बारे में प्रतिवेदन	Report on Administrative and Engineering services in Hospital of Delhi and Chandigarh	85
88 राष्ट्रीय दूध ग्रिड	National Milk Grid	85
89 राज्य कृषि फार्म निगम के कार्यक्षेत्र का विस्तार	Expansion of Activity of State Farms Corporation	86
90 सभी नर्सिंग होम्ज और क्वीनिकों को लाइसेंस जारी करना	Licensing of Nursing Homes and Clinics	86
91 दिल्ली में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के लिए दाखिला	Admission for M. B. B. S. Course in Delhi	86—87
92 राजकीय कला तथा विज्ञान कालिज बंगलौर के निकट पुलिस द्वारा लाठी प्रहार	Police Lathi Charge near Government Arts and Science College, Bangalore	87
93 हरिजनों के लिए कुओं का निर्माण	Construction of wells for Harijans	88

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.		SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
94	भारतीय महिलाओं के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on Welfare of Indian Women	88—99
95	दिल्ली में नरायना कालोनी का विकास	Development of Naraina Colony in Delhi	89
96	भारत और श्रीलंका का अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड	Inter-University Board of India and Ceylon	89—90
97	चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा के स्तर में सुधार	Improvement in Stand ard of Medical Education	90
98	बिहार द्वारा ट्रैक्टरों की मांग	Request for Tractors from Bihar	90—91
99	पश्चिम बंगाम के शरणार्थी शिवरों में हैजे के मामले	Cases of Cholera in Refugee Camps in West Bengal	91
101	बोरल टी० बी० अस्पताल कलकत्ता में अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था	Opening of additional beds in Boral T. B. Hospital, Calcutta	92
102	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की मांगें ।	Demands of students of Banaras Hindu University	92
103	पूर्व निर्मित मकान	Pre-fabricated Houses	92—93
104	बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश में अनाज की खत्तिया और भण्डागार	Silos and Crain Storage Warehouses in Bulandshahar. U.P.	93
105	राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा प्राइवेट कम्पनी को बीज बांटने का कार्य सौंपा जाना	Entrusting distribution of seed to a private company by National Seed Corporation	93—
106	कुतुब मीनार दिल्ली के निकट राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के ईटों का भट्टा	M. B. C. C. Brick plant near Qutab Minar, Delhi	94
107	जल संदूषण को रोकना	Prevention of Water contamination	94—95
108	कपास, पटसन और गन्ने की खेती के क्षेत्र में कमी को रोकने के उपाय	Steps to check fall in acreage of cotton, jute and sugar-cane	95—96
109	आयुर्वेदिक संस्थाओं में अध्यापन का समान पाठ्यक्रम	Common Syllabus of teaching in Ayurvedic Institutions	96—97
110	मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक कालेज	Recognised Ayurvedic Colleges	97
111	आयुर्वेदिक कालेजों के विद्यार्थियों के लिये चिकित्सा की एकीकृत पद्धति	Integrated system of medicine for Ayurvedic college students	97

112	चौथी योजना के दौरान मकानों की कमी	Shortage of houses during Fourth Plan	97—98
113	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये मकानों का निर्माण	Construction of houses for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	98—99
114	दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित अन्तर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण कार्य	Construction work of Inter-State Bus Terminus, Kashmiri Gate, Delhi,	99
115	स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम	Correspondence Course in Post-Craduate Studies	99—100
116	राजधानी में भिखारी	Beggars in capital	100
117	केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान, हैदराबाद द्वारा किया गया कार्य	Work done by Central Institute of English Hyderabad	100
118	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुवाद की विद्या का प्रशिक्षण लेने के लिये विद्यार्थियों का चयन	Selection of scholars for receiving training in techinique of translation by U. G. C.	101
119	दिल्ली में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए आदर्श विद्यालय	Model School for Mentally Retarded Children, Delhi	101
120	पहिएवाली गाड़ियों के लिए नगरपालिकाओं/स्थानीय निकायों को अनुदान	Grants to Municipalities/Local Bodies for wheel barrows	101—102
121	सफाई कर्मचारियों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण	Survey Re. Sweepers and Scavangers	103
122	तिरुवोतूर मद्रास में वार्निश पीने से हुई मृत्यु	Death due to Consumption of Varnish in Tiruvottiur, Madras	103—104
132	खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता के बारे में फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा किया गया मूल्यांकन	Assessement by Ford Foundation regarding Self-sufficiency in Food	104
124	कोठारी आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Kothari Commission's Recommendations	104—105
125	राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र के बारे में विधेयक	Bill, Re. National Capital Region	105
126	रबी की काश्त के लिए उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Orissa for Rabi Cultivation	105—106
127	शिक्षा कार्यों के लिए उड़ीसा को अनुदान	Grants to Orissa for Educational Purposes	106

अता० प्र० संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
128	दिल्ली और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में अध्यापकों के लिए वेतनमान	New Scales of Pay for Teachers in Delhi and other Union Territories	106—107
129	नानकुम, रांची में लाख अनुसंधान संस्थान	Lac Research Institute at Nankum, Ranchi	107
130	पश्चिम बंगाल में समाज कल्याण संस्थाओं को अनुदान	Grants to Social Welfare Institutions in West Bangal	107
131	समाज कल्याण विभाग के समाजिक कार्य कर्त्ताओं के वेतन मानों और मंहगाई भत्तों के नियतन और उनमें संशोधन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अनुदान	Grants to West Bengal Government for fixation and revision of scales of Pay and D. A. of Social Workers under Social Welfare Department	108
133	पंजाब के कृषि विभाग में उप-निरीक्षकों के रिक्त पद	Vacant post of Sub-Inspectors in Department of Agriculture in Punjab	108
134	पजाब में अध्यापकों का स्थानान्तरण	Transfer of teachers in Punjab	108—109
135	विभिन्न राज्यों में स्टेडियमों का निर्माण	Construction of Stadia in different States	109
136	विश्व युवक केन्द्र के ट्रस्ट के साथ करार	Agreement with Viswa Yuvak Kendra Trust	109—110
137	नई दिल्ली स्थित विश्व युवक केन्द्र के भवन का व्यापारिक आधार पर आवास तथा खानपान के लिए उपयोग	Use of Viswa Yuvak Kendra building at New Delhi, for boarding and lodging on commercial basis	110—111
138	विश्व युवक केन्द्र भवन का अमरीकी शांति सेना को किराये पर दिया जाना	Renting out of Viswa Yuvak Kendra building to American Peace corps	111—112
139	उपन्यासकार, ताराशंकर बनर्जी की स्मृति को बनाये रखना	Perpetuating the Memory of novelist Tarasankar Banerjee	112
140	भारत आस्ट्रेलिया सांस्कृतिक समझौता	Indo Australian Cultural Pact	112
141	स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती मनाने के लिए थियेटरों की स्थापना	Establishment of Theatres to celebrate Silver Jubilee of Independence	112
142	कलकत्ता विश्वविद्यालय की एल०एल०बी० की परीक्षा को अवैध घोषित किया जाना	Declaration of L.L.B. examination of Calcutta University as null and void	113
143	कलकत्ता विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान	University Grants Dommission's Grant to Calcutta University	113—114

अता० पृष्ठ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
145	भूतपूर्व संसद सदस्यों से सरकारी आवासों का खाली कराया जाना	Vacation of Government accommodation occupied by ex MP's	114—115
146	वर्ष 1970-71 के दौरान मार्डन बेकरीज द्वारा अर्जित लाभ	Profits of Modern Bakeries during 1970-71	115
147	विशाखापतनम और कोचीन में शिपयार्ड का विस्तार	Expansion of Shipyards at Visakhapatnam and Cochin	115—116
148	धान से चावल निकालने की प्रक्रिया का विकास	Development of rice processing	116—117
149	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme	117—118
150	शैक्षणिक प्रशासन में आधुनिक प्रबन्ध तकनीकी लागू करना	Application of modern management technique to Educational Administration	118
151	गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि	Outstanding Arrears of Sugarcane Price	118—119
152	शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा	Ceilling on Utban Property	119—120
153	महाराष्ट्र को जर्मन लेकतन्त्रात्मक गणराज्य के ट्रैक्टरों की सप्लाई	Supply of G. D. R. Tractors to Maharashtra	120
154	मराराष्ट्र में खुले बाजार में चीनी का मूल्य	Price of Sugar in open Market in Maharashtra	120—121
155	लाभकर जोत का क्षेत्रफल और लाभकर जोत के विकास के लिए नियम	Size of Economic Holdings and Rules for Development of Economic Holding	121—122
156	परिवार नियोजन पखवाड़ा	Family Planning Fortnight	122
157	मद्रास और कन्या कुमारी के बीच पूर्वो/तट सड़क के निर्माण कार्य के पूरे होने में हुई प्रगति	Progress made in Completing East Coast Road between Madras and Kanyakumari	122
158	सड़क बोर्ड का कार्ड गठन	Constitution of Road Board	122—123
159	दुर्लभ कला-कृतियों की तस्करी	Smugglingout of Rare Art Pieces	123
160	कानपुर में औद्योगिक आवास योजना के	Rules for Allotment of Houses	

	अन्तर्गत मकानों के आवंटन के लिए नियम	under Industrial Husing Scheme in Kanpur	123—124
161	सरकार द्वारा डा० धर्म तेजा को दिये गये ऋण की वसूली	Recovery of Money advanced by Government to Dr. Dharam Teja	124
162	इंगलैंड पर विजय पाने के लिये भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरस्कार	Reward to Indian Cricket Players for their Victory against England	124—125
163	उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के लिए तिहरा लाभ योजना	Triple Benefit Scheme for teachers in U. P.	125
164	पौषाहार की कमी के कारण शरणार्थी बच्चो की मृत्यु	Death due to under-Nourishment among Refugee Children	125—126
165	प्राथमिक शिक्षा	Primary Education	126
166	सामुदायिक विकास खण्डों में अनुसन्धान केन्द्र	Research Centres in Community Development Blocks	126—127
167	राज्य कृषि फार्म निगम द्वारा चलाये जा रहे कृषि फार्म	Farms organised by State Farms Corporation	127
168	गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली में पानी की सप्लाई	Water Supply in Gurdwara Rahab Ganj Road, New Delhi.	127
169	क्रंगानोर पत्तन को गहरा करने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal to deepen the port of Cranganore	128
170	कोचीन में 'शिपयार्ड' परियोजना चालू करने हेतु कम्पनी की स्थापना	Formation of Company for the execution of Shipyard Project at Cochin	128
171	पूर्वी उत्तर प्रदेश को खराब बीजों की सप्लाई	Defective Seeds supplied to Eastern Up	128—129
172	मध्य प्रदेश ट्राइबल कोआपरेटिव डेवेलपमेन्ट कारपोरेशन	Madhya Pradesh Tribal Cooperative Development Corporation	129
173	'कनाट प्लेश' नई दिल्ली के विकास सम्बन्धी गोष्ठी	Seminar on Development of Connaught Place, New Delhi	129—130

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
175	राष्ट्रीय एकता विरोधी सामग्री वाली पाठ्य पुस्तकों को हटाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद की सिफारिश	Recommendation of N. C. E. R. T. regarding withdrawal of Text Books containing prejudicial material	130—131
176	हरिजनों पर हमला	Assault on Harijans	131
177	बड़े आकार के बोरों का कार्य करने वाले खाद्य निगम के श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि	Increase in Wages of Workers of Food corporation handling bigger size bags	131—132
178	गुलबर्गा (मैसूर) में पीने के पानी की कमी	Shortage of Drinking Water in Gulbarga (Mysore)	132
179	गुलबर्गा में विश्वविद्यालय का खोला जाना	Opening of University at Gulbarga	132
180	राज्यों में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Industry in States	133
181	मैसूर राज्य में सूखा पीड़ित किसानों को भूमि बैंकों और सहकारी समितियों से ऋण	Loans to Drought Affected Farmers from Land Banks and Cooperative Societies in Mysore State	133
182	बम्बई पत्तन न्यास द्वारा किराये पट्टे पर दी गई भूमि	Land given on Rent/ Lease by Bombay Port Trust	133—134
183	कुछ जल मार्गों का राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया जाना	Declaration of Water ways as National Waterways	134—135
184	मद्रास पत्तन पर तेल गोदी का निर्माण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न होना	Construction of Oil Dock at Madras Port behind Schedule	135—136
185	महरोली (दिल्ली) के टी० बी० अस्पताल के कर्मचारीयों की मांगें तथा शिकायतें	Demands and Grievances of Staff of T. B. Hospital Mehrauli (Delhi)	136137
185	अस्पताल कर्मचारी पंचायत (दिल्ली) के नेताओं और टी० बी० एसोसियेशन के महासचिव के बीच बातचीत	Talks between the Union Leaders of Hospital Karmachari Panchayat (Delhi) and the Secretary General of T. B. Association	137

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos,	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
187 कलकत्ता की गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए मकान	Houses for Slum Dwelling Population in Calcutta	137—138
188 काक द्वीप के निकट एक नहर का चालू किया जाना	Opening of a Canal near Kakdwip	138
189 सुन्दर बन, पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य केन्द्रों का खोला जाना	Setting up of Health Centres in Sunder, beans West Bengal	138 - 139
190 पश्चिम बंगाल में स्कूलों के अध्यापकों और कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना	Pension Scheme for Teachers and Employees of Schools in West Bengal	139
191 पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में लघु तथा मध्यम स्तर की सिंचाई योजनायें	Small and Medium Scale Irrigation Schemes in 34 Pargans, West Bengal	139 - 140
194 विदेशी पुस्तक सम्बन्धी सलभौतों के बारे में सर्वेक्षण प्रतिवेदन	Survey Report on Foreign Book Pacts	140
195 भारत से किये जाने वाले निर्यात पर मुद्रा समायोजन शुल्क	Imposition of Currency Adjustment Levy on Exports from India	140
196 किसानों को ऋण देने के बारे में नई नीति	New Policy to Provide Credit to Agriculturists	140– 141
197 भूमिगत जल संसाधनों के विकास तथा प्रबन्ध के लिये समिति	Commitee for Development and Management of Underground Water Resources	141 -142
198 दूध की खपत में कमी	Decline in Consumption of Milk	142 -143
199 बिहार में चारे की कमी	Shortage of Fodder in Bihar	143 -144
200 बिहार में बैलों की खरीद के लिये किसानों को ऋण	Loans to Farmers for Purchase of Bullocks in Bihar	144
अतारांकित प्रश्न संख्या 5959दिनांक 20.7.71 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Statement Correcting Answer to U.S.Q. No 5959 dated 20.7.71	144 -145

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion for Adjournment	145--149
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance.	149
भारतीय सीमाओं पर पाकिस्तानी सेना का कथित जमाव	Reported concentration of Pakistani Forces on Indian borders	149
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banergee	149
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	149—156
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	157—163
राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान एक सदस्य के आचरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on the Conduct of a member during President's Address	163
राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर सदस्यों के लिये मार्ग-दर्शन के बारे में समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाने का प्रस्ताव	Motion Re. Extension of time for presentation of Report of Committee on guidelines for Members during President Address	163–164
प्रधान मंत्री को विदेश यात्रा के सम्बन्ध में वक्तव्य	Statement re. Prime Minister's visit abroad	164
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Candhi	164—165
अविश्वास प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion of No Confidence	166
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) विधेयक	Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Bill	166
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	166
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yashwantrao Chavan	166—168
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	168
श्री पी० वेंकटा सुबया	Shri P. Venkata Subbaiah	168—170
श्री एम० कल्याणसुन्दरम	Shri M. Kalyansaundaram	170
श्री एस० एन० मिश्र	Shri S. N. Misra	170

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	171—172
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	172
श्री सी० सी० देसाई	Shri C. C. Desai	172—173
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saksena	173—174
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	174—177
खण्ड 2 से 26 और 1	Clauses 2 to 26 and 1	177—183
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	183
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	184
कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक	Taxation laws (Amendment) Bill	184
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	184—187
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	187

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अंकिनीडु, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाद)
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस० (अनकपल्ली)
अफजल पुरकार, श्री धर्मराव शरणप्पा (गुलबर्गा)
अम्बेश, श्री छत्रपति (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेटम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
असगर हुसैन, श्री के० एम० (अकोला)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गौंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मण्डला)
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहरदगा)
उरांव, श्री टुला (जबपाईगुड़ी)
उलगनम्बी, आर० पी० श्री (बेल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय)

ओ

ओझा, श्री घनश्याम भाई (राजकोट)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रूगढ़)

कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरेना)

कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)

कडनापल्ली, श्री आर० सी० (कासरगोड)

कतामुतु, श्री (नागापट्टिनम)

कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)

कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)

कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)

कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)

कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)

कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)

कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)

कल्याण सुन्दरम्, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)

कलिंगाराचर, श्री मोहनराज (पोलाची)

कस्तूरे, श्री अर्जुन श्रीपत (खामगांव)

कादर, श्री सालेभाई अब्दुल (बम्बई मध्य-दक्षिण)

कांबले, श्री एन० एस० (पंढरपुर)

कांबले, श्री तुलसीराम दशरथ (लातूर)

काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)

कामराज, श्री के० (नागरकोइल)

कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)

काले, श्री बाबूराव जंगलुजी (जालना)

कावड़े, श्री बी० आर० (नासिक)

काहनडोल, श्री जैड० एम० (मालेगांव)

किन्दर लाल, श्री (हरदोई)

किरुतिनन, श्री (शिवगंज)

किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)

कुमारमंगलम, श्री एस० मोहन (पांडीचेरी)

कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)

कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)

कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर-पूर्व)

कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)

केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)

कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)

केबीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)

कोवशट्टी, श्री ए० आर० (बेलगांव)

कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)

कृष्ण, श्री एस० एम० (मंडया)

कृष्णन्, श्री ई० आर० (सलेम)

कृष्णन्, श्री एम० के० (पोन्नापि)

कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)

कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (हस्कोटे)

कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)

गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)

गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)

गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)

गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)

गांधी, श्रीमती इन्दिरा (रायबरेली)

गायकवाड़, श्री फतह सिंह राव (बड़ौदा)

गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)

गिरि, श्री एस० वी० (वारंगल)

गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)

गुह, श्री समर (कन्टाई)

गेंदा सिंह, श्री (पदरौना)

गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर-पश्चिम)

गोटखिंडे, श्री अन्ना साहिब (सांगली)

गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)

गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)

गोपाल, श्री के० (करुर)

गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)

गोविंद दास, डा० (जबलपुर)

गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)

गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)

गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)

गोहेन, श्री चाउ चन्द्रेत (नाम निर्देशित: उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र-आसाम)

गौडफ्रे, श्रीमती एम० (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय)

गौडर, श्री जे० एम० (नीलगिरि)

गौंडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (वर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० बी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्रशेखरप्पा वीरबासप्पा, श्री टी० बी० (शिमोगा)
चन्द्राकार, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्री डी० आर० (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवंतराव (सतारा)
चावड़ा, श्री खेमचन्द भाई (पाटन)
चावला, श्री अमरनाथ (दिल्ली सदर)
चितिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरूपत्तूर)
चेलाचेमी, श्री० ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवी)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहामपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइनुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धारा)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटेलाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवन राम. श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलु रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री बरकी (कोट्टयम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जुल्फिकार अलीखां, श्री (रामपुर)
जोजफ श्री एम० एम० (पीरमेड)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चाँदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुंझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूलचन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बाँसवाड़ा)

ढ

ढिल्लन, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वेंकटराव बाबाराव (नांदेड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दपल्लि)
तुलसीराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री कमल नाथ (बेतिया)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० मोकिन (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० टी० (धारापुरम)
दत्त, श्री वीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दण्डवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री आनन्दीचरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्ण नगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरीची)
दुमादा, श्री लक्ष्मनन् काकाद्या (दहानू)
दुबे, श्री ज्वालाप्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बलूर)
देव, श्री शंकर नारायण सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (कोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणी)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)

देसाई, श्री मोरारजी आर० (सूरत)
देसाई, श्री सी० सी० (साबरकंठा)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछली शहर)

ध

धर्म गज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री भाऊसाहिब (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जम्बुवन्त राव बापूराव

न

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फुलबनी)
नायक, श्री बालकृष्ण वेनकन्ना (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन् (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री राजाराम दादा साहेब (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस. टी. (भीर)
पटनायक, श्री जानकी बल्लभ (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री एच० एम० (ढंढुका)
पटेल, श्री नटवरलाल (मेहसाना)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डभोई)
पटेल, श्री रामूभाई (दादरा तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्णचन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई रावजी भाई (दोहद)
पलोड्कर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
परवान, श्री रामभगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)

पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री रामसहाय (राजनन्द गांव)
पांडेय डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सूरज (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाश्रौकाई, श्री हाश्रोकिय (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विख (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगाँव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उसमानाबाद)
पाटिल, श्री चूड़ामन आनन्द (धुलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, श्री नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्रनगर)
पार्थसारथी, श्री (राजमपेट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्णन (मावेलिक्करा)
पुरती, श्री एम० एस० (सिंह भूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नगिरि)
पैन्यूलि श्री, परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधान श्री धनशाह (शाहडोल)
प्रधानी, श्री के० (गौरखपुर)
प्रबोध चन्द्र, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमली बाबू, श्री (सम्भलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्री मती मुकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बड़े, श्री आर० बी० (खारगोन)
बरुआ, श्री वेदब्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बहुगुणा, श्री हेमवतीनन्दन (इलाहाबाद)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेठी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)

बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारुपाल. श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (ग्रम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बालतन्डायुतम, श्री के० (कोयम्बटूर)
बासप्पा, श्री कोंडाजी (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (ग्रालमोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेंन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ग्रोंकारलाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्यचरण (दुमका)
व्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाढ़)
ब्रह्मानन्द जी श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतन लाल (दार्जिलिंग)

भ

भंडारे, श्री ग्रार० डी० (बम्बई मध्य)
भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बलिराम (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री श्यामाप्रसन्ना (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ भंवर, श्री (झाबुग्रा)
भाटिया, श्री दुर्गादास (ग्रमृतसर)
भार्गव, श्री विश्वेश्वरनाथ (ग्रजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (ग्रडूर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवराहन, श्री जी (मैटूर)
भौरा, श्री भानसिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल श्री जगदीश नारायण (गौड्डा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री कमल मिश्र (केसरिया)
मनोहरन, श्री कृष्णन् (मद्रास उत्तर)
मरंडी, श्री ईश्वर (राजमहल)

मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मु)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाड़ा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुल्डाना)
महाजन, श्री विक्रमचन्द (कांगड़ा)
महाता श्री देवेन्द्र नाथ (पुरूलिया)
महा दीपक सिंह शाक्य, श्री (कासगंज)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाढ़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारन, श्री मुरासोलो (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड सिंह, महाराज (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री वी० (चिदम्बरम)
मिर्धा श्री नाथूराम (नागौर)
मिनिमाता अगमदास, श्रीमती (जंजगीर)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगुसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नोज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री पी० आर० दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगन्नतम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (मजेरी)
मैनन, श्री बी० के० कृष्ण (त्रिवेंद्रम)
मेलकोटे, डा० जी० एस (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री० प्रसन्नभाई (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)

मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री कृष्ण (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मुहम्मद इस्माइल, श्री एम० (मैरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसुफ, श्री (सिवान)
मुहम्मद शरीफ, श्री (पोरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

याज्ञिग, श्री इन्दुलाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री करन सिंह (बदायुं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री देवनन्दन प्रसाद (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नगेन्द्र द्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव श्री राजेन्द्र प्रसाद (माधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर सिंह, श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राजंगम, श्री एम० (डिंडीगुल)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्मेद सिंह (रायगढ़)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राधाकृष्ण, श्री एस० (कुड्डलूर)
रामकंवर, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
रामदेव सिंह, श्री (महारजगंज)
रामधन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
राम सूरत प्रसाद, श्री बांसगांव)

रामसेवक, चौधरी (जालौन)
रामस्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्री सिद्धार्थ शंकर (रायगंज)
राय, श्रीमति सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमति बी० राधाबाई आंनन्द (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपटणम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, श्री डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (वोब्बिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छतरपुर)
राव, श्री पट्टामिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जै० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री रामगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री डा० वी० के० आर० वर्द्धराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी कुमार (काकीनाड़ा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी श्री वाई० ईश्वर (कुड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोड़ा)
रेड्डी, श्री के० कोडंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिम्हा एन० (चितुर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वेंकट (कावलीं)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरयालगूड़ा)
रोहतगी, श्रीमति सुशीला (बिल्हौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमति टी० (खम्मम)
लक्ष्यीनारायणन, एमा० आर० (तिडिवनम)

लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर वलियार, श्री (बस्तर)
लालजी भाई, श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्रीनि हार (करीमगंज)
लुतफल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चंडीगढ़)
विश्वनाथन श्री जी० (वन्डीबाश)
वीरभद्र सिंह श्री, (मन्डी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नंन्दयाल)
वेकारिया, श्री नांनजी भाई रावजी भाई (जूनागढ़)

श

शंकरदेव, श्री (बीदर)
शंकर गिरी, श्री वी० (दमोह)
शकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शंकर दयाल सिंह, (छतरा)
शफकत जंग, श्री (केराना)
शफी, श्री ए० (चांदा)
शम्भुनाथ, श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री अन्नत प्रसाद (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री रामनारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, श्री शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)

शशी भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामानन्द (बिजनौर)
शास्त्री, श्री रामवतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्व नारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनावाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० रंगनाथ (उदीपी)
शिव चंडिका, श्री (बांका)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुंझुनु)
शिवप्पा, श्री नुगेहाल्ली (हसन)
शुक्ल श्री० बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलौर)
शेर सिंह, श्री (झज्जर)
शैनाली, श्री चन्द्रपाल (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्कदीव मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० शिब्बन लाल (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बीडिड्का (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साधूराम, श्री (फिल्लौर)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री पी० ए० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकर राव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा श्री अजीत कुमार (विशणपुर)

साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
सिंह, श्री आर० के० (फैजाबाद)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (हाजीपुर)
सिंह, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिंह, श्री बी० एन० पी० (फूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिन्धिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती बी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री मद्दी (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरी)
सुब्रावेलु, श्री के० (मयूरम)
सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एल्लूरु)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री ऐरा (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (कोजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेठी, श्री पी० सी० (इन्दौर)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)
सेन, श्री रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसन सोल)
सैनी, श्री मुलकी राज (देहरादून)
सोखी, श्री स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोनार, डा० ए० जी० (रामटेक)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजाबूर)
सोलंकी, श्री सोमचन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीन सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वतन्त्र, श्री तेजासिंह (संगरूर)
स्वामीनाथन, श्री आर वी० (मदुरै)
स्वामी, श्री सिद्ध रामेश्वर (कोप्पाम)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तैय्या श्री के० (बंगलोर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुरी)
हरी सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक-सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एस० ढिल्लन

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री के० एन० तिवारी
श्री आर० डी० भण्डारे
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे
श्रीमती शीला कौल
डा० सरदीश राय
श्री इरा सेझियान

सचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मंडल के सदस्य

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
कृषि मन्त्री	श्री फखरूद्दीन अली अहमद
वित्त मन्त्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
रक्षा मन्त्री	श्री जगजीवनराम
विदेश मन्त्री	श्री स्वर्ण सिंह
औद्योगिक विकास मन्त्री	श्री मोइनुल हक चौधरी
निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि और न्याय मन्त्री	श्री एच० आर० गोखले
रेल मन्त्री	श्री के० हनुमन्तैया
इस्पात और खान मन्त्री	श्री एस० मोहन कुमारमंगलम
संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री	श्री राज बहादुर
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री और संस्कृति बिभाग मन्त्री	श्री सिद्धार्थ शंकर राय
पर्यटन और नागर विमान मन्त्री	श्री डा० कर्ण सिंह
योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम्

राज्य मन्त्री

संचार मन्त्री	श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	प्रो० टी० पी० चट्टोपाध्याय
विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री नीतिराज सिंह चौधरी
पूर्ति मन्त्री	श्री डी० आर० चव्हाण
योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री मोहन धारिया

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री के० आर० गणेश
निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री आई० के० गुजराल
श्रम और पुनर्वास मन्त्री	श्री आर० के० खाडिलकर
इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री शाहनवाज खां
पर्यटन और नागर बिमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री	श्री सरोजिनी महिषी
संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री ओम मेहता
गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री	श्री राम निवास मिर्घा
विदेश व्यापार मन्त्री	श्री एल० एन० मिश्र
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री	प्रो० एस० नुरुल हसन
औद्योगिक बिकास मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री	श्री घनश्याम ओझा
गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री कृष्ण चन्द पन्त
सिंचाई और विद्युत मन्त्री	डा० के० एल० राव
कम्पनी कार्य मन्त्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्रीमती नन्दिनी सत्पथी
पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री	श्री पी० सी० सेठी
कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	प्रो० शेर सिंह

उप—मन्त्री

कम्पनी कार्य विभाग में उप-मन्त्री	श्री वेदव्रत बरुआ
विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री	श्री ए० सी० जार्ज
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री	श्री ए० के० किस्कु
सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री	श्री बैजनाथ कुरील
गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री मोहसिन
कृषि मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री के० एस० रामास्वामी
वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री	श्री बी० शंकरानन्द
औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री दलबीर सिंह
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री धर्मवीर सिंह
संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री	श्री केदारनाथ सिंह
विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री सुरेन्द्रपाल सिंह
श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री बालगोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री	प्रो० डी० पी० यादव

लोक सभा
LOK SABHA

सोमवार, 15 नवम्बर, 1971/24 कार्तिक, 1893 (शक)
Monday, November 15, 1971/Kartika 24, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
Member Sworn

श्री सी. सुब्रहमण्यम (कृष्णगिरि)

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों को अपने 6 मित्रों श्री के० माधव, मेनन, श्री हाफिज मोहम्मद गजनफ़रनल्ला, डा० सैयद महमूद, श्री पी० टी० पुन्नूस, श्री के० केलप्पन और श्री महेन्द्र माझी की दुःखद मृत्यु की सूचना देनी है।

श्री माधव मेनन 1946-48 तक संविधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया। वह 1947 से 1952 तक मद्रास सरकार में कृषि विधि और शिक्षा मन्त्री के पद पर रहे। पहली सितम्बर, 1971 को 75 वर्ष की आयु में उनका कोरटी में देहान्त हो गया।

श्री हाफिज मोहम्मद गजनफरनल्ला 1945 से 1947 तक केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य रहे। उनका 12 सितम्बर, 1971 को 86 वर्ष की आयु में इलाहबाद में देहान्त हो गया।

डा० सैयद महमूद 1952 से 1962 तक पहली तथा दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे। 1954 से 1957 तक वे केन्द्र में विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री रहे।

वे बिहार राज्य में 1937-39 तक शिक्षा तथा विकास मन्त्री तथा 1946 से 1952 तक

विकास ग्रौर परिवहन मन्त्री रहे। वह प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी, शिक्षा शास्त्री, महान राजनीतिज्ञ ग्रौर सुविख्यात लेखक थे। उनका 82 वर्ष की ग्रायु में 28 सिम्बर, 1971 को नई दिल्ली मे देहान्त हुग्रा।

श्री पी० टी० पुन्नूस वर्ष 1952 से 1962 तक पहली तथा दूसरी लोक-सभा के सदस्य थे। पहली ग्रक्तूबर, 1971 को 60 वर्ष की ग्रायु में तिरनबल्ला में उनका देहान्त हो गया।

श्री के० केलप्पन 1952 से 1957 तक पहली लोक-सभा के सदस्य रहे। वह स्वतन्त्रता सेनानियों में ग्रग्रणी थे तथा देश में स्वतन्त्रता ग्रान्दोलन कर्णधारियों मेंसे थे। केरल के लोग उनका बहुत ग्रादर करते थे। वह हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों के हितैषी थे। 7 ग्रक्तूबर, 1971 को 82 वर्ष की ग्रायु में उनका कालीकट में देहान्त हो गया। उनकी मृत्यु से देश ने एक महान देश भक्त तथा कर्मठ नेता खो दिया।

श्री महेन्द्र माझी वर्ष 1967-70 तक चौथी लोक-सभा के सदस्य थे। वह पिछड़े वर्गों के उत्थान तथा कल्याण में गहरी रुचि लेते थे। 19 ग्रक्तूबर, 1971 को 51 वर्ष की ग्रायु में जमशेदपुर में उनका देहान्त हो गया।

हमें इन माननीय सदस्यों की मृत्यु पर भारी दुख है। मुझे विश्वास है कि शोक संतृप्त परिवारों को साँत्वना एवं सहानुभूति भेजने में सभा मेरे साथ है।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री इलैट्रानिकी मंत्री गृह मंत्री तथा सूचना ग्रौर प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : डा० सैयद महमूद इस युग के महान स्वतन्त्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम के समय देश की बहुत सेवा की। उनकी मृत्यु से हममें से ग्रनेक सदस्यों को निजी हानि हुई है।

श्री हाफिज मोहम्मद गजनफरल्ला इलाहाबाद के नागरिक कार्य में रुचि लेते थे। वह 1945 में केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे।

श्री के० माधव मेनन केरल में हमारे दल के एक महत्वपूर्ण नेता थे। वह संविधान सभा के सदस्य थे ग्रौर ग्रप्रैल, 1954 में राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वह 1960 में राज्य सभा के लिये फिर निर्वाचित हुए।

उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया। वह मद्रास राज्य में मंत्री रहे। वह राज्य के बहुत ग्रादरणीय व्यक्ति गिने जाते थे।

श्री के० केलप्पन पहली लोक सभा के सदस्य ग्रौर सक्रिय राजनीतिज्ञ ग्रौर सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने हरिजनों ग्रौर पिछड़े वर्गों की बहुत सेवा की।

श्री पी० टी० पुन्नूस ने ग्रपना राजनीतिक जीवन 1938 में ग्रारम्भ किया। स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान वह भूगत रहे ग्रौर फिर उन्हें 5 वर्ष की सजा हुई।

श्री महेन्द्र माझी गत लोक-सभा के सदस्य थे। वह अनुसूचित जन जातियों के कल्याण में सक्रिय रुचि लेते थे।

मैं अध्यक्ष द्वारा व्यक्त की गई दुःखद भावना में भागी हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वह इस सभा की सहानुभूति और सांत्वना संतप्त परिवारों को भेज दें।

श्री समर मुकर्जी (हावड़ा) : मैं और मेरा दल 6 संसद्विदो की मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट करता हूं। क्योंकि मैं उनसे निजी तौर पर परिचित नहीं था अतः उनकी सेवाओं के बारे में उल्लेख करने में असमर्थ हूं।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे संवेदना सन्देश उनके शोक संतृप्त परिवारों तक पहुचा दें।

Shri Mulki Raj Sani (Dehradun) : 'Thakur Yaspal Singh's name has not been included in that list. He died on 3rd October, 1971

Shrimati Indira Gandhi : His name should also be included.

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह जानकर दुख हुआ कि श्री यशपाल सिंह की कल मृत्यु हो गई। वह सभा की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेते थे। उनके सब सहयोगी उन्हें स्नेह से याद करते हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वह सभा की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेते थे। उनका अभाव हमें सबको अखरेगा।

श्री समर मुकर्जी : मैं अपने दल की ओर से उनके लिए संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : श्री यशपाल सिंह की, जिनकी मृत्यु का समाचार अभी मिला है, मृत्यु के बारे में विश्वास नहीं होता। उनकी मृत्यु अचानक ही हो गई।

डा० सैयद महमूद स्वतन्त्रता संग्राम के स्तम्भ थे। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया। मेरा उनसे तब से बहुत निकट का सम्पर्क रहा है जब वह गैर-सरकारी निकाय के अध्यक्ष थे। डा० सैयद महमूद राष्ट्रीय आन्दोलन के बारे में तैयार किये जा रहे इतिहास के लिये बनाये गये निकाय के अध्यक्ष थे। उनकी सभा में अनुपस्थिति हमें बहुत अखरेगी।

श्री माधव मेनन को मैं कांग्रेस दल के एक महत्वपूर्ण सदस्य होने के कारण जानता था। उन्होंने राजनीति में तथा निजी तौर पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया।

श्री के० केलप्पन को मैं पहली लोक-सभा से जानता था। वह सर्वोदय नेता हो गये थे और उन्होंने जनता के लिये ठोस कार्य किया।

श्री पुन्नूस के स्थान की आसानी से पूर्ति नहीं की जा सकेगी। वह पहली लोक-सभा के सदस्य थे। वह बहुत हंसमुख व्यवहार के कारण सदन के बहुत लोकप्रिय सदस्य हो गये थे।

उनकी मृत्यु देश की सेवा करते हुए हुई। उनकी मृत्यु से एक ऐसा स्थान रिक्त हो गया है जिसकी आसानी से पूर्ति नहीं की जा सकेगी।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : अपने दल की ओर से मैं शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों को संवेदना सन्देश भेजने का अनुरोध करता हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : On behalf of my party I share the sense of sorrow expressed in the House over the sad demise of the members and pray God to give peace to their soul.

I had the Chance to see Shri K. Kalappan very recently. He died in harness. He was an important freedom fighter. He was full of life and Vitality. It will be very difficult to fill up the gap created by his death.

Dr. Sayed Mahmud's death was a great shock. He played an important role during the freedom struggle. The present atmosphere of disintegration in the country was giving him a great pain.

Shri Punnoose took great interest in the proceeding of the Parliament. He was very cordial in his behavior. His death causes us a great shock.

It is difficult to believe about the death of Shri Yashpal Singh. No one can forget that great personality. He was a very Colorful person. He had certain liveliness and a certain way of mixing with people.

I request you to convey our condolences and sympathies to the breaved families.

Shri Shyamnandan Mishra (Begusaria) : On behalf of my party I associate with the sentiments expressed and request you to convey our condolences to the members of the breaved families.

डा० कर्णसिंह (बीकानेर) : अपने दल व स्वंय अपनी ओर से मैं सभी दिवंगत महानुभावों के दुखद देहावसान पर शोक प्रकट करता हूं और दल की ओर से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे सम्वेदना संदेश शोक संतप्त परिवारों को पहुँचा दें।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : गणतन्त्र परिषद का निर्माण करने में श्री महेन्द्र माझी के साथ मुझे कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह चौथी लोक सभा के सदस्य चुने गये। वह श्रमिकों और आदिवासियों के कल्याण में सक्रिय रूचि लेते थे। आदिवासियों में उन्हें बहुत मान प्राप्त था।

श्री यशपाल सिंह तीसरी लोक सभा एक बड़े नेता को हराकर तीसरी लोकसभा में आये थे और सभा की कार्यवाही में सक्रिय रूचि लेते थे। वह एक महान राष्ट्रवादी थे।

मुझे डा० सैयद महमूद को 1937 से जानने का सौभाग्य रहा है। मैं जब पटना में विद्यार्थी था तब वह शिक्षा मंत्रालय में अधिकारी थे।

श्री पुन्नूस : दूसरी लोक सभा में मेरे सहयोगी रहे थे। वह एक महान राष्ट्रवादी थे उनकी मृत्यु से हमें बहुत दुःख हुआ है।

स्वतन्त्र पार्टी की ओर मैं सभी दिवंगत महानुभावों के दुखद देहावसान पर शोक प्रकट करता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि शोक संतप्त परिवारों तक हमारी संवेदनाएं पहूंचा दें।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (कोजीकाड़): मैं अपने दल की ओर से अपने अनेक साथियों, की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने में प्रधान मन्त्री और अन्य दलों के नेताओं के साथ बड़े दुख की भावना से शरीक होता हूं। इन साथियों का देश के स्वतन्त्रता सेनानियों में प्रमुख स्थान था मैं डा० सैयद महमूद का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं जो कि न केवल एक महान प्रशासक, राजनीतिज्ञ और स्वतन्त्रता सेनानी थे अपितु हिन्दु मुसलमान एकता के वे बहुत बड़े संदेशवाहक थे मै यह अच्छी प्रकार से जानता हूं कि जब हाल ही में वे अस्पताल में थे उस समय उनके दिल मे देश की सत्यनिष्ठा और एकता के प्रति खून बह रहा था। मुशव्वरट में उनके जीवन के उत-रार्द्ध में मुझे उनके साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं 1964 के दंगों के दौरान जब देश के उत्तर-पूर्वी भाग में बहुत दंगे हुए, यह डा० सैयद महमूद ही थे जो कि वहां पर आये और मजलिस मुशव्वरट की। स्थापना की हिन्दु-मुसलमान एकता और विभिन्न समुदायों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए देश भर का दौरा किया। उनकी मृत्यु सारे देश की ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती।

जहाँ तक श्री माधव मेनन, श्री केलप्पन और श्री पुन्नूस जैसे केरल के अन्य मित्रों का संबंध है मेरे इन सबसे निकटतम सम्बन्ध थे पिछले चुनावों में श्री माधव मेनन ने ही मेरे नाम निर्देशक पत्र पर हस्ताक्षर किये थे क्योंकि वे हिन्दू-मुसलमान एकता के बहुत बड़े प्रशंसक थे और हमेशा उनका यही सिद्धांत रहा। श्री केलप्पन एक बहुत बड़े सर्वोदय कार्यकर्ता और नेता थे और उन्होंने हरिजनों के उत्थान के लिए बहुत अधिक कार्य किया। उनका व्यक्तित्व बहुत प्रशंसनीय था।

श्री गजनफरुल्ला उत्तर प्रदेश के एक सम्भ्रांत परिवार से संबधित थे और उन्होंने देश की बहुत अधिक सेवा की।

श्री यशपाल सिंह कुछ दिन पूर्व तक हमारे साथ थे उनका व्यक्तित्व बहुत मनोरजंक था। हम उनके भाषणों की बहुत प्रशंसा करते थे और सारा सदन उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करता था।

इन महान व्यक्तियों की मृत्यु पर हम शोक प्रकट करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी दुःखद भावनाएं संतप्त परिवारों के सदस्यों तक प्रेषित कर दें। अल्लहा उनकी आत्मा को शान्ति दे।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराज गंज): महोदय, मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैं इन सातों महान व्यक्तियों को जानता था। श्री माधव मेनन संविधान सभा में मेरे साथी थे और संविधान का प्रारुप तैयार करने में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। सभा में उनके भाषणों से उनके योग-दान का पता लग सकता है।

डा० सैयद महमूद हमारे बहुत पुराने मित्र थे और उनकी मृत्यु से हमें आघात पहूंचा। वह उत्तर प्रदेश और बिहार के चीनी नियन्त्रण बोर्ड के पहले सदस्य थे और कांग्रेस के हित में बहुत रूचि लेते थे

श्री केलप्पन पहली संसद में मेरे साथ थे । महान सर्वोदय कार्यकर्ताओं में से एक थे और वह बहुत ही सादे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे ।

श्री यशपाल सिंह कुछ दिन पूर्व तक हमारे बीच में थे । वह उत्तर प्रदेश के मेरे बहुत अच्छे मित्र थे मैंने अनेक आंदोलन में उनके साथ कार्य किया है उनकी मृत्यु मेरे लिए व्यक्तिगत हानि है ।

हम इन सभी महान व्यक्तियों की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हैं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़): महोदय भारत के इन महान सुपुत्रों की मृत्यु पर आप तथा सभा के नेता द्वारा प्रकट संवेदना मैं भी अपने को सम्मिलित करता हूं । मैं व्यक्तिगत रूप से केवल ठाकुर यशपाल सिंह से ही परीचीत था । मुझे प्रसन्नता है कि आपने तथा माननीय प्रधान मंत्री ने उनके लिए तथा उनके परिवार के लिए बहुत संवेदनाशील विचार प्रकट किये हैं मैं बहुत समय तक उनसे संबधित रहा हूं । उनकी मृत्यु मेरे दल के लिए और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी बहुत बड़ी हानि है । वह उत्तर प्रदेश में विशाल हरियाणा दल के प्रधान थे । वह बहुत ही सक्रिय नेता एक कुशल वक्ता और सच्चे देश भक्त थे । यह बात बहुत ही कम माननीय सदस्यों को ज्ञात होगी कि उनका जन्म भी जेल के भीतर हुआ था, जिस समय कि स्वतन्त्रता आन्दोलन में उनके माता पिता जेल में थे । उन्होंने स्वंय भी स्वतन्त्रता आंदोलन में अनेक बार जेल यात्रा की । उनके पिता एक संत थे और वह स्वंय भी बहुत साधु स्वभाव के थे । मैं उनकी मृत्यु पर तथा अन्य महान नेताओं की मृत्यु पर जिनकी मृत्यु देश के लिये बहुत ही कठिन तथा गंभीर परिस्थीतियों में हुई है, शोक प्रकट करता हूं ।

Shri Ram Dev Singh (Maharajganj) : I mourn the death of departing personalities, on my behalf and on behalf of my party,

It is pity that we have lost them at a time when the country is not passing through satisfactory, political, economic and Social conditions. Had they been amongst us we would have got inspirations from them. Front line personalities of Freedom strugle are leaving us one by one. I had opportunities to see and understand Dr. Syed Mahmud very closely. He was a son-in-law of Mr. Magrul Huq and contined following his foot-steps When the country was being partitioned on communal basis, he was one of the muslim leaders. who forcefully opposed if and preached unity in the country.

I, on my behaf and on behalf of my party, Socialist party, pay my homage to these departed souls and express deep sense of sorrow to the members of bereaved families.

अध्यक्ष महोदय : अब सदस्य अपनी संवेंदना प्रकट करने के लिए कुछ देर के लिए मौन खड़े रहेंगे ।

तत्पश्चात सदस्य कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे ।

The Members then stood in silence for a short while

श्री सिद्धार्थ शंकर राय के प्रभाराधीन विभाग के सम्बन्ध में वक्तव्य तथा नये मँत्री का परिचय

STATEMENT Re. PORTFOLIO OF SHRI SIDDHARTHA SHANKAR ROY AND INTRODUCTION OF NEW MINISTER

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों को लेने से पूर्व प्रधान मंत्री नये मंत्री, प्रोफेसर नूरुल हसन का परिचय इस सदन को देंगी और श्री सिद्धार्थ शंकर राय के प्रभाराधीन विभाग के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगी।

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : महोदय, मुझे आपने तथा आपके माध्यम से इस सदन से अपने नये साथी प्रोफेसर सैयद नूरुल हसन का परिचय करवाते हुए हर्ष हो रहा है।

मैंने एक बहुत ही संक्षिप्त वक्तव्य देने के लिए आपसे आज्ञा मांगी है। पश्चिम बंगाल राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ में लेने पर 29 जून 1971 के इस सदन में दिये गये अपने वक्तव्य में मैंने कहा था कि श्री सिद्धार्थ शंकर राय पश्चिम बंगाल तथा भारी संख्या में शरणार्थियों के उस राज्य में और कुछ अन्य राज्यों में आगमन के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं से सम्बन्धित कार्य देखेंगे और समय आने पर शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति विभाग का अपना पदभार छोड़ देंगे। उस समय यह अनुभव किया गया था कि पश्चिम बंगाल की असंख्य मांगे और शरणार्थियों की समस्याओं के हल के लिए मंत्रीमंडल स्तर में मंत्री का अविरल ध्यान जरूरी होगा। तथापि जब वास्तविक अनुभव के आधार पर इस निर्णय पर पुनर्विचार किया गया तो इस नियुक्ति के पश्चात पश्चिम बंगाल की परिस्थितियों में हुए स्पष्ट सुधार को देखते हुए यह पाया गया कि अपने मंत्री मण्डलीय कार्य के साथ इस कार्य को कर पाना श्री राय के लिए संभव होगा। शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री केरूप में प्रोफेसर नुरुल हसन की नियुक्ति से श्रीराय को एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री का सहयोग प्राप्त हुआ है। अत: मैंने यह निश्चय किया है कि श्री राय पश्चिम बंगाल तथा शरणार्थियों से सम्बन्धित कार्य देखने के साथ ही अपने पद का प्रभार भी संभाले रहें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है। वह उनके अपने वक्तव्य का अन्तर्विरोधी है। इस सम्बन्ध में मैंने पिछले सत्र में विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी थी परन्तु क्योंकि मैं बीमार होकर नर्सिंग होम में था, उसका निपटान कर दिया गया। मैं एक बार फिर से वह विषय-उठाऊंगा और सदन को बताऊंगा कि प्रधान मंत्री ने जानबूझ कर सदन को गलत जानकारी दी।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS.

सरकारी कर्मचारियों को तदर्थ आधार पर आवास का आवंटन

*1. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन करने का सिद्धान्त: निर्णय कर लिया है जिनके आवेदन-पत्र तदर्थ आवंटन हेतु विचाराधीन थे ; और

(ख) यदि हां, तो इन आवेदकों को कब तक आवंटन किये जाने की संभावना है और उन्हें ये सरकारी आवास संभवत: किस स्थान पर आवंटित किये जायेंगे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) ऐसे मामलों में, विभिन्न क्षेत्रों में रिक्तियां उपलब्ध होने पर, आवंटन किया जाता है। अत: यह नहीं बताया जा सकता, कि ऐसे आवेदकों को कब तक और कहां वास मिलने की संभावना है।

श्री अमर नाथ चावला : क्या यह सच है कि नई दिल्ली में गोल मार्केट के निकट काफी संख्या में क्वाटरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है अथवा होने वाला है और यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय अभी से क्वार्टरों के तदर्थ आवंटन के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री आई० के० गुजराल : यह तदर्थ आवंटन नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस प्रकार के आवंटन के लिए विशेष नियम है। इन क्वार्टरों में से अधिकतर क्वार्टर उन लोगों को दिये जाने हैं जिनका नाम प्रतिक्षा सूची में है। बीमारी के आधार पर $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत से अधिक को तदर्थ आवंटन नहीं हो सकता। अत: जो व्यक्ति इस आधार पर इस क्षेत्र में क्वार्टर पाने के हकदार हैं, उन्हें वहां पर क्वार्टर दिये जायेंगे।

श्री अमरनाथ चावला : उचित किराये पर भी ठीक जगह की कमी को देखते हुए क्या सरकार सरकारी क्वार्टर देने के लिए उपाय कर रही है और कमी को पूरा करने के लिए क्या सरकार की कोई योजना है ?

श्री आई० के० गुजराल : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि दिल्ली में तथा अन्य स्थानों पर भी मकानों की बहुत अधिक कमी है। चालू योजना में हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल के क्वार्टरों के निर्माण हेतु 24 करोड़ रुपये की राशि नियत की है। दिल्ली को 8331 रिहायशी एकक उपलब्ध होंगे।

Shri Hukam Chand Kachwai : Accommodation problem is very acute in Delhi and quite a number of employees reside in Jhuggies/Jhompries. Keeping in view their requirements, whether the Government has fixed any target to provide a minimum number of quarters to the employees; if so, what is that target and what special steps have been taken by the government to solve this problem ?

श्री आई० के० गुजराल : जैसा कि मैंने अभी कहा है सारे देश में मकानों की बहुत अधिक कमी है । सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त आवास देने के लिए जो भी उपाय किये जा सकते हैं वह राष्ट्रीय स्थिति से अलग नहीं हो सकते । इस समय तक लगभग 41 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर मिल चुके हैं । हम नये मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं । परन्तु मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता कि ऐसी अवस्था आने ही वाली है कि सब लोगों को क्वार्टर दिये जा सकेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has not stated the yearly target to provide quarters.

Shri B. P Maurya : It is a fact that there is problem of houses in Delhi, but Government employees belonging to Scheduled Castes and Schedules Tribes have to face the problem of centouchability. Because these people who do not get accommodation due to the feeling of untouchability and if they get. They have to face exploitation. Whether in the circumstancess, government would make some special arrang ments to provide accommodation to such employees ?

श्री आई० के० गुजराल : अनुसूचित जातियों के लिए हम छुआछूत के आधार पर नहीं विरन् उन लोगों के सामाजिक रूप से पिछड़े होने के आधार पर कुछ प्रतिशतता के नियतन के लए सहमत हैं और हम इस दिशा में कुछ कर रहे हैं परन्तु किसी प्रकार का भेदभाव करना अत्यन्त कठिन है क्योंकि सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ एक विशेष प्रकार के क्वार्टरों के आवंटन के लिए एक जैसा व्यवहार ही करना होता है ।

श्री बी० पी० मौर्य : "सामाजिक रूप से पिछड़े" छूत भी सम्मिलित हैं ।

श्री आई० के० गुजराल : हम छुआछूत का विरोध करते हैं ।

Shri H. K. C. Bhagat : May I kn w whether the plan formulated for providing accommodation to Government employees, includes any scheme to provide accommodation to retiring Government servants ?

श्री आई० के० गुजराल : मैं दिल्ली विकास अधिकरण को इस बात से सहमत करवाने का प्रयत्न करता रहा हूं कि सेवा निवृत हो चुके अथवा अगले कुछ वर्षों में सेवा निवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान बनाने हेतु अलग से एक आवास योजना प्रारम्भ की जाय । इस उद्देश्य के लिए हमने लगभग यह निर्णय कर लिया है कि इन मकानों के निर्माण के लिए नगरीय विकास आवास निगम को एक विशेष धन राशि दी जायेगी ।

Shri Ishaq Sambholi : Whether it is a fact that quarters which have recently been constructed for Government employees, have not been alloted to Government employees but have been alloted to others ? Whether the Govt. have conducted any earninina to know as to how these quarters have reached the hands of these persons ? It is clear that when the quarters are not alloted to Government employees, they are put to difficulties. What difficulty has to be faced by the Govt. if these quarters are alloted to Govt. servants, as anu when their construction to completed and they are given occupation thereof ?

श्री आई० के० गुजराल : मुझे ऐसी किसी स्थिति का पता नहीं जहां पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाये गये क्वार्टर अन्य व्यक्तियों को दिये गये हों। ऐसे व्यक्ति केवल पत्रकार और कुछ संसद सदस्य ही हैं। मैं व्यक्तियों के ऐसे किसी अन्य वर्ग को नहीं जानता जिस वर्ग को सामान्य पूल में बने क्वार्टर दिये गये हों। दूसरे, जहां तक क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही उनके आवंटन करने की बात है, शीघ्रतापूर्वक उनका आवंटन करने का हर प्रयास किया जाता है। कुछ मामलों में बिजली तथा जल जैसी सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण यह खाली रह जाते हैं। जल तथा बिजली की व्यवस्था के बिना मकान आवंटित करने से अधिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।

विश्वविद्यालय प्रशासन में छात्रों को शामिल करना

*2 **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री निहार लास्कर :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय प्रशासन में छात्रों को शामिल करने के बारे में गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिश स्वीकार करने की दिशा में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) बाह्य तत्वों से शिक्षा संस्थाओं की पवित्रता को बचाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री तथा संस्कृति विभाग के मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय): (क) विश्वविद्यालय तथा कालिजों के अभिशासन सम्बन्धी गजेन्द्रगडकर समिति ने विश्वविद्यालयों के अभिशासन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की रिपोर्ट को जिसमें छात्र-सहभोगिता पर भी सिफारिशें दी गई हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को उन सिफारिशों पर उनके विचार जानने तथा उनके कार्यान्वयन के लिये परिचालित कर दिया गया है।

विश्वविद्यालयों को रिर्पोट भेजते समय आयोग ने यह बताया है कि वह इन सिफारिशों को, विशेषकर के छात्र-सहभागिता को बहुत महत्व देता है। विश्वविद्यालय अभिशासन में छात्रों के सहभागिता से सम्बन्धित रिपोर्ट के कार्यान्वियन के लिये विश्वविद्यालय के अधिनियमों का संशोधन करना आवश्यक होगा और इस सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार को करनी होगी। जहां तक केन्द्रीय सरकार का प्रश्न है, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिये दीर्घकालिन विधानीय प्रस्तावों को स्वीकार करते समय छात्र-सहभागिता सहित समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा।

(ख) विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थाएं स्वायत्तशासी संगठन होने के कारण, बाहरी तत्वों से अपनी रक्षा के लिये पर्याप्त अधिकार रखती है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: मैंने विवरण नहीं देखा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय प्रशासन में भाग लेने की छात्रों की मांग से देश के अनेक विश्वविद्यालयों में गम्भीर संकट उत्पन्न हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय इन्दौर और कुछ अन्य विश्वविद्यालय बन्द हो गये हैं।

दूसरे क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि अधिकांश विश्वविद्यालयों में छात्र समस्या के पीछे कौन कौन से राजनीतिक दल हैं ।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय: प्रथम प्रश्न के बारे में माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि विश्वविद्यालयों में व्याप्त इन सब समस्याओं का मूल कारण छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन में भाग लेने की मांग है ।

दूसरे प्रश्न के बारे में माननीय सदस्य से प्रश्न करें क्योंकि यह तो बिल्कुल नया प्रश्न है ।

श्री विरेन्द्र सिंह राव: विश्वविद्यालय प्रशासन में भाग लेने सम्बन्धी प्रश्न तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार करने के लिए क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों के लिए एक आदर्श अधिनियम बनाने हेतु गत दस वर्षों से पूर्व ही एक समिति का गठन किया था और यदि हां तो क्या प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और उक्त समिति द्वारा प्रस्तावित आदर्श अधिनियम पर सरकार द्वारा यदि कुछ कार्यवाही की गई तो क्या कार्यवाही की गई ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका आशय गजेन्द्रगडकर आयोग से है ?

श्री सिद्धार्थ शकंर राय: जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं वास्तव में तीन समितियाँ थीं विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श अधिनियम सम्बन्धी एक समिति थी जिसने यह सिफारिश की थी कि कुछ रूप में छात्रों को शामिल किया जाना चाहिये । छात्र कल्याण एवं सम्बद्ध मामलों सम्बन्धी एक अन्य समिति थी जिसने यह सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय निकायों में छात्रों को प्रतिनिधि के रूप में शामिल करने के लिये विश्वविद्यालयों को कुछ प्रयोग करने चाहिये । फिर शिक्षा आयोग था जिसने यह सिफारिश की थी कि कि एकाडेमी परिषदों में छात्रों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न गजेन्द्रगडकर आयोग के बारे में है ।

श्री सिद्धार्थ शकंर राय : इन सिफारिशों के पश्चात गजेन्द्रगडकर समिति नियुक्त की गई और इस समिति ने जून 1971 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और प्रतिवेदन की प्रतियां हमने समस्त विश्वविद्यालयों को भेज दी । हम इस बारे में विश्वविद्यालयों के विचारों की प्रतिक्षा कर रहे हैं । केवल तीन विश्वविद्यालयों ने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया हैं परन्तु इसी बीच मेरे सहयोगी राज्य मंत्री महोदय ने राज्यों के राज्यपालों को क्योंकि वे विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं गजेन्द्रगडर आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के बारे में उनके विचार जानने के लिए पत्र लिखे हैं ।

श्री निहार लास्कर: केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालयों की सिफारिशों के क्रियान्वयन के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

श्री सिद्धार्थ शकंर राय : जहां तक सिफारिशें क्रियान्वित करने का सम्बन्ध है उन्हें कुछ सांवधेक ढांचे में ढालना पड़ेगा ।

जहां तक केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है सरकार अवश्य ही कार्यवाही करेगी परन्तु यह कार्यवाही अलग रहकर नहीं की जा सकती और केन्द्रीय सरकार के विश्वविद्यालय

केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में न आने वाली विश्वविद्यालयों से पूर्णतया भिन्न प्रणाली नहीं अपना सकते। अत: हमें अधिक समय तक नहीं परन्तु कुछ समय और प्रतिक्षा करनी पड़ेगी।

श्री एन० श्रीकान्त नायर: विश्वविद्यालय के कार्यों में छात्रों को शामिल करने की योजना केरल, महाराष्ट्र और कालीकट विश्वविद्यालयों में लागू है। छात्र अनुशासन और व्यवहार पर सामान्य रूप से इसका क्या प्रभाव पड़ा है और यदि यह क्रियात्मक रहा है तो क्या सरकार अन्य विश्वविद्यालयों में छात्रों को प्रतिनिधि देने का प्रयत्न करेगी ?

श्री सिद्धार्थ शंकर राय: मेरे माननीय मित्र चाहते हैं कि विश्वविद्यालयो के कार्यों में छात्रों कों किसी रूप से शामिल किया जाए जहां तक गजेन्द्रगडकर समिति के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है इस समिति ने सुझाव दिया है कि छात्रों का कोर्टों में तो किसी रूप में प्रतिनिधित्व होना चाहिए किन्तु ऐकेडेमिक परिषद अथवा कार्यकारी परिषद में नहीं किन्तु यह अनुभव किया गया है कि छात्रों से वस्तुत सम्बन्धित कार्यो में छात्रों को शामिल करने से परिणाम अच्छे निकलेगें और जहां तदर्थ आधार पर प्रयोगात्मक रूप में इसे अपनाया गया है वहां परिणाम सन्तोष जनक रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: क्या मैं यह समझ लू कि केन्द्रीय सरकार ने गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशें सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली हैं ?

श्री सिद्धार्थ शंकर राय: केन्द्रीय सरकार ने गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशों सिद्धान्त रूप में तो स्वीकार करली हैं परन्तु इनके ब्यौरो के बारे में विश्वविद्यालयों और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के विचार की प्रतिक्षा की जा रही है।

Shri Sarjoo Pandey: Is it a fact thatthe Gajeendragadkar Committee had reported that the Portion of building of Banaras Hindu University where training is imparted to the R. S.S. people should be separated from the University. **(Interruptions)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस बात का इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस ब त का इस से सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। प्रश्न छात्रों को शामिल करने के बारे में है राज नीति दलों के बारे में नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह बात इस प्रश्न से पूर्णतया सम्बद्ध है। कृपया आप प्रश्न का दूसरा भाग देखें।

Shri Sarjoo Pandey : I want to know whether desdite the Gajendragadkar Committee's recommendation that the building in possession of R. S. S. should be removed from the University campus the leaders are creating trouble there. I want to know the view of ministry and what action has been takem in this matter ?

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : जिस रिपोर्ट का मेरे माननीय मित्र ने उल्लेख किया है वह एक समिति की अन्य रिपोर्ट है जिसके अध्यक्ष भी श्री गजेन्द्रगडकर हैं। एक विशिष्ट संगठन के भवन के बारे में सिफारिशें की गई हैं। विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी निकाय होने के नाते इस

इस मामले की जांच कर रहा है और मुझे विश्वास और आशा है कि विश्वविद्यालय इसकी सिफारिशों पर बहुत गम्भीरता से विचार करेगा ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या सरकार ने इन विश्वविद्यालयों के प्रशासन में छात्रों को शामिल करने के बारे में कोई मूल्यांकन किया है, और यदि हां, तो क्या इससे छात्रों में अनुशासनहीनता कम हुई है ?

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : सरकार ने वस्तुत : मूल्यांकन किया है और सरकार का विश्वास है कि इस बारे में कुछ सांझेदारी होनी चाहिए और विशेषकर छात्रों के कल्याण और अन्य सम्बद्ध मामलों के बारे में छात्रों को किसी रूप में शामिल किया जाना चाहिए ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : विश्वविद्यालय प्रशासन में छात्रों को शामिल करने सम्बन्धी प्रश्न के बारे में मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि जोधपुर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ने विश्वविद्यालय संघ के साथ उचित वार्तालाप किए बिना ही विश्वविद्यालय बन्द कर दिया है ? यह अत्यन्त गम्भीर बात है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल गजेन्द्रगडकर आयोग के बारे में है । अत : मैं इसकी अनुमति नहीं देता । यदि आप इस बारे में एक विशिष्ट उत्तर चाहते हैं तो आप अलग से प्रश्न की सूचना दें । इस बात का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । कृपया आप बैठ जायें ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : इसका छात्रों को शामिल किये जाने से सम्बन्ध है । मैंने छात्रों से इस सम्बन्ध में बातचीत की है ।

Shri Birender Singh Rao : Sir, I want some information as the question stands in my name.

Mr. Speaker : No, you have no monopoly on the questions., you have already asked two questions.

प्रश्न करने वाले माननीय सदस्यों को मुख्य प्रश्न के उपरान्त दो अवसर और दिए जाते हैं । उसके पश्चात वह वादविवाद में भाग नहीं लेता है ।

श्री वयालार रवि : क्या सरकार विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों की राय जानने के लिए प्रतिवेदन परिचालित करेगी ? आयोग ने केवल दण्ड न्यायालयों में छात्रों को शामिल करने की सिफारिश की है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे प्रशासनिक मामलों में भी उन्हें प्रतिनिधित्व देंगे ? अत: क्या सरकार विश्वविद्यालय छात्र संघों के लिये चर्चा और सिफारिशों के हेतु प्रतिवेदन परिचालित करेगी ?

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है और यह अधिक महंगा भी नहीं है । परन्तु जहां तक छात्रों की राय का सम्बन्ध है, हम इसे उचित रूप में जानने के प्रयत्न करेंगे । परन्तु प्रतिवेदन की प्रतियां प्रत्येक कालेज संघ को भेजना सरकार के लिए सम्भव नहीं है ।

चौथी योजना के दौरान वनस्पति तेल के कारखाने

*3. **श्रीमती ज्योत्सना चंदा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी योजना के दौरान राज्यवार वनस्पति तेल के कितने कारखाने स्थापित किए जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

तेल की मिलें (बिनौले के अलावा)	बिनौले के तेल की मिलें	विलायक संयंत्र	निस्सारण	वनस्पति कारखाने	जोड़
1. आन्ध्र प्रदेश	—	—	4	3	7
2. असम	—	—	1	2	3
3. बिहार	—	—	—	3	3
4. गुजरात	—	3	4	8	15
5. हरियाणा	—	—	2	5	7
6. जम्मू तथा कश्मीर	—	—	—	1	1
7. मध्य प्रदेश	—	—	3	6	9
8. महाराष्ट्र	—	2	3	9	14
9. मैसूर	—	—	2	1	3
10. उड़ीसा	—	—	1	—	1
11. पंजाब	—	—	1	7	8
12 राजस्थान	—	—	2	9	11
13. तमिल नाडु	—	—	2	3	5
14. उत्तर प्रदेश	—	—	—	10	10
15. पश्चिमी बंगाल	1?	—	3	1	5
	1?	5	28	68	102

? केवल खोपरे का तेल ।

श्रीमति ज्योत्सना चन्दा : वक्तव्य से पता चलता है कि देश में 102 फैक्टरियों अथवा

संयत्रों की स्थापना की जा रही है। क्या आसाम में भी कुछ फैक्टरियों की स्थापना की जायेगी और क्या उनकी स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में की जायेगी।

श्री शेर सिंह : हमने चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में आसाम के लिये तीन फैक्टरियों के लिये लाईसेंस जारी किये हैं और हमें आशा है कि इसकी स्थापना चौथी योजना के दौरान ही की जाएगी।

श्रीमति ज्योत्सना चन्दा : मैं जानना चाहती हूं कि आसाम में जिन कारखानों की स्थापना की जा रही है, क्या वे पांच वर्ष के भीतर उत्पादन आरम्भ कर देगें और क्या वे पूरे आसाम की आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे।

श्री शेर सिंह : यह बताना मेरे लिये सम्भव नहीं है। यह उस व्यक्ति पर निभर करेगा जो इन कारखानों की स्थापना करेगा। हमने हाल ही में लाईसेंस जारी किये हैं और अब कारखानों की स्थापना करना उनका कार्य है और यह भी उन पर निर्भर करता है कि वे पांच वर्ष में उत्पादन आरम्भ करते हैं अथवा नहीं। जहां तक आसाम के लिये आत्म निर्भरता का प्रश्न है यह बताना कठिन है क्योंकि यह इन कारखानों के उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करेगा।

श्री के० एस० चावड़ा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में मूंगफली के तेल की कमी है, क्या सरकार का इरादा ....

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदस्य का नाम नहीं पुकारा।

श्री के० एस० चावड़ा : क्या सरकार मूंगफली के तेल की कमी को देखते हुए वनस्पति तेल के कारखानों पर, उसका उपयोग करने पर, रोक लगाएगी।

श्री शेर सिंह : वनस्पति तेल के निर्माताओं पर मूंगफली के तेल के उपयोग पर रोक लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम उन सब व्यक्तियों को मूंगफली के तेल के उपयोग से रोक नहीं सकते हैं। मुझे पता है कि देश में मूंगफली के तेल की कमी है और हम उसकी पूर्ति सोयाबीन अथवा अन्य वनस्पति तेल के उपयोग द्वारा कर रहे हैं।

Shri Panna Lal Barupal: May I know whethere there is a plan to set up any vegetable oil factory in Ganganager districts of Rajasthan?

Shri Sher Singh: I require notice for this.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दुर्गापुर-आसनसोल क्षेत्र में दामोदर नदी के जल का दूषित होना

*4. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा

दुर्गापुर-ग्रासनसोल क्षेत्र में दामोदर नदी में जल दूषण के सम्बन्ध में कारखानों से निकलने वाले ग्रौद्योगिक ग्रवशिष्ट द्रवों ग्रौर नदी सम्बन्धी सर्वेक्षण की ग्रोर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; ग्रौर

(ग) जल दूषण को रोकने ग्रौर उस क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

निर्माण ग्रौर ग्रावास तथा स्वास्थ्य परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी हां ।

(ख) 8 उद्योगों का सर्वेक्षण करने से पता चला है कि इन उद्योगों से प्रतिदिन 43,100 किलो ग्राम बायोकेमिकल ग्राक्सीजन डिमाण्ड युक्त लगभग 1,59,100 घन मीटर गन्दा पानी निकलता है । उक्त ग्रौद्योगिक ग्रवशिष्ट द्रव्य साइनाइड, फेनाल्स, ग्रमोनिया ग्रादि जैसे विषैले यौगिक भी होते हैं । इन 8 उद्योगों में से 3 उद्योगों में उनके गंदे पानी को ग्रांशिक रूप से साफ करने की सुविधाएं हैं । किन्तु उनका कार्य सन्तोषजनक नहीं समझा जाता ।

(ग) ग्रपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है ग्रौर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकार जल दूषण की रोकथाम के लिए एक कानून बना रही है जिससे ग्रौर ग्रधिक सरलतापूर्वक प्रभावकारी कार्रवाई की जा सकेगी ।

गुजरात में कैंसर के मामलों में वृद्धि

*** 5. श्री पी० एम० मेहता :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **स्वास्थ्य ग्रौर परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले 5 वर्षों में गुजरात में कैंसर के मामलों में खतरनाक रूप से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो ग्रब तक ऐसे कुल कितने मामले पंजीकृत हुए हैं; ग्रौर

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

निर्माण ग्रौर ग्रावास तथा स्वास्थ्य ग्रौर परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) ग्रौर (ख). विस्तृत सूचना गुजरात सरकार से एकत्र की जा रही है ग्रौर यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी । तथापि भारत सरकार के पास उपलब्ध निम्नलिखित सूचना से यह जाहिर नहीं होता कि यह वृद्धि खतरनाक है ।

वर्ष के दौरान दाखिल किए गए रोगियों की संख्या					**वर्ष के दौरान बहिरंग विभाग में जांच किए गए रोगियों की संख्या**				
1966	1967	1968	1969	1970	1966	1967	1968	1969	1970
2813	3916	3202	3616	4363	11170	6116	7978	8073	7383

(ग) अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार कैंसर के लिए कोई निश्चित और स्थाई उपचार नहीं हैं और राहत पहुंचाने के लिए सर्जरी आदि के द्वारा ही रोकथाम के उपाय किए जाते हैं। कैंसर होने के सही कारणों की भी जानकारी नहीं है। इस रोग के कारणों का पता लगाने और इसके उपचार के तरीके निर्धारित करने के विचार से सरकार इस सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित कर रही है।

हल्दिया पत्तन परियोजना का निर्माण

*** 6. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया पत्तन परियोजना के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं, और

(ख) वहां ट्रैक्टरों तथा अन्य जहाजों के लिए घाट सम्बन्धी सुविधायें अन्तिम रूप से कब तक पूरी हो जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) **: (क) और** (ख). तेल वाहक पोत की धरा उठाई के लिए तेल जेटी जोकि हल्दिया पत्तन का एक भाग है, अगस्त 1968 से ही चालू है। जहां तक गोदी पद्धति का सम्बन्ध है, पूर्ण करने तथा चालू करने की मूल निर्धारित तिथि 1971 के अन्त तक थी। इसमें कार्य का परिमाण तथा जटिलता, विस्तृत जल सम्बन्धी अध्ययनों के बाद यथा निर्धारित गहरे डुबाव की प्रत्याशित उपलब्धता के आधार पर जलपाश के परिमापों में बदल, कुछ तकनीकी कठिनाइयां जो कलकत्ता पत्तन आयुक्तों को निर्माण से पूर्व गहरी खुदाई करने योग्य बनाने के लिए गोदी पद्धति के जलपाश द्वारा पर जल सतह को कम करने में हुई, प्रचलित इस्पाती और फौलादी खम्भों की सामान्य कमी, क्रम की कम उत्पत्ति तथा, वर्षाकाल में कार्य स्थिति में अप्रत्यशित कठिनाइयां जिससे प्रतिवर्ष कार्य करने के समय में काफी कमी हो जाती है, माइनिंग तथा एलाइड मशीनरी कारपोरेशन द्वारा, खनिज धातु तथा कोयला लदान संयंत्र की पूर्ति में विलम्ब, जैसे विभिन्न कारणों से निर्धारित समय में एक वर्ष से थोड़ा अधिक समय का विलम्ब हुआ। वर्तमान सूचकों के अनुसार, तेल वाहक पोतों को छोड़कर अन्य पोतों के लिए घाट सुविधाएं होने पर गोदी पद्धति की अप्रैल, 1973 में चालू होने की सम्भावना है।

हल्दिया में जहाज बनाने का कारखाना

***7. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में जहाज बनाने का नया कारखाना स्थापित करने सम्बन्धी प्रधान मन्त्री के सुझाव पर कोई प्रगति हुई है; और

(ख) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को हल्दिया में कारखाना स्थापित करने के बारे में हतोत्साहित किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जहाज बनाने का नया कारखाना स्थापित करने तथा उसके स्थान के सुझाव की जांच के लिए एक कार्यदल नियुक्त किया गया है।

(ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा हल्दिया में एक कारखाने की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। अतः उनको हतोत्साहित करने का प्रश्न नहीं उठता।

चावल और गेहूँ का आवंटन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का अनुरोध

*** 8. श्री अजीत कुमार साहा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से 12 लाख मी० टन चावल और 15 लाख मी० टन गेहूं आवंटित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : पश्चिम बंगाल सरकार ने अक्तूबर, 18971 में सूचित किया था कि अगले वर्ष के दौरान केन्द्रीय भण्डार से उनकी खाद्यान्न सम्बन्धी जरूरतें सम्भवतया 11·5 लाख मी० टन चावल और 15 लाख टन गेहूं होगी।

(ख) पश्चिम बंगाल की चावल और गेहूं की सारी आवश्यकताएं पूरी करने का विचार है।

बंगला देश से आए शरणार्थियों के शिविरों के लिये डाक्टरों की सेवाएं

***9. श्री शशि भूषण** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा बंगला देश से आए शरणार्थियों के शिविरों में कितने डाक्टर भेजे गये हैं;

(ख) कितने प्राइवेट डाक्टरों ने बंगला देश से आए शरणार्थियों को अपनी सेवायें देने को प्रस्ताव किया है;

(ग) बंगला देश के शरणार्थियों के विभिन्न शिविरों में जन स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रही है; और

(घ) शरणार्थी शिविरों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार करने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : बंगला देश से आये शरणार्थियों को राज्य सरकारी शिविर स्थापित हैं चिकित्सा देख-रेख और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं दी जा रही हैं। तथा बाहरी स्रोतों से भी ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं। भारत

सरकार ने अब तक लगभग 350 डाक्टर भेजे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से स्वेच्छिक संगठनों और अन्य एजेन्सियों ने भी चिकित्सा कर्मचारी भेजे हैं।

(ख) शरणार्थियों के राहत कार्य के लिये लगभग 50 प्राइवेट डाक्टरों ने अपनी सेवायें पेश की है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों में प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक संघों से प्रस्ताव मिले हैं।

(ग) शरणार्थी शिविरों में स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति सामान्यतया संतोषजनक है।

(घ) स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं। अस्पतालों में अतिरिक्त पलंगों की व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त एम्बुलेंन्स भी दिये गये हैं। अपेक्षित औषधियों तथा रोगाणुनाशक औषधियों की व्यवस्था की जा रही है। कुपोषण से ग्रस्त बच्चों के उपचार के लिये विशेष पोषण चिकित्सा केन्द्र स्थापित किए गये हैं। कोई महामारी फैलने न पाये इसके लिये हैजा-निरोधी टीका लगाने, चेचक का टीका लगाने, जल स्रोतों को विसंक्रमित करने तथा मलेरिया निरोधी उपाय आदि जैसे विशेष निरोधी उपाय बरते जा रहे हैं।

उक्त शिविरों में अतिरिक्त नल कूप तथा शौचालयों की व्यवस्था भी की जा रही है।

राज्य सेवा में रत डाक्टरों के लिये सैनिक सेवा

***10. श्री पी० के० दास चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने यह सिफारिश की थी कि राज्य सेवारत डाक्टरों की आयु 45 वर्ष से कम न हो, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर, अपनी सेवा के प्रथम दस वर्षों के दौरान 4 वर्ष तक सैनिक डाक्टरी कोर में सेवा करनी चाहिये;

(ख) परिषद् ने अन्य कौन–२ सी सिफारिशें की हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी हाँ। अक्तूबर, 1971 में जयपुर में हुई बैठक में इस आशय का एक संकल्प पास किया गया था।

(ख) सिफारिशों की एक सूची सभा पटल पर रख दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 946/71**]

(ग) संकल्पों की प्रतिलिपियां राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को क्रियान्विति हेतु वितरित की जा रही है। केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित संकल्पों की जांच पड़ताल सम्बन्धित अधिकारियों के परामर्श से की जायेगी।

ग्रामीण आवास के लिये केन्द्रीय योजना

*11. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**
श्री एम० कल्याण सुन्दरम :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा हाल ही में राज्य सरकारों को प्रस्तुत की गई उस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं जिसमें ग्रामीण आवास पर खर्च की गई राशि की केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ण प्रतिपूर्ति करने का आश्वासन दिया गया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये वर्ष 1971-72 और 1972-73 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) योजना की प्रमुख विशेषताओं का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 947/71]**

(ख) और (ग) योजना राज्य सरकारों को 6 अक्तूबर, 1971 को ही केवल परिचालित की गई है। किसी भी राज्य सरकार ने अभी तक अपने परियोजना प्रस्ताव नहीं भेजे हैं। योजना के कार्यान्वियन के लिए नियत की जाने वाली निधियों का निश्चय उनकी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई राशि को दृष्टि में रखते हुए किया जायेगा।

कैंसर रोग का शीघ्र पता लगाने के लिये अनुसन्धान

*12 **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा कैंसर रोग का "पौप टैस्ट" के माध्यम से शीघ्र पता लगाने के बारे में किये गये अनुसन्धान की ओर दिलाया गया है जैसा कि 19 सितम्बर के "पैट्रिस्ट" में समाचार है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी हां।

(ख) "पैप टैस्ट" इस तथ्य पर आधारित है कि पिण्ड अंगों के तल पुरानी कौशिकाओं को निरन्तर छोड़ते रहते हैं। इन अंगों से होने वाला कैंसर भी कोशिकाएं छोड़ता है, इस प्रकार से छोड़ी गई कोशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों के तरलस्रावों में एकत्र हो जाती हैं। यदि इस

स्रावों के किसी नमूने का पैप टैस्ट किया जाय और माइक्रोस्कोप से इनकी जांच की जाय तो कैंसर होने के कोई बाह्य लक्षणों के दिखाई देने से पूर्व ही कैंसर कोशिकाओं का पता लग सकता है।

(ग) कैंसर का प्रारम्भ में ही पता लगाने की आवश्यकता के बारे में सरकार पूर्णत: सजग है "पैप टैस्ट" द्वारा इसका पता लगाने की सुविधायें देश के कुछ चिकित्सा कालेजों तथा प्रमुख कैंसर केन्द्रों में मौजूद हैं।

कोचीन में मत्स्य निगम आरम्भ करने के लिये फ्रांस की पेशकश

*13 **श्री ए० के० गोपालन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस की एक मत्स्य कम्पनी ने कोचीन में मत्स्य निगम योजना स्थापित करने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) कोचीन में एकीं मीनहरण निगम की स्थापना के लिये किसी फ्रेंच मीनहरण कम्पनी से कोई प्रस्ताव प्राप्त नह हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होते।

केन्द्रीय भूमि सुधार समिति का प्रतिवेदन

*13 **श्री सरोज मुखर्जी** :
श्री रामचन्द्र विकल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 948/71**]

पर्वतारोहण का संवर्द्धन

*15 **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्वतारोहण का संवर्द्धन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करनेका विचार है; और

(ख) इस कार्य लिए वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में कितनी राशि का नियतन किया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) : भारत सरकार मुख्य रूप से हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उतर-काशी और भारतीय पर्वतारोहण संगठन, नई दिल्ली के माध्यम से देश में पर्वतारोहण को प्रोत्साहित करती है। दो संस्थान प्रत्येक वर्ष पांच बुनियादी और पांच उच्च पाठयक्रम चलाते हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय पर्वतारोहण संस्थान प्रतिवर्ष दो साहसिक और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान प्रत्येक वर्ष एक साहसिक पाठयक्रम चलाते हैं। ये संस्थान चट्टान आरोहण में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु देश के विभिन्न भागों के स्कूलों कालेजों, पर्वतारोहण क्लबों आदि में अनुदेशकों को भी भेजते हैं।

भारतीय पर्वतारोहण संगठन देश में पर्वतारोहण को लोकप्रिय बना रहा है और उसने एक पंचवर्षीय योजना (1969-70 से 1973-74) तैयार की है। संगठन प्रति वर्ष लगभग 15 अभियानों की अर्थात मोटे तौर पर योजना अवधि के दौरान 75 अभियानों की सहायता करेगा। यह योजना अवधि के दौरान कम से कम दो बड़े अभियान आयोजित करेगा। इसने पहले ही 1970 में सासेर कांगड़ी (25170 फुट) जैसा एक बड़ा अभियान आयोजित किया है। संक्षेप में संगठन ने अब तक माउन्ट ऐवरेस्ट पर तीन, तथा चो-ओऊ, नन्दादेवी, नन्दादेवी पूर्व, पंचूली, नीलकंठ पर प्रत्येक पर एक एक अभियान सहित 12 अभियान आयोजित किये हैं। इसने आंशिक तौर पर दूसरे 77 अभियानों की भी सहायता की है। संगठन ने एक भारत ब्रिटिश अभियान और एक भारत, जापान महिला पर्वतारोहण अभियान आयोजित किये।

भारतीय एवरेस्ट अभियान, 1965 की सफलता पर एक फिल्म तैयार कर ली गई है और उसे एन० सी० सी० यूनिटों, और सैनिक कार्मिकों को दिखाया गया है।

विश्वविद्यालयों और कालेजों के छात्रों में पर्वतारोहण को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार एक वित्तीय सहायता योजना चलाना चाहती है ताकि विश्वविद्यालय पर्वतारोहण शिविरों को आयोजित कर सकें।

1970-1971 के दौरान इस उद्देश्य के लिये कुल 1,45000 रु० की राशि आवंटित की गई थी। वर्ष 1971-72 के दौरान इस प्रयोजन के लिये 800000 रु० की राशि निर्धारित की गई है।

Procedure for Constituting Board of Trustees for Ports

*16 **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the basis and Procedure adopted for constituting Board of Trustees for the various ports at present; and

(b) Whether the said procedure is uniform in case of all the ports ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) **and (b)**. A statement is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. see No. L. T. 949/71]**

संग्रहालयों के कार्यकरण के सम्बन्ध में समितियों के प्रतिवेदन

*17 **श्री एन० शिवप्पा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संग्रहालयों के कार्यकरण की जांच करने के लिए गठित दो समितियों ने सरकार को अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो समितियों ने मुख्यतया कौन-कौन सी सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार ने संग्रहालयों में सुधार के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है जिससे उनके कार्य और सुचारू रूप से हो सकें ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण लोक सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें समितियों द्वारा की गई मुख्य सिफारिशे दी गई हैं । [ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल. टी. 950/71]

(ग) दो समितियों की जिन मुख्य सिफारिशें में काफी बड़ी मात्रा में वित्तीय सहायता और प्रशासकीय जिम्मेदारियां आती हैं तथा जिनके विषय में राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों अथवा लोक संस्थाओं से परामर्श करना होगा, वे सरकार के विचाराधीन हैं । जिन सिफारिशों में ऐसी कोई वित्तीय अथवा प्रशासकीय जिम्मेदारियां नहीं हैं, वे कार्यान्वित की गई हैं अथवा कार्यान्वित की जा रही हैं ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में गजेन्द्रगडकर जांच आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

*18 **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में गजेन्द्रगडकर जांच आयोग की मुख्य सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ख) विश्वविद्यालय में परिवर्तन करने तथा देश की लोकप्रिय संस्थाओं को बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) . विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 951/71]

पश्चिम बंगाल में बाढ़-पीड़ित कृषि मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के उपाय

*19. **श्री समर मुखर्जी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंके कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के कृषि मजदूरों में बड़े पैमाने पर फैली बेरोजगारी की विकट समस्या की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने गरीबी से बचाने के लिये इन कृषि मजदूरों को बेरोजगारी राहत देने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ग) क्या बाढ़ से इन कृषि मजदूरों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए सरकार गारी ने कोई जांच पड़ताल की है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ ।

(ख) राज्य सरकार ने, जहां कहीं सम्भव हो सका है, बाढ़ से प्रभावित कृषि श्रमिकों को रोजगार के रूप में, राहत देने के लिये राहत कार्य प्रारम्भ करने की दिशा में कदम उठाये और इस कार्य के लिये बीस लाख पिचहत्तर हजार रुपये की राशि पहले ही स्वीकृत की ज चुकी है । इसके अतिरिक्त सोलह लाख एकड़ क्षेत्र में रबी कृषि का एक आपातिक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है और राज्य सरकार ने दो करोड़ चौरासी लाख और सत्तावन हजार रुपयों का बीज क्रय करने के लिये प्रभावित कृषकों को कृषि ऋणों के रूप में वितरित करने की दृष्टि से पहले ही मन्जूरी दे दी है । कृषि श्रमिक इससे प्रत्यक्षत: लाभान्वित होंगे ।

(ग) जी हाँ । राज्य सरकार ने पता लगाया कि बाढ़ से 26 लाख एकड़ से अधिकहैं। क्षेत्र में खरीफ की फसल को हानि पहुंची हैं । बुवाई, निराई-गुड़ाई, तथा फसल कटाई के का में लगे रहने वाले कृषि श्रमिकों को इस बाढ़ से हानि हुई थी ।

पश्चिम बंगाल के कन्टाई सब-डिवीजन में बाढ़ के कारण कृषि उत्पादत में गिरावट और कृषकों की सहायता हेतु किए गए उपाय

*20. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष तथा पिछले छ: वर्षों के दौरान भयंकर बाढ़ों के कारण पश्चिम बंगाल के कन्टाई सब-डिवीजन में कृषि-उत्पादन में भारी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में कोई अन्य फसल उगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस वर्ष लोगों को और अधिक राशि के कृषि ऋण, उर्वरक ऋण और अन्य सम्बद्ध ऋण दिये जायेंगे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) (क) से (ग) : पश्चिम बंगाल सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और राज्य सरकार से जानकारी मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

मार्डन बेकरीज में बासी डबल रोटियां बनाये जाने के बारे में शिकायतें

*21. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ? ो इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि माडंन बेकरीज में बन ई जाने वाली डबल रोटियां बासी होती हैं और अधिक समय तक नहीं रखी जा सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस शिकायत को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) मार्डन बेकरीज द्वारा उत्पादित रोटी के बासी होने के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) मार्डन बेकरीज केवल ताजी रोटियां ही बेच रही हैं जिनकी 'सेल्फ लाइफ' कम से कम 92 घन्टे है। सम्भवतया, खुदरा स्तर पर बिक्री करने में कुछ देरी हो गयी हो। सरकार उन कारणों की जांच कर रही है जिनसे ये शिकायतें पैदा हुई हैं।

(ग) वितरण व्यवस्था में सख्ती बरती गई है और 'सेल्फ लाइफ' के बाद बिना बिकी रोटियों को, यदि कोई हों, वापस लेने की व्यवस्था कर दी गई है। वितरण प्रणाली पर सख्त गुण नियन्त्रण और निगरानी भी रखी जाती है ताकि बासी रोटियों की बिक्री रोकी जा सके।

कैंसर से होने वाली मृत्यु की दर में वृद्धि

***22. श्री दिनेश जोरदर**
श्री सी० चित्तिबाबू

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में कैंसर से होने वाली मृत्यु दर में वृद्धि होने की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस रोग के अचानक और बढ़ जाने के कारणों का अध्ययन किया है; और

(ग) इस रोग का उन्मूलन करने हेतु क्या कार्यवाही है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 952/71**]

खाद्यान्न सम्बन्धी हमारी आवश्यकता तथा पी० एल० 480 के अन्तर्गत उनका आयात

*22. **श्री पी० वेंकटासुब्बय्या** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1971 के अन्त तक पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात बन्द करने के अपने निर्णय पर स्थिर है।

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कितनी कितनी मात्रा में खाद्यान्न आयात करने का सरकार का विचार है; और

(ग) खाद्यान्नों सम्बन्धी हमारी कुल आवश्यकता कितनी है तथा देश में वे किस मात्रा में उपलब्ध हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, जहां तक पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों के आयात का सम्बन्ध है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) 1971–72 के लिए उत्पादन के ठीक-ठीक अनुमान बताना बहुत जल्दबाजी होगी लेकिन आशा है कि 1971–72 में लगभग 1120 लाख मी० टन खाद्यान्नों का उत्पादन होगा जोकि हमारी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होगा।

खाद्य स्थिति का मूल्यांकन और 1972 के लिये खाद्य उत्पादन का लक्ष्य

*** 24 श्री राम सहाय पांडे :**
श्री नागेश्वर राव मेंदुरी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की वर्तमान खाद्य स्थिति का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार ने खाद्य उत्पादन और 1972 में खाद्यान्न के आयात के लक्ष्यों को अन्तिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) अगले वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन बढाने के लिये क्या कदम उठाए गये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) इस समय देश में खाद्य स्थिति संतोषजनक है। पिछले लगातार 4 वर्षों से खाद्यन्नों का अच्छा उत्पादन हो रहा है। इस समय बाजार में खाद्यान्न सुगमता से मिल रहा है और सरकार के पास भी खाद्यान्नों के भारी आरक्षित भण्डार उपलब्ध हैं।

(ख) वर्ष 1971–72 के लिए 1120 लाख मी० टन खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1971 के बाद खाद्यान्नों के रियायती आयात बन्द करने से संबंधित निर्णय कायम हैं तथापि, 1972 के लिये वाणिज्यिक आयातों के लिए आयात कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो पग उठाए गए हैं उनमें अधिक उपज देने वाली किस्मों की बुवाई करना, बहु फसली के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करना, पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर इनपुटों की सप्लाई और पानी की सप्लाई के अच्छे प्रबन्ध करना, उर्वरकों की अभिस्तावित मात्रा का प्रयोग करना, कीटाणुओं और पौधों की बिमारियों के नियंत्रण के लिए

संगठित उपाय करना और उत्पादकों को प्रोत्साहन मूल्य दिलाने का आश्वासन देना शामिल हैं।

कलकत्ता के कालेजों के समक्ष वित्तीय संकट

*25 **श्री मौहम्मद इस्माइल :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता के कालेजों के सामने आए हुए वित्तीय संकट की ओर दिलाया गया हैं जैसा कि 10 सितम्बर, 1971 के हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड में छपा है:,

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं:, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० जे०पी० यादव) : (क) जी हाँ।

(ख) 10 सितम्बर, 1971 के हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड की प्रेस रिपार्ट के अनुसार निम्नलिखित बातें हैं:–

(i) कलकत्ता के अधिकाँश कालेज गम्भीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे क्योंकि उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के परिणामों की घोषणा देरी से करने के कारण प्रथम वर्ष श्रेणी में दाखिला अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, (ii) शहर के दो बड़े कालेजों में पूछताछ करने से यह पता चला है कि वे अपने कर्मचारियों को अक्तूबर, 1971 में वेतन भी देने की स्थिति में नहीं थे:, और (iii) प्रिंसपिलों के सुझाव पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति कालेजों को अपनी तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दीर्घकालीन ऋण हेतु राज्य सरकार से अनुरोध करने लिए राजी हो गये थे।

(ग) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के परिणाम घोषित किये जा चुके हैं और जहां तक उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों का सम्बन्ध है प्रथम वर्ष श्रेणी में दाखिला पूरा हो चुका है। कालेजों की वित्तीय कठिनाइयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने गैर सरकारी संबंध कालेजों की वित्तीय प्रशासकीय और अन्य पहलुओं की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति की है। समिति, का कार्य आगे बढ रहा है।

बंगला देश के शरणार्थियों के लिए राजस्थान युनिट के डाक्टरों पर असामाजिक तत्वों द्वारा आक्रमण

26 **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :**

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगला देश के शरणार्थियों के लाभार्थ इस्लामपुर में चलाये जा रहे 400 विस्तरों वाले चिकित्सालय के राजस्थान युनिट के डाक्टरों पर असामाजिक तत्वों द्वारा किए आक्रमणों के कारण राजस्थान युनिट को वापिस बुलाने की इच्छुक थी:,

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा मानव कल्याण कार्य में लगे डाक्टरों को जीवन रक्षा का उचित प्रबन्ध न कर पाने के क्या कारण हैं:, और

(ग) क्या यह चिकित्सा इस बीच वापस आ गई और यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री ऊमाशकंर दीक्षित)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिये चिकित्सा राहत कार्य के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने कर्मचारी सहित 400 पलंगों वाले एक पूर्ण सुसज्जित अस्पताल की सेवाएं अर्पित की थी । यह प्रस्ताव मान लिया गया था और अस्पताल को पश्चिम बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर जिले इस्लामपुर में भेज दिया गया था । अस्पताल ने जून 1971 के पहले सप्ताह में कार्य करना शुरु किया और यह छः सप्ताह तक सन्तोषजनक कार्य करता रहा है ।

24 जुलाई 1971 को राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को सूचित किया कि इस्लामपुर में उनके चलते फिरते अस्पताल के कर्मचारियों से उन्हें एक सन्देश मिला है कि स्थानीय जनता उनको धमकियां दे रही है और जीवन खतरे में है । यह भी बताया गया कि कर्मचारियों ने इस्लामपुर छोड़ने की आज्ञा माँगी है । यह मामला तत्काल पश्चिम सरकार के सभा सम्बन्धित अधिकारियों के ध्यान में लाया गया और उनसे चलते फिरते अस्पताल के कर्मचारियों की आवश्यक सुरक्षा का प्रबन्ध तत्काल करने का अनुरोध किया गया ।

28 जुलाई, 1971 को पश्चिम दिनाजपुर के जिलाधीश ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को एक सन्देश भेजा जिसमें सूचित किया गया कि 18 जुलाई 1971 को रोगियों की अस्पताल में भरती करने में देरी होने के कारण यह घटना शुरु हुई । यह भी सूचित किया गया कि डक्टरों और कुछ युवकों के बीच कहा सुनि हुई थी और इस सम्बन्ध में पुलिस केस शुरू किया गया । यह भी बताया गया कि अस्पताल दल को सब सम्भव सरंक्षण दिया गया ।

इस सारे मामले पर 30 जुलाई 1971 को मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया । यह पता लगा कि राजस्थान दल ने 25 जुलाई,1971 से अस्पताल चलाना बन्द कर दिया यह भी मालूम हुआ कि स्थानीय बदमाशों द्वारा डाक्टरों के साथ डाट डपट की कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हुई । इस मामले में राजस्थान के स्वास्थ्य सेवा निदेशक जो कलकत्ता में ही थे और पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के साथ 31 जुलाई 1971 को आगे विचार विमर्श हुआ । विचार विमेश के पश्चात यह निर्णय हुआ कि राजस्थान के स्वास्थ्य सेवा निदेशक चलते फिरते अस्पताल के स्थान पर कुछ जरनल डयूटी अफसर और विशेषज्ञ भेजेगें और वह नया दल इस्लामपुर से किसी अन्य स्थान पर तैनात किया जाएगा । तदनुसार इस्लामपुर से राजस्थान चलता फिरता अस-

पताल हटा लिया गया और राजस्थान सरकार द्वारा 20 चिकित्सालय अधिकारियों का एक दल पश्चिम बंगाल में प्रतिनियुक्त कर दिया गया।

बिहार में बाढ़ों के कारण फसलों को हुई क्षति तथा इसके परिणामस्वरूप बिहार को खाद्यान्न की सप्लाई

*27. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में अभूतपूर्व बाढ़ के कारण खड़ी फसलों को बहुत अधिक क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बाढ़ों के परिणामस्वरूप राज्यों को खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) राज्य सरकार की कुल कितने खाद्यान्नों की मांग है और केन्द्र ने उस राज्य को अब तक कितना खाद्यान्न दिया है।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) इन बाढ़ों के कारण संचार व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाने से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्नों की अस्थायी कमी पैदा हो गई थी लेकिन सप्लाई स्थिति अब सुधार गई है।

(ग) जुलाई से नवम्बर, 1971 तक बिहार सरकार ने केन्द्र से 4,55 लाख मी० टन गेहूं मांगा था और मांगी गई पूरी मात्रा आवंटित कर दी गई है।

आसाम में खाद्य पदार्थों की कमी

*28. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि आसाम राज्य में पिछले कुछ महीनों से खाद्य पदार्थों की भारी कमी रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार कौन से प्रभावशाली उपाय कर रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). बाढ़ों से संचार व्यवस्था में विघ्न पड़ने और भारी संख्या में शरणार्थियों के आने के कारण असम में पर्याप्त स्टाक बनाये रखने में कुछ कठिनाइयां अनुभव की गई हैं। असम को अग्रस्ता के आधार पर खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त मात्राएं भेजने के लिए रेलवे से वैगनों का अधिक कोटा प्राप्त किया गया है। सड़क मार्ग से भी यथा सम्भव अधिक से अधिक माल भेजा जा रहा है।

मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना

*29 **श्री विजय मोदक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय चिकित्सा संगठन द्वारा 28-39 सितम्बर 1971 को नई दिल्ली में आयोजित चिकित्सा शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन में किये गये इन सुझावों की ओर दिलाया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक "मेडिकल यूनिवर्सिटी" की स्थापना की जानी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) प्रत्येक राज्य में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी होने के बारे में एक सुझाव चिकित्सा शिक्षा के राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्षीय अभिभाषण में दिया गया था और ऐसा समझा जाता है कि सम्मेलन द्वारा इसका समर्थन किया गया।

(ख) सम्भवत: चिकित्सा शिक्षा के स्तर तथा परीक्षाओं में एकरूपता लाने के विचार से उक्त सुझाव दिया गया है इसके अधीन परिकल्पना की गई है कि इस प्रकार की यूनिवर्सिटी राज्य के सभी चिकित्सा कालेजों के लिए एक सम्बद्ध विभाग के रूप में कार्य करेगी तथा चिकित्सा कालेजों एवं उनसे सम्बद्ध अस्पतालों पर नियन्त्रण रखेगी।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सुझाव पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा तथा इस बारे में भारत सरकार के विचारों सहित इन राज्य सरकारों के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया जायेगा।

अखिल भारतीय सेवारत डाक्टरों की माँग दिवस

*30 **श्री दशरथ देव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा 1 सितम्बर, 1971 को अखिल भारतीय सेवारत डाक्टरों का मांग दिवस बनाये जाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो एसोसिएशन की मांगें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी हां।

(ख) माँगों का सारांश सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है।

(ग) इन पर सम्बन्धित अधिकारियों से विचार विमर्श किया जा रहा है।

विवरण

"अखिल भारतीय सेवारत डाक्टरों" ने अपने ज्ञापन में निम्नलिखित मांगें रखी हैं :—

(I) सेवारत डाक्टरों की वेतन परिलब्धियों, सेवा शर्तों तथा स्तरों के मामलों में अभी तक विद्यमान असमानताओं और असंगतियों को दूर करना।

(II) स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्तता को समुचित संशोधनों तथा परिवर्तनों के द्वारा दूर करना और देश के दूरवती एकान्त स्थानों में भी स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करने के लिये कदम उठाना।

(III) डाक्टरों का बेरोजगारी एवं अन्य रोजगारी को समाप्त करना।

(IV) कर्मचारी राज्य बीमा योजना में पैनल डाक्टरों के लिये प्रति व्यक्ति शुल्क में वृद्धि की माँग पर विचार करना।

(V) लाइसेन्सीएट तथा स्नातक डाक्टरों के बीच कृत्रिम अन्तर को जोकि कोयला खानों तथा चाय बागानों में अभी तक कायम हैं, दूर करना।

(VI) डाक्टरों के लिए एक राष्ट्रीय वेतन मण्डल नियुक्त करना।

(VII) सारे देश में डाक्टरों की सेवा शर्तों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिये सभा सेवारत चिकित्सकों को स्वास्थ्य मंत्रालय (अथवा राज्यों में स्वास्थ्य विभाग) के अधीन लाना।

(VIII) सभी चिकित्सा स्नातकों को उपाधिग्रहण करने के पश्चात् 3 वर्ष के लिये शहरों, जिला तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः एक एक वर्ष के लिये भेजना।

पंजाब में स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जाना

1. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान पंजाब के स्कूलों का दर्जा बढ़ाया है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर भटिण्डा जिले के ऐसे स्कूलों की संख्या क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) और (ख) . राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि 1971-72 में किसी स्कूल का दर्जा नहीं बढ़ाया गया है :

पालामऊ जिले में प्राचीन स्मारक

2. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालामऊ (बिहार) जिले में ऐतिहासिक एवं वास्तुकला सम्बन्धी अनेक प्राचीन स्मारक विद्यमान हैं, और

(ख) यदि हां, तो इन स्मारकों को नष्ट होने से बचाने के लिये अब क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) . भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिहार में पालामऊ जिले के उन कुछ प्राचीन स्मारकों का सर्वेक्षण किया है जिनके लिये इसका ध्यान आकर्षित कराया गया था। परन्तु इनमें से कोई भी पर्याप्त रूप से इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा गया था जिसे केन्द्रीय संरक्षित स्मारक घोषित करने की आवश्यकता हो।

जिले में पुरातत्व वास्तु अथवा ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक महत्व रखने वाले यदि किसी प्राचीन स्मारक को सरकार अथवा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ध्यान में लाया जाता है तो उसका सर्वेक्षण कराये तथा उसके लिये कदम उठाए जायेंगे और संरक्षण के लिये विचार किया जाएगा।

बीज वर्धन फार्म

3. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या कृषि मन्त्री बीज वर्धन फार्म के बारे में 7 मई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8862 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या जानकारी मिली है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक एकत्र कर लिये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) . बहुत विस्तार में जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई रही है, क्योंकि यह जानकारी 30 विभिन्न राज्यों संस्थाओं से कई वर्षों की तथा कई फसलों से सम्बन्धित है। फिर भी काफी जानकारी प्राप्त हो गई है और समेकित रूप से एक विवरण में दी गई है जो संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी—953/71**।]

(ग) इस प्रकार का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जबकि दी गई जानकारी अपर्याप्त समझी जाये।

पृष्ठभूमि जानकारी

श्री ओमप्रकाश त्यागी द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 8863 के उत्तर में 7-5-1970 को लोक सभा में एक आश्वासन दिया गया है प्रश्न के उत्तर में एक आश्वासन के रूप में यह बताया गया था कि जानकारी एकत्रित की जा रही थी और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

अपेक्षित जानकारी विस्तृत ब्यौरे से सम्बन्धित है और उसे एकत्रित करना बहुत कठिन है। हमें जो जानकारी एकत्रित करनी है वह है प्रत्येक राज्य में स्थापित किए गए बीज गुणन फार्मों की संख्या, और गत 5 वर्षों में से प्रत्येक की उत्पादित बीजों की किस्मों और बीजों की मात्राओं के सम्बन्ध में जानकारी राज्यों तथा बीज उत्पादन से सम्बद्ध राज्यों तथा अन्य संस्थाओं की संख्या 30 है। पांच वर्षों की अवधि है। कम से कम 10 ऐसे मुख्य फसलें हैं जिनके लिए जानकारी एकत्रित करनी है और ये विभिन्न उपजों से सम्बन्धित है। उत्तर प्रारूप

में दी गई जानकारी से सम्भवतः संसद को तसल्ली हो जाएगी जहां सम्भव हुआ है वहां फसल-वार ब्यौरा दे दिया गया है गत पांच वर्षों का कुल खर्च दिया गया है।

बिहार से होकर जाने वाली ग्रांड ट्रक रोड की स्थिति

4. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार से होकर जाने वाली ग्रांड ट्रंक रोड टूटी-फूटी स्थिति में है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सड़क की मरम्मत के लिये चौथी तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना में बिहार के लिये कितनी धन राशि नियत की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकास / सुधार कार्य करने के लिए 13·27 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मौजूदा इकहरे गली की मार्ग पटरी को दो गली के लिए चौड़ा करने और उन्हें यातायात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सशक्त करने का कार्यक्रम है। कार्यक्रम में संकरे पुलिओं और पुलों जहां आवश्यक है को चौड़ा करना और जहां वे इतने कमजोर हैं कि उन पर यातायात नहीं चल सकता है के पुनर्निर्माण की भी व्यवस्था की गई है जहां मौजूदा स्थिति और यातायात आवश्यकता का औचित्य है। उपभागों और ऊपरगामी पुलों की व्यवस्था की गई है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभी हिसाब नहीं लगाया गया है।

नई दिल्ली में आय-कर कार्यालय के निकट पुल का उपयोग

5. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री 30 जुलाई 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6382 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ?

(क) क्या मार्ग परिवहन सम्बन्धी कार्य पूरा कर लिया गया है,

(ख) यदि हां, तो दिल्ली परिवहन की किन किन बसों का मार्ग परिवर्तित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके लिए कितना और अधिक समय लगेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जिलाधीश, दिल्ली ने 31–12-71 तक आय-कर कार्यालय के निकट पुल पर से भारी परिवहन गाड़ियां न चलाने के लिए प्रतिबन्ध लगा रहा है। अतः दिल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया है कि इस पुल से अपनी कुछ बसों को चलाने के प्रश्न पर केवल प्रतिबन्ध उठाये जाने के बाद ही विचार कर सकते हैं। इसके अलावा भीतर कालोनी, कृष्णनगर आदि आई टी ओ पुल से जोड़ने वाली सड़कों पर कुछ कार्य पूरा करना अभी बाकी है।

एक केन्द्रीय समिति का गठन

6. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री 20 दिसम्बर, 1969 के केन्द्रीय सड़क समिति के गठन के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 6264 तथा 25 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7605 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय सड़क समिति के गठन के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है,

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बात क्या हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक उक्त समिति का गठन कर लिया जायेगा ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) . केन्द्रीय सड़क समिति के गठन के प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि प्रस्ताव के आशय पर वित्त मन्त्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

Draftsmen in G. P. W. D.

7. **Shri Umed Singh Rathia :**
Shri Chandrika Prasad :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) The number of temporary and permanent posts of Draftsmen of Grade I, II and III in the Central Public Works Department and also the number of persons working against them, separately;

(b) Whether the employees have not been Confirmed against all the permanent posts;

(c) If so, the number of temporary employees and the number of years for which they have been working in temporary capacity,

(d) The reasons for not confirming them and the time by which they would be confirmed; and

(e) The number of temporary and permanent employees of Scheduled Castes among them separately and the number of years for which such employees have been

working in temporary capacity and also the reasons for not confirming them and the time by which they are likely to be confirmed ?

The Minister of State in the Ministery of Works and Housing (Shri I. K. Gujrat): (a) The number of temporary and permanent posts of Draftsmen in different grades is furnished as follows—

Grade	Permanent	Temporary
(i) D'man Gr. I (Civil & Elect)	26	65
(ii) D'man Gr. II (Civil & Elect)	243	103
(iii) D'man Gr. III (Civil & Elect)	430	145

The number of persons working against posts is being collected from the various Sub-ordinate offices of C. P. W. D. as these posts are borne on Sub-ordinate Office Crade. These are spread all over India. The information will be placed on the Table of the House in due course.

(b) Confirmation has not been made against some of the permanent posts.

(c) & (d) This information is being collected from the Sub-ordinate offices of C. P. W. D. and will be placed on the Table of House in due course. Against permanent posts persons are confirmed in the order of their seniority after obtaining the recommendations of the D. P. C. on the suitabillty of the individuals for confirmation on the basis of their service records. The D. P. Cs meet periodically to review the pending cases of confirmation on frequent intervals.

(e) The information is being collected from the Sub-ordinate Office of the C. P. W. D. and will be placed on the Table of the House in due course.

कोचीन शिपिंग कम्पनी द्वारा पुराने जहाजों का क्रय

8. **श्री वयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपिंग कम्पनी ने सरकार से ऋण लेकर ऊंची कीमत पर दो पुराने जहाज खरीदे हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस कदाचार की रोकथाम के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान लाटेक्स, त्रिवेन्द्रम

9. **श्री वयालर रवि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान लाटेक्स, त्रिवेन्द्रम के लिये नये महाप्रबन्ध की नियुक्ति करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). त्रिवेन्द्रम स्थित हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की निरोध फैक्टरी में नया जनरल मैनेजर नियुक्त करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विश्वविद्यालय के कार्यों में विद्यार्थियों द्वारा भाग लिये जाने के बारे में अन्तरविश्वविद्यालय सेमिनार

10. **श्री वयालार रवि** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय के कार्यों में विद्यार्थियों द्वारा भाग लेने के बारे में अक्तूबर में केरल विश्वविद्यालय यूनियन द्वारा प्रायोजित अन्तरविश्वविद्यालय सेमिनार में सरकार को कोई सिफारिश प्राप्त हुई है, और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी, हां ।

(ख) छात्रों के विश्वविद्यलय कार्य में भाग लेने के प्रश्न पर डा० गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति ने व्यापाक रूप से विचार किया है। समिति की सिफारिशों के प्रकाश में छात्रों के भाग लेने के प्रश्न पर सरकार निर्णय लेने का विचार कर रही है।

दिल्ली में एक सडक दुर्घटना में मारे गये श्री फौजीराम की सिनाख्त

11. **श्री मुल्की राज सैनी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 अक्तूबर, 1971 के 'नवभारत टाइम्स' में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि 2 अक्तूबर, 1971 को हुई एक सड़क दुर्घटना में श्री फौजीराम एक मोटर-साइकिल दुर्घटना में मारे गये हैं;

(ख) क्या पुलिस अधिकारियों ने 2 अक्तूबर, 1971 को उक्त मृत व्यक्ति को इरविन अस्पताल में दाखिल करवाया था;

(ग) क्या अस्पताल के अधिकारियों ने शव के बाजू पर केस नम्बर 602137 की चिट लगाकर उसे लावारिश शव घोषित किया था;

(घ) यदि हां, तो उनके शव को लावारिश घोषित करने के क्या कारण थे जबकि मृतक की जेब में पहचान-पत्र पाया गया था; और

(ङ) क्या सरकार पुलिस तथा अस्पताल के अधिकारियों से मृतक का नाम छिपाने और उत्तराधिकारियों को मृत्यु रिपोर्ट न देने के लिये दोषी व्यक्तियों के बारे में जांच करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) से (घ). पुलिस ने सूचित किया है कि 4 अक्तूबर, 1971 के नवभारत टाइम्स में जिस सड़क दुर्घटना का जिकर किया गया है वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304—क के अधीन दर्ज मामला नं० एफ० आई० आर० 725, दिनांक 2-10-1971 के बारे में है जिसमें शकूरबस्ती डिपो, दिल्ली में एक सिविलियन मजदूर के रूप में कार्य कर रहे गांव मादीपर के रहने वाले फौजी राम की, एक मोटर साइकिल से सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है और अभियुक्त को पकड़ लिया गया है। श्री फौजीराम मादीपर के ही एक अन्य निवासी श्री प्रेम सिंह ने 2-10-1971 को इर्विन अस्पताल में दाखिल कराया था और वहां पहुंचने पर दुर्घटना-ग्रस्त व्यक्ति को मृत घोषित किया गया। यह बताया गया है कि श्री प्रेम सिंह श्री फौजी राम को नहीं जानते थे। क्योंकि मृत व्यक्ति के पास से मिले पहचान पत्र संख्या बी-328483 से यही संक्षिप्त विवरण प्राप्त हुआ था कि फौजी राम रक्षा मंत्रालय में एक सिविलियन मजदूर था अत: इर्विन अस्पताल में उसको एक लावारिस व्यक्ति के रूप में समझा गया। पहचान-पत्र पर शेष पृष्ठांकन अस्पष्ट थे और यह पता नहीं लग सका कि वह किस यूनिट में कार्य करता था। क्योंकि पहचान-पत्र पर मृत व्यक्ति का फोटो नहीं था अत: यह भी ठीक से निश्चित नहीं हो सका कि कार्ड मृत व्यक्ति का था या किसी और का। पुलिस द्वारा किये गये अनवरत प्रयत्नों के पश्चात् मृत व्यक्ति के भतीजे का 3 अक्तूबर 1971 को प्रात: पता लगा और तब मृत व्यक्ति की सही पहचान की जा सकी।

मृत व्यक्ति के पुत्र ने जांच-पड़ताल करने वाले अधिकारी से मृत्यु-रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि प्रदान करने का अनुरोध किया था और वह जांच-पड़ताल अधिकारी द्वारा अपने पृष्ठांकन के साथ इर्विन अस्पताल अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट की कापी दिये जाने अथवा न दिये जाने के बारे में जानकारी नहीं है। रिपोर्ट की कापी दी गई अथवा नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए अस्पताल अधिकारियों से कहा जायगा।

सरकारी आवास की तथा कथित उप-किरायदारी के मामलों में दंडात्मक किराया आदि लिया जाना

12. **श्री मुलकीराज सैनी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्वार्टरों को आगे किराये पर देने के तथाकथित मामलों में सिफारिश आवास के

अलाटियों पर लगाये जाने वाले दंडात्मक किराये वाणिज्यिक किराये तथा बाजार दर किराये के सम्बन्ध में क्या नियम है।

(ख) क्या यह सच है कि अलाटी के विरुद्ध क्वार्टर को आगे किराये पर देने का मामला सिद्ध हो जाने पर उसे क्वार्टर खाली करने के लिये कुछ समय दिया जाता है यदि वह खाली न करे तो उससे दंडात्मक किराया लिया जाता है ;

(ग) तथाकथित उपकिरायेदारी के बारे में पहला नोटिस मिलने पर जो व्यक्ति तुरन्त क्वार्टर खाली कर देते हैं उन पर क्या दंड लगाया जाता है ; और

(घ) 1 नवम्बर, 1971 को प्रत्येक टाइप के अनिर्णित मामलों की क्या संख्या थी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) अनधिकृत रूप से उप-किराये पर देने वाला सामान्य पूल वास का आवंटी, उस बढ़ायी गयी लाईसेंस फीस की अदायगी के लिये उत्तरदायी है, जो संपदा निदेशक द्वारा, प्रत्येक मामले के गुणावदोष के आधार पर, निर्धारित की गई है, परन्तु जो मूल-नियम 45-ए के अधीन मानक लाइसेंस फीस के चार गुने से अधिक नहीं होगी।

(ख) जहां आवंटी द्वारा परिसरों के अनाधिकृत रूप से उप-किराये पर देने के कारण आवंटन रद्द किया जाता है तो परिसरों को खाली करने के लिये 60 दिन की अवधि की अनुमति दी जाती है। रद्द करने का प्रभाव खाली करने की तारीख से या आवंटन के रद्द करने के आदेश की तारीख से 60 दिन की अवधि समाप्त होने पर, इनमें जो भी पहले हो होता है।

(ग) पूरी मानक लाईसेंस फीस आवंटन रद्द करने के आदेश जारी किये जाने की तारीख से क्वार्टर खाली करने की तारीख तक या नोटिस अवधि के समाप्त होने पर, इनमें जो भी पहले हो, के लिए, मूल-नियम 45-ए के अधीन ली जाती है।

(घ) 1 नवम्बर, 1971 को जिन मामलों पर कार्यवाही की जा रही थी, उनकी संख्या निम्न प्रकार है :—

टाइप I	 254
टाइप II	 11
टाइप III	 5
टाइप IV	 8

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों को समयोपरि भत्ता

13 **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण के जूनियर इंजीनियर क्षेत्राधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं और क्या वे स्थायी यात्रा भत्ते तथा श्रेणी 'एफ' के अन्तर्गत सरकारी कोटे में से

प्राथमिकता के आधार पर स्कूटर प्राप्त करने के पात्र हैं ; और

(ख) यदि नहीं तो (सामान्य कार्य करने के घंटों के अतिरिक्त) उन्हें अधिकाधिक कितने अतिरिक्त घंटे कार्य करना होता है जिनके उपरान्त उन्हें समयोपरि भत्ता/एवजी अवकाश मिल सकता है ।

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल): (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इंजीनियर क्षेत्र अधिकारी हैं । उन्हें कोई स्थायी यात्रा भत्ता स्वीकार नहीं किया जाता परन्तु वे सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर सवारी-भत्ते के पात्र हैं, यदि वे स्कूटर रखते हों और उन्हें सरकारी कार्यों के लिए प्रयोग में लाते हों ।

वे 'एफ' वर्ग में सरकारी कोटों में से प्राथमिकता के आधार पर स्कूटरों के आवंटन के भी पात्र है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों, सहायक इंजीनियरों तथा कार्यकारी इंजीनिनरों को सौंपे गए दायित्व

14 **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इन्जीनियरों, सहायक इन्जीनियरों तथा कार्यकारी इन्जीनियरों को क्या दायित्व सौंपे गए हैं, तथा प्रत्येक के स्पष्ट रूप से क्या कार्य हैं ; और

(ख) यदि स्पष्ट रूप से कोई कार्य नहीं सौंपे गये हैं तो सरकार द्वारा प्रत्येक श्रेणी के लिए विशिष्ट कार्य तिर्धारित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यपालक इन्जीनिययरों, सहायक इन्जीनियरों तथा कनिष्ठ इन्जीनियरों को सौंपे गये प्रमुख कार्यभार का एक विवरण संलग्न है । **(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०— 954/71)**

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों के मामले

15 **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम**: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1971 तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, के जूनियर इंजीनियरों के निम्नलिखित वस्तुत: विचाराधीन तथा निर्णीत मामलों की संख्या क्या है :

(1) अर्द्ध-स्थायित्व

(2) स्थायित्व

(3) दक्षता रोध :

(ख) उपरोक्त ऐसे मामलों की संख्या क्या है जो 1 अप्रैल, 1971 को दो वर्ष से अधिक पुराने हो चुके हैं; और

(ग) उन जूनियर इंजीनियरों की संख्या क्या है जिन्होंने 31—8—71 को अपनी सेवा के 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अभी तक स्थाई सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किये गये हैं ; और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग) .

सूचना एकत्रित की जा रही है यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, में एक्सरे फिल्मों की भारी कमी

16. **श्री चन्द शेखर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान, संस्थान, नई दिल्ली में सितम्बर, अक्टूबर, 1971 से एक्सरे फिल्मों की भारी कमी है और रोगियों में कहा जाता है कि वे एक महीने बाद आकर पता करें कि उनका एक्सरे कब होगा;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) दिल्ली के सभी अस्पतालों को समय पर एक्सरे फिल्म सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) और (ख) : जी हां, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में एक्सरे फिल्मों की कमी है क्योंकि सीमा शुल्क में वृद्धि होने के फलस्वरूप इनके बढ़े हुए दामों के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया इससे संभरण-कर्ताओं में माल देने की अनिच्छा उत्पन्न हुई जिसके कारण उन्होंने अस्पताल की मांग को पूरा नहीं किया । तथापि सभी अतरंग रोगियों सम्बन्धी जांच पड़ताल. विशिष्ठ मामलों में जाँच पड़ताल और आयात सेवाओं के लिये वर्तमान स्टाक से ही कार्य चलाया जा रहा है और सप्लाई की स्थिति में सुधार होने तक आम बहिरंग रोगियों की जांच पडताल के मामलों को स्थगित कर दिया गया है ।

(ग) देश में एक्सरे फिल्मों की वार्षिक आवश्यकता 15 लाख वर्ग मीटर के लगभग है जिसे इस समय देशी उत्पादन और आयात के द्वारा द्वारा किया जा रहा है । सार्वजनिक क्षेत्र में चल रहा उपक्रम मेसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कम्पसी द्वारा वर्ष 1971 के दौरान 3·25 लाख वर्गमीटर के उत्पादन की आशा थी परन्तु उपक्रम 'कोटिंग सोल्यूशन' में आयात मेलेटिन की उपलब्धि में कठिनाई होने से उत्पादन विषयक समस्याओं के कारण शायद उसे पूरा न कर पायें । उन्हें 'जम्बो शेल्स के आयात के लिए 46 लाख रु०

का आयात लाइसेंस दिया गया है जिसे वह बिक्री के लिए अपेक्षित साइजों में काटेंगे। इसके अतिरिक्त एक्सरे फिल्मों के आयात के लिए 60 लाख रु० का एक आयात लाइसेंस राज्य व्यापार निगम को देने का भी निश्चय किया गया है।

जापान से क्रयादेशित पत्तन मशीनरी

17. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ?

(क) क्या विशाखापतनम पत्तन के लिए एक 2000 टन क्षमता की मोबाइल क्रेन जापान से मंगाने के लिए क्रयादेश दिया गया है,

(ख) यदि हां, इसके विशिष्ट विवरण और कार्य क्षमता और लागत का ब्यौरा क्या है और यह उक्त पत्तन में कब से कार्य करना आरम्भ करेगी ;

रयह उक्पान से अन्य क्या पत्तन मशीनरी मंगाने का क्रयादेश दिया गया है और ये किन पत्तनों के लिए मंगाई गई है ; और

(घ) कौन सी ऋण योजनाओं के अन्तर्गत इनका आयात किया जा रहा है ?

सन्सदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के लिये जापान से पिछले वर्ष उच्च शक्ति वाला कर्षनाव (बरता हुआ) खरीदा गया।

विशाखापत्तनम बाहरी बंदरगाह परियोजना के लिये जापान से मशीन के निम्नलिखित मदों के लिये क्रयादेश दिया गया है:—

(1) 50 टन स्वनादित तिरता क्रेन

(2) बालू उपनिकासी पद्धति और सहायक अन्य पत्तनों में से किसी भी मशीन के लिये क्रयादेश नहीं दिया गया है।

(घ) उक्त (ग) में उल्लिखित विशाखापत्तनम सम्बन्धी आयात की विदेशी मुद्रा संघटक विशाखापत्तनम बाहरी बन्दरगाह परियोजना और बेलाडीला (डिपाजिट नं०5) खान परियोजना के लिये 70 लाख अमरीकी डालर के जापान सरकार परियोजना ऋण के अन्तर्गत आता है।

विदेशी छात्रवृत्तियां

18. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 23 अक्तूबर, 1971 के 'इण्डियन एक्सप्रैस' में सम्पादक के नाम प्रकाशित पत्र की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई थी, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और सरकार द्वारा उस प्रक्रिया में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : मि० मैथ्यूज को डच सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में शिक्षावृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया गया था तथा उनका नाम क्रमांक 1 पर रखा गया था। भारत सरकार द्वारा डच सरकार को भेजे गए मि० मैथ्यूज के आवेदन पत्र में 'यूरोपियन इंटिग्रेशन' वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल था। जो भी हो डच सरकार ने उन्हें कोई छात्रवृत्ति नहीं दी, अपितु उन उम्मीदवारों को चुना जिनके नाम योग्यता सूची के क्रमांक 2 तथा 3 पर थे।

भारत सरकार, सहायता देने वाली सरकार के इस अधिकार को मानती है कि प्रत्येक मामले में यह जरूरी नहीं कि वह उसकी सिफारिशें मान ही ले। तथापि मामले पर गौर किया जा रहा है ।

नगरीय विस्तार के हेतु भूमि अर्जन तथा विकास के लिए राज्यों में आवर्तक निधि स्थापना

19 **श्री रोबिन ककौटी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरीय विस्तार के हेतु भूमि के अर्जन तथा विकास के लिये आवर्तक निधि स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने के बारे में चौथी पंचवर्षीय योजना में भारी धनराशि रखी गई है,

(ख) यदि हाँ तो विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अलग अलग कितनी धनराशि आवंटन किया गया है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी नहीं। चौथी योजना में ऐसा कोई नियतन नहीं किया गया है। परन्तु आवास तथा नगर विकास निगम की स्थापना के लिये, चौथी योजना में शेयर पूंजी के रूप में 10 करोड़ रुपये की साधारण व्यवस्था की गई है। निगम द्वारा अगले कुछ वर्षों में सरकारी नियतनों और राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया और जीवन बीमा निगम जैसे गैर सरकारी वित्तीय संस्थानों से दीर्घकालीन ऋणों द्वारा 200 करोड़ रुपये की एक आवर्तन निधि बनाए जाने की आशा है। इस निधि से अनुमोदित योजनाओं में पूंजी लगाने हेतु राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रों और राज्य आवास बोर्डों आदि को ऋण दिये जायेंगे।

(क) किसी राज्य या संघ क्षेत्र को कोई निश्चित राशि नियत नहीं की गई है। आवास तथा नगर विकास को भेजी गई प्रत्येक योजना पर, उसके गुण-अवगुणों के आधार पर तथा उनकी आर्थिक और तकनीकी व्यवहार्यता के अनुरुप विचार किया जाता है ।

राज्यों को ट्रैक्टरों का आवंटन और उनकी काले बाजार में बिक्री

20 **श्री रोबिन ककौटी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) वर्ष 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कुल कितने ट्रैक्टरों का आवंटन किया गया ; और

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई सूचना है कि ये ट्रैक्टर उन लोगों को बेचे गये हैं जो वस्तुत : स्वयं इनका प्रयोग करते हैं अथवा कि इनमें कुछ लोगों को बेचे गये हैं जो कि उन्हें आसाम से बाहर अन्य राज्यों में काले बाजार में बेच देते हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी 955/71**]

(ख) एक राज्य के कृषिकों द्वारा दूसरे राज्य के कृषकों को काले बाजार में ट्रैक्टर बेचने के बारे में सरकार को साधारण शिकायतें मिली थीं । फिर भी ट्रैक्टरों के सम्भव काले बाजार में बिकने को समाप्त करने की दृष्टि से सरकार राज्य कृषि उद्योग निगमों के माध्यम से पर्याप्त संख्या में आयातित ट्रैक्टर उपलब्ध कर रही है । विदेश में रहने वाले भारतीय रिश्तेदारों से भी उपहार के रूप में ट्रैक्टर आयात करने की मंजूरी दे दी गई है । उद्योग विकास मन्त्रालय देशीय ट्रैक्टर उत्पादन बढ़ाने के लिये भी कदम उठा रहा है । इसके अतिरिक्त सरकार ने एक ट्रैक्टर (वितरण और बिक्री) नियन्त्रण आदेश, 1971 जारी किया है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाटों पर गृह निर्माण हेतु ऋण देने के लिए गैर-हकदारी प्रमाण पत्र देना

21. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जब कोई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी दिल्ली विकास प्राधिकरण से स्थायी पट्टे पर खरीदे गए प्लाट पर मकान का निर्माण करने हेतु गृह निर्माण ऋण के लिए आवेदनपत्र देता है तो उसे सरकारी वकील से प्राप्त एक गैर-हकदारी प्रमाण-पत्र देना पड़ता है क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया गैर-हकदारी प्रमाण-पत्र सरकार स्वीकार नहीं करती;

(ख) क्या दिल्ली में किसी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को दिल्ली विकास प्राधिकरण से बने-बनाये मकान खरीदने के लिए सरकारी वकील से प्राप्त एक गैर-हकदारी प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया गैर-हकदारी प्रमाण-पत्र स्वीकार कर लिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण से खरीदे गये प्लाटों पर मकान बनाने हेतु ऋण देते समय दिल्ली विकास प्राधिकरण जारी गैर-हकदारी प्रमाण-पत्र को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री(श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हां। प्रमाण-पत्र सरकारी वकील या संबंधित राजस्व अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा अन्य ऐसे प्राधिकरणों से खरीदी गई भूमि के मामले में सरकारी वकील अथवा राजस्व अधिकारी से ऐसे गैर-हकदारी के प्रमाण-पत्र को समाप्त करने का प्रश्न विचाराधीन है।

सरकारी कर्मचारियों को आवास आवंटन सम्बन्धी नीति

22 **श्री अमरनाथ चावला** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को उनकी श्रेणी-अनुसार अथवा उससे एक श्रेणी नीचे के टाइप के क्वार्टर आवंटन करने के सम्बन्ध में इस समय सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

पात्र कार्यालयों में कार्य कर रहे अधिकारियों को दिल्ली/नयी दिल्ली में सामान्य पूल से वास का आवंटन उन द्वारा ली जा रही परिलब्धियों तथा एक टाइप विशेष के लिये उनकी प्राथमिकता की तिथियों के आधार पर उनकी पात्रता को ध्यान में रखकर किया जाता है। टाईप IV तथा उससे नीचे के टाइप के पात्र तथा 800 रुपये से कम परिलब्धियां ले रहे अधिकारियों को वास का आवंटन उनकी पात्रता के टाइप में किया जाता है सिवाय उन तदर्थ आधार के आवंटन के मामलों के, जिनमें टाइप III तथा IV के पात्र अधिकारियों को उससे ठीक निचले टाइप में वास उपलब्ध किया जाता है। टाइप V तथा उससे ऊपर के पात्र और 800 रुपये व उससे अधिक ले रहे परिलब्धियों के अधिकारियों को, उनके अनुरोध पर, उससे ठीक निचले टाइप में वास का आवंटन किया जा सकता है। महिला अधिकारी-पूल तथा सावधिक अधिकारी पूल से भी ठीक निचले टाइप में आवंटन किये जाते हैं।

पाकिस्तान के मुकाबले में भारतीय हाकी टीम की हार

23 **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : **श्री हरकिशोर सिंह** :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाकी के टूर्नामैंटों में भारतीय हाकी टीम को पाकिस्तान ने हाल ही में यूरोप में हराया था, और

(ख) यदि हां, भारतीय हाकी टीम की हार जिन परिस्थितियों में हुई उनकी जांच करने के लिए क्या सरकार का किसी समिति या आयोग को गठित करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये बृहत योजना

24. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव : श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में असमानता दूर करने और सारे स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों को सुनियोजित करने के लिए एक बृहत योजना तैयार की है; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) इस काम को बृहत योजना में सम्मिलित निम्नलिखित आठ योजनाओं के माध्यम से करने का प्रस्ताव है :—

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सम्बद्ध उपकेन्द्रों का संशोधित स्वरूप ए० एन० एम० एस० तथा बुनियादी स्वास्थ्य कर्मचारियों की व्यवस्था;

(ii) जिन ब्लाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं उनमें इन केन्द्रों की स्थापना और हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक एक परिवार नियोजन विंग का जोड़ना-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों को पूरा करना-स्टाफ बढ़ाने तथा औषधि एवं उपस्करों की व्यवस्था;

(iii) रेफरल सेवाओं का विकास-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / औषधालयों का उन्नयन कर उन्हें 25 पलंगों वाले अस्पताल बनाना;

(iv) अंशदायी आधार पर चलते फिरते प्रशिक्षण सह सेवा अस्पताल तथा औषधालय;

(v) अस्पतालों और औषधालयों से निरोधी और स्वास्थ्यवर्धक चिकित्सा कार्य लेना;

(vi) चिकित्सा संस्थाओं को चलाने में स्वैच्छिक संगठनों का योगदान;

(vii) विशेष शिविर; और

(viii) ग्राम सफाई कार्यक्रम ।

बच्चों तथा गर्भवती स्त्रियों के लिये पौष्टिक आहार परियोजना

25. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री 31 मई, 1971 अतारांकित प्रश्न संख्या 170 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिशुओं (प्री-स्कूल चिल्ड्रन) और गर्भवती स्त्रियों की नाममात्र खर्चे पर पौष्टिक आहार देने सम्बन्धी परियोजना के लिये कोई विदेशी सहायता मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) स्कूल जाने से पूर्व आयु वाले बच्चों और गर्भवती माताओं को आहार वितरण करने सम्बन्धी किसी नयी सामान्य पोषण परियोजना के लिए विदेशी सहायता मांगी गई है । फिर भी दो प्रभागों, एक उत्तर प्रदेश और दूसरे मैसूर में परियोजना कार्यक्रम को गहन करने सम्बन्धी परियोजना में, जिसके बारे में विश्व बैंक के साथ बातचीत चल रही है, गर्भवती माताओं और बच्चों के लिए पौषणिक संपूर्ति की एक योजना को शामिल कर लिया गया है ।

(ख) परियोजना के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, और विश्व बैंक के साथ समझौता आगामी वर्ष के मध्य तक पूर्ण हो जाने की आशा है । तत्पश्चात् इसे कार्यान्वित किया जायेगा ।

अक्तूबर, 1971 में नई दिल्ली में हुए राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में चावल के अन्तर्राज्यीय संचालन और खाद्यान्नों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में विचार-विमर्श

26. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में हाल में हुए राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में चावल के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-ले जाने एवं खाद्यान्नों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रश्न पर विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) यह निर्णय लिया गया था कि चावल के संचलन पर लगे मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबन्धों को जारी रखा जाना चाहिए । यह भी निर्णय लिया गया था कि मौजूदा सरकारी वितरण प्रणाली को जहां कहीं भी आवश्यक होता है अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानें खोल कर सुदृढ़ किया जाए तथा उसका विस्तार किया जाए ।

Delay in Supply of Seeds to Bihar by Seeds Corporation and its Distribution to other States.

27. **Shri Shankar Daya Singh** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) Whether the seeds corporation of India did not supply seeds to Biher in despite repeated requests by the Govcrment of Bihar in this connection;

(b) The State-wise break up of the seeds supplied: and

(c) The quantity of seed in tonnes together with the varieties thereof being supplied to the Bihar Government during this month ?

The Minister of State In The Ministryof Agriculture (Shri Annasahes P. hinde) ; (a) The Biher Government had asked the National seeds Corporation to supply the wheat seed to the extent of 20,000 quintals. The Corporation upto-date had supplied seed to Bihar Government to extent of 14,950 quintals. The total quantity of wheat seeds available with the Corporation was 43,000 quintals. The supply to the Bihar state represents more than 1/3rd of its procurement.

(b) The distribution of the wheat seed in other states was not through the State Governments. However, the corportion's distribution system supplied the following quantities of wheat seed to the other States:

(1) Uttar Pradesh	7,000 Qtls.
(2) Punjab, Haryana Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir	60'00,
(3) Maharashtra, Madhya Pradesh	5,000
(4) West Bengal, Orissa and Assam.	2,000 "
(5) Rajasthan, Cujarat	4,500 "
(c) Others	1,500 "

(6) The varieties of wheat seeds supplied to the Bihar State by the Corportion are shown below:

Sonalika 1553	7,000 Qtls.
Kalyansona 1593	7,950 "
Rotal:—	14,950 "

चौथी योजना में पीने के पानी के लिये धन-राशि का आवन्टन

28. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी योजना में पीने के पानी की स्कीम के लिये राज्यवार कितनी धन-राशि मंजूर की गई है ;

(ख) पिछली योजनाओं में इस स्कीम के लिये जो धन-राशि मंजूर की गई थी ; क्या विभिन्न राज्य सरकचारों ने उसका उपयोग कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चटटोपाध्याय): (क) चौथी योजना में राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार धन के नियतन का ब्यौरा अनुलग्नक—1 में दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिय संख्या एल० टी०— 956/71**]

(ख) पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं और तीन वार्षिक योजनाओं के आयोजनागत परिव्यय को तथा नियत किये गये धन का कितना प्रतिशत खर्च किया गया इसका ब्यौरा अनुलग्नक—11 में दिया गया है ।[**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 956/71)**

(ग) सामग्री तथा साज सामान और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी होने के कारण नियत किये गये धन का पूर्णत: उपयोग नहीं किया जा सका।

Period of Silver And Cold Coins Foundin Pokhar Village, Madhya Pradesh

29. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **educatioa and socal wel fare** be pleased to state:

(a) Whether Government are aware that some silver and gold coins haved been found in village Pokhar in District Nimar of Madhya Pradesh which have been taken in possesstion by Pandhana Police Station.; and

(b) if so, the period and the kingdom to which the coins belong ?

The Minister of State in the Ministry of Eduction aud Social Welfare and in the Department of Culture (**Prof. S. Nurul Hasan** : (a) and (b) . The information is being collected from the State Government.

अनाज के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये गांव में उचित मूल्य की दुकानों का खोलना

30. **श्री पी० एम० मेहता : श्री एच० के० एल० भगत :**

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को गांवों में उचित मूल्य की दुकानें खोलने का अनुरोध किया है जिसमें अनाज के मूल्यों को बढ़ने से रोका जा सके ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने राज्यों ने उचित मूल्य की दुकानें खोली हैं ; और

(ग) क्या उनको इस ओर ध्यान देने तथा ग्रामीण तथा दूरस्थ स्थानों में ऐसी दुकानें खोलने को कहा गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ग). राज्य सरकारों को सरकारी वितरण प्रणाली को विशेषतया ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रों में सुदृढ़ करने तथा जहां कहीं भी आवश्यक हो वहां अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानें खोलने का परामर्श दिया गया है।

(ख) प्रत्येक राज्य से अद्यतन स्थिति सम्बन्धी सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि मूल्य आयोग का वर्ष 1971-72 का प्रतिवेदन और अक्तूबर, 1971 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उनके द्वारा व्यक्त विचार

31. **श्री पी० एम० मेहता : श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :**
श्री डी० बी० चन्द्र गौंडा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने मूल्य नीति सम्बन्धी अपने 1971-72 के प्रतिवेदन में श्रेष्ठ लोक वितरण प्रणाली का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में की गई अन्य सिफारिशें क्या हैं ?

(ग) क्या उन्होंने चावल के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर लगे वर्तमान प्रतिबन्ध लगाए रखने की सिफारिशें की हैं ;

(घ) कृषि आयोग ने क्या मूल्य निर्धारित किया है तथा वसूली का क्या लक्ष्य रखा है ; और

(ङ) क्या मुख्य मंत्री ने हाल ही में हुए अपने सम्मेलन में आयोग द्वारा निर्धारित किए गए कृषि मूल्य का समर्थन किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) आयोग ने सरकारी वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की सिफारिश की थी।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) आयोग ने धान और चावल के पिछले वर्ष के मूल्य जारी रखने की सिफारिश की थी लेकिन जम्मू तथा कश्मीर, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों में धान की मानक किस्म के मूल्यों में चावल के मूल्य में तदनुसार वृद्धि का एक रुपया प्रति क्विंटल की मामूली वृद्धि की जा सकती है। आयोग ने सिफारिश की थी कि खरीफ के मोटे अनाज 45 रुपये और 55 रुपये प्रति क्विंटल के बीच चल रहे बाजार मूल्यों पर खरीदे जाने चाहिये।

आयोग ने 1971-72 के मौसम के लिए 43 लाख मी० टन चावल की अधिप्राप्ति के लक्ष्य की और खरीफ के मोटे अनाजों के लिए 5 लाख मी० टन के सांकेतिक लक्ष्य की सिफारिश की थी।

(ड़) मुख्य मंत्री सामान्यत: सहमत थे कि खरीफ के सभी अनाजों अर्थात् धान चावल और मोटे अनाजों के अधिप्राप्ति मूल्य पिछले वर्ष के स्तर पर ही जारी रखे जाने चाहिए। जैसा कि आयोग ने सिफारिश की थी, जम्मू तथा कश्मीर, उड़ीसा और तमिलनाडु के बारे में धान / चावल के मूल्य में मामूली फेर-बदल करने पर विचार किया जा सकता है।

विवरण

कृषि मूल्य आयोग की अन्य सिफारिशें।

(क) चावल की अधिप्राप्ति में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिये।

(ख) चावल के अन्तर्राज्यीय संचालन के बारे में मौजूदा प्रबन्धों में इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये।

(ग) 1971-72 के लिये चावल की अधिप्राप्ति का लक्ष्य 43 लाख मी० टन निर्धारित किया जाना चाहिये और खरीफ के मोटे अनाजों की खरीद का सांकेतिक लक्ष्य 5 लाख मी० टन निर्धारित किया जाना चाहिये।

(घ) जम्मू तथा कश्मीर, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों में धान की मानक किस्म के मूल्य में एक रुपया प्रति क्विंटल की सीमान्त वृद्धि की जानी चाहिये। चावल के मूल्य में तदनुसार वृद्धि की जानी चाहिये। अन्य राज्यों के लिए मोजूदा मूल्य जारी रहने चाहिये।

(ड़) खरीफ के मोटे अनाज 45·00 और 55·00 रुपये प्रति क्विंटल के बीच चल रहे बाजार मूल्यों पर खरीदे जा सकते हैं।

(च) इस प्रश्न पर विचार किया जाए कि क्या राज्य सरकारों द्वारा मोटे अनाजों पर लगाया गया क्रय/बिक्री कर हटाया जाना चाहिये अथवा नहीं। और

(छ) पहाड़ी राज्यों में जनसंख्या के प्राय: गरीब होने के कारण केन्द्रीय स्टाक से दिए जाने वाले अनाजों का संग्रहित मूल्य ऐसे राज्यों में प्रमुख वितरण केन्द्रों पर सुपुर्दगी के लिये होना चाहिये।

भारत-पाकिस्तान-इंगलैंड रूट पर सामान्य मालभाड़े की दरों में वृद्धि

32. **श्री पी० एम० मेहता : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत यू० पी०--पाकिस्तान कान्टीमेंट कान्फ्रेंस द्वारा वर्ष के आरम्भ में नौवहन मालभाड़े की दरों में घोषित वृद्धि से भारत सरकार असमंजस में पड़ गई है,

(ख) यदि हां तो असमजंस को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है,

(ग) क्या भारत सरकार ने कॉन्फ्रेंस द्वारा इस निर्णय को रद्द कराने का प्रयत्न किया था, और

(घ) यदि हां तो इस प्रयोजन को पूरा करने में वह किस हद तक सफल हुए हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (घ). असाधारण मूल्य–वृद्धि के कारण 1-6-1971 से 15 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि के लागू करने संबन्धी भारत पाकिस्तान यू० के० । कांटीनेंट सम्मेलन द्वारा किये गए अपने आशय की घोषणा से भारत सरकार को बड़ी चिन्ता हो गई । विचारविनिमय फार्मूला के अतर्गत सम्मेलन के साथ किए गए विचार विमर्श के दौरान सरकार ने अन्तिम वृद्धि की तारीख से अर्थात् 15-7-70 से 2 वर्ष की अवधि में दर स्थायित्व में सम्मेलन के विफल रहने पर क्षोम का प्रकट किया । सरकार और नौवहन संबंधी व्यापारी वर्ग द्वारा अपनाए गए दृढ रूख के कारण अन्ततः सम्मेलन ने 15 प्रतिशत की वृद्धि को घटा कर 12·5 प्रतिशत कर दिया ।

गुजरात में चावल, गेहूँ और मक्का का उत्पादन ।

33 **श्री पी० एम० मेहता** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में 1968-69 में चावल, गेहूं और मक्का का उत्पादन वर्ष 1967-68 की तुलना में बहुत कम था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1970-71 में चावल गेहूं मक्का का कितना उत्पादन हुआ; और

(घ) उक्त राज्य में चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) अखिल भारतीय अन्तिम अनुमानों के अनुसार गुजरात में वर्ष 1968-69 के दौरान चावल और मक्का का उत्पादन वर्ष 1967-68 की उत्पादन की तुलना में क्रमश 50 प्रतिशत तथा 46 प्रतिशत कम हुआ था जबकि गेहूं का उत्पादन 11 प्रतिशत कम हुआ था ।

(ख) गुजरात में सन् 1968-69 में जलवायु तथा वर्षा अनुकूल नहीं थी । खरीफ मौसम के दौरान वर्षा कम तथा समान नहीं थी । जबकि रवी के मौसम के दौरान वास्तव में वर्षा हुई ही नहीं ।

(ग) सन् 1970-71 के दौरान इन फसलों का अनुमानित उत्पादन निम्न प्रकार रहा है:–

अन्तिम अनुमान (लाख मीटरी टनों में)	
चावल	59·8
गेहूं	9·39
मक्का	4·44

(घ) धान्यों का उत्पादन बढ़ाये के लिए अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती करने सिंचाई की सुविधायें बढ़ाने और उर्वरकों के प्रयोग पर मुख्य तौर पर बल दिया जाता है। अधिक उत्पादनशील किस्मों के बीज तथा उर्वरक जैसे आदानों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करने और सिंचाई विकास तथा कृषक प्रशिक्षण, विस्तार जैसे विभिन्न सहायक उपायों के लिये और सांस्थानिक ऋण को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार व्यवस्था करती है। धान्य बीजों के विक्रय के लिए एक सहाय्य योंजना के अन्तर्गत राज्य सरकार बीज उत्पादकों सहकारी समितियों को धान और गेहूं के अधिक उत्पादनशील किस्मों के बीजों के भण्डारण के लिए प्रति 40 किलोग्राम पर 3.85 रुपयेतक सहायता दे रही है। सिंचाई के विकास के साथ ही साथ कुछ कृषि योग्य भूमि पर ट्रैक्टरों से खेती की जाएगी जिसके परिणामस्वरुप अधिक उपज प्राप्त होगी।

नेशनल लाईब्रेरी एम्पलाइज एसोसिएशन से ज्ञापन

34. **श्री ऐल० सी० सामन्त : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सरकार को नेशनल लाइब्रेरी एम्पलाइज एसोसिएशन से हाल में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, और क्या उक्त ज्ञापन की प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी, और

(ख) क्या नेशनल लाईब्रेरी कलकत्ता के लिए एक निदेशक का चयन किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री और संस्कृति विभाग मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) अभी पिछले दिनों सरकार को राष्ट्रीय पुस्तकालय, कर्मचारी से कलकत्ता से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन, संघ ने राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता के पुस्तकालयध्यक्ष को गत सितम्बर में राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता पर पुनरीक्षण समिति पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत की हैं। ये टिप्पणियाँ अभी हाल ही में इस मन्त्रालय में प्राप्त हुई हैं और ये विचाराधीन हैं।

(ख) अभी नहीं। राष्ट्रीय पुस्तकालय के नये पद की भर्ती, कार्मिक विभाग और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस पद के भर्ती नियमों को अन्तिम रूप देने के बाद में, की जाएगी।

जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति

35. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में अब तक नियुक्त किए गये शैक्षिक कर्मचारियों के नाम, उनके पदनाम, वे पद जिन पर वे पहले कार्य करते थे, उनको शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं तथा उनके वर्तमान पारिश्रमिक आदि की सूची सभा पटल पर रखेगी, और

(ख) क्या स्कूल आफ सोशल सांइसेंस तथा इससे सम्बद्ध केन्द्रों में भी सभी पद सामान्य प्रेस विज्ञापनों और अन्य भर्ती प्रक्रियाओं के बाद भरे गये थे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस०

नुरूल हसन) : (क) विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 957/71**]।

(ख) समाज विज्ञान स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम तथा कानून 27 अथवा 28 के अन्तर्गत की गई है।

दिल्ली के अस्पतालों में सहायक तकनीकी कर्मचारी

36. **श्री शशि भूषण** : क्या स्वास्थ्य **और** परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के अस्पतालों में सहायक तकनीकी कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनकी पदोन्नति तथा वहां से सीधी भर्ती के लिए कोई नियम बनाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो विभागीय तौर पर पदोन्नत किये गये तथा सीधे भर्ती किये गये कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या इन व्यक्तियों को अन्दर ही प्रशिक्षण देने हेतु प्रबन्ध विद्यमान हैं जिससे वे विभागीय तौर पर पदोन्नति की आशा कर सकें; और

(ङ०) उसके आवास के क्या प्रबन्ध हैं; उनमें कितने कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर दिये गये हैं; और शेष व्यक्तियों को कब तक क्वार्टर दे दिये जायेंगे ?

(क) से (ङ०) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में स्थित कैंटीन के विरुद्ध शिकायतें

37. **श्री शशि भूषण** : क्या स्वास्थ्य **और** परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के अहाते में चल रही कैण्टीन के बारे में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) शिकायतों का स्वरूप क्या है और इस बीच कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और सरकार का विचार मामले में क्या कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक जाँच कराने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) से (घ) . जी हां। सफदरजंग अस्पताल की विभागीय कैंटीन में चीजें और सेवाएं ठीक न मिलने और उनके पर्याप्त न होने के बारे में छोटी-मोटी शिकायतें अस्पताल अधिकारियों को

समय समय मिलती रही हैं। तथापि जुलाई, 1970 में एक गम्भीर शिकायत मिली थी जिसमें प्रबन्धक पर मुनाफा कमाने के बारे में कतिपय आरोप लगाये गये थे। किन्तु अस्पताल अधिकारियों द्वारा गठित जांच समिति के जांच पड़ताल करने पर इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

हाल ही में ये शिकायतें मिली हैं कि कैण्टीन के संचालन में सही माने में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ है और प्रबन्धक अत्यधिक मुनाफा कमा रहे हैं जिसका समुचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने हाल में ही अस्पताल का निरीक्षण करने के पश्चात् अस्पताल अधिकारियों को यह निदेश दिये हैं कि कैण्टीन को समुचित रूप से चलाने के लिये सरकारी सदस्यों को सम्मिलित करके एक सरकारी निकाय बनाने के प्रश्न पर वे विचार करें। उन्होंने कैण्टीन के भवन की कुछ अत्यावश्यक मरम्मत के कार्य को कराने के लिये भी अनुदेश दिये।

दिल्ली के अस्पतालों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये काम के घण्टे

38. **श्री शशि भूषण** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कितने घण्टे काम करना होता है;

(ख) क्या अस्पतालों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को काम के निर्धारित घण्टों से अधिक घण्टे काम करना पड़ता है;

(ग) क्या अतिरिक्त घण्टे काम करने के लिये उन्हें कोई समयोपरि भत्ता दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें समयोपरि भत्ता किस दर पर दिया जाता है और यदि नहीं, तो उनको समयोपरि भत्ता न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : **(क) से (घ)** . सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में पेंन्सलीन के इन्जेक्शन से हुई एक व्यक्ति की मृत्यु

39. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री देविन्द्र सिंह जो रतिरोग से पीड़ित थे और जिनकी मृत्यु 14/15 अक्तूबर, 1971 को कमलानगर (दिल्ली) के एक डाक्टर द्वारा लगाये गये पेन्सलीन के इन्जेक्शन से हुई थी, के सम्बन्ध में कोई जाँच की गयी थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं और उस डाक्टर के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चटटोपाध्याय) : (क) और (ख) . पेंसिलिन इन्जैक्शन से श्री तवेन्दर सिंह की मृत्यु होने का मामला रोशनारा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और वे इस मामले की जांच-पड़ताल कर रहे हैं। दिल्ली प्रशासन से औषध निरीक्षक ने डाइक्राइसटेसिन इन्जैक्शन का नमूना ले लिया है और इसे जांच तथा विश्लेषण हेतु केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता को भेज दिया गया है। रिपोर्ट की प्रतिक्षा की जा रही है।

दिल्ली में डी० डी० टी० फैक्टरी के अवशिष्ट द्रवों द्वारा मछलियों की मृत्यु

40. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी में गिरने वाले नजफगढ़ नाले के पास स्थित डी० डी० टी० फैक्टरी के अवशिष्ट द्रवों के कारण उसका जल दूषित हो जाने से मछलियों के बड़ी संख्या में मरने के बारे में कोई जांच की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली जल पूर्ति तथा मल निष्कासन उपक्रम ने सूचित किया है कि ऐसी कोई जांच नहीं की गई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Cotton Cultivation and Production in India and in Other Foreign Countries

41. **Shri Atal Bihari Vajpayee** ; Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) Whether the land under cotton cultivation in Russia is 61 lakh acres and in U. S. A. it is 97 lakh acres:

(b) Whether per acre cotton production in Isreal is 1015 pounds, in Russia 722 pounds, in Egypt 603 pounds, in U. S. A. 481 pounds and the world average is 308 pounds, and

(c) the comparative position in regard to land under cotton cultivation and per acre production thereof in pounds in India and the action being taken in this

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P
(a), (b) & (c). A statement indicating area and yield per acre of cotton during 1970 in Israel, U.S.S.R. UAR, India and world is enclosed.

With a view to increasing yield of cotton steps being taken by the Central and State Government are:

(i) Intensification of research to evolve better varieties,

(ii) Intensive cultivation of cotton in selected areas under irrigation and assured rainfali.

(iii) An Intensive Cotton District Programme in selected districts of important cotton growing States,

(iv) Control of pests and diseases on compaign basis through ground aerial spraying,

(v) Development and extension or Hybrid—4, a high yelding hybrid cotton.

(vi) Development of Irrigated cotton in the Nagarjunasagar project in Andhra Pradesh, Tungabadhra Project in Mysore and Rajasthan Canal Area in Rajasthan.

Statemen

Area: 1000 Acres

Yield: per Lbs: Acre

Country	Area (Thousand acres)	Yield (Lbs. Per acre)
Israel	84	1124
U. S. S. R.	6,820	758
U. A. R.	1,693	651
U. S. A.	11,167	437
India	18,805	98
World Total	32,004	312

Source: F. A. O. Production Year Book, 1970. Data in respect of India are based on Final Estimate, 1970—71

मैसूर राज्य में इंजीनियरी कालेजों में प्रवेश

42. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के निजी और सरकारी इंजीनियरी कालेजों में इस वर्ष विद्यार्थियों का प्रवेश काफी कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का कालेजों को उनकी पूरी संख्या के साथ चलाने से लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं। मैसूर के इंजीनियरी कालेजों ने पिछले वर्ष 1164 विद्यार्थियों को दाखिल किया था, जबकि इस वर्ष के दौरान 1,854 विद्यार्थियों को दाखिल किया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन बन्दरगाह पर "सुपर टैंक बर्थ"

43. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोचीन बन्दरगाह पर "सुपर टैंक बर्थ" के निर्माण के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के बारे में फोर्ड फाउंडेशन की सिफारिश

44. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चावल का उत्पादन बढ़ाने की सम्भावना के बारे में 'फोर्ड फाउन्डेशन' ने हाल ही में कुछ सिफारिशें की थी;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें ये हैं:—(i) सघन खेती द्वारा चावल का उत्पादन करने वाले 9 राज्यों में चावल उत्पादन कार्यक्रम को गतिमान करना (ii) चावलों की नई अधिक उत्पादनशील किस्मों का विकास करने के लिये अनुसन्धान तथा विस्तार सम्बन्धी प्रयत्नों का समन्वय करना (iii) जिले के फार्मों और किसानों के खेतों में नई किस्मों के विषय में बड़े पैमाने पर परीक्षण करना ताकि विस्तार सिफारिशें कृषि सम्बन्धी जलवायु की परिस्थितियों पर आधारित की जा सकें। (iv) प्रमाणित किस्मों के बीजों में वृद्धि करना, (v) यदि रक्षा उपायों को अपनाना और कीटों तथा रोगों का पूर्वानुमान लगाना (vi) बहुद्देशीय फसल के अन्तर्गत चावल की खेती करना (vii) चावल उत्पादकों आदि के लिए बहुद्देशीय फसल की सम्भावना बनाने के लिए यन्त्रीकरण करना और अन्य साधन अपनाना।

(ग) सरकार उन सिफारिशों से सहमत है जो देश में अधिक उत्पादनशील किस्मों तथा बहुद्देशीय फसल के कार्यक्रमों से सम्बद्ध हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत अंतिम योजनायें और उनके लिए उड़ीसा को केन्द्रीय अनुदान

45. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्रुत कार्यक्रम को तैयार करने के लिए अन्तिम योजनायें सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन्हें किस एजेन्सी के द्वारा कार्यरूप दिया जायेगा;

(ग) क्या उड़ीसा के लिये कोई धन राशि मन्जूर की गयी है, यदि हां, तो वह वास्तविक राशि कितनी है और क्या उड़ीसा राज्य सरकार से जिलावार सभी योजनायें मन्त्रालय को प्रस्तुत कर दी हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो जिलों के नाम क्या हैं जिनकी योजनायें अभी प्रस्तुत नहीं की गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) एक विवरण, जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 958/71**]

(ख) अनुमान है कि राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से प्राप्त समस्त प्रस्तावों में से लगभग 60 प्रतिशत सड़कों के निर्माण, 25 प्रतिशत लघु सिंचाई और शेष 15 प्रतिशत भू-संरक्षण, वनरोपण व भूमि सुधार, बाढ़ बचाव व जलमग्नता निरोध तथा अन्य विविध कृषि योजनाओं के बारे में हैं। ये योजनायें विभागों अथवा पंचायती राज्य संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। मैसूर में, कुछ योजनाएं भू-सेना के माध्यम से भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ग) उड़ीसा के सभी 13 जिलों के सम्बन्ध में जिलावार प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और राज्य सरकार को 162·50 लाख रुपये की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। राज्य सरकार से 20·50 लाख रुपये के अतिरिक्त नियतन के लिए प्रस्ताव आते रहते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Seminar on Agriculture in India's Planning

46 **Dr. Laxmi Narayan Pandey** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state.

(a) Whether a six-day seminar on "Agriculture in India's Planning" was held in Delhi in August, 1971;

(b) The points discussed; and

(c) The decision taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) A six-day seminar on "Agriculture and India's Future" held from 30th August to 4th September, 1971 in Delhi (and not "Agriculture in India's Planning") was organised by Press Institute of India in collaboration with the Indian Council of Agricultural Research and Indian Agricultural Research Institute.

(b) The participants in the Seminar were senior correspondents from News papers and News Agencies covering agriculture. Shri C. Subramaniam, Union Minister for Planning gave the inaugural talk on "Agriculture in India's Planning." The topics discussed were; Agricultural Extension; Reorganisation of Agricultural Research in India,

Mechanization and Agriculture the Role of Machinery; Role of Information in Agriculture Development; Humanising Agriculture Fertilizer and Soil Fertility; Agriculture and the India Press; Role of Research in Developing Better Animals for Higher Production; The Green Revolution; Economic & Social Aspects; Agricultural Administration; Soil & Water Management; Fishery Development; Agricultural Information; Agricultural Education; Dry Farming; and "Role of Foreign Aid in Agriculture."

(c) There were general discussions on various topics. The idea was to give journalists an opportunity for closer look at the agricultural economy, farming practices, potential break-throughs in research, the good and bad effects of green revolution and how journalists can interpret all these in understandable language for the average reader and listener. There were no decisions.

Houses for Homeless Persons in Rural and Urban Areas

47. **Dr. Laxmi Narain Pandey :**

Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Work and Housing** be pleased to state :

(a) The number of homeless persons in rural and urban areas and the approximate number of houses required for them separately; and

(b) The arrangements made for providing housing facilities in rural and urban areas ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) No reliable data regarding the number of homeless persons in rural and urban areas of the country are available. Certain information regarding the housing conditions in the country had been gathered during the 1971 Census but the tabutated results have not yet become available. However, the Working Group on housing for the Fourth Five Year Plan had estimated that at the beginning of the Plan, i. e. April, 1969, the housing shortage in rural and urban areas was 718 lakhs and 119 lakhs units respectively. This shortage included katcha and dilapidated houses (requiring substantial improvements or replacement) and was based on the assumption that each house-hold should have a separate dwelling unit of a reasonably permanent character

(b) Keeping in view the colossal shortage and the extent of funds required, Government's efforts have been mainly directed at ameliorating the housing conditions of persons in the lower income brackets. With this end in view, the Ministry of Works and Housing introduced the following social housing schemes with effect from the years indicated against each :

(1) Integrated Subsidised Housing Scheme for Industrial Workers and Economically weaker sections of Community	—1952
(2) Low Income Group Housing Scheme	—1954
(3) Slum Clearance/Improvement Scheme	—1956
(4) Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers	—1956
(5) Village Housing Projects Scheme	—1957
(6) Middle Income Group Housing Scheme	—1957

(7) Land Acquisition and Development Scheme —1959

(8) Rental Housing Scheme for State Government Employees —1959

These schemes are actually implemented by the State Governments, and Union Territiory Administrations, Central assistance for all State Sector programmes, including housing, is being made available to the Governments of States and Union Territory administrations in the from of 'block loans' and 'block grants'. The States and Union Territory Administrations have the Freedom to allocate funds for these, schemes in accordance with the priorities and requirements determined by them.

2. A Central Government undertaking called the Housing and Urban Developpment Corporation has been established with a share capital of 10 crores to finance housing and urban development projects of State Government and their statutory agencies. The Corporation is expected to mobilise additional resources over the next few years and utilise the same as a revolving fund.

3. This Ministry have recently introduced a new scheme for the Provision of House-sites to Landless workers in Rural areas as a Central sector scheme. Under this scheme, 100% grant assistance will be made available to State Governments and Union Territory Administrations to enable them to provide house-sites free of cost to eligible persons.

Financial aid to Indian Council of Medical Reseach Under PL-480

48. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) The amount received by the Indian Council of Medical Research under PL480 during the last three years; and

(b) The names of projects on which the above amount was spent during the said period and the percentage of the amount so far spent ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) & (b) . A statement is enclosed. [Placed in the Library-See No. L. T. 959/71]

Aid Given by W.H.O. to Indian Council of Medical Research

49. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) The amount of money received by the Indian Council of Medical Research from the World Health Organisation during the year 1968-69, 1969-70 and 1970-71: and

(b) The names of various research projects on which the said amount has been spent and the precentage thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) & (b) . A statement is attached. [Placed in the Library. See No. L. T. 960/71]

बिहार में अध्यापकों को वेतन का भुगतान न किया जाना

50. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि बिहार के 20,000 अध्यापकों को गत छः मास से वेतन नहीं दिया गया है :

(ख) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र से इस सम्बन्ध में वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) से (ग) . मामला राज्य सरकार से सम्बन्धित है इस सम्बन्ध में आर्थिक सहायता के लिये कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

निम्न आयवर्ग के लिये नई आवास योजना

51. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में निम्न आयवर्ग को मकान देने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कितने कितने मकान बनाए जाने की आशा है; और

(घ) इस योजना के लिए कितनी धन राशि निर्धारित की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आई०के० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता ।

द्वितीय हावड़ा पुल का निर्माण

52. **श्री समर मुकर्जी :**
श्री सोमनाथ चटर्जी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय हावड़ा पुल के निर्माण के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है, और

(ख) निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने और पूरा होने की आशा है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) . दूसरा हावड़ा पुल तैयार होने पर राज्य सड़क पर पड़ेगा । अतएव पश्चिमी बंगाल सरकार इस

प्रायोजन के निष्पादन विषयक सभी मामलों से मूलतः सम्बन्धित है। फिर भी भारत सरकार मुख्य पुल तथा उसके साथ लगे हुए पहुंच मार्गों पर चतुर्थ योजना अवधि के दौरान समस्त व्यय को पूरा करने के लिए एक गैर-योजना ऋण की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गई है। इस प्राप्रोजना सम्बन्धी निविदा निष्पादन आदि विभिन्न मामलों से निपटने के लिये राज्य सरकार "हुगली पुल आयुक्त" नामक संस्था की स्थापना की गई है। उनसे ज्ञात हुआ है कि मुख्य पुल तथा पहुंच मार्गों के लिये क्रमशः दो तथा तीन निविदाएं प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकार के सलाहकार-मैसर्स रेण्डेलपात्मर एण्ड ट्रिटन ने मुख्य पुल के सम्बन्ध में प्राप्त निविदाओं की जांच की है और उनकी सिफारिशें हुगली पुल आयुक्तों के विचाराधीन हैं। पुल आयुक्तों द्वारा फैसला दिये जाने पर ही कार्य शुरू करने के लिए आदेश जारी किये जायेंगे। अपने प्रारम्भ होने की तारीख से लगभग 4–5 वर्षों में प्रयोजना के पूरा होने की संभावना है।

बाढ़ के कारण पश्चिमी बंगाल के कंटाई सब डिवीजन में स्कूल-भवनों की हुई क्षति

53 **श्री समर गुह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली बाढ़ से पश्चिमी बंगाल के कंटाई सब-डिवीजन में अनेक प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन नष्ट हुये और क्षतिग्रस्त हुए,

(ख) यदि हां, तो ऐसे भवनों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा उनके पुनर्निर्माण के लिए क्या उपाय किये गये हैं,

(ग) क्या 'अमन' की फसल की भारी क्षति के कारण, जिस पर इस क्षेत्रों की संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था आधारित है, छात्र शिक्षा शुल्क देने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं,

(घ) यदि हां, तो कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, और

(ङ) बंगाल में अन्य बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में शिक्षा शुल्क माँफ करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना पश्चिम बंगाल सरकार से एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बाढ़ के कारण फसलों को क्षति और अन्न के आयात पर इसका प्रभाव

55. **श्री समर गुह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष की बाढ़ से फसलों को कितनी क्षति हुई है;

(ख) इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के कुल कृषि उत्पादन पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है; और

(घ) क्या इस वर्ष की बाढ़ से हुई क्षति के कारण विदेशों से अन्न का आयात बन्द करने के कार्यक्रम पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) . इस बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई कृषि फसल की मात्रा के सम्बन्ध में केवल बिहार तथा पश्चिमी बंगाल से ही सूचना प्राप्त हुई है । इन राज्यों द्वारा सूचित की गई हानि निम्न प्रकार है:—

बिहार—	91 प्रतिशत मक्का की फसल 65 प्रतिशत अन्य भदई फसलें
पश्चिमी बंगाल—	क्षेत्र 21, 64, 477 एकड़ मूल्य पैसों में 78·74 करोड़ रुपये ।

(ग) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि बाढ़ों के कारण देश भर में कुल मिलाकर कृषि उत्पादन को कितनी मात्रात्मक हानि पहुंची है ।

(घ) जी नहीं ।

बंगला देश को अनाज की सप्लाई से अनाज उत्पादन में आत्म निर्भरता पर पड़ने वाला प्रभाव

56. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बंगला देश को अनाज की सप्लाई से अनाज उत्पादन में आत्म-निर्भरता सम्बन्धी नीति पर प्रभाव भी पड़ेगा और बंगला देश के शरणार्थियों को अब तक कुल कितना अनाज सप्लाई किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि बंगला देश के शरणार्थियो को खाद्य की सप्लाई से अनाज के उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने पर प्रभाव पड़ेगा । यदि ये शरणार्थी निकट भविष्य में बंगला देश को वापिस नहीं लौट जाते हैं तब उनको खिलाने के अतिरिक्त भार से देश में खाद्य के स्रोतों पर काफी दबाव पड़ सकता है ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

मार्डन बेकरी में बनाने वाली डबलरोटी के आवरण पर तिथि अंकित करना ।

57. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्डन डबलरोटी के आवरण पर इसकी उत्पादन तिथि अंकित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) . जी नहीं । अब तक प्रशासनिक दृष्टि से उत्पादन की तारीख अंकित करना सम्भव नहीं हो पाया है

और न ही यह व्यापारिक प्रथा है। लेकिन सरकार इस सुझाव की व्यवहार्यता की जाँच कर रही है।

दुग्ध विपणन और डेरी विकास की परियोजना।

58. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध विपणन और डेरी विकास तेज करने के लिए "आप्रेशन फ्लड" नामक एक परियोजना बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, जो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) दुग्ध विपणन और डेरी विकास का कार्य तेज करने के लिए भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्राधिकारियों के बीच 4 मार्च, 1971 को आप्रेशन फ्लड एक करार हस्ताक्षर हुए हैं। यह एक पंचवर्षीय परियोजना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत को क्रमागत कार्यक्रम में 38·11 करोड़ रुपये के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 1,26,000 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण और 42,000 मीटरी टन "बटर आयल" निशुल्क देने की स्वीकृति प्रदान की है। ये जिन्सें बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास उन चार बड़े नगरों में सरकारी क्षेत्र दुग्ध संयंत्रों और उनसे सम्बद्ध फीडर बैलेन्सिग डेरियों को अदायगी पर हस्तांतरित की जायेंगी और उससे अनुमानतः 95·40 करोड़ रुपये की प्रतिस्थानी निधि प्राप्त होगी। इन नगरों की सरकार क्षेत्र की डेरियों की 10 लाख लिटर प्रतिदिन की मौजूदा क्षमता को बढ़ाकर पंचवर्षीय परियोजना की समाप्ति पर 27·5 लाख लिटर प्रतिदिन करके दुग्ध विधायन सुविधायें बढ़ाने और 10 राज्यों तथा संघ क्षेत्र दिल्ली में स्थित महानगरों के दुग्ध क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन और अधिप्राप्ति को बढ़ाने के लिए भी इन निधियों का उपयोग किया जाएगा।

Request For Rabi Seeds From Bihar Due to Floods

59. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri G. P. Yadav :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quatity of seeds for Rabi erop demanded by Bihar Government from the Central Government due to unprecedented floods causing heavy damage to crops this year in Bihar and the quantity out of that supplies so far;

(b) Whether the Central Government is reluctant to supply Rabi seeds as per the requirements of Bihar Government;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) the reasons for which the Rabi seeds could not be made available in time to all the districts in Bihar by the Central Government; and

(e) Whether administrative sluggishness or lack of transportation facilities is the main reason behind it ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri An lasaheb P. Shinde): (a) The Government of Bihar had asked the Government of India to supply them about 59,000 tonnes of seeds for Rabi 1971—72 including the demand made at very short notice in the end of August to meet the shortage caused by the unprecedented floods. Very special arrangements were made by the Ministry of Agriculture. Government of India n coordination with the Ministry of Railways, Food Corporation of India and others to make the supplies despite short notice. It is understood that out of the quantity asked for about 50,000 tonnes have already reached destination. It may also be mentioned that as far as special train movements asked for by Governement of Bihar are concerned, 35 trains were programmed by them out of which, one was cancelled and the balance 34 were completed during the period 4—9—1971 to 27—9—1971.

(b) No Sir. In view of what has been stated in part (a) above and part (e) below this question does not arise at all.

(c) Does not arise.

(d) Does not arise in view of what has been stated in part (a) above.

(e) As already stated in part (a) above, massive requirements of seeds from the Government of Bihar for supply during 1971—72 to meet the shortage caused by the unprecedented received by the Government of India as late as in the end of August, 1971. The Govt. of Bihar indicated the requirement of 35 special trains to be moved immediately from Punjab to Bihar. This was a very big order even for normal times and during this period heavy and urgent foodgrain movement was also required to be made from Punjab to various areas. In addition some other extremely emergent movements also had to be taken soon after in that area. In spite of this the Food Corporation of India and the Railways were pursuaded by this Ministry to undertake and sponsor this movement not only in priority 'B' but virtually executed it on top priority basis. The first special was despatched on ad hoc basis on 4—9—1971. After this the programme by the Bihar Government for 34 more special trains was commended from 9—9—1971. Out of these one special train was leter cancelled by the Government of Bihar and 35 special trains were run out during the period 9—9—71 to 27—10—71 i. e. in a matter of 48 days. The entire programme of movement was thus completed within almost the shortest possible time despite other demands and important movement on Railways. This was an excellent performance by any standards.

सर गंगा राम अस्पताल नई दिल्ली के एक कर्मचारी की मृत्यु

श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री 9 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7222 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार को सर गंगाधर अस्पताल के एक कर्मचारी की मृत्यु से सम्बन्धित, जिला मजिस्ट्रेट दिल्ली का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) . जी नहीं । प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है ।

भूमि की अधिकतम सीमा को कम करने के बारे में राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के साथ आगे वार्ता

61. **श्री वेंकटा सुब्बया :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भूमि की अधिकतम सीमा को कम करने के प्रश्न पर राज्य मुख्य मन्त्रियों के साथ और बातचीत करने के विचार को त्याग दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भूमि की अधिकतम सीमा पर केन्द्रीय भूमि सुधार समिति के हाल में हुए विचार-विमर्श के फलस्वरूप निर्धारित मुख्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों को राज्यों को भेज दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) सितम्बर, 1970 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के भूमि सुधार सम्बन्धी सम्मेलन ने जोत सीमा निर्धारण की समस्याओं को केन्द्रीय भूमि सुधार समिति को सौंपने का निर्णय किया था। अधिकतम सीमा प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने विभिन्न राज्यों में अधिकतम सीमा कानून में यथासम्भव समानता लाने की दृष्टि से निम्नलिखित सिफारिशें कीं :—

(1) अधिकतम सीमा सारे परिवार के लिये लागू होनी चाहिये और "परिवार' की परिभाषा में पति, पत्नी और छोटे बच्चे शामिल होने चाहियें।

(2) जहां परिवार के सदस्यों की संख्या 5 से अधिक हो वहां 5 से अधिक के प्रत्येक सदस्य को इस प्रकार भूमि देने की अनुमति हो ताकि एक परिवार के लिये निर्धारित अधिकतम सीमा से किसी परिवार के पास भी दो गुणी से अधिक भूमि न हो।

(3) स्थायी सिंचित भूमि के लिये या सरकार के साधनों द्वारा सुनिश्चित सिंचाई वाली भूमि के लिये जहां दो फसलें उगाई जा सकती हैं, वहां 5 सदस्यों के परिवार के लिये 10 से 18 एकड़ के बीच अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकती है। क्योंकि मृदा स्थितियों, भूमि की उत्पादकता, उगाई जाने वाली फसलों आदि में, एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक ही राज्य में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अन्तर है, सारे देश के लिये एक अधिकतम सीमा के विषय में दृढ़ रूप से सुझाव देने की अपेक्षा समिति ने यह वांछनीय समझा कि एक ऐसी साधारण सीमा का उल्लेख करना उचित है जिसके बीच अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिये।

(4) भूमि की कई अन्य किस्मों के लिये जल, उत्पादकता, मृदा वर्गीकरण और फसल उत्पादन आदि की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए विनिमय अनुपात निर्धारित किये जाने चाहियें। बरानी भूमि क्षेत्रों में भी 5 सदस्यों के परिवार के लिये अधिकतम सीमा 54 एकड़ निर्धारित की जानी चाहिये। इस सीमा में छूट दी जा सकती है यदि ऐसा करने के लिये विशेष कारण हों जैसे मृदा की किस्म, वर्षा, निरन्तर सूखा स्थिति आदि।

(5) मशीनी फार्मों, सुव्यवस्थित फार्मों के लिये वर्तमान राज्य कानूनों में छूट बन्द की जानी चहिये।

(6) चाय, काफी, इलायची, रबड़ आदि के बागों के लिये छूट के बारे में सम्बन्धित मन्त्रालय और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इस समस्या की जांच की जानी चाहिये। तत्पश्चात् यह और अन्य किस्म की छूटों पर मुख्य मन्त्रियों से विचार-विमर्श करके राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिये।

भारत सरकार ने केन्द्रीय भूमि सुधार समिति के सुझावों को मान लिया है और राज्य सरकारों को सलाह दी है कि अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों में उचित संशोधन करके इन्हें लागू किया जाये। छूट के प्रश्न पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और मुख्य मन्त्रियों के साथ सलाह कर के निर्णय किया जायेगा।

आन्ध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय अध्ययन दल

62 **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति का अध्ययन करने से लिए एक केन्द्रीय अध्ययन दल द्वारा हाल ही में इस राज्य की यात्रा की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां सितम्बर, 1971 में एक केन्द्रीय अध्ययन दल ने प्रभावित क्षेत्रों में सूखे की स्थिति का स्थल पर ही जायजा लेने के लिये आन्ध्र प्रदेश का दौरा किया था।

(ख) और (ग). दल ने सूचित किया कि सूखे की स्थिति काफी गम्भीर थी और उन्होंने जिन जिलों का दौरा किया था उन सभी जगह खरीफ की फसल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई थी। कुल मिलाकर, सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसल को कोई अधिक हानि नहीं पहुंची थी। अगस्त, 1971 तथा उसके बाद वर्षा होने से कुछेक फसलों के बच जाने की सम्भावना है लेकिन इन फसलों की पैदावार भी सामान्य से कम ही होगी।

2. दल ने केन्द्रीय सहायता के रूप में सूखा सहायता उपायों पर 18·50 करोड़ रुपये (10 करोड़ रुपये सहायता मदों के रूप में, 8·50 करोड़ रुपये विपदा तकावी और कृषि इनपुटों के लिए अल्पावधि ऋण के रूप में) के खर्च की सीमा की सिफारिश की है। सरकार ने खर्च की इस सीमा को पूर्णतया मान लिया है। दल ने यह भी सिफारिश की है कि नवम्बर 1971 में किसी समय सूखे की स्थिति की और समीक्षा की जा सकती है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से आवश्यक सूचना भेजने के लिया कहा गया है।

राज्य सरकार को सूखा सहायता उपायों के लिए 2·00 करोड़ रुपये की ऋण सहायता पहले ही दी जा चुकी है। कृषि इनपुटों के लिए 8·41 करोड़ रुपये के अल्पावधि ऋण की भी

स्वीकृति दी जा चुकी है। राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय पूल से 40,000 मी० टन कच्चा चावल आवंटित किया गया है।

दिल्ली परिवहन के कर्मचारियों के छात्रों के साथ झगड़े

63 **श्री पी० वेंकटासुब्बया :**

श्रीराम सहाय पांडे :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली परिवहन के कर्मचारियों के हाल ही में छात्रों के साथ हुए झगडों की ओर दिलाया गया है।

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस भयंकर स्थिति का सामना करने तथा इसके निवारण के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) **और** (ग). राष्ट्रपति द्वारा 3-11-71 को जारी किये गये अभ्यादेश द्वारा दिल्ली परिवहन उपक्रम का प्रबंध, उपक्रम के कार्यों तथा उसकी सेवाओं की क्षमता में सुधार की दृष्टि से सडक परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अधीन स्थापित की गई एक सार्वजनिक निगम का अंतरण कर दिया गया है। उप-राज्यपाल निगम के अध्यक्ष हैं।

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय द्वारा अगस्त में तथा अभी विश्वविद्यालय प्राधिकरण द्वारा गठित समति ने विद्यार्थियों तथा दिल्ली परिवहन उपक्रम के कर्मचारियों के बीच झगडों की समस्या तथा सुधारणात्मक उपायों की जांच की है। दिल्ली परिवहन उपक्रम ने समंजन-अनुसूचियों द्वारा तथा नयी और नवीनीकृत बसों को चालू करके 774 अतिरिक्त ट्रिप चालू किये हैं। धौला कुआं में स्थित कालाजी की मांग की पूर्ति के लिए रिज होकर आर्य समाज रोड तथा रामकृष्णपूरम के बीच एक नयी बस सेवा शुरू कर दी है।

दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारी गतव्य स्थानों तथा मध्यवर्ती स्थानों पर नियुक्त कर किये गये हैं। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्री ठीक ढंग से ले जाए जा रहे हैं तथा कोई अप्रिय घटना नहीं घट रही है।

चीनी के उत्पादन में गिरावट का अनुमान

64 **श्री रामकंवर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में चीनी के उत्पादन में गिरावट आने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) देश में चीनी की उपलब्धता और सप्लाई सामान्य बनाने के लिए यदि कोई प्रयास किये जा रहे हैं तो वे क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) वर्तमान संकेतों के अनुसार, चालू वर्ष के दौरान चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा कम होने की सम्भावना है।

(ख) 1971-72 में चीनी के उत्पादन में गिरावट आने के निम्न कारण हो सकते हैं।

(1) कुल मिलाकर देश में गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी और चीनी का उत्पादन करने वाले कुछ प्रमुख राज्यों में फैक्ट्री क्षेत्रों में गन्ने के क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक कमी।

(2) कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा, बाढ़ों और कीटाणुओं और कुछ अन्य क्षेत्रों में सूखे द्वारा गन्ने की खडी फसलों को क्षति ; और

(3) गुड़ के चल रहे ऊंचे मूल्य के कारण गुड़ के निर्माण में गन्ना लगाए जाने की संभावना।

(ग) आशा है कि चीनी कारखानें चीनी के चल रहे मूल्यों की दृष्टि में केन्द्रीय सरकार द्वारा गन्ने के निर्धारित न्यूनतन मूल्य से अधिक मूल्य देकर चीनी का अधिक उत्पादन करेंगे। 1971-72 के दौरान चीनी का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से निम्नलिखित पग उठाए गए हैं:—

(1) चीनी पर लगे उत्पादन शुल्क में निम्न प्रकार से छूट दी गई है:—

(i)पहली अक्तूबर, 1971 से 30 नवम्बर, 1971 की अवधि के दौरान कारखाने द्वारा 1970-71 की उसी अवधी के दौरान उत्पादित चीनी के 80 प्रतिशत से अधिक उत्पादन पर 17 रुपये प्रति क्विंटल।

(ii) पहली दिसम्बर, 1971 से 30 सितम्बर, 1972 की अवधि के दौरान कारखानों द्वारा 1970-71 की उसी अवधि के दौरान उत्पादित चीनी के 10 प्रतिशत से अधिक उत्पादन पर 14 रुपये प्रति क्विंटल।

(2) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्पादन शुल्क में दी गई कटौती के आधार पर चीनी कारखानों द्वारा गेरे गए गन्ने पर क्रय कर में कटौती देने पर विचार करें।

(3) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे चीनी कारखानों के 10 मील के दायरे में नये शक्ति चालित कोल्हूओं और खंडसारी यूनिटों को बन्द करने पर विचार करें और इन क्षेत्रों में मौजूदा शक्ति चालित कोल्हूओं और खांडसारी युनिटों के कार्यचालन पर भी प्रतिबन्ध लगाएं।

(4) 18 अक्तूबर, 1971 से गुड का ज़्यादा व्यापार बन्द कर दिया गया है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में समाज विरोधी तत्व

65. **श्री राम कंवर :**
श्री एन० ई० होरो :
श्री बालतन्डा युतम :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों के कारण हाल ही में अव्यवस्था की बहुत सी घटनायें घटी :

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय को बन्द कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो, इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) कुलपति ने उन कारणों को पहले ही विस्तारपूर्वक प्रकाशित कर दिया है, जिनसे विश्वविद्यालय बन्द करना पड़ा । रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रखी जा रही है ।

(ख) शिक्षा संकाय और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तीनों स्कूलों, अर्थात् केन्द्रीय हिन्दू बायज स्कूल, केन्द्रीय हिन्दू गर्ल्स स्कूल और रणवीर संस्कृत पाठशाला के अलावा बाकी सभी संकायों में अध्यापन स्थगित कर दिया गया था ।

(ग) अनेक संकायों में अध्यापन पुन: आरम्भ करने के विश्वविद्यालय के निर्णय की सरकार सराहना करती है । विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों ने सरकार को आश्वासन दिया है कि बाकी संकायों में भी अध्यापन शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा ।

विदेशी विद्यार्थियों का डाक्टरी शिक्षा के लिए भारतीय संस्थाओं में दाखिला

66. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक्टरी शिक्षा देने वाली भारतीय संस्थाओं में दाखिला प्राप्त करने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में गत कुछ वर्षों से निरन्तर वृद्धि होती जा रही है ;

(ख) क्या भारत में डाक्टरी शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक सभी विदेशी छात्रों को दाखिला देने के लिये प्रबन्ध कर लिये गये हैं ;

(ग) क्या मैडिकल कालेजों में भी विदेशी छात्रों के लिये सीटों की संख्या बढ़ाने और उनके लिये अच्छे होस्टल एवं अन्य सुविधाओं का प्रबन्ध करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) डाक्टरी शिक्षा देने वाली भारतीय संस्थाओं में दाखिला प्राप्त करने वाले विदेशी छात्रों की संख्या गत दो वर्षों की तुलना में इस वर्ष कम थी ।

(ख) मैडिकल कालेजों में आरक्षित स्थानों की संख्या सीमित होने के कारण सभी विदेशी छात्रों को दाखिला देना सम्भव नहीं हो सका है ।

(क) और (ख). राज्य सरकारों से पूछा गया है कि क्या वे अपना खर्चा आप वहन करने वाले विदेशी छात्रों के लिये भुगतान के आधार पर मेडिकल कालेजों में सीट बढ़ा सकती है या नहीं और उन्हें पर्याप्त सुविधाएं दे सकती है या नहीं।

छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासहनहीनता

67 **श्री राम सहाय पांडे** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रों में अनुशासनहीनता तेजी से बढ रही है और वे हड़तालों और आंदोलनों में अधिक भाग ले रहे हैं :

(ख) क्या इसका कारण उन्हें नियोजन के पर्याप्त अवसर प्राप्त न होना और उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए उनका सामर्थ्य न होना है : और

(ग) यदि हां, तो छात्रों में इस बढ़ती अनुशासनहीनता को रोकने के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) हालांकि समय समय पर छात्र अनुशासनहीनता सम्बन्धी घटनाओं की रिपोर्ट मिली है किन्तु सांख्यिकीय सूचना के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि वे तेजी से बढ़ रही है और विद्यार्थी बढ़ती हुई संख्या में हड़तालों और आन्दोलनों में भाग ले रहे हैं।

(ख) छात्र अनुशासनहीनता के विभिन्न कारण है जिनमें माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित बाते भी शामिल हैं।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अपनी कानूनी जिम्मेदारी के अनुसार अपने उपलब्ध सीमित साधनों के अन्तर्गत, उच्च शिक्षा की कोटि और विषय सूची में सुधार करने के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। आयोग ने विद्यार्थियों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी शुरू किये हैं। विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में विद्यार्थियों द्वारा अधिक भाग लेने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं। तथापि इनको प्रभावी बनाने के लिए उन्हें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति और राजनीतिक क्षेत्रों में समूचित साधनों द्वारा अनुपूरित करना होगा।

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की वसूली का रोका जाना

68 **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** :
श्री नरेन्द्र कुमार सांधी

क्या कृषी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अगस्त, 1971 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय खाद्य निगम के किस्म निरीक्षकों

(क्वालिटी इन्सपेक्टर) के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें मिलने के बाद राजस्थान सरकार ने निर्णय किया है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य के खाद्यान्नों की वसूली को रोक दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय सरकार से बहुत सी शिकायतें की हैं परन्तु न तो भारतीय खाद्य निगम और न ही केन्द्रीय सरकार ने उन पर कोई कार्यवाही की है, और यदि हां तो इसका क्या कारण है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सरकार के ध्यान में प्रेस रिपोर्ट लायी गयी है।

(ख) और (ग). यह रिपोर्ट मुख्यत: पिछले मौसम के दौरान बाजरा की अधिप्राप्ति से सम्बन्धित है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गयी जांच पड़ताल से विदित हुआ कि आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। राज्य सरकार द्वारा कोई वैकल्पिक तन्त्र स्थापित नहीं किया गया है और उन्होंने 1971-72 के दौरान खरीफ की अधिप्राप्ति विषयक कार्य भारतीय खाद्य निगम को सौंप दिया है। फसल वर्ष 1970-71 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को अपने अधिप्राप्ति कार्यों के लिये व्यापारी एजेन्टों की सेवाओं का उपयोग करना पड़ा था। इससे कदाचार सम्बन्धी शिकायतें पैदा हुई हैं। फसल वर्ष 1971-72 के लिए यह निर्णय किया गया है कि व्यापारी एजेन्टों के स्थान पर हमारी समीतियों को एजेन्ट रखा जाए। इन समितियों को इस प्रयोजन के लिए सशक्त किया जा रहा है।

दिल्ली में दिल्ली परिवहन के सम्बन्ध में छात्रों की शिकायतों का अध्ययन करने के लिये पेनल

69 **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : **श्री सी० चित्तिबाबू**
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बसों की कठिनाईयों के सम्बन्ध में दिल्ली के छात्रों की शिकायतों का अध्ययन करने के लिए एक पेनल की नियुक्ती की है,

(ख) क्या यह सच है कि पिछले तीन महीनों में दिल्ली में छात्रों की दिल्ली परिवहन के कर्मचारियों और पुलिस से कई बार मुठमेड़ हुई थी, और

(ग) यदि हां, तो पेनल द्वारा की गई और सरकार द्वारा मंजूर की गई मुख्य मुख्य सिफारिश क्या है और क्या इस बीच छात्रों की परिवहन सुविधाओं में कोई सुधार हुआ है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) (क) छात्रों की दिल्ली परिवहन के कर्मचारियों और पुलिस से मुठभेड़ की सूचना प्राप्त होते ही नौवहन तथा परिवहन के राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 28 अगस्त 1971को एक अनौपचारिक बैठक हुई जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय, छात्रों, मजदूर यूनियनों तथा दिल्ली परिवहन उपक्रम प्रबन्ध के प्रतिनिधियोंने भाग

लिया । इस बैठक के परिणामस्वरूप नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय, दिल्ली प्रशासन दिल्ली परिवहन उपक्रम और दिल्ली विश्वविद्यालयों प्राधिकारियों के प्रतिनिधि विशेषकर विद्यार्थियों के लिए परिवहन सम्बन्धी पर्याप्ता के प्रश्न पर विचार करने और इस समस्या के समाधानार्थ ठोस सिफारिश करने के लिए मिले ।

(ख) जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर, 1971 में 91 ऐसी घटनाएं हुई जिनमें छात्रों ने दि० परि० उप० की बसों को रोककर उन पर पत्थर बरसाए थे या उनको आग लगा दी थी ।

(ग) समिति की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार से थी:—

(1) दि० परि० उप०प्राधिकारियों की तुरन्त ही छात्रों के लिए 21 निर्णित भागों पर अतिरिक्त बस सेवाओं को चालू करना चाहिए और उन्हें इस बात से भी सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए कि अन्य स्थानों पर रहने वाले छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बसों का आना जाना बढ़ा दिया जाता है ।

(क) प्रत्येक कालेज में संयुक्त समितियां स्थापित की जानी चाहिए जिनमें छात्रों, दि० परि० उप० कर्मचारियों, दि० परि० उप० प्रबन्ध तथा कालेज प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हों । विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा पहले से ही स्थापित सात क्षेत्रीय समितियां कार्य करती रहें । कालेज समिति तथा केन्द्रीय सरकार के साथ संपर्क बनाये रखने के लिए एक शिखर समिति की भी स्थापना की जाये जिसमें विश्वविद्यालय, दि० परि० उप० प्रबन्ध तथा चालकों और कंडक्टरों के प्रतिनिधि शामिल हों । इन सफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है ।

हाल ही में, विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने छात्रों की यात्रा संबंधी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण किया है और इस सर्वेक्षण के आधार पर मौजूदा सेवाओं में समंजन करने के लिए और अतिरिक्त सेवाओं के चालू करने के संबंध में कुछ और सिफारिश की गई हैं ।

रिज द्वारा रामाकृष्णापुरम से आर्य समाज रोड तक दिन भर 30 मिनट की आवृति वाली नई बस सेवा के चालू करने संबंधी मुख्य सिफारिश को पहले से ही कार्यन्वित कर दिया गया है । कार्यक्रमों में समंजन द्वारा तथा नई और नवीकृत बसों को चालू करके 774 अतिरिक्त फेरों की भी व्यवस्था कर दी गई है । इसके अतिरिक्त सेवा और उक्त फेरों ने छात्र समुदाय को काफी राहत पहुंचायी है । विश्वविद्यालय प्राधिकारियों कि कुछ दूसरी सिफारिशें भी कार्यान्ति की जा चुकि है । उनमें कुछ आंशिक रूप से पूरी और शेष सिफारिशें दिल्ली परिवहन निगम के विचारधीन है ।

छात्रों के लिए परिवहन सुविधाओं में सुधार लाने के लिए निगम भरसक प्रयत्न कर रहा है अभी तक किये गए प्रबन्ध संतोषजनक पाए गए हैं ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का बन्द किया जाना

70 **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में केन्द्र द्वारा संचालित कुछ विश्वविद्यालयों को बन्द कर दिया गया है :

(ख) ऐसे कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) . पांच केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को कुछ विद्यार्थियों द्वारा धमकी भरी आम हड़ताल, भूख हड़ताल, विद्यार्थियों द्वारा कुलपति का 'घेराव' और अध्यापकों के साथ दुर्व्यवहार और अनुशासनहीनता के अन्य कार्यों के कारण, 13 सितम्बर, 1971 से अनिश्चित काल तक बन्द करना पडा । कुलपति ने उन कारणों को पहले ही सिस्तार पूर्वक प्रकाशित कर दिया है, जिनसे विश्वविद्यालय बन्द करना पडा । रिपोर्ट की प्रति सभापटल पर रखी जा रही है ।

(ग) विश्वविद्यालय में क्रमिक रूप से, चिकित्सा विज्ञान संकाय में 5 अक्टूबर से, और विज्ञान, इन्जीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, कृषि, वाणिज्य, विधि, संगीत और लालित कला संकायों में अनुसंधान और उत्तर स्नातक पाठ्यक्रमों में 8 नवम्बर, से पहले ही से अध्यापन पुनः शुरू कर दिया गया है । अन्य कक्षाओं और संकायों में अध्यापन पुनः शुरू करने के बारे में निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र ही लिए जाने की सम्भावना है ।

अक्तूबर 1971 में दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन

71. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह : श्री आर० पी० उलगनम्बी : श्री सी० जनार्दनन :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1971 में आयोजित मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई और उसके क्या परिणामी निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : 13 अक्तूबर, 1971 को हुए सम्मेलन में मुख्य मन्त्रियों ने विशेषतया निम्नलिखित के संदर्भ में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों की दृष्टि में 1971-72 के लिए खरीफ अनाजों की नीति और मूल्य नीतिक समीक्षा की :—

(i) खरीफ अनाजों की अधिप्राप्ति का लक्ष्य;

(ii) खरीफ अनाजों के अधिप्राप्ति मूल्य; और

(iii) खाद्यान्नों पर अन्तराज्यीय संचलन प्रतिबन्ध ।

उन्होंने सरकारी वितरण प्रणाली और उसके विस्तार की गुंजाइश सम्बन्धी उपायों की भी समीक्षा की थी ।

सम्मेलन में उपर्युक्त बातों पर निम्नलिखित सिफारिशें की गयी थीं :—

(1) यद्यपि यह महसूस किया गया था कि देश के कुछ भागों में सूखे और बाढ़ों से

फसलें प्रभावित हुई हैं, कृषि मूल्य आयोग द्वारा 43 लाख मी० टन चावल की अधिप्राप्ति का अभिस्तावित लक्ष्य कुछ अधिक है, फिर भी इस अधिप्राप्ति लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न के हेतु सहमति हो गयी थी।

(2) खरीफ के मोटे अनाजों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। काश्तकारों द्वारा बिक्री के लिये दी जाने वाली मोटे अनाजों की सारी मात्रा जोकि विहित निर्दिष्टियों के अन्तर्गत आती होगी, अधिप्राप्ति मूल्यों पर खरीदी जाएगी।

(3) यह निर्णय हुआ कि चावल के संचलन पर लगे मौजूदा अन्तर्राज्यीय प्रतिबन्ध लगे रहने चाहियें :

(4) इस बात पर आम सहमति थी कि सभी खरीफ अनाजों अर्थात धान, चावल और मोटे अनाजों के अधिप्राप्ति मूल्य पिछले वर्ष के स्तर पर बने रहने चाहिये। जम्मू तथा कश्मीर, तमिलनाडु और उड़ीसा के बारे में धान/चावल के मूल्यों में सीमान्त फेर-बदल करने पर विचार किया जा सकता है जैसा कि कृषि मूल्य आयोग ने सिफारिश थी।

(5) यह निर्णय हुआ कि मूल्यों को बढ़ने से रोकने और विशेषतया समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए सरकारी वितरण प्रणाली के सुदृढ़ बनाने के लिए तुरन्त पग उठाए जायेंगे।

सरकार ने ये सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और उन्हें कार्यरूप देने के लिए कार्यवाही की गई है।

कुष्ठ रोग का उन्मूलन

72. **श्री विश्व नारायण शास्त्री :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने इसका पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है कि देश के कितने कुष्ठ रोगी हैं तथा उनकी किस सीमा तक कमी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके विस्तृत निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) देश में इस भयानक रोग के सम्पूर्ण उन्मूलन के लिए क्या क्या योजनाएं कियान्वित की गई हैं और क्या-क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) उक्त प्रयोजन के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और क्या पद्धति निकाली गई है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी हां। 1963 में सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) रोग विज्ञान सम्बन्धी उस समय उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, लगभग 30 करोड़

की स्वानिकमारी वाली आबादी में लगभग 25 लाख कुष्ठ रोगी होने का अनुमान लगाया गया।

(ग) भारत में कुष्ठ के फैलाव को रोकने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से 1955 में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। अब तक राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 214 कुष्ठ नियंत्रण एकक और 1319 सर्वेक्षण, शिक्षा एवं उपचार केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन कुष्ठ नियंत्रण कार्य करने के लिए 32 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-अनुदान भी दिया जा रहा है। अन्त-र्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी पांच कुष्ट नियंत्रण प्रोजेक्ट खोले गये हैं। "रोगी के घर पर उपचार की पद्धति" के आधार पर कुष्ठ रोगियों का उपचार किया जाता है।

(घ) इस कार्यक्रम के लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

योजना	लक्ष्य	उपलब्धि
पहली योजना	40 सहायक केन्द्र	31
दूसरी योजना	100 सहायक केन्द्र	103
तीसरी योजना	50 कुष्ठ नियंत्रण एकक	46
	786 सर्वेक्षण शिक्षा एवं उपचार केन्द्र	564
	10 प्रशिक्षण केन्द्र	10
	38 स्वैच्छिक संगठन	38
1966—69 —	26 कुष्ठ नियन्त्रण एकक	1
	659 सर्वेक्षण शिक्षा, एवं प्रशिक्षण केन्द्र	379
	4 प्रशिक्षण केन्द्र	

चौथी योजना में 801·00 लाख रुपये का नियतन किया गया है और चौथी योजना के लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

1969–70	लक्ष्य	उपलब्धियां
कुष्ठ नियन्त्रण एकक	20	17
सर्वेक्षण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र	150	150
सहायक केन्द्रों का उन्नयन	8	4
सचल टीमों का परिवर्तन	1	शून्य

1970–71		
कुष्ठ नियन्त्रण एकक	10	9
सर्वेक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण केन्द्र	46	12
उन्नयन	8	6
कुल कितना कार्य हुआ इसका ब्यौरा इस प्रकार है :		
(1) कुष्ठ नियन्त्रण एकक		214
(2) सर्वेक्षण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र		1319
(3) स्वैच्छिक संगठन		32
(4) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन		5
(5) प्रशिक्षण केन्द्र		11
(6) कितनी आबादी को इसके अन्तर्गत लाया गया		8 करोड़ 49 लाख
(7) कितने लोगों की स्वास्थ्य परीक्षा की गई		4 करोड़ 84 लाख
(8) कुल कितने रोगियों का रिकार्ड तैयार किया गया		945138 (9·45 लाख)

24 अतिरिक्त कुष्ठ नियन्त्रण एकक तथा 115 सर्वेक्षण शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने और प्रथम और द्वितीय योजना के 17 सहायक केन्द्रों को कुष्ठ नियन्त्रण एककों के रूप में उन्नयित करने एवं त्रिपुरा में सचल कुष्ठ नियन्त्रण टीम को कुष्ठ नियन्त्रण केन्द्र के रूप में बदलने के लिये और 1969-70 तथा 1970–71 में इस योजना के अधीन शुरू किये गये केन्द्रों आदि को निर्विघन रूप से चलाते रहने के हेतु राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता-अनुदान देने के लिए 1971-72 में केन्द्रीय बजट में 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम में प्रगति

73. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरस्थ ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम में किन-किन राज्यों में स्पष्ट प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त कार्यक्रम को समूचे देश के लिए समान रूप से प्रभावी बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) अब तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चण्डीगढ़, दिल्ली और अंडेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में परियोजनाओं के बारे में कार्य आरम्भ हुआ है। अब इस कार्यक्रम के सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों में पूरे जोर से कार्यान्वित किये जाने की संभावना

है' क्योंकि बरसात समाप्त हो चुकी है और लेखा-विधि तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्य पूरे किये जा चुके हैं ।

(ख) सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अगले दो वर्षों के लिये प्रस्ताव तैयार करें और चालू वर्ष के नियतन से दुगुने परिणाम का कार्यक्रम की आरम्भ करें, ताकि धनराशि का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और इस बात का ध्यान भी रखा जा सके कि मन्दी के समय कार्य की निरन्तरता में व्यवधान न पड़े । केन्द्रीय टोलियाँ समस्याओं का पता लगाने बाधाओं को दूर करने और कार्यक्रम का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से 14 राज्यों का दौरा कर चुकी हैं । आगे और दौरों का आयोजन राज्य सरकारों के परामर्श से किया जा रहा है ।

पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्रों का बन्द किया जाना

74. **श्री राज देव सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने अपने राज्यों में चल रहे पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्रों को संसाधनों की कमी के कारण बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा में चल रहे पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्रों को वित्तीय कारणों से बन्द किया गया है । तथापि, इन राज्यों में कमी पड़ने की सूचना नहीं मिली है, क्योंकि इनमें प्रशिक्षण सुविधाएं संयुक्त प्रशिक्षण केन्द्रों में सुलभ की जाती हैं ।

कल्यानी विश्वविद्यालय का पुनः खोला जाना

75. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्यानी विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल को अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया गया है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उक्त विश्वविद्यालय को पुनः खोलने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) से (ग) . कल्यानी विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार लगभग 15 दिन तक बन्द रहने के बाद विश्वविद्यालय पुनः खुल गया है, किन्तु छात्रों के कक्षाओं से अनुपस्थित रहने के कारण यह सामान्य रूप से कार्य नहीं कर रहा है । वे परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं ।

कलकत्ता के महानगरीय क्षेत्र में जल की अपर्याप्त सप्लाई

76. **श्री रेणुपद दास** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता के महानगरीय क्षेत्र में जल की अपर्याप्त सप्लाई की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कलकत्ता में जल की सप्लाई क्षमता बढ़ाने के लिये कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हाँ।

(ख) कलकत्ता, महानगर जिले में सभी जगह पीने के पानी की कमी अनुभव की गई है। कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न जल पूर्ति योजनाओं के शुरु किये जाने से पूर्व विभिन्न क्षेत्रों में जल पूर्ति की स्थिति इस प्रकार थी :—

कलकत्ता	30 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन
टौलीगंज	10 तदैव
हावड़ा	20 तदैव
अन्य नगरपालिकाएं	4 गैलन से 20 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
गैर नगरपालिका क्षेत्र	नल जल पूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ग) कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने 24 योजनाऐं शुरु की हैं और इन योजनाओं के लिये चौथी योजना अवधि में 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं में से तीन पूरी हो गई हैं, एक पूरी होने वाली है तथा शेष योजनाएं क्रियान्वित के विभिन्न चरणों में हैं। पालटा में 6 करोड़ गैलन की क्षमता वाला एक संयन्त्र हाल ही में चालू किया गया है जिससे कलकत्ता में जल पूर्ति की मात्रा 50 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ाना संभव होगा। टौलीगंज क्षेत्र में 16 नल-कूप चालू कर दिये गये हैं जिससे प्रति व्यक्ति जल पूर्ति 20 गैलन प्रतिदिन हो गई है। जब सभी योजनाओं की क्रियान्विति हो जायेगी तो कलकत्ता में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 60 गैलन, हावड़ा में 40 गैलन तथा अन्य नगरपालिका एवं गैर-नगरपालिका शहरी क्षेत्रों में 20 गैलन जल उपलब्ध किया जा सकेगा।

"Swarga Ki Sair" Prescribed by Central Schools

77. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether a book entitled "Swarga ki Sair" written by Lilawati Bhagwat has been prescribed for the 7th Class in Central Schools for Hindi subject; and

(b) If so, whether it contains passages which poison the minds of young children against females ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Prof. D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter is being looked into.

Misappropriation of Articles ETC. of Delhi Univesity

78. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether a case of bungling and misappropriation of articles worth lakhs of rupees in the Department of physics, Chemistry, Business Management and the Faculty of Arts of Delhi University has come to light;

(b) the nature of action taken against the persons concerned; and

(c) if not, the reasons for not taking action against any person so far inspite of he fact that these irregularities had come to light last year ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) to (c) . Shortage in stock of the consumable stores in the Department of Physics and Astro-Physics, Chemicals, glassware and equipment in the Department of Chemistry, books in the Department of Business Management & Industrial Administration and duplication paper in the Faculty of Arts has been revealed on stock verification. The shortages in these Department are under the various stages of scrutiny by the Committees/Persons appointed by the Vice-Chancellor. In the case of Department of Business Management & Industrial Administration, action is being taken by the University to recover part of the loss from the persons found responsible for the same. The reports of scrutiny in respect of other losses are awaited by the University.

बाल कार्यक्रम पर राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी संकल्प

79. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच बाल कार्यक्रम पर राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी संकल्प के प्रारूप को स्वीकृति दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय कृषि आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन

80. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा अब तक कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होते।

तैयार कृषि तथा खाद्य उत्पादों विषयक उच्च अधिकार समिति का नियुक्त किया जाना

81. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तैयार कृषि तथा खाद्य उत्पादों के बारे में एक सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन हैं और उसके निर्देश पद क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) यह समिति अपेक्षित स्तर के परिसंस्करित कृषि तथा खाद्य उत्पादों और विपणन सुविधाओं के विकास के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए स्थापित की गई है, जिससे कि कुछ कृषि उत्पादों के क्षेत्र में उपलब्ध अधिप्राप्त मात्राओं का उपयोग किया जा सके। समिति में निम्नलिखित व्यक्ति हैं :—

1. सचिव, कृषि विभाग	अध्यक्ष
2. सचिव, खाद्य विभाग	सदस्य
3. सचिव, योजना आयोग	,,
4. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग	,,
5. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	,,
6. संयुक्तायुक्त (निर्यात वृद्धि) कृषि विभाग	,,

भारत तथा यूनस्कों के बीच सहायता सम्बन्धी स्मृति पत्र पर किये गये हस्ताक्षर

82. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा श्रौर समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में भारत श्रौर यूनेस्को के बीच सहायता सम्बन्धी किसी स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं, श्रौर

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

शिक्षा श्रौर समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो॰ एस॰ नुरुल हसन) : (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 961/71]

गुजरात विश्वविद्यालय सिन्डीकेट द्वारा परीक्षाओं के लिये भुज परीक्षा केन्द्र को बन्द करने का निर्णय

83. **श्री डी॰ एस॰ पाटिल** : क्या शिक्षा श्रौर समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रों, उनके माता पिताओं, स्थानीय राजनीतिज्ञों श्रौ[illegible] सोशियेशनों आदि में गुजरात विश्वविद्यालय सिन्डिकेट के, इस वर्ष अक्तूबर से विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं के लिये भुज परीक्षा केन्द्र को बन्द करने सम्बन्धी निर्णय पर रोष व्यक्त किया है, क्योंकि इससे भुज श्रौर आदिपुर से कालिजों के सभी छात्रों को परीक्षा में बैठने हेतु मांडवी जाना पड़ेगा :

(ख) यदि हां, तो क्या इन लोगों ने इस मामले को निपटाने के लिए राज्यपाल से अनुरोध किया है।

(ग) क्या इस मामले में सहायता करने के लिये केन्द्र सरकार से भी अनुरोध किया गया है; श्रौर

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा श्रौर समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी॰ पी॰ यादव) : (क) गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जो परिक्षाएं अक्तूबर 1971 में भुज केन्द्र में आयोजित न होकर भुज के बजाय माण्डवी में आयोजित की गई, वे निम्नलिखित हैं :—

(I) पूर्व विश्वविद्यालय कला, बी॰ ए॰ प्रथम वर्ष, बी॰ ए॰ द्वितीय वर्ष श्रौर बी॰ ए॰ तृतीय वर्ष प्राइवेट प्रत्याशियों के लिए।

(II) पूर्व विश्वविद्यालय वाणिज्य और बी० ए० अंतिम पुन: परीक्षा देने वालों के लिये, और

(III) एल० एल० बी० प्रथम वर्ष और एल० एल० बी० द्वितीय वर्ष ।

सिंडीकेट ने उपरोक्त निर्णय तब लिया था जब मार्च 1971 में आयोजित भुज में परीक्षा के संचालन में कुछ विद्यार्थियों तथा बाहर के व्यक्तियों द्वारा तथा बाधा डालने की कोशिश की गई थी- और तब स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस की सहायता लेनी पड़ी थी ।

इस सम्बन्ध में स्थानीय विद्यार्थियों अविभावकों, संरक्षकों तथा स्थानीय संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में प्रमुख तिलहनों के उत्पादन में कमी

84. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 से गुजरात राज्य में पांच प्रमुख्य तिलहनों का उत्पादन कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968-69 और 1970-71 में इनका कितना-कितना उत्पादन हुआ;

(ग) गुजरात में उत्पादन कम होने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त राज्य में तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) गुजरात में 1968-69 और 1970-71 में पांच मुख्य तिलहनों का उत्पादन क्रमशः 861·7 और 1943·1 हजार मीटरी टन हुआ था ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं होते ।

Programme Regarding National Highways

85. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) Whether Government have under consideration any comprehensive programme in regard to national highways;

(b) If so, the main features thereof ; and

(c) The amount proposed to be spent on this item during the financial year of 1971-72 ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and transport (Shri Raj Babadur) : (a) & (b). Yes, Sir. The detailed programme for the development of National Highways during the Fourth Plan period is as given below—

(1) Improvement to the existing National Highways	Rs 293·00 Crores
(2) Carry-over works of development of existing National Highwayas	Rs 20·45 ,,
(3) New National Highways	Rs 15·00 ,,
Total	Rs. 328·45

Against the provision of Rs. 293 crores, works costing Rs. 455 crores for improvement of existing National Highways have been included in the Fourth Five Year Plan. The actual expenditure on these works during the Plan period will be limited to the Plan provision of Rs. 293 crores.

Against a provision of Rs. 15 crores. for Development of new National Highways made in the Fourth Plan, five new routes have so far been declared as National Highways during the present Plan period. An amount of Rs 11·81 crores is estimated to be spent for doveloping these new National Highways to single lane standards. A few more routes are also under consideration for inclusion in the national highways system.

(c) A sum of Rs. 39·78 croros has been provided in the current year's budget for meeting the expenditure on the construction and deevlopment of National Highways.

Research Scholars in Botany Department, Jiwaji University Receiving U. G. C. Asssistance

86. **Shri Huham Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state.

(a) Number of Research Scholars in the Botany Department of Jiwaji University Gwalior (Madhya Pradesh) at present.

(b) The number among them who received assistance from the University Grants Commission; and

(c) The assistance being received by each of them ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Social Welfare And in the Department of Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a). According to the information received from the Jiwaji University, there are at present 7 scholars in the Department of Botany.

(b). None.

(c) Does not arise.

दिल्ली और चंडीगढ के अस्पतालों में प्रशासयनिक और इंजीनियरिंग सेवाओं के बारे में प्रतिवेदन

87. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
डा० लक्ष्मी नारायण पांडे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली और चण्डीगढ़ के अस्तपतालों में प्रशासनिक और इंजीनियरिंग सेवाओं की जांच करने के लिए नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्ससम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) जी हां। सफदरजंग अस्पताल और विलिंग्डन अस्पताल नई दिल्ली, अखिल भारतीय: आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के प्रशानिक तथा इन्जीनियरी सेवाओं की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) कार्यकारी दल की प्रमुख सिफारिशें अनुलग्नक—1 में दी गई हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी०**—962/71]

राष्ट्रीय दूध ग्रिड

88. **श्री एच० के एल० भगत** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय दूध ग्रिड बनाने के लिये सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन से कदम उठाये गये हैं और इसके कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) इससे क्या लाभ होगें ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दुग्ध विपणन तथा डेरी विकास परियोजना के अन्तर्गत, जिसे सामान्यतया आपरेशन फ्लड कहा जाता है, दूध की अधिक अधिप्राप्ति तथा प्रमुख केन्द्रों में भंडारण एवं लम्बी दूरी पर दूध की परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करके, अन्य बातों के साथ-साथ 10 राज्यों में स्थित प्रमुख दुग्ध उत्पादक क्षेत्रों को बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास के बड़े शहरों के दुग्ध परिसंस्करण संयत्रों से सम्बन्ध करने का विचार है। आशा है कि यह परियोजना जून, 1975 तक पूरी हो जायेगी।

(ग) इस परियोजना के क्रियान्वयन से आवश्यकता होने पर अधिकांश क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में दूध का परिवहन शीघ्र होगा। जिसके फलस्वरूप कमी वाले क्षेत्रों में कमी नहीं रहेगी और देश विभिन्न भागों में दूध का उचित मूल्य स्तर बनाये रखने में भी सहायता मिलेगी।

राज्य कृषि फार्म निगम के कार्यक्षेत्र का विस्तार

89. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य कृषि फार्म निगम ने निजी खेती योग्य बंजर भूमि के कृष्यकरण के कार्यों को अपने हाथ में लेकर अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या योजनायें बनाई गई हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : भारतीय राज्य फार्म निगम गैर-सरकारी पार्टियों की भूमि पर व्यापारिक शर्तों पर भूमि सुधार, मृद्रा संरक्षण तथा कटाई कार्य के लिए व्यापार कार्य में लगा हुआ है। चूंकि ऐसे व्यापार कार्य की मांग बढ़ती जा रही है, इस प्रकार के कार्य को करने के लिए एक अलग एकक स्थापित करने का निर्णय किया गया है। योजना अभी तैयार की जा रही है।

सभी नर्सिंग होम्ज और क्लीनिकों को लाइसेंस जारी करना

90. **श्री एच० के० एल० भगत :**
श्री सी० चितिबाबू :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के सभी नर्सिंग होम्स और क्लीनिकों के लिए लाइसेंस व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक क्रियान्वित हो जायेगा और इसके क्या लाभ होंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) से (ग) . जी, हां। अक्तूबर 1971 में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद द्वारा पारित किये गये निम्नलिखत संकल्प पर सरकार विचार कर रही है :

"सब राज्य सरकारों को एक पंजीकरण अधिनियम बनाने के लिए कदम उठाने चाहिये जिससे सभी परिचर्या गृहों को उक्त अधिनियम के अधीन लाया जा सके और केवल पंजीकृत चिकित्सकों और नर्सों को ही इन परिचर्या गृहों में नियुक्त किया जा सके।

दिल्ली में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के लिये दाखिला

91. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **स्वाथ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष दिल्ली में प्रीमैडिकल परीक्षा में कितने विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। कितने विद्यार्थियों ने एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए प्रार्थना पत्र दिए;

(ख) उनमें कितने विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया है; और

(ग) जिन्हें दाखिला नहीं मिला उनके बारे में क्या किये जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) इस वर्ष (1971) में दिल्ली विश्वविद्यालय की प्री-मेडिकल परीक्षा में 465 छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुये। यह ज्ञात नहीं है कि उनमें में से कितनों ने एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए प्रार्थना-पत्र दिये।

(ख) और (ग) : दिल्ली प्रीमेडिकल के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए उन छात्रों की संख्या जिन्होंने दिल्ली/मेरठ के विभिन्न चिकित्सा कालेजों में दाखिल पाया, इस प्रकार है—

1. मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	175
2. लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	99
3. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	14
4. न्यू मेडिकल कालेज, दिल्ली तथा मेडिकल कालेज, मेरठ	172
योग	407

आशा है शेष छात्रों को दिल्ली से बाहर के कालेजों में दाखिला मिल गया होगा।

राजकीय कला तथा विज्ञान कालिज बंगलौर के निकट पुलिस द्वारा लाठी प्रहार

92. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 सितम्बर, 1971 को छात्रों को तितर बितर करने के लिये पुलिस ने बंगलौर शहर में राजकीय कला तथा विज्ञान कालिज के निकट अश्रु गैस छोड़ी थी और लाठी प्रहार किया था: और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार ने उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कौन से कदम उठाये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हरिजनों के लिए कुओं का निर्माण

93. श्री जी० वाई० कृष्णन :
श्री मति भार्गव तनकीपन :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य द्वारा हरिजनों के लिए कितने कुओं का निर्माण किया गया; और

(ख) इस कार्य के लिए प्रत्येक राज्य को गत तीन वर्षों में कुल कितनी सहायता दी गई ?

शिक्ष और समाज कल्याण मन्त्रालय में तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रख गया। देखिये संख्या एल० टी० 963/71**]

भारतीय महिलाओं के कल्याण सम्बंधी समिति

94. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा भारतीय महिलाओं के कल्याण सम्बन्धी एक समिति का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन कौन होंगे और कृत्य क्या होंगें और वह अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की रचना इस प्रकार होगी—

1. श्रीमती फूल रेणु गुह	अध्यक्षा
2. श्रीमती साविती श्याम, संसद सदस्या	सदस्य
3. श्रीविक्रम चन्द महाजन, संसद सदस्य	सदस्य
4. श्रीमती नीरा डोगरा	सदस्य
5. श्रीमती सकीना ए० हसन	सदस्य
6. श्रीमती मनोबहन कारा	सदस्य
7. श्रीमती के० लक्ष्मी रघुरमैया	सदस्य
8. श्रीमती लोटिका सरकार	सदस्य
9. श्रीमती शकुन्तला मसानी	सदस्य-सचिव

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे—

(1) स्त्रियों की सामाजिक हैसियत, उनकी शिक्षा और रोजगार पर प्रभाव डालने वाले संविधानिक, कानूनी और प्रशासनिक उपबन्धों की जांच करना।

(2) पिछले तीस वर्षों में इस देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की हैसियत पर इन उपलब्धों का प्रमाण आंकना तथा अरिल अविक प्रणाली कार्यक्रमों का सुझाव देना।

(3) स्त्रियों में शिक्षा के प्रसार पर विचार करना वथ कुछ क्षेत्रों में धीमी प्रगति के लिए उत्तरदायी बातों का निर्धारण करना और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना।

(4) नौकरीपेशा स्त्रियों की समस्याओं का जिनमें रोजगार में भेदभाव शामिल है, सर्वेक्षण करना।

(5) बदलते हुए सामाजिक ढांचे में गृह-पत्नियों तथा माताओं के रूप में स्त्रियों की तथा आगे की शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में, उनकी समस्यों की जांच करना।

(6) स्त्रियों की हैसियत से सम्बद्ध जनसंख्या नीतियों और परिवार नियोजन कार्यक्रमों के आशयों के सर्वेक्षण अथवा केस अध्ययन करना।

(7) किन्हीं ऐसे अन्य उपायों का सुझाव देना, जिनसे राष्ट्र के निर्माण में स्त्रियां पूरा और उचित भाग ले सकें।

समिति द्वारा दो वर्षों के भीतर अपनी रिपोर्ट भेज दिए जाने की आशा है।

दिल्ली में नरायना कालोनी का विकास

95. **श्री एम० एम० जोसफ** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नरायना कालोनी, दिल्ली का तेजी से विकास करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). नरायणा कालोनी पहले ही पूरी तरह से विकसित की जा चुकी है। बिजली, पानी सीवर सड़कें और नालियों जैसी सभी सेवाएं कालोनी में उपलब्ध हैं।

भारत और श्रीलंका का अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड

96. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 अक्तूबर, 1971 को भारत और श्रीलंका के अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड की कोई बैठक नई दिल्ली में हुई थी,

(ख) कितने उप-कुलपतियों ने उस बैठक में भाग लिया, और

(ग) उक्त बैठक में प्रमुख रूप से किन-२ विषयों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय किये गये ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) भारत और श्रीलंका के अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड की एक विशेष बैठक 8, 9 और 10 अक्तूबर, 1971 को दिल्ली में हुई थी ।

(ख) 37 उप-कुलपति में और 51 विशेषज्ञ उपस्थित थे, इनमें वे लोग भी शामिल हैं हैं जिन्होंने उप-कुलपतियों का प्रतिनिधित्व किया ।

(ग) बैठक द्वारा स्वीकृत विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी—964/71 ।]**

चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा के स्तर में सुधार

97. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा के स्तर में सुधार करने की आवश्यता पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में कौन से कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी. पी. चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). चिकित्सा शिक्षा के महत्व को समझते हुए इसके सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए 1969 में भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी । मान्यों विश्व-विद्यालयों में उप-कुलपतियों, मेडिकल कालेजों के डीनों आयुर्विज्ञान के विशेषज्ञों तथा प्रशासकों के एक सम्मेलन ने 1970 में इस समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया और ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात् सम्मेलन ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और जहां आवश्यक समझा वहां उनमें संशोधन एवं विस्तार भी किया । केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की कार्यकारिणी समिति ने जुलाई, 1970 में हुई बैठक में चिकित्सा शिक्षा समिति की सिफारिशों पर, जैसा कि चिकित्सा शिक्षा सम्मेलन द्वारा संशोधित अथवा परिवर्द्धित किया, आगे और विचार किया और उनका समर्थन भी किया । सिफारिशों पर ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात् भारत सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया और सरकारी संकल्प पहले ही जारी कर लिया गया है । यह संकल्प कार्यान्वियत के लिए सभी राज्य सरकारों, संघशासित, क्षेत्रों, विश्व-विद्यालयों एवं मेडिकल कालेजों को भेज दिया गया है । इस संकल्प की एक प्रतिलिपि संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 965/71]**

बिहार द्वारा ट्रैक्टरों की मांग

98. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में बाढ़ की स्थिति के संदर्भ में केन्द्र सरकार से 500 ट्रैक्टर देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को विभिन्न मेकों के 1,491 आयातित ट्रैक्टर दिये जा चुके हैं इसके अतिरिक्त 50 जटर–2011 ट्रैक्टर आवंटित करना भी मान लिया गया है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में कृषकों को उचित संख्या में ट्रैक्टर देना निगम का कार्य है।

पश्चिम बंगाल के शरणार्थी शिविरों में हैजे के मामले

99. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के शरणार्थी शिविरों में हैजे के मामले दर्ज करवाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इससे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गये हैं ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां, ।

(ख) 9 नवम्बर, 1971 तक हैजा तथा जठरान्त्रशोथ से 6,072 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, ।

अभी तक जो खास खास कदम उठाए गए हैं वे इस प्रकार हैं—

(1) कैम्पों में सभी शरणार्थियों और स्थानीय जनता को चेचक रोधी टीके लगाए जा रहे हैं।

(2) बंगला देश की सीमा के साथ साथ नगरों और बड़े -२ कस्बों में तथा उन स्थानों पर जहां शरणार्थी शिविर खोले गये हैं, एक व्यापक विशेष चेचक रोधी प्रतिरक्षण अभियान चलाया गया था।

(3) हैजे के फैलाव को रोकने के लिए जल पूर्ति का विसंक्रमण, रोगियों को अलग रखने जैसे आवश्यक रोकथाम के उपाय अपनाए जा रहे हैं। सफाई सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है।

(4) काफी मात्रा में हैजारोधी वैक्सीन, निसंक्रामक दवाइयां और औषधियां दी जा रही हैं।

(5) हैजा की घटनाओं की आपातकालीन जांच करने के लिए एक जानपादिक रोग विज्ञान दल कलकत्ता में नियुक्त किया गया है।

बोरल टी० बी० अस्पताल कलकत्ता में अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था

101. **श्री बालतन्डायुतम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोरल टी० बी० अस्पताल, कलकत्ता में अतिरिक्त 100 बिस्तर सिविल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण नहीं खोले जा सके;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इन बिस्तरों के लिए तीन लाख रुपये की धन राशि मन्जूर की थी और यह धनराशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की मांगें

102. **श्री बालतंडायुतम** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की हाल की गड़बड़ी का मुख्य कारण डा० श्री माली द्वारा कार्य भार लिये जाने की तारीख से निकाले गए सभी विद्यार्थियों को पुन: दाखले, नकल करने में अन्तंग्रस्त विद्यार्थियों सम्बन्धी नियमों के पुनर्विलोकन की मांगें थी।

(ख) क्या अन्य विद्यार्थी संगठन इन मांगों से सहमत नहीं थे : और

(ग) यदि हां, तो उन विद्यार्थी संगठनों के नाम क्या हैं और उनका मत क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन). (क) विश्वविद्यालय में हाल की गड़बड़ियों के कारण निकाले गये विद्यार्थियों की मांगों पुन: दाखिल और नकल करने में शामिल छात्रों के मामलों के पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में थी।

(ख) और (ग). विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार कुछ छात्रों के नेता राष्ट्रीय छात्र संगठन छात्र महासंघ युवक कांग्रेस और समाजवादी युवाजन सभा के एक वर्ग के द्वारा विश्वविद्यालय में चलाये गये आन्दोलन की निन्दा की गई है।

पूर्व निर्मित मकान

103. **श्री बालतन्डायुतम** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष सस्ते मकानों की मांग को पूरा करने के लिये पूर्वनिर्मित

मकान बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). पूर्व निर्मित मकानों के उत्पादन के लिए फैक्टरियों की स्थापना की एक योजना पर सरकार विचार कर रही है। अपने देश में उपलब्ध ब्यौरा और अन्य देशों के अनुभव से यह पता लगता है कि पूर्व निर्मित मकान परम्परागत तौर पर बने मकानों की अपेक्षा सस्ते नहीं होते किन्तु समय की काफी बचत होती है। विशेषज्ञों ने इस मामले पर आगे और अध्ययन करने के लिये एक तकनीकी समिति का प्रस्ताव किया है।

बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश में अनाज की खत्तियां और भण्डागार

104. **श्री हरी सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर में अनाज की खत्तियों और अन्य भन्डागारों के निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है; और

(ख) क्या बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश के कुछ भू-स्वामियों ने इस कार्य में अनावश्यक विलम्ब और भूमि-अधिग्रहण से बचने के लिए अपनी भूमि देने का प्रस्ताव किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) बुलन्दशहर में साइलों बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विश्व बैंक की सहायता से 10,000 मी० टन की क्षमता के परम्परागत गोदाम बनवाने का प्रस्ताव है। गोदाम बनवाने में विलम्ब हो गया था क्योंकि इस प्रयोजन के लिए पहले जिस स्थान का चुनाव किया गया था वह नहीं मिला था क्योंकि उस स्थान के मालिकों ने रिट याचिका दायर कर दी थी और इसलिए अन्य स्थान का चुनाव करना आवश्यक हो गया और फिर गोदाम बनवाने के लिए आगामी कार्यवाही करनी थी।

(ख) जी नहीं; क्योंकि जिस स्थान का पहले चुनाव किया गया था, उनके मालिकों द्वारा रिट याचिका दायर करने के कारण उस भूमि का कब्जा प्राप्त करने में देरी हो गयी थी इसलिए और भूमि खरीदने के लिए बातचीत की गयी और आठ एकड़ भूमि खरीदी गई थी।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा प्राइवेट कम्पनी को बीज बांटने का कार्य सौंपा जाना

125. **श्री हरी सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राष्ट्रीय बीज निगम ने अपने बोनविला किस्म की मटरों के सभी बीजों के वितरण और विक्रय का पूर्ण नियन्त्रण और अधिकार एक प्राइवेट फर्म हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी ऑफ इण्डिया को दे दिया हो; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा 1969-70 में बेचे गये कुल 1896 क्विन्टल बीज में से 1500 क्विन्टल हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी आफ इण्डिया द्वारा खरीदे गये। सन् 1970-71 में बेचे गये 1224 क्विन्टल

बीज में से उन्होंने 250 क्विन्टल बीज खरीदे ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

कुतुब मीनार दिल्ली के निकट राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के ईंटों का भटट्ा

106 **श्री हरी सिंह : क्या निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुतुब मीनार दिल्ली के निकट सुलतानपुर गांव में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा सरकारी क्षेत्र में बनाया गया ईंटों का भट्टा घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो घाटे का कारण क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस भट्टे को किसी गैर सरकारी फर्म को वेचने का निर्णय किया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री(श्री आई० के० गजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) संयंत्र के सन्तोषजनक रूप से कार्य न करने का कारण मजदूरों में निरन्तर अशान्ति का होना तथा कच्ची ईंटों के सुखाने से सम्बन्धित कतिपय तकनीकी दोष है जो ईंटों के उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं में आ जाते हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

जल-संदूषण को रोकना

107. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संदूषण के सम्बन्ध में नई दिल्ली में सितम्बर, 1971 में हुए सम्मेलन में अमरीकी विशेषज्ञों ने यह विचार व्यक्त किया था कि दिल्ली तथा देश के अन्य बड़े शहरों को जल से उत्पन्न होने वाली महामारियों से खतरा बना रहेगा;

(ख) क्या उन्होंने यह कहा था कि जब तक जल अल्प दाब के साथ खींचा जायेगा तब तक मल-जल तथा अन्य संदूषण पदार्थ वितरण नलकों में पहुंच कर घरों में पहुंचते रहेगें; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और जल संदूषण को रोकने के लिये क्या विशेष कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चटटोपाध्याय) : (क) **और** (ख) . नई दिल्ली में इण्डियन नेशनल साइन्स अकादमी द्वारा सितम्बर, 1971 में "वाटर" इन मैन्स लाइफ इन इण्डिया" पर आयोजित वर्कशाप में दबावों में भिन्नता होने से पानी में होने वाले संदूषण की समस्या तथा उसे दूर करने के लिये उपाय खोजने के बारे में

विचार विमर्श किया गया। यह तो एक ज्ञात तथ्य है कि रुक-रुक कर पानी की सप्लाई होने से वितरण तंत्र में जल संदूषण का खतरा हो जाता है और ऐसा पानी के निगेटिव दबाव के कारण होता है। जब पानी के दबाव में विभिन्नता होती है तो टूटे हुए नलों अथवा त्रुटिपूर्ण जोड़ों से पानी में संदूषण हो जाता है। पीने के पानी की आम कमी होने से देश के अधिकतर नगरों और शहरों में पानी की सप्लाई रुक-रुक कर की जाती है।

(ग) ऐसे संदूषण से बचाव करने के लिये अधिकांश शहरों में वितरण तंत्र में निगेटिव दबाव न होने देने तथा क्लोरीन की पर्याप्त मात्रा रखने के लिए काफी सावधानी बरती जाती है पानी पीने के योग्य है अथवा नहीं इसको सुनिश्चित करने के लिये वितरण तंत्र से लिये गये नमूनों के जीवाणुवीय परीक्षण भी किये जाते हैं।

कपास, पटसन और गन्ने की खेती के क्षेत्र में कमी को रोकने के उपाय

108. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में जहां खाद्यानों की खेती अधिक भूमि में की गयी है परन्तु वहां नकदी फसलों विशेष रूप से कपास, पटसन और गन्ने की खेती के क्षेत्र में इस अवधि में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो नकदी फसलों की निरन्तर बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार ने क्या इस कमी के कारणों का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके परिणाम क्या निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। सन् 1968-69 से 1970-71 के दौरान खाद्यान्नों और महत्वपूर्ण नकदी की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं होते।

विवरण

1968-69 में 1970-71 के दौरान खाद्यान्नों और महत्वपूर्ण फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन-समस्त भारत।

क्षेत्र—000 हैक्टार

उत्पादन—000 मीटरी टन जब तक कि अन्यथा लिखा न गया हो।

फसल	1968–69	1969–70	1970–71
	(+)	(+)	(—)
खाद्यान्न (—)			
क्षेत्र	120430	123570	123870

उत्पादन	94013	99501	107811
मूंगफली			
क्षेत्र	7088	7125	7293
उत्पादन	4631	5130	6065
तिल			
क्षेत्र	2423	2309	2450
उत्पादन	422	4[illegible]8	568
कपास			
क्षेत्र	7596	7731	7610
उत्पादन	5144	5255	4556
पठसन			
क्षेत्र	527	708	750
उत्पादन (1—)	2931	5655	4905
मेस्ता			
क्षेत्र	280	322	327
उत्पादन	906	1130	1230
गन्ना			
क्षेत्र	2532	2749	2657
उत्पादन	12826	13783	13194

आयुर्वेदिक संस्थाओं में अध्यापन का समान पाठ्यक्रम

109. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक संस्थाओं द्वारा अध्यापन का कोई समान पाठ्यक्रम और प्रणाली अपनाई जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

(—)—अन्तिम अनुमान ।

(+)—आंशिक संशोधित अनुमान ।

(1—)—उत्पादन हजार गाठों में—प्रत्येक गांठ 180 किलोग्राम ।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि राज्य राज्य और संस्था संस्था में भिन्न भिन्न हैं। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन गठित भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् तथा समय शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करेंगी जिनमें अन्य बातों के साथ साथ अधिनियम की धारा 22 के अधीन सभी शिक्षा संस्थाओं द्वारा अपनाये जाने के लिए पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम भी सम्मिलित होंगे।

मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक कालेज

110. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 1970-71 में किन्हीं भी विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त कुल कितने आयुर्वेदिक कालेज कार्य कर रहे थे;

(ख) वे किन किन राज्यों में स्थित हैं; और

(ग) इन संस्थाओं में कुल कितने विद्यार्थी हैं और उनमें से कितने डिप्लोमा डिग्री और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आयुर्वेदिक कालेजों के विद्यार्थियों के लिये चिकित्सा की एकीकृत पद्धति

111. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष आयुर्वेदिक कालेज विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु चिकित्सा को एकीकृत पद्धति को आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० दी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के अधीन बनाई गई भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद इस अधिनियम के खण्ड 2(ङ) के अनुरूपन शिक्षा की एक योजना तैयार करेगी। अतः आयुर्वेदिक कालेजों के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए मिश्रित चिकित्सा प्रणाली प्रारम्भ करने के प्रश्न पर भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद द्वारा की जाने वाली सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

चौथी योजना के दौरान मकानों की कमी

112. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत में चौथी योजना की अवधि में मकानों की कमी किस सीमा तक रहेगी; और

(ख) इस कमी को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) इस सम्बन्ध में, फिलहाल कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 1971 की जनगणना के दौरान देश में आवास की कमी के कतिपय आंकड़े एकत्रित किये गये हैं किन्तु उन्हें अभी सारणीबद्ध नहीं किया गया है। तथापि, चतुर्थ योजना के लिए आवास पर कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया था कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में (1–4–1969) देश में 837 लाख आवास एककों की कमी थी इस संख्या में कच्चे तथा जीर्ण मकान (जिनमे काफी मात्रा में सुधार करना अथवा उनका पुन: स्थापन अपेक्षित है) शामिल हैं तथा यह इस धारणा पर आधारित था कि देश में प्रत्येक परिवार का यथोचित स्थायी प्रकार का एक पृथक रिहाइशी एकक होना चाहिए।

(ख) इतनी अधिक कमी तथा अपेक्षित निधियों की मात्रा को देखते हुए, सरकार के प्रयत्न मुख्यत: निम्न आय-वर्गों के व्यक्तियों की आवासीय स्थिति को सुधारने की ओर निर्दिष्ट किये गये हैं। इस लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए निर्माण और आवास मत्रालय ने कई सामाजिक आवास योजनाएं आरम्भ की है जोकि राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, आवास-सहित, राज्य क्षेत्र के समस्त कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों की सरकारों को केन्द्रीय सहायता खण्ड ऋणों तथा खण्ड अनुदानों के रूप में उपलब्ध की जा रही है। राज्य तथा संघ क्षेत्रों के प्रशासनों को उन द्वारा निर्धारित की गई आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार इन योजनाओं के लिये निधियां नियत करने की स्वतन्त्रता है।

2. आवास तथा नगर विकास निगम नामक केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिष्ठान राज्य सरकारों तथा उनकी सांविधिक ऐजेन्सियों की आवास तथा नगर विकास परियोजनाओं में पूंजी लगाने के लिये स्थापित किया गया है। निगम द्वारा अगले कुछ वर्षों में 200 करोड़ रुपये के साधन एकत्रित किये जाने तथा उनके आवर्तन निधि के रूप में उपयोग किये जाने की आशा है।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए वास-स्थल की व्यवस्था के लिये इस मंत्रालय ने हाल ही में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में एक नई योजना प्रारम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को निशुल्क वास-स्थल प्रदान करने के लिये राज्य सरकारों तथा संघ प्र शासनों को शतप्रतिशत सहायता उपलब्ध की जायेगी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए मकानों का निर्माण

113. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** :
श्री एम० के० कृष्णन् :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़ें वर्गों के लिये मकान निर्माण का कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य के लिये अलग-अलग कितनी राशि मंजूर की गई; और

(ग) प्रत्येक राज्य में इस अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने मकानों का निर्माण किया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) सदन के पटल पर एक विवरण पत्र रख दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 966/71**]

दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित अन्तर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण कार्य

114. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 28 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3226 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ठेकेदार द्वारा अन्तरज्यि टर्मिनस, कश्मीरी गेट, दिल्ली के निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिये जाने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण को कितनी राशि की हानि उठानी पड़ी है; और

(ख) परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है और इसमें कितनी प्रगति हुई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : **(क) और (ख)**. अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नयी निविदायें आमंत्रित की गई हैं, तथा उन्हें आशा है कि मामले को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। जब तक निर्माण कार्य का पुन: आवंटन नहीं होता तथा पुराने ठेकेदार के प्रति-दावे का मध्यस्थ द्वारा, जो मामले से पहले ही अवगत है, निर्णय नहीं किया जाता है, हानि का पता लगाना सम्भव नहीं है।

स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम

115. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ल) क्या कुछ विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम चालू कर दिया है :

(ख) यदि हां, तो स्नाकोत्तर अध्ययन के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम चालू करने वाले विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं; तथा वे कब से यह पाठ्यक्रम चला रहे है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य विश्वविद्यालयों की भी ऐसा पाठ्यक्रम चालू करने के लिए प्रेरित करन का है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) **और** (ख). अब तक केवल एक विश्वविद्यालय अर्थात हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एम० ए० डिग्री के लिए **पत्राचार** पाठ्यक्रम चालू वर्ष से प्रारम्भ किया है।

(ग) राजस्थान विश्वविद्यालय ने पत्राचार पाठ्यक्रम को इतिहास और राजनीति शास्त्र में एम० ए० डिग्री स्तर पर लागू करने का निर्णय किया है। दिल्ली, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब और पंजाबी विश्वविद्याद्यय भी ऐसे पाठ्यक्रमों को लागू करने पर विचार कर रहे हैं। क्योंकि इन विश्वविद्यालयों ने ऐसे पाठ्यक्रमों को लागू करने का प्रस्ताव या तो स्वयं किया है अथवा वे इस पर यिचार कर रहे हैं, इसलिये सरकार को इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों को प्रेरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

राजधानी में भिखारी

116. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में भिखारियों की संख्या बढ़ रही है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या **कार्यवाही** की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) **और** (ख) आवश्यक सूचना प्रशासन से एकत्रित की जा रही है। प्राप्त होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान, हैदराबाद द्वारा किया गया कार्य

117. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अंग्रेजी के अध्यापन स्तर को उठाने के लिए केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान, हैदराबाद द्वारा किये गये कार्य का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां:, तो संस्थान द्वारा रचित पाठ्य पुस्तकों का ब्यौरा क्या है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां। संस्थान के कार्य का पुनरीक्षण 1961 से दो बार किया जा चुका है।

(ख) विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9671/71]**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुवाद को विद्या का प्रशिक्षण देने के लिये विद्यार्थियों का चयन

118. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुवाद को विद्या का प्रशिक्षण लेने के लिए विद्यार्थियों का चयन करने की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या प्रगति की है; और

(ख) इसके लिए क्या मापदंड अपनाये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए आदर्श विद्यालय

119. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताये की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के आदर्श विश्वविद्यालय द्वारा दा जाने वाली सुविधाओं का कितने लोगों ने लाभ उठाया है; और

(ख) इस विद्यालय की गतिविधियों का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) हाल ही में, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्कूल के लिये 5 एकड़ी प्लाट की भूमि के आवंटन की सूचना भेजी है। भवन के निर्माण के पश्चात् ही स्कूल की गतिविधियों के विस्तार होने की सम्भावना होगी।

पहिएवाली गाड़ियों के लिए नगरपालिकाओं/स्थानीय निकायों को अनुदान

120. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार के माध्यम से नगर पालिकाओं। स्थानीय निकायों को गन्दगी के कार्यों में लगे लोगों के उपयोगार्थ पहिये वाली गाड़ियों और अन्य उपकरणों के लिए सहायता-अनुदान दिये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में राज्य-वार कितनी धन राशि दी गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के रहन सहन और कार्य दशाओं के सुधार का जो केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है उसी में इसे एक योजना के अंश के रूप में शामिल किया

गया है । इस योजना के दो भाग हैं—(1) मंत्रियों और मेहतरों की कार्य दशाओं में सुधार तथा (2) अस्वच्छ कार्यों में लगे व्यक्तियों की कार्य दशाओं में सुधार । योजना के प्रथम भाग के अन्तर्गत हाथ की गाड़ियों और उपकरणों के क्रय हेतु नगर पालिकाओं । स्थानीय निकायों को राज्य सरकारों । संघ क्षेत्रों की मार्फत अनुदान दिए जाते हैं । योजना के दूसरे भाग के अन्तर्गत भंगियों और मेहतरों को मकान बनाने तथा अस्वच्छ कार्यों में लगे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों तथा भूमिहीन मजदूरों के लिए गृह-स्थलों हेतु केन्द्रीय उपदान की व्यवस्था है ।

(ख) पूरी योजना हेतु प्रत्येक राज्य के लिए निम्नलिखित राशियां नियत हैं ।

	1968–69	69-70 (रुपये — लाखों में)	70-71
आंध्र प्रदेश	1·50	4·00	4·00
असम	1·00	4·00	6·50
बिहार	1·40	5·00	3·75
गुजरात	1·50	2·00	1·25
जम्मू-काश्मीर	2·00	1·00	1·51
केरल	0·50	2·00	3·50
मध्य प्रदेश	1·50	5·00	3·75
मैसूर	0·75	1·00	0·76
महाराष्ट्र	1·50	3·00	8·00
उड़ीसा	0·45	1·00	1·26
पंजाब	1 00	2·75	2·55
हरियाणा	0·90	1·00	1·26
राजस्थान	1·00	2·75	2·55
तमिलनाडू	1·00	9·00	9·50
उत्तर प्रदेश	2·00	4·50	4·00
पश्चिम बंगाल	2·00	4·75	4·30
कुल योग :	20·00	51·25	57·25

सफाई कर्मचारियों के सम्बंध में सर्वेक्षण

121. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफाई कर्मचारियों और गन्दगी के कार्यों में तो अन्य लोगों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण पूरा हो गया है।

(ख) सर्वेक्षण प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस प्रतिवेदन पर सरकार ने कोई कार्यवाई की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) (क) क्षेत्रीय कार्यालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, चंडीगढ़ ने पंजाब और हरियाणा राज्यों में भंगियों और मेहतरों तथा अस्वच्छ कार्यों में लगे अन्य व्यक्तियों के विषय में एक सर्वेक्षण किया तथा 20 अगस्त 1970 को अन्तिम रिपोर्ट पेश की।

(ख) (1) जिन बस्तियों में अस्वच्छ कार्यों में लगे व्यक्ति रहते हैं उनमें सुधार की आवश्यकता है।

(2) शिक्षा की गति तेज होने पर लोग विभिन्न व्यवसायों में लगेंगे।

(3) नई पीढ़ी अपने हकों को जानती है और अपने हकों से लाभ प्राप्त करने की इच्छुक है।

(4) उनके स्वच्छ जीवन के निमित्त उन्हें उपकरण प्रदान करने का एक क्रैश-कार्यक्रम आरम्भ किया जाना चाहिए।

तिरूवोतूर मद्रास में वार्निश पीने से हुई मृत्यु

122. **श्री बक्शी नायक :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या 22 सितम्बर 1971 को उत्तरी मद्रास के तिरूवोतूर में स्थान पर वार्निश पीने से 20 लोगों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु सरकार से कोई सूचना मिली है, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) (क) सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता के बारे में फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा किया गया मूल्यांकन :

123. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड फाऊन्डेशन का यह मूल्यांकन सरकार के ध्यान में लाया गया है कि भारत कम से कम अगले 10 वर्षों में भी खाद्यन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकेगा,

(ख) यदि हां, तो यह मूल्यांकन किस आधार पर किया गया है जबकि सरकार ने अगले वर्ष समाप्त होने वाले पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत खाद्यान्न का आयात बन्द करने का निर्णय किया है, और

(ग) इस संदर्भ में आत्मनिर्भरता के मामले में नवीनतम स्थिति क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सरकार को फोर्ड फाऊन्डेशन द्वारा किये गये ऐसे किसी मूल्यांकन की सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) 1060 लाख मीटरी टन के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 1970-71 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 1078 लाख मीटरी टन था । वर्ष 1971-72 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 1120 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है, जो कि मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त समझा गया है ।

कोठारी आयोग की शिफारिशों की क्रियान्विति

124. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोठारी आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) केन्द्र द्वारा प्राथमिकताओं के साथ, यदि कोई निर्धारित की गई हो, कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये राज्यों को कितनी सहायता दी गई; और

(ग) क्या देश भर में समान पाठ्यक्रम लागू करने की वांछनीयता पर विचार किया गया है और यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) , शिक्षा आयोग (1964-66) की रिपोर्ट पर सभी सम्बन्धित पक्षकारों जैसे राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय, इत्यादि तथा संसद के दोनों सदनों में भी विचार-विमर्श किया गया था । इन चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक संकल्प जारी किया जिसमें उन कार्यक्रमों का उल्लेख है जिन्हें प्राथमिकता दी जाएगी । यह संकल्प केन्द्र तथा राज्यों द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के आधार के रूप में स्वीकृत किया गया

था । उपलब्ध साधनों की सीमाओं के अन्दर इसे लागू करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । विभिन्न शैक्षणिक प्राधिकारियों ने भी इनमें से कुछ शिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कदम उठाए हैं । सरकार अगले कदमों पर विचार कर रही है जिससे राज्य सरकारें तथा शिक्षा बोर्ड और विश्वविद्यालय अन्य सिफारिशों को कार्यान्वित करें ।

शिक्षा आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्र द्वारा राज्यों को कोई पृथक अनुदान नहीं दिया जाता । केन्द्रीय अनुदान राज्यों को, शिक्षा सहित राज्यों की सभी योजनाओं के लिये योजना आयोग के परामर्श से, सरकार द्वारा निर्धारित कुछ सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर दिया जाता है । किन्तु प्राथमिक शिक्षा के लिये केन्द्रीय सहायता निर्धारित की जा रही है ।

(ग) शिक्षा राज्य-विषय होने के नाते देश के सभी भागों में बिलकुल एक समान पाठ्यक्रम लागू करना संभव नहीं होगा । तथापि राष्ट्रीय एकता तथा स्तरों के सुधार के हित में यह एक सर्वमान्य आवश्यकता है कि पाठ्यचर्या कुछ विस्तृत तथा आम सिद्धांतों पर आधारित हो । भारत सरकार इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये राज्यों से मिलकर कार्य करने का प्रयत्न कर रही है ।

राष्ट्रीय पूंजी-क्षेत्र के बारे में विधेयक

125. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय पूंजी-क्षेत्र बनाने के लिए विधेयक पुर:स्थापित करने का है जैसा कि दिल्ली मास्टर प्लान में सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस विधेयक को लाने का क्या-क्या उद्देश्य है; और

(ग) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) . एक सांविधिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकार के तथा संघीय क्षेत्र दिल्ली के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे । बोर्ड एकीकृत क्षेत्रीय विकास योजना बनायेगा और योजना की कुछ मुख्य परियोजनाओं के लिए पूंजी की व्यवस्था करेगा । योजना के वास्तविक कार्यान्वियन के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारें उत्तरदायी होंगी ।

रबी की काश्त के लिए उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

126. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के समान ही उड़ीसा को भी रबी की काश्त के कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) . राज्य सरकार ने तेज आंधी से प्रभावित होने वाले तटीय जिलों में रबी की खेती के कार्यक्रम के लिए 3·00 करोड़ रुपये की एक अल्पकालीन ऋण सहायता मांगी थी :—

(i) उर्वरक, बीज तथा कीटनाशक औषधि की खरीद 2·00 करोड़ रु०

(ii) उर्वरक तकावी का वितरण 1·00 करोड़ रु०

तदनुसार यह राशि उपयोग के लिए स्वीकृत कर दी गई ।

शिक्षा कार्यों के लिए उड़ीसा को अनुदान

127. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा कार्यों के लिये उड़ीसा को कितना अनुदान दिया गया ;

(ख) उन्हीं कार्यों के लिए अन्य राज्यों को कितना अनुदान दिया गया है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में स्वयंसेवी संस्कृत संस्थाओं को कितना अनुदान दिया गया और विशेषकर उड़ीसा में कितनी छात्रवृत्तियां दी गई स

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) . सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी ।

दिल्ली और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में अध्यापकों के लिए नए वेतनमान

128 **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और अन्य संघ राज्य के विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों के लिए नए वेतनमानों की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बाते क्या हैं ; और

क्या इन अध्यापकों को ये नये वेतनमान उनकी पिछली बकाया राशि को बंगला देश के शरणार्थियों की समस्या के हल हो जाने के समय तक के लिये रोक दिये जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य बातें विवरण में दी हुई हैं जो साथ संलग्न है । **[ग्रन्थालय के रखा गया । देखिये संख्या एल० टी 968/71]**

(ग) नये पुनरीक्षित वेतनमान 27 मई, 1970 से लागू होंगे, परन्तु पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर अदायगी रहेगी और वास्तव में जब तक बंगला देश की समस्या पूर्णतया हल न हो जाये तब तक अदायगी नहीं होगी।

नानकुम, रांची में लाख अनुसंधान संस्थान

129. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अप्रैल, 1966 में नानकुम, रांची स्थित लाख अनुसंधान संस्थान को अपने हाथ में ले लिया था;

(ख) क्या संस्थान के निदेशक का पद रिक्त पड़ा है;

(ग) क्या पद को भरा जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो, पद को भरने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाई की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). जी हां।

(घ) भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान के निदेशक के पद का वेतनमान हाल में ही 1300-1600 रु० से बढ़ाकर 1600-1800 रु० कर दिया गया है। बढ़े वेतनमान के पद पर भर्ती करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में समाज कल्याण संस्थाओं को अनुदान

130. **श्री गदाधर साहा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की उन समाज कल्याण संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें पिछले दो वर्षों में केन्द्रीय समाज कल्याण द्वारा अनुदान दिया गया; और

(ख) वर्षवार अनुदान का वितरण / उपयोग किस प्रकार किया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख). केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड अपने कुछ कार्यक्रमों के कार्यान्वन हेतु सीधे ही स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान देता है तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों की मार्फत अनुदान भेजा जाता है। सहायक-अनुदान कार्यक्रमों में निश्चित सिद्धान्तों तथा प्रक्रिया के अनुसार ही दिये जाते हैं। विशिष्ठ कार्यक्रमों के लिए अनुदान दिये जाते हैं और उसी अनुसार ही उपयोग किया जाता है। पूछी गई जानकारी बड़ी सामान्य है और सैकड़ों संस्थान इसके अन्तर्गत आ जाते हैं।

समाज कल्याण विभाग के सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के वेतनमानों और मंहगाई भत्तों के नियतन और उनमें संशोधन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अनुदान

131. **श्री गदाधर साहा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 और 1970-71 के दौरान समाज कल्याण विभाग के सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के वेतनमानों और महंगाई भत्तों के नियतन और उनमें संशोधन के लिए क्या केन्द्रीय समाज कल्याण निधि में से पश्चिम बंगाल सरकार को अनुदान आवंटित किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यकर्त्ताओं के वेतनमान और महंगाई भत्ते क्या हैं और पश्चिम बंगाल सरकार को दिये गये जिला-वार और वर्ष-वार अनुदान की राशि क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब के कृषि विभाग में उप-निरीक्षकों के रिक्त पद

133. **श्री मान सिंह भौरा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में कृषि उप-निरीक्षकों के कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और वर्ष 1968-69, 1969-70, 1970-71 के दौरान कितने प्रशिक्षित कृषि उप-निरीक्षक बेरोजगार थे; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई कदम उठाये जाने हैं; तो वे क्या हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब में अध्यापकों का स्थानान्तरण

134. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, भाई रूपा, जिला, भटिंडा (पंजाब) में कुछ अध्यापकों का मध्यावधि संसदीय चुनावों से पूर्व स्थानान्तरण कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या शिक्षा सचिव / डी० पी० आई० (पंजाब) को उक्त पदाधिकारियों, गांव पंचायत, विघटित पंजाब विधान सभा के सदस्यों और संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) जी हाँ।

(ख) उस समय की पंजाब सरकार द्वारा स्थानान्तरण के आदेश दिये गए थे।

(ग) राज्य सरकार को सम्बन्धित अध्यापकों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

विभिन्न राज्यों में स्टेडियमों का निर्माण

135. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में स्टेडियमों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी परियोजनायें को सहायता दी गई है;

(ग) अब तक कुल कितनी राशि व्यय हुई है; और

(घ) क्या केरल सरकार ने कन्नानोर स्टेडियम के निर्माण हेतु सहायता के लिए कोई प्रार्थना की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) प्रत्येक स्टेडियम के लिए राज्य खेलकूद परिषदों को अधिक से अधिक 50,000 रु० अथवा निर्माण लागत के 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, वित्तीय सहायसा देने की योजना है।

(ख) 32

(ग) 5,55,000 रु०

(घ) जी हां। केरल के कन्नानोर में एक स्टेडियम के निर्माण हेतु संस्वीकृत कुल 50,000 रु० के अनुदान में से 25,000 रु० की प्रथम किस्त दिनांक 2-8-1971 को दी गई है।

विश्व युवक केन्द्र के ट्रस्ट के साथ करार

136. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और विश्व युवक केन्द्र के न्यास के साथ हुआ करार अभी तक अस्थाई है जिसे अभी तक स्थाई नहीं किया गया है;

(ख) क्या उक्त करार में कोई ऐसा उपबन्ध है कि इस केन्द्र को दी गई भूमि वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जा सकती; और

(ग) यदि हां, तो क्या विश्व युवक केन्द्र ने उपबन्ध का उल्लंघन किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) . विश्व युवक केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, पट्टे के लिए करार पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिये गए हैं। नई दिल्ली नगरपालिका से कुछ मास पहले, समापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर, केन्द्र ने अब स्थायी पट्टे के लिए आवेदन पत्र भेज दिया है।

पट्टे के करार के अनुसार, उक्त भूमि को "विश्व युवक संस्था" अन्तर्राष्ट्रीय हाउस के लिए भवन, कार्यालय, पुस्तकालय और छात्रावास के हेतु उपयोग करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए इसका प्रयोग न करना चाहिए अथवा प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । केन्द्र के भवन का प्रयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए भारत सरकार ने इसके निर्माण की अनुमति दी थी। करार के उल्लंघन के सम्बन्ध में, इस मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

नई दिल्ली स्थित विश्व युवक केन्द्र के भवन का व्यापारिक आधार पर आवास तथा खानपान के लिए उपयोग

137. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व युवक केन्द्र, नई दिल्ली स्थित अपने भवन के एक भाग का उपयोग व्यापारिक आधार पर आवास तथा खानपान के लिए कर रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संस्था में आवास तथा खानपान के लिये व्यापारिक दरें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) . विश्व युवक केन्द्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार छात्रावास (भवन का एक भाग) का उपयोग स्वयं केन्द्र द्वारा या किसी अन्य संगठनों और अभिकरणों के साथ मिलकर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनार, सम्मेलन इत्यादि में भाग लेने वालों को आवास उपलब्ध करने के लिये किया जाता है। इस तरह के भाग लेने वाले दल के लोगों से उनके आवास तथा खानपान का कोई खर्चा नहीं लिया जाता।

(2) युवक संगठनों और अन्य गैर-सरकारी अभिकरणों की भी उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों इत्यादि के लिये छात्रावास में आवास रियायती दरों पर उपलब्ध किया जाता है परन्तु नीचे पैरा 4 में दी गई निर्धारित दरों के 20 प्रतिशत से कम नहीं। आवास तथा खानपान पर यही रियायत मान्यता प्राप्त युवक तथा विद्यार्थी संगठनों और उन सभी विद्यार्थियों को भी उपलब्ध की जाती है जिसके पास विद्यार्थी पहचान पत्र हो।

(3) जब इस तरह के कार्यक्रम न हो रहे हों या वास्तविक आवश्यकता से अधिक आवास के उपलब्ध हो तब विदेशी युवकों तथा युवक दलों को अल्पकाल के लिये छात्रावास में ठहरने दिया जाता है क्योंकि विदेशी युवकों तथा युवक दलों को इस तरह की सुविधा उपलब्ध करना केन्द्र के उद्देश्यों में से एक है।

छात्रावास में वसूल की जाने वाली दरें प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित की जाती हैं जिसमें भारत सरकार, पर्यटन मन्त्रालय का प्रतिनिधि (पर्यटन का संयुक्त महा-निदेशक) भी होता है तथा ये दरें निम्नलिखित हैं :—

(1) शयनागार	5·00	रु० प्रत्येक व्यक्ति प्रति दिन
(2) कक्षा में आवास के लिये विशिष्ठ युवक दर	9.00	,, ,,
(3) विशेष नाश्ते सहित दो बिस्तारों वाला कक्ष	20·00	,, ,,

भोजन व्यवस्था की दरें निनलिम्खित हैं :—

(i) नाश्ता	2·00 रु०
(ii) मध्याह्न भोजन	4·00 ,,
(iii) संध्या भोजन	4·00 ,,
(vi) विशेष नाश्ता	5·00 ,,

विश्व युवक केन्द्र भवन का अमरीकी शांति सेना को किराये पर दिया जाना

138. **श्री सी० के० चंद्रप्पन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व युवक केन्द्र ने, छात्रावास कमरों, निद्राशाला, कार्यालय के कमरों, सम्मेलन हालों तथा निदेशक के फ्लेट सहित युवक केन्द्र के समूचे भवन को दो महीने के लिये अमरीकी शान्ति सेना को अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिये किराये पर दिया था;

(ख) केन्द्र ने इस अवधि में अमरीकी शान्ति सेना से कितनी राशि किराये के रूप प्राप्त की; और

(ग) केन्द्र ने इस अवधि के दौरान अपना सामान्य कार्य किस प्रकार चलाया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). विश्व युवक केन्द्र द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अमरीकी शान्ति सेना को किराए पर दिये गये भाग में दो शयनागार, (डारमिटरी) तीस दो-बिस्तर वाले कमरे तथा तीन कार्यालय के कमरे शामिल थे। सम्मेलन हाल उन दिनों उपलब्ध किया गया था जब उन्हें इसकी आवश्यकता पड़ी। उन्होंने हमें यह भी सूचित किया है कि पिछले दिनों में अन्य संस्थाओं को भी व[illegible] एं दी गई हैं।

केन्द्र को शान्ति सेना से 66,385 रु० किराये के रूप में प्राप्त हुए। केन्द्र ने यह सूचित

किया है कि इस अवधि में उसकी नित्यचर्या बिना किसी कठिनाई के चलती रही ।

उपन्यासकार, ताराशंकर बनर्जी की स्मृति को बनाये रखना

139. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का विचार आधुनिक महान उपन्यासकार श्री तारा शंकर बनर्जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे किस प्रकार किया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं नहीं उठता ।

भारत आस्ट्रेलिया सांस्कृतिक समझौता

140. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में हुए भारत आस्ट्रेलिया सांस्कृतिक समझौते के क्या उद्देश्य है ?

शिक्षा और समाज कल्याण और संस्कृति विभाग मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : 21 अक्तूबर, 1971 को नई दिल्ली में भारत आस्ट्रेलिया दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों को प्रोत्साहन और विकसित करने के उद्देश्यों से सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए । यह करार कलाकारों, लेखकों, प्रोफेसरों, अध्येताओं, छात्रों, खेल कूद टीमों, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक, संस्थानों के सदस्यों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के आदान प्रदान, संगीत, नृत्य, नाटकीय दृश्य, कला और अन्य प्रदर्शनियों आदि के विनिमय के माध्यम से, विज्ञान तथा प्राद्योगिकी, शिक्षा, कला, सांस्कृतिक, रेडियो, प्रेस, फिल्म और खेलकूद के क्षेत्र में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच सहयोग की व्यवस्था करेगा ।

स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती मनाने के लिये थियेटरों की स्थापना

141. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय का स्वतन्त्रता दिवस रजत की जयन्ती मनाने के लिये सम्पूर्ण देश में युवकों और युवतियों के लिये लोक थियेटर अथवा निःशुल्क थियेटर हाल स्थापित करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री और संस्कृति विभाग मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : विभाग में किसी निश्चित प्रस्ताव को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया हैं । फिर भी, स्वतन्त्रता दिवस की रजत जयन्ती समुचित ढंग से मनाने के प्रश्न पर सावधानी से विचार किया जा रहा है ।

कलकत्ता विश्वविद्यालय की /एल० एल० बी० की परीक्षा को अवैध घोषित किया जाना

142. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय की हाल ही में हुई एल० एल० बी० की परीक्षा को अवैध घोषित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस समस्या का समाधान क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). कलकत्ता विश्वविद्यालय की अप्रैल, 1971 में हुई एल० एल० बी० की परीक्षा को, परीक्षा में बड़े प्रमाण में अपनाए गए कदाचार सम्बन्धी रिपोर्ट मिलने के कारण रद्द कर दिया गया था । परीक्षा में कदाचार की समस्या को हल करने के लिए विश्वविद्यालय उचित कदम उठा रहा है ।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान

143. **श्री प्रिय रन्जन दास मुंशी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय को अनुदान के रूप में कितनी वास्तविक राशि मंजूर की गई;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा मन्त्रालय को अतिरिक्त राशि की मंजूरी के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय को निम्नलिखित अनुदान दिये गये थे:—

वर्ष	राशि रु०
1966—67	39,38,851·99
1967—68	36,29,148·58
1968—69	27,86,766·95
1969—70	23,49,529·36
1970—71	24,50,049·65

(ख) और (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नवम्बर, 1970 में कलकत्ता विश्व-विद्यालय के कुलपति से धन, आवास तथा भौतिक सुविधाओं की कमी के कारण विश्वविश्वालय के सामने आई समस्याओं और इसके भावी विकास के लिये पुस्तावों से सम्बन्धित एक नोट प्राप्त हुआ था। विश्वविद्यालय ने अस्थाई तौर पर यह हिसाब लगाया था कि इसे उसी अवधि के लिये एक करोड़ रुपये की वार्षिक आवर्ती अनुदान के अतिरिक्त पांच वर्षों के दौरान लगभग दो करोड़ रुपये की पूंजीगत अनुदान की आवश्यकता होगी। आयोग ने विश्वविद्यालय की विकासीय समस्याओं के सभी पशुओं की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

Central Land Reforms Committee

144. **Shi Ram Chandra Vikal** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state ;

(a) The names of the members of the central land reforms committee ;and

(b) The period taken by the aforesiad committee in submitting its report ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb p. Shinde) : (a) The central land reforms committee is composed of the following:—

1. Minister of Agriculture	-	Chairman
2. Minister of Law & Justicc	-	Member
3. Minister of Planning	-	Mem ber
4. Minister of state in the ministry of agriculture	-	Member
5. Minister of state in the ministry of home affairs		Member
6. Member (Agriculture) Planning commission	-	Member
7. Secretary, deptt. of agriculture	-	Gonvenor

(b) The committee has been set up to maintain continuous study of problems relating to land reforms ; assist states in determining and carrying out programmes of land reforms; to advise and assist the State Governments in formulating proposals enacting suitable legislation and expediting implementation and also to evaluate and report from time to time on the operation, progress and effects of measures of land reforms. The committee will meet, as and when necessary to consider proposals received from the State Governments. It is a standing committee and it has not been constituted to submit any particular report.

Vacation of Government Accommodation occupied by Ex-MPs.

145. **Shri R. C. Vikal** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to refer to the reply given to unstarred question no. 858 on the 31st may, 1971 and state ;

(a) The steps taken so far to get Government accommodation vacated from ex-MPs of the fourth Lok sadha ; and

(b) The date by which these houses are likely to be got vacated?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) A number of ex-M.P's have vacated the accommodation after the 31st May, 1971. Eviction proceedings, under the public premises (Eviction of unauthorised occupants) Act, 1971, have been initiated, to get the accommodation vacated from the remaining ex-M.P's.

(b) It is not possible to indicate any definite date, as the procedure to be followed in accordance with the provisions of the public premises (Eviction of uuauthorised occupants) Act, 1971, will take some time.

वर्ष 1970-71 के दौरान माडर्न बेकरीज द्वारा अर्जित लाभ

146. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडर्न बेकरीज (इन्डिया) लिमिटेड ने वर्ष 1970-71 के दौरान कोई लाभ अर्जित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त लाभ कितना अर्जित किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) 8·19 लाख रुपये ।

विशाखापतनम और कोचीन में शिपयार्ड का विस्तार

147 . **श्री निहार लास्कर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि ?

(क) क्या भारत में हाल ही में पूर्वी समुद्री तट पर विशाखापत्तनम में और पश्चिमी समुद्री तट पर कोचीन में वर्तमान शिपयार्डों का विस्तार करने का कार्यक्रम आरम्भ किया है ? और

(ख) यदि हां तो इस कार्यक्रम की मुख्य--मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां । विशाखापत्तनम में मौजूदा शिपयार्ड के विस्तार का मामला है, किन्तु कोचीन में शुरु किया गया कार्यक्रम बिलकुल एक नये शिपयार्ड के निर्माण के लिए है ।

(ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम ।

प्रतिवर्ष, 80,000 डी० डब्लू० टी० के कुछ भार वाले छः जहाजों तक, प्रतिवर्ष 13,000 डी० डब्लू० टी भार के 2-3 जहाजों की मौजूदा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य के लिए 1969 अक्तूबर में सरकार ने 7·66 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का एक समाकलित विकास कार्यक्रम स्वीकृत किया । कार्यक्रम कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों में है । सरकार ने जनवरी, 19-71 में 3·00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जल थाला के निर्माण की भी स्वीकृति दे दी है ।

जल थाला के पूरा हो जाने से फिटिंग-आऊट सुविधाएं बढ़ जाएंगी और प्रति वर्ष 76 जहाजों के उपयुक्त उत्पादन कार्यक्रम को पूरा करने में सहायता होगी ।

1967 में स्वीकृत 4·82 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूर्ण परिचालन के लिए सूखी गोदी के निर्माण कार्य के मई 1962 तक समाप्त हो जाने की संभावना है इस दौरान हाल ही में आंशिक प्रयोग के लिए इनको चालू कर दिया गया है ।

कोचीन शिपयार्ड प्रायोजना, कोचीन ।

कोचीन के शिपयार्ड में प्रतिवर्ष प्रत्येक 66,000 डी० डब्ल्यू० टी० के भार के दो जहाज निर्मित करने की योजना है। यहां एक मरम्मत गोदी भी होगी जहां 85,000 डी० डब्ल्यू० टी० तक के जहाजों की मरम्मत करने की क्षमता होगी। इसकी कुल वार्षिक मरम्मत क्षमता प्रतिवर्ष 10 लाख जी० आर० टी० होगी। प्रायोजना 45.42 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजी परिव्यय स्वीकृत की गई है। शिपयार्ड के निर्माण के संबन्ध में मैसर्स मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जापान के साथ तकनीकी सहयोग का एक समझौता किया गया और जो कि 1 अक्तूबर 1970 से प्रवृत्त हुआ। शिपयार्ड के 1975 के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है। पहले जहाज के कील के 1974 के प्रारम्भ तक बिछाये जाने की संभावना है।

धान से चावल निकालने की प्रतिक्रिया का विकास

148. **श्री निहार लास्कर : श्री पी० ए० सामिनाथन : श्री श्याम नन्दन मिश्र :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान से चावल निकालने की पुरानी प्रक्रिया से बहुत हानि होती जा रही है;

(ख) क्या देश में चावल की मिलें पुरानी हैं तथा वे अप्रचलित, अकुशल तथा अतिव्ययी हो गई हैं;

(ग) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित आधुनिक चावल की मिलों से अपेक्षित परिणाम नहीं निकलते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो धान से चावल निकालने की प्रक्रिया का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). आधुनिक तरीकों और मशीनरी की तुलना में देश में चावल के विधयन की परम्परागत तकनीक और वर्तमान चावल मिलों से कुटाई करने से अपेक्षाकृत कम उत्पादन होता है ।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित आधुनिक मिलों में किए गये मूल्यांकन अध्ययनों से पता चला है कि जहां तक कच्चे धान का संबन्ध है, इन आधुनिक मिलों से चावल के कुल उत्पादन में कुल वृद्धि शेलर मिलों से औसतन 2·5 प्रतिशत और हुलर यूनिटों से 6·6 प्रतिशत अधिक होती है; जहाँ तक सेला धान का संबंध है, आधुनिक मिलों के कुल उत्पादन की तदनुरूपी वृद्धि शेलर मिलों से औसतन 0·8 प्रतिशत और हुलर यूनिटों से 1·6 प्रतिशत अधिक होती

है जबकि इनमें टोटे चावल, विजातीय पदार्थ और बढ़िया किस्म के उतोत्पाद कम मात्रा में होते हैं। इन अध्ययनों से आधुनिक तकनीक और उपकरणों की विशिष्टतया का समर्थन होता हैं।

(घ) किए जा रहे उपायों के निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:—

तकनीकी, इंजीनियरी तथा प्रबन्ध कार्मिक के प्रशिक्षण हेतु सुविधायें बढ़ाना, देश में ही आधुनिक उपकरणों का उत्पादन, ऋण सुलभ करने की व्यवस्था, तकनीकी सलहाकार सेवा की स्थापना और आधुनिक तकनीकी और उपकरणों के प्रयोग को बढ़ाने हेतु चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन) अधिनियम और उसके उपबंधों में संशोधन करना।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

149. **श्री निहार लास्कर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रम में अधिक सफलता नहीं मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अधिक प्रयास करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टपोध्याय) : (क) कार्यक्रम के प्रति व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने, कार्यक्रम के सही रूप में अपनाए जाने और निरन्तर उसकी प्रेरणा दिए जाने एवं इस सेवाओं की व्यवस्था के लिए मशीनरी स्थापित करने की दृष्टि से परिवार नियोजन कार्यक्रम में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। तथापि जन्म दर को 25 प्रति हजार तक ले आने सम्बन्धी इस कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिक सम्मिलित तथा ठोस प्रयत्नों की आवश्यकता और गुंजाइश है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

परिवार नियोजन कार्यक्रम में उत्तम परिणामों के लिये प्रयत्नों को तेज करने के लिये जो विभिन्न कदम उठाए गए हैं उसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(क) एक नई प्रेरणा नीति तैयार की गई है जिसमें माता के स्वास्थ्य और बच्चे के कल्याण का रवैया अपनाया गया है तथा इसमें व्यक्ति विशेषों और विशेष गुपों की ओर अधिक जोर दिया जाएगा।

(ख) देश में ही तैयार किये गये तरीकों और साधनों के उपयोग और गर्भनिरोधक के सुधरे हुये तकनीक तैयार करने पर अधिक जोर दिया जाएगा।

(ग) उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां अच्छा कार्य नहीं हो रहा है, परिवार नियोजन कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(घ) गर्भाशयी गर्भरोधक और नसबन्दी की उत्तम सुविधाएं प्रदान की जायेंगी, जिनमें उत्तम चुनाव, सुधरी हुई बाद की देखभाल तथा इन तरीकों के सम्बन्ध में जनता के डर और आशंका दूर करना सम्मिलित है ।

(ङ.) नसबन्दी के लिये लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करने के लिये एर्नाकुलम कैम्पों की तरह सघन दृष्टिकोण का सारे देश के लगभग 25 बड़े केम्पों में प्रयोग किया जाएगा ।

(च) कुछ समय के लिये प्रयत्न उन दम्पत्तियों पर केन्द्रित किये जायेंगे जो परिवार नियोजन के तरीकों का अनुमोदन तो करते हैं परन्तु अभी तक उन्होंने इसे अपनाया नहीं है ।

(छ) प्रसवोत्तर कार्यक्रम और सघन जिला कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी । बन्ध्यकरण और निरोध जैसे तरीकों को, जिन्हें अपनाने की दिशा में दिनोदिन बढौतरी हो रही है, पूर्ण सहायता दी जाएगी ।

(ज) सभी स्तरों पर प्रसूति और बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विलय कर दिया जाएगा ।

(झ) परिवार नियोजन कार्यक्रम में कार्य कर रहे विभिन्न कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सुधार किया जायेगा और उसे अधिक सघन बनाया जाएगा ।

शैक्षणिक प्रशासन में आधुनिक प्रबन्ध तकनीक लागू करना

150. **श्री निहार लास्कर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शैक्षणिक प्रशासन आधुनिक प्रबन्ध तकनीकी लागू करने के सम्बन्ध में यूनेस्को द्वारा अक्तूबर, 1970 में आयोजित विचार गोष्ठी में की गई सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी नहीं । अभी तक सेमिनार को रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि

151. **श्री एस० एल० सक्सेना** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1971 और 30 सितम्बर, 1971 तक समूचे भारत में गन्ने के मूल्य की कुल कितनी बकाया धन राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) 31 मार्च, 1971 और 30 सितम्बर, 1971 तक उत्तर प्रदेश में कारखाना-वार गन्ने

के मूल्य की कितनी बकाया धन राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है; और

(ग) गन्ने के मूल्य की समूची बकाया धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा और सरकार इसका अविलम्ब भुगतान करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 31 मार्च, 1971 तथा 30 सितम्बर, 1971 को गन्ने के मूल्य के बकायों की अखिल भारतीय स्थिति निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े लाख रुपयों में)

	के दौरान खरीदा गया गन्ना		
	1970-71 मौसम	**1969-70 मौसम**	**1968-69 मौसम और उससे पूर्व के मौसमों में**
31-3-1971 को	5821·62	338·16	141·43
30-9-1971 को	1685·09	222·75	133·56

(ख) उत्तर प्रदेश में गन्ने के मूल्य के कारखाना-वार बकायों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 969/71**]

(ग) राज्य सरकारों को समय-समय पर परामर्श दिया गया है कि के कारखानों द्वारा गन्ने के बकायों के शीघ्र भुगतान की व्यवस्था करें और चूककर्त्ता कारखानों के विरुद्ध गन्ने के मूल्य का तुरन्त भुगतान करवाने के उद्देश्य से उन पर मुकदमा चलाने सहित सख्त उपाय करें। जिन राज्य सरकारों के कानून में भू-राजस्व के बकायों की तरह गन्ने के मूल्य के बकायों की वसूली के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, उन्हें भी यह परामर्श दिया गया है कि वे भी ऐसी व्यवस्था करने पर विचार करें।

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा

152. **श्री राजा कुलकर्णी :**
श्री मनोरंजन हजरा :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ राज्य सरकारों ने शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उन्होंने क्या तर्क दिये हैं; और

(ग) अधिकतम सीमा निर्धारण के बारे में अन्य राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आई०के० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नगरीय सम्पत्ति की ऊपरी सीमा के लिये एक केन्द्रीय कानून के लिए हरियाणा हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारें तथा गोवा, दमन और ड्यु और त्रिपुरा के संघीय क्षेत्र सहमत हो गये हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र सरकारों ने अपनी विधान सभाओं द्वारा पारित संकल्पों की प्रतियाँ भेजी हैं जो संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती हैं। विधान सभाओं द्वारा पारित किये जाने वाले संकल्प का एक मसौदा अन्य राज्य सरकारों को विचार के लिये भेज दिया गया है।

इस विषय में मध्य प्रदेश, मैसूर, गुजरात और पश्चिम बंगाल की सरकारें राज्य द्वारा कानून के पक्ष में प्रतीत होती हैं।

जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने, जम्मू तथा कश्मीर नगरीय सम्पत्ति (सीमा) बिल, 1971 पेश किया है तथा उसे (जम्मू तथा कश्मीर की विधान सभा ने) पारित कर दिया गया है।

बिहार सरकार द्वारा जारी किये जाने के लिए प्रस्तावित (दी बिहार अरबन प्रोपर्टी (सीलिंग) आर्डीनेंस, 1971, नामक अध्यादेश, गृह मंत्रालय के विचाराधीन है।

शेष राज्यों को अपने विचार शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया है।

महाराष्ट्र को जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के ट्रैक्टरों की सप्लाई

153. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य को जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से आयात किये गये कितने ट्रैक्टरों की सप्लाई की गई;

(ख) क्या वर्ष 1970-71 के दौरान महाराष्ट्र राज्य ने केन्द्रीय सरकार से और अधिक ट्रैक्टरों की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) गत दो वर्षों में महाराष्ट्र राज्य को पूर्वी जर्मनी के कोई ट्रैक्टर सप्लाई नहीं किये गये हैं।

(ख) सन् 1970-71 में महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा 800 ट्रैक्टरों की मांग की गई थी।

(ग) सन् 1969-70 की आवश्यकताओं के लिये आयात किये जा रहे ट्रैक्टरों में से 1,539 ट्रैक्टर महाराष्ट्र राज्य को आवंटित किए जा चुके हैं। इस आवंटन में से वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में सप्लाई जारी रही है।

महाराष्ट्र में खुले बाजार में चीनी का मूल्य

154. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में जिसका स्थान देश के चीनी उत्पादक राज्यों के बीच दूसरे दर्जे पर है, उपभोक्ता को खुले बाजार में चीनी 2 रु० प्रति किलो मिलती है जबकि नियंत्रित दर एक रुपया 63 पैसे प्रति किलो है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) इस समय चीनी के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। महाराष्ट्र में इस समय चीनी का खुदरा बाजार मूल्य 2 रुपये प्रति किलो से कुछ ही अधिक है। विनियंत्रण से पूर्व उचित मूल्य की दुकानों से वितरित चीनी का मूल्य 1·63 रुपये प्रति किलो था।

(ख) महाराष्ट्र के चीनी कारखानों और महाराष्ट्र सरकार के बीच हुए एक प्रबन्ध द्वारा महाराष्ट्र के कारखानों के चीनी उत्पादन की 15 प्रतिशत चीनी लगभग 1·83 रुपये से 1·84 रुपये प्रति किलो के मूल्य-स्तर पर उचित मूल्य की दुकानों से प्रति व्यक्ति के आधार पर वितरित की जा रही है। केन्द्रीय सरकार ने भी देश में चीनी के मूल्य में अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं —

1. कारखाने को अपने बिक्री के मासिक कोटे की चीनी का कम से कम 20 प्रतिशत प्रत्येक सप्ताह में बेचना होता है।

(2) कारखानों द्वारा व्यक्तिगत व्यापारियों को चीनी भेजने अथवा उन्हें उसकी सुपुर्दगी देने की मात्रा प्रत्येक सप्ताह में 2,200 क्विंटल तक सीमित कर दी गयी है।

(3) लाइसेंसशुदा चीनी व्यापारियों द्वारा प्रत्येक समय रखे जाने वाले स्टाक की मात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलकत्ता के चीनी आयातकों के मामले में यह अधिकतम सीमा 7,500 क्विंटल के बीच और एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के सम्बन्ध में 250 क्विंटल के बीच है।

(4) चीनी के व्यापारियों को चीनी के स्टाक पर बैंक से मिलने वाली पेशगियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(5) 1971-72 में चीनी का अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए चीनी के उत्पादन कर में छूट देने की अनुमति दी गई है।

(6) 18 अक्तूबर, 1971 से गुड़ का वायदा व्यापार बंद कर दिया गया हैं।

Size of Economic Holdings and rules for development of Economic Holding

155. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether size of economic holding of land has been fixed in each state in the country and is so, the size of land which has been fixed in terms of economic holding in each State;

(b) The number of members decided as constituting a family for that purpose

of economic holding by such state as have fixed the size of economic land holding; and

(c) Whether any rules have been framed for development of economic folding and if so, the details of the rules framed by each state ?

The Minister of state in the M:nistry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c). Information is being collected from the various states and a statement will be laid on the table of the sabha,

Family Planning Fortnight

156. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Health and Familyi Planning** be pleased to state :

(a) Whether success was not achieved in reaching the target in the Family Planning Fortnight observed in the country from the lst to 15th October, 1971;

(b) Whether it was due to wrong selection of the period therefor;

(c) The position, State-wise in the Family Planning Fortnight and the expenditure incurred by the States and the centre; and

(d) Whether Government have received any complaints of forced sterilisation in the aforesaid fortnight and, if so, the names of states from whom the complaints have been received with the details there of and the action taken on them ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhya) : (a) No National family Planning fortnight was held during the period 1t October to 15th October, 1971. The national fortnight is to be observed in December, 971.

(b) to (d): Do not arise,

मद्रास और कन्याकुमारी के बीच पूर्वी-तट-सड़क के निर्माण कार्य के पूरे होने में हुई प्रगति

157. **श्री सेझियान :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास और कन्याकुमारी को जोड़ने वाली पूर्वी-तट सड़क के निर्माण-कार्य के पूरा होने में अब तक क्या प्रगति हुई है, और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि खर्च होगी और तदनुसार कितना कार्य होगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रखी जायेगी ।

सड़क बोर्ड का गठन

158. **श्री सेझियान :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में हाल ही में आयोजित सम्मेलन में इन्डियन रोड्स एण्ड ट्रान्सपोर्ट द्वारा

सड़क बोर्ड गठित करने का सुझाव किया गया था क्या सरकार ने उस पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). सरकार को इण्डियन रोड्स एण्ड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा रखा गया इस प्रकार का कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है सड़क बोर्ड के स्थान पर केन्द्रीय सड़क समिति गठन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

दुर्लभ कला-कृतियों की तस्करी

159. **श्री पी० के० देव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से बडे पैमाने पर दुर्लभ कलाकृतियों की तस्करी के बारे में बहुत से मामलों का पता चला है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अक्तूबर, 1971 के 'मदरलेंड' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (घ). विवरण संलग्न है, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 970/71]**

कानपुर में औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के आवंटन के लिये नियम

160. **श्री एस० एम बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह कानपुर तथा अन्य स्थनों पर औद्योगिक निर्माण योजना के अन्तर्गत बनाये गये मकानों को आवंटित करने सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जायें जिससे कि रक्षा उद्योग तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य उपक्रमों में काम करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उक्त योजना में शामिल किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त नियमों में संशोधन किया गया है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या 4000 से अधिक कर्मचारी, जिनमें 3000 रक्षा कर्मचारी भी शामिल हैं, इस

समय कानपुर की विभिन्न बस्तियों के मकानों में रह रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कर्मचारियों की रिहायिश को नियमित करने का अनुरोध किया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) नियमों के संशोधन का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस प्रकार के संशोधन का सभी सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों जिन के द्वारा आयकर देय नहीं, है तथा देश भर के सभी विभागीय उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रतिक्षेप होगा ।

(ग) अगस्त, 1970 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 2 838 रक्षा कर्मचारी तथा 399 अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत, कानपुर में बनाये गये मकानों के दखल में थे ।

(घ) जी हाँ, परन्तु (ख) में दिये गये कारणों से प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया ।

सरकार द्वारा डा० धर्म तेजा को दिये गये ऋण की वसूली

161. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा डा० धर्म तेजा को दिये गये ऋण की वसूली करली गई है; और

(ख) यदि नहीं; तो उसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख). भारत सरकार ने जहाजों की खरीद के लिए डा० धर्म तेजा को कोई भी ऋण नहीं दिया है । नौवहन विकास निधि समिति ने जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड के लिये 28·00 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है । सरकार के भारतीय नौवहन निगम द्वारा कम्पनी के प्रबन्ध को अपने अधिकार में लेने से पहले, समिति ने उक्त राशि में से 6·59 करोड़ रुपये का ऋण मुक्त किया था और उपर्युक्त प्रबन्ध ग्रहण के बाद 20·66 करोड़ रुपये का एक और ऋण दिया गया । ऋण करार की शर्तों के अनुसार कम्पनी ने 7·41 करोड़ रुपये की राशि लौटा दी है ।

इंग्लैंड पर विजय पाने के लिये भारतीय क्रिकेट खिलाडियों को पुरस्कार

162. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंग्लैंड के विरुद्ध 'रबर' जीतने वाले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को उनकी विजय के लिए उचित पुरस्कार दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस रूप में तथा भारत में क्रिकेट के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अन्य क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). विजयी भारतीय क्रिकिट टीम (दल) के यहां पहुंचने पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा उनका सार्वजनिक स्वागत किया गया था, जिसमें दल के प्रत्येक सदस्य को स्मृति चिन्ह प्रदान किये गये थे। प्रधान-मंत्री द्वारा भी उनका स्वागत किया गया था, जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उन्हें बधाई दी। बम्बई पहुंचने पर भी खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। भारत के क्रिकेट नियंत्रण मंडल ने प्रत्येक क्रिकिट खिलाड़ी को 1,500/=रु० का विशेष विजयी बोनस (इनाम) प्रदान किया।

भारत का क्रिकेट नियंत्रण मण्डल भारत में विभिन्न खेल-प्रतियोगिता, प्रशिक्षण शिविर आदि के आयोजन द्वारा क्रिकिट को सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाने में लगा है; और वेस्ट-इन्डोज और इंगलैंड में विजय इसके कुछ प्रमाण हैं।

उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के लिये तिहरा लाभ योजना

163. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अध्यापकों के लिए तिहरा लाभ योजना को, केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता के अभाव में, अभी तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका है;

(ल) यदि हां तो इस वित्तीय सहायता को न दिये जाने का क्या कारण है; और

(ग) उक्त योजना को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी राशि की मांग की गई है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने, बिना केन्द्रीय सहायता के, 1-10-1964 से स्थायी अध्यापकों को सभी श्रेणियों के लिये त्रि-लाभ योजना को कार्यान्वित कर दिया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

पौषाहार की कमी के कारण शरणार्थी बच्चों की मृत्यु

164. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष के कार्यकार, निदेशक श्री हेनरी लेवोसे ने दिनांक 12 अक्तूबर, 1971 को नई दिल्ली में सम्वाददाता सम्मेलन में कहा था कि आगामी जनवरी तक लाखों ऐसे शरणार्थी बच्चों की मृत्यु हो जायेगी जिन्हें पूर्ण और पौषक आहार नहीं मिला;

(ख) यदि हाँ, तो इस विपदा को टालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है।

(ग) पौषाहार की कमी के कारण अब तक कितने शरणार्थी बच्चों की मृत्यु हो चुकी है; और

(घ) विभिन्न शरणार्थी शिविरों में बच्चों की सुरक्षा के लिये क्या प्रबन्ध विद्यमान है;

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां । कार्यकारी निदेशक ने कुपोषण के कारण शरणार्थी बच्चों को काफी संख्या में मृत्यु हो जाने की सम्भावना पर चिन्ता अवश्य प्रकट की ।

(ख) और (घ) पौषण सम्बन्धी दृष्टिकोण से बच्चों की समुचित रूप से देख-भाल करने के लिए एक विशेष अनुपूरक भोजन कार्यक्रम और पोषण चिकित्सा योजना शुरू की गई है । कुपोषण के कारण चिकित्सा की आवश्यकता पड़ने से पूर्व यथा समय उसकी रोकथाम करने के विचार से अनुपूरक भोजन की व्यवस्था की जाती है । पोषण चिकित्सा योजना के अन्तर्गत विशिष्ट रूप में स्थापित केन्द्रों में अधिक प्रोटीन वाले विशिष्ट खाद्य पदार्थ चार बार देने की व्यवस्था है ।

(ग) केवल कुपोषण के कारण कितने शरणार्थी बच्चों की मृत्यु हुई इसके बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ब नहीं है ।

प्राथमिक शिक्षा

165. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी एक विस्तृत योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) और (ख) प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय का विचार प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग योजना तैयार करने का है । आवश्यक आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं । प्राथमिक शिक्षा को यथाशीघ्र व्यापक रूप से उपलब्ध कराने तथा उसकी कोटि में सुधार के लिए एक योजना बनाने का विचार है ।

सामुदायिक विकास खण्डों में अनुसंघान केन्द्र

166 **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों के सामुदायिक विकास केन्द्रों में अनुसंधान परियोजना प्रारम्भ करने के लिए कोई योजना क्रियान्वित कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हाँ। सरकार द्वारा सामुदायिक विकास विभाग के माध्यम से विकास केन्द्रों में प्रायोगिक अनुसन्धान परियोजना नाम की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) आधार क्षेत्रों के रूप में चुने गए राज्यों तथा 'खण्डों' के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 971/71**]

इस योजना का उद्देश्य विकास केन्द्रों का पता लगाने के लिए एक व्यापक अनुसंधान विधि-तंत्र तथा प्रतिमान विकसित करना और यह बताना है कि किस प्रकार इन केन्द्रों के विकास सम्भाव्य को समूची विकास आवश्यकताओं के एक व्यापक तथा वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है तथा किस प्रकार इन केन्द्रों को अर्थपूर्ण ढंग से जिला योजना के ढांचे में गूंथा जा सकता है। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए 145 लाख रूपए का योजना प्रावधान किया गया है। इसमें इन सभी 20 केन्द्रों में बुनियादी सुख-सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए 72.65 लाख रुपए की राशि भी शामिल है।

राज्य कृषि फार्म निगम द्वारा चलाये जा रहे कृषि फार्म

167. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य कृषि फार्म निगम द्वारा कितने कृषि-फार्म चलाये जा रहे हैं ; और

(ख) ये कृषि-फार्म किन किन स्थानों पर हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) निगम द्वारा अभी तक दस फार्म स्थापित किये गये हैं।

(ख) सूरतगढ़ (राजस्थान); जैतसर (राजस्थान); हिसार (हरियाणा); फिल्लौर (पंजाब); रायचूर (मैसूर); केन्नानूर (केरल); झरसुगुडा (उड़ीसा); चैनगम (तमिनाडु); लोकिचेरा और लुशाईचेरा (असम का मिजी पर्वतीय जिला)।

गुरुद्वारा रकाबगंज रोड़, नई दिल्ली में पानी की सप्लाई

168. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि गुरुद्वारा रकाबगंज रोड क्षेत्र, नई दिल्ली तथा अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों में दिन में कुछ समय के लिए पानी की सप्लाई काट दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) दिन भर पानी की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) से (ग). संबंधित अधिकारियों से वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा रहा है और अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ऋंगानौर पतन को गहरा करने सम्बन्धी प्रस्ताव

169. **श्री एम० के० कृष्णन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋंगानौर के प्राचीन बंदरगाह को गहरा करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). ऋंगानोर बड़ा पत्तन नहीं है। बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के विकास कार्यकारी उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है और इस मामले में केरल सरकार है। केरल सरकार ने सूचित किया है कि यदि छड़ काटा जाय तो किये गये जल सर्वेक्षण निकर्षित गहराई को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्कता को प्रकट करता है और यह भी सूचित किया है कि और अध्ययन प्रगति पर है। अध्ययनों के परिणामों की दो माह में उपलब्ध होने की सम्भावना है।

कोचीन शिपयार्ड परियोजना चालू करने हेतु कम्पनी की स्थापना

170. **श्री एम० के० कृष्णन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड का निर्माण करने हेतु एक कम्पनी की स्थापना करने के बारे में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख). प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है, परन्तु इसकी कार्यान्विति के लिए संसद की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है, क्योंकि सेवा का यह एक नया साधन होगा। यह स्वीकृति इस सत्र में अनुपूरक अनुदान के रूप में प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश को खराब बीजों की सप्लाई

171. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सप्लाई किये गए मिश्रित बीज, अंकुरण परीक्षण करने पर घटिया स्तर के पाये गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार खराब बीजों का वितरण बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) और (ख). जानकारी

एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश ट्राइबल कोआपरेटिव डेवेलपमेन्ट कारपोरेशन

172. **डा० रानेन सेन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश ट्राइबल कोआपरेटिव डेबेलपमेंट कारपोरेशन को कुप्रवन्ध के कारण घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और कितना घाटा हुआ है ; और

(ग) इन गलतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) मध्य प्रदेश आदिमजाति सहकारिता विकास निगम 1966-67 से घाटे पर चल रहा है।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 972/71**]

'कनाट प्लेस' नई दिल्ली के विकास सम्बन्धी गोष्ठी

173. **डा० रानेन सेन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1971 के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली में 'कनाट प्लेस' के विकास पर गोष्ठी एक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में क्या सामान्य विचार व्यक्त किये गये थे;

(ग) क्या नई दिल्ली नगर पालिका और सरकार ने गोष्ठी में व्यक्त किये गये विचारों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई०के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) गोष्ठी में प्राप्त हुए प्रमुख निष्कर्षों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) . मामले पर निर्णय सम्बन्धित अधिकारियों के परामर्श से इसके सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही केवल किया जा सकता है।

विवरण

कनाट सर्कस तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों के विकास पर हुई गोष्ठी में हुई चर्चा में निकले प्रमुख निष्कर्ष

(i) कनाट सर्कस के महानगरीय केन्द्र तथा इसके विस्तार में कुल कार्य शक्ति 1981 में

दिल्ली के 1962 के बृहत प्लान में अपेक्षित 85,000 के आंकड़े से बहुत अधिक नहीं बढ़नी चाहिये ।

(ii) 400 की एफ० ए० आर० की वर्तमान अनुमेयता का पुनरीक्षण कार्यात्मक कुशलता, सौन्दर्य परायणता और कुशल जन सेवाओं और सुविधाओं की व्यवस्था संभावना की दृष्टि से उनकी आवश्यकता और औचित्य के संदर्भ में किया जाना चाहिए । क्षेत्र के लिए, विस्तृत नगर डिजाइन प्रस्ताव, उचित विस्तार के साथ, प्रसिद्ध विशेषज्ञों के एक सलाहकार ग्रुप की सहायता लेते हुए, एक सक्षम अन्तर-अनुशासनिक तकनीकी दल द्वारा तैयार किया जाना चाहिये ।

(iii) उपरोक्त भाग (ii) में प्रस्तावित पुनरीक्षण होने तक, नये भवनों, विशेषतया क्षेत्र में ऊर्ध्वाकार भवनों तथा उसके आस-पास का निर्माण रोक दिया जाना चाहिए, तथापि यह रोक आवश्यक अनुरक्षण कार्यों पर लागू नहीं होनी चाहिये ।

(iv) कनाट सर्कस के सामने की ओर, जहां बहुत सी भूमि गैर सरकारी लोगों के हाथ में है, विकास और ऊर्ध्वाकार भवनों पर सकेन्द्रण करने के स्थान पर हार्डिंग अस्पताल और रेलवे की सरकारी भूमियों के पुनर्विकास पर भी विचार किया जाना चाहिए ।

(v) दुकानों और मनोरंजन के लिये जिला केन्द्रों के निर्माण की योजनाएं और कनाट सर्कस से यातायात को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिये बाह्यपथों का एक जाल की योजनाओं को भी तुरन्त आरम्भ किया जाना चाहिए ।

(vi) एक व्यापक यातायात योजना क्षेत्र की कुल विकास प्लान का एक भाग होनी चाहिए ।

(vii) अन्दरूनी सर्कल को पैदल चलने वालों के लिये बना देना चाहिये और पार्किंग क्षेत्रों को नगर पालिकाओं के अधीन करने पर विचार किया जाना चाहिये ।

(viii) एक विस्तृत पुनर्विकास योजना के अनुसार नगर केन्द्र के विकास के लिये एक एकीकृत प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए ।

(ix) एकीकृत प्राधिकरण को राजस्व के निर्दिष्ट साधनों सहित प्रर्याप्त निधियां दी जानी चाहिए ।

(x) सरकार को एकीकृत डिजाइन के अनुसार क्षेत्र के विकास में सुविधा की दृष्टि से सारी भूमि तथा भवनों के अनिवार्य अर्जन पर विचार करना चाहिये । अन्यथा, भू-स्वामियों को विकास की बृहत योजना का अनुकरण के लिये बाध्य किया जाना चाहिए ।

राष्ट्रीय एकता विरोधी सामग्री वाली पाठ्य पुस्तकों को हटाने के सम्बंध में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की सिफारिश

175. **डा० रानेन सेन :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने यह सिफारिश की है कि देश में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली तीन से चार प्रतिशत पाठ्य पुस्तकों को हटा दिया जाना चाहिये क्योंकि उनमें राष्ट्रीय एकता विरोधी सामग्री है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा स्थापित की गई विशेषज्ञ समिति ने इस प्रकार सिफारिश की है, जो उन 9 राज्यों तथा दो संघ क्षेत्रों के तीन स्वतन्त्र माध्यमों की मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है, जिनसे पूरी मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ।

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् उन सम्बन्धित प्रशासनों से पत्र-व्यवहार कर रहा है जिन्हें इन सिफारिशों को कार्यान्वित करना है । उन प्रशासनों ने रिपोर्टों की प्राप्ति सूचना भेजी है तथा उस पर कार्यवाई करने का वचन दिया है । ऐसा पता चला है कि जुलाई, 1971 से कुछेक पुस्तकें वापस ली जा चुकी हैं ।

हरिजनों पर हमला

176. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में देश के विभिन्न भागों में हरिजनों पर हमला एवं उनके बहिष्कार की घटनाओं की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक जिन घटनाओं के बारे में सूचना प्राप्त हुई हैं उनके बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) . कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । पूरी सूचना सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से एकत्रित की जा रही हैं जिसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

बड़े आकार के बोरों का कार्य करने वाले खाद्य निगम के श्रमिकों की मंजूरी में वृद्धि

177. **श्री सी० जनार्दन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे बोरियां, जिनमें आन्ध्र प्रदेश से चावल भरकर भारतीय खाद्य निगम को बेचे जाते हैं, आकार में बड़ी हैं और अब प्रत्येक में लगभग 1.60 किलोग्राम चावल भरे जाते हैं जबकि पहले उसमें लगभग 75 किलोग्राम चावल भरे जाते थे;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य निगम के कर्मचारियों, जो इन बोरियों में चावल भरते हैं,

की मंजूरी में आनुपातिक वृद्धि की गई है जो कि अब उनके द्वारा भरी जाने वाली बोरियों की संख्या के आधार पर नियत की जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) आन्ध्र प्रदेश में चावल की मानक पैंकिग 75 किलोग्राम निवल चलती है लेकिन कुछ जिलों में 100 किलोग्राम भी है।

(ख) और (ग). आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बन्दरगाह को छोड़कर, सभी स्थानों पर चावल की बोरियों को ठेकेदारों के मजदूर सम्भालते हैं और इसलिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा मजदूरों को सीधे कोई भुगतान नहीं किया जाता है। ठेके की दरें बोरियों के अनुसार प्रत्येक बोरी के 65 किलोग्राम वजन तक और प्रत्येक बोरी में 65 किलोग्राम वजन से अधिक के बारे में हैं। विशाखापत्तनम बन्दरगाह पर भी मजदूरों के साथ दरें उपर्युक्त कथित दोनों श्रेणियों के साथ तय की जाती हैं।

गुलबर्गा (मैसूर) में पीने के पानी की कमी

178- **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में गुलबर्गा के स्थान पर पीने के पानी की कमी के कारण लोगों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा कौन से कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चटटोपाध्याय) : (क) और (ख). सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुलबर्गा में विश्वविद्यालयों का खोला जाना

179. **श्री धर्मराव अफजलपुरकार** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुलबर्गा (मैसूर) में विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इसको कब तक खोल दिया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

180. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**
श्री गंगा चरण दीक्षित :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में चीनी का राष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार ने विशेषतया चीनी उद्योन में राष्ट्रीयकरण की मांग के संदर्भ में उसके कार्यचालन और उससे सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं की विस्तृत तथा व्यापक रूप से जांच करने के लिए चीनी उद्योग जांच आयोग नियुक्त किया है । सरकार आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस मामले की आगे जांच करेगी ।

मैसूर राज्य में सूखा पीड़ित किसानों को भूमि बैंकों और सरकारी समितियों से ऋण

181. **श्री धर्मराव अफजलपुरकार** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के अनेक क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या किसानों को सूखे की स्थिति का सामना करने हेतु अपनी भूमि रहन रखकर भी भूमि बैंकों और समितियों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो निर्धन किसानों को ऐसी सुविधाएं देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को भूमि विकास बैंकों से उत्पादन प्रयोजनों के लिए ऋण मिल सकता है । जहां तक प्राथमिक सहकारी समितियों से लिए जाने वाले ऋणों का सम्बन्ध है, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में यदि फसल का उत्पादन सामान्य स्तर के 50 प्रतिशत से कम है तो ऋण की धनराशियों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने की व्यवस्था है । कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार को इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है कि ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है ।

बम्बई पत्तन न्यास द्वारा किराये/पट्टे पर दी गई भूमि

182. **श्री के० लकप्पा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन न्यास ने महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में तथा तट के निकट स्थिति अपनी भूमि विभिन्न गैर-सरकारी पार्टियों को मानक किराये या पट्टे पर दे रखी है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या उन पार्टियों ने जिन्हें बम्बई पत्तन न्यास ने अपनी भूमि दे रखी है उस भूमि पर भाण्डागार अथवा कारखानों का निर्माण कर लिया है और उनसे किराये के रूप में भारी लाभ कमाया है, और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर सिंह) : (क) और (ख) . तट के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न गैर सरकारी पार्टियों को, जिन का सम्बन्ध नौवहन, पत्तन आधारित उद्योगों तथा इस पत्तन से माल का आयात और निर्यात से है, प्लान्ट पट्टे पर/किराये पर तथा विभिन्न पट्टेदारी जोकि मासिक अवधि से लेकर 30 या 99 वर्ष के पट्टे पर है, बम्बई पत्तन न्यास ने दे रखी है । किराये या पट्टे की दरें, प्लाट की स्थिति तथा उसके उपभोक्ता पर निर्भर है । यहां कोई मानका-किराया नहीं है । साधारणतया किराये की चालू दरें, जोकि प्लाट किराये पर देने के समय बाजार भाव पर आधारित होती है, वसूल की जाती है । पत्तन न्यास ने पट्टे के नवीकरण के समय किराया दरों में संशोधन करने की व्यवस्था की है ।

(ग) कारखाने, माल गोदाम आदि पट्टा धारियों ने पत्तन न्यास की उस भूमि पर बनाये हैं जहां पट्टे की शर्तों के अधीन उन्हें अनुमति दी गई है । बम्बई पत्तन न्यास को पट्टाधारियों द्वारा पत्तन न्यास की भूमि से कमाये गये लाभ के बारे में कोई वास्तविक जानकारी नहीं है । किरायेदारी उपभोक्ता तथा भूमि के बाजार भाव को ध्यान में रखते हुए न्यासियों द्वारा पत्तन के प्लाटो के किराये की दरों में संशोधन किया जाता है । सभी मामलों में किराये की दारों को पत्तन न्यास भूमि पर निर्मित इमारतों को आगे किराये पर देने की अनुमति नहीं है ।

(घ) जहां तक मासिक किरायेदारियों तथा 15—मासिक पट्टों का सम्बन्ध है, किराये की दरों का अंतिम संशोधन अक्तूबर 1968 में किया गया था तथा पत्तन न्यास द्वारा भावी संशोधन अगले महीने में किया जा रहा है । वीर्घ कालीन पट्टों के सम्बन्ध मे भी. सरकार ने पत्तन न्यास पर पट्टे की नवीकरण तिथि समाप्त होने पर किराया निर्धारण करने के लिए मौजूदा फारमूलों की समीक्षा की वांछनीयता पर जोर दिया है ताकि परिसम्पत्ति—किराया से पत्तन न्यास की आय, की बढ़ते हुए भूमि भाव के साथ समानता रहे ।

कुछ जल मार्गों का राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाना

183. **श्री के लकप्पा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ जल मार्गों की राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास सम्बन्धी समस्याओं की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा 1968 में श्री बी० भगवती की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी 1970 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में सिफारिश की है कि गंगा-भागीरथी-हुगली, ब्रह्मपुत्र, माँदवी तथा जौरी नदियों और गोवा में कुवरजुआ नहर, महानदी, गोदावरी तथा नर्मदा नदियों जैसे मुख्य जल-मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करने के लिए विचार किया जाना चाहिये। समिति की सिफारिशें सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से विचाराधीन है।

मद्रास पत्तन पर तेल गोदी का निर्माण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न होना

184. **श्री के० लकप्पा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पत्तन पर तेल गोदी परियोजना पर निर्माण कार्य निर्धारित कार्य से बहुत कम हुआ है और भारत सरकार को इस परियोजना को पूरा कराने के लिए 30 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या यह सच है कि जैटी के पूरे होने में हुए विलम्ब के कारण मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड को जिसकी 74 प्रतिशत शेयर पूंजी सरकार के पास है, छोटे टेंकर किराये पर लेने पड़े जिसके कारण अतिरिक्त भाड़े के रुपयों में से उसे 17 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, और

(घ) कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). मद्रास में तेल घाट को पूरा करने की मूल नियत तारीख, अक्तूबर, 1968 थी, परन्तु पनकट दीवार के निर्माण में कुछ तकनीकी समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिनके कारण गोदी के पूरे होने में विलम्ब हुआ। अतएव पनकट दीवार के निर्माण की पद्धति की तकनीकी विशेषज्ञों की समिति को समीक्षा करनी पड़ी और समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधन करना पड़ा। परियोजना की व्याप्ति में भी परिवर्तन हो गया है क्योंकि अब पहले से बड़े जहाजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। परियोजना में संतोषजक प्रगति हो रही है और पनकट दीवार के निर्माण सम्बन्धी सभी कार्य प्रायः पूरे हो गये हैं। तेल जेटी के निर्माण पर कार्य प्रगति पर है। पूर्वी पनकट दीवार के भाग को छोड़कर जिसकी सितम्बर 1972 तक पूरे होने की सम्भावना है परियोजना के मार्च 1972 तक पूरे होने की सम्भावना है। तेल गोदी परियोजना के निर्माण की संशोधित लागत 23·20 करोड़ रुपये है जैसा नीचे दिखाया गया है :—

(रुपये लाखों में)

(1) पूर्वी पनकट दीवार	634·61
(2) उत्तरी पनकट दीवार	337·38
(3) तेल वाहक घाट	247·38
(4) विशेष संयंत्र और उपस्कर	59·75
(5) रिक्लेमेशन दीवार	113·72
(6) निकर्षण	473·60
(7) पत्थर लदान करने वाला जेटी	4·56
(8) भांडार भवन इत्यादि	3·90
(9) मिट्टी परीक्षण	1·86
(10) तेल वाहक पोतों के लदान सुविधा	166·75
(11) उत्तरी बांध	227·99
(12) बाहरी बाजू के लिए मिट्टी परीक्षण	4·99
(13) रिक्लेमेशन और पींचिंग	49·41
(14) सामान और संयंत्र के लिए जमा	(—) 57·50
(15) आकस्मिक व्यय	51·60
कुल	2320·00

(ग) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड को छोटे तेल वाहकों की किराये पर लेने से अति-अतिरिक्त भाड़े के तौर पर 17 करोड़ रुपये की हानी उठानी पड़ी परिचालन के प्रथम दो वर्षो के दौरान अर्थात 1969-70 और 1970-71 में कम्पनी को तेल गोदी के न होने से भाड़े पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

महरौली (दिल्ली) के टी० बी० अस्पताल के कर्मचारियों की मांगे तथा शिकायतें

185. **श्री के० लकप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महरौली, नई दिल्ली के टी बी० अस्पताल की अस्पताल कर्मचारी पंचायत (पंजीकृत) की ओर से दिनांक 31 अगस्त 1971 को किसी हड़ताल सूचना की एक प्रति प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने अपनी मांगों के लिये किये जाने वाले आन्दोलन का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार तथा सम्बद्ध प्राधिक-करण द्वारा इन मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय): (क) **और** (ख). जी नहीं। वैसे भारतीय क्षय रोग संघ, नई दिल्ली को जो टी० बी० अस्पताल, महरौली को चला रहा है अगस्त, 1971 के प्रथम सप्ताह में अस्पताल कर्मचारी पंचायत से एक पत्र मिला था जिसमें यह धमकी दी गई थी कि यदि उनकी मागें नहीं मानी गई तो वे प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल करेंगे। मांगों का विस्तृत विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 973/71**]

(ग) भारतीय क्षय रोग संघ ने निर्णय किया था कि संघ के उपाध्यक्ष डा० एम० एस० चड्ढा कर्मचारी पंचायत की मांगों पर ध्यान दें ताकि जो भी उचित शिकायतें हों उनका निराकरण किया जा सके तथा भविष्य के लिए विस्तृत मुख्य-मुख्य निर्देशक नियम बनाए जा सकें।

अस्पताल कर्मचारी पंचायत (दिल्ली) के नेताओं और टी० बी० एसोशियेशन के महासचिव के बीच बातचीत

186. **श्री के० लकप्पा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पताल कर्मचारी पंचायत (दिल्ली) के नेतागण अगस्त के दूसरे सप्ताह में टी० बी० एसोसियेशन के महासचिव से मिले थे और उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बातचीत की रूप रेखा क्या है और उक्त महासचिव ने क्या-क्या आश्वासन दिये थे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) और (ख). जी हां। क्षय रोग अस्पताल, महरौली की अस्पताल कर्मचारी पंचायत के प्रतिनिधि अपनी मांगों के बारे में 9 अगस्त, 1971 को भारतीय क्षय रोग संघ (टी० बी० एसोशियेशन आफ इण्डिया) नई दिल्ली के महासचिव से मिले थे उन्हें यह बता दिया गया था कि संघ ने यह निर्णय किया है कि संघ के उपाध्यक्ष डा० एम० एम० चड्डा इन मामलों को देखेंगे ताकि जो भी उचित शिकायतें हों उनका निराकरण किया जा सके और भविष्य के लिये व्यापक निर्देशक नियम बनाए जा सकें।

कलकत्ता की गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए मकान

187. **श्री माधुर्य हालदार :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा कलकत्ता की गन्दी बस्तियों में

रहने वाले लोगों के लिये मकान जुटाने की कुछ व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कार्यक्रमों के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिये 6,000 मकानों के निर्माण का एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसके चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है। अभी तक इस कार्यक्रम पर कोई व्यय नहीं किया गया।

काक द्वीप के निकट एक नहर का चालू किया जाना

188. **श्री माधुर्य्य हालदार :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार सागर द्वीप समूह और मुख्य भूमि के बीच फेरी-लांच तथा नौका सेवा को सुविधाजनक बनाने हेतु काक द्वीप के निकट हुगली से द्वार को होती हुई नहर चालू करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारम्भ होगा और इस योजना पर कितना व्यय होगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि इस समय चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है, परन्तु उन्होंने इसे पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये जांच करने तथा विचार करने का प्रस्ताव रखा है।

(ख) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

सुन्दर बन, पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य केन्द्रों का खोला जाना

189. **श्री माधुर्य्य हालदार :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 परगना के पिछड़े क्षेत्र सुन्दर बन में अधिक संख्या में स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कितने स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जायेंगे और वे कहां-कहां पर खोले जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी. पी. चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) सुन्दर बन में 6 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 22 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना इस प्रकार करने का विचार है :—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(i) हरोरा I खण्ड में हरोरा ।

(ii) हिंगलगंज खण्ड में सांडेलेरबिल

(iii) संदेशखली I खण्ड में घोषपुर

(iv) जैयनगर I खण्ड में पदमरहाट

(v) बसन्ती खण्ड में बसन्ती; और

(vi) केनिंग II खण्ड में मैथरडिथी

उप स्वास्थ्य केन्द्र

(i) सागर खण्ड में निमची, जायेनगर खण्ड में पुरवा गैंवरिया और कुलताली खण्ड में भुनवनेश्वरी में से प्रत्येक स्थान में एक एक ।

(ii) शेष 19 उप केन्द्रों के लिए स्थान के बारे में अभी निश्चय किया जाना है । उनके लिये उपयुक्त स्थानों का पता लगाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

पश्चिम बंगाल में स्कूलों के अध्यापकों और कर्मचारियों के सिए पेंशन योजना

190. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की दूसरी संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा वहां के स्कूलों के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के लिये बनाई गई पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पेंशन योजना के नियमों सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिमी बंगला के 24 परगना जिले में लघु तथा मध्यम स्तर की सिंचाई योजनायें

191. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 24 परगना जिले में विशेषत: 'सुन्दर बन' क्षेत्र के लिये लघु तथा मध्यम स्तर की कितनी योजनायें उनके मंत्रालय के विचाराधीन हैं ; और

(ग) ये योजनायें कहाँ कहां चालू की जायेंगी और उनके अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्र होंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). 24 - परगना के लिये मध्यम या लघु सिंचाई की कोई योजना कृषि मन्त्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

विदेशी पुस्तक सम्बन्धी समझौतों के बारे में सर्वेक्षण प्रतिवेदन

194. **श्री पी० गंगादेव** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री यू० एस० मोहन राव ने विदेशी पुस्तक सम्बन्धी समझौतों के बारे में सर्वेक्षण प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) श्री यू० एस० मोहन राव ने प्रकाशन छपाई तथा मांग की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेज दी थी ;

(ख) इस रिपोर्ट की प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है ;

(ग) रिपोर्ट टिप्पणियों के लिये विभिन्न सम्बन्धित प्राधिकारियों को भेजी गई है, जिनकी अब तक प्रतीक्षा की जा रही है ।

भारत से किए जाने वाले निर्यात पर मुद्रा समयोजन शुल्क

195. **श्री पी० गंगादेव** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत ने भारत-पाकिस्तान-ब्रिटेन महाद्वीपीय परिषद को एक पत्र द्वारा यह प्रस्ताव भेजा है कि निर्यात किये जाने वाले माल पर पोत परिवहन प्रभार का भारतीय मुद्रा में भुगतान किया जाये;

(ख) यदि हां, तो भारत के इस प्रस्ताव के प्रति परिषद की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या भारत ने ब्रिटेन और महाद्वीपीय पत्तनों से माल लादने पर मुद्रा समायोजन शुल्क लगाने और भारतीय निर्यात पर इसी प्रकार का शुल्क लगाने के परिषद के निर्णय का विरोध किया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन ने अपनी प्रतिक्रियो के सम्बन्ध में सरकार को सूचित नहीं किया ।

(ग) जी, हां ।

किसानों को ऋण देने के बारे में नई नीति

196 **श्री पी० गंगादेव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कृषि सम्बन्धी ऋण आवंटित करने के लिए एक नई नीति तैयार कर रही है जो छोटे मध्यम दर्जे और बड़े किसानों की आवश्यकताओं के अनुकूल हो;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के रिजर्व बैंक योजना आयोग और कृषि मंत्रालय उपलब्ध ऋण को आवंटित करने के लिए ऐसी प्रणाली तैयार कर रही थी जो न्यायसंगत हो तथा जिससे संसाधनों का उचित वितरण हो;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उक्त योजना के कब क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब गो० शिन्दे) : (क) से (घ). चौथी योजना में सरकार की नीति छोटे कृषकों को ऋण देने तथा प्रमुख संस्थागत ऋण एजेन्सियों, अर्थात सहकारी संस्थाओं की क्रियाविधि में सुधार करने की है। सहकारी संस्थाओं को सलाह दी गई है कि यदि उपलब्ध संसाधन सीमित हों तो छोटे कृषकों को प्राथमिकता दी जाये। बड़े कृषकों को कृषि विनियोजन के लिए मध्यम-कालीन ऋण दिए जाने हैं, ताकि छोटे कृषकों को लम्बी अवधि के ऋण उपलब्ध हो सकें छोटे कृषकों से शेयर-पूंजी भी आसान किस्तों में एकत्र की जाती है। रिजर्व बैंक आफ इन्डिया ने छोटे तथा आर्थिक दृष्टि से गरीब कृषकों के लिये केन्द्रीय सहकारी बैंकों को स्वीकृत सीमा के 20 प्रतिशत तक ऋण निश्चित करने की प्रणाली प्रारम्भ की है। यदि विपणन व्यवस्था संतोषजनक हो तो उन्हें बिना जमानत के 2000 रुपये तक मध्यम-कालीन ऋण देने की भी अनुमति दे दी गई है। छोटे कृषकों की विकास एजेन्सी तथा सीमान्त कृषक एवं कृषि मजदूरों की नई केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं में छोटे कृषकों सीमान्त कृषकों तथा कृषि मजदूरों को अतिरिक्त अग्रिमों के लिये सहकारी संस्थाओं को जोखिम राशि की अदायगी की व्यवस्था की गई है।

2. गरीब वर्गों के लिए अग्रिम धन-राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गारंटी निगम ने 1 अप्रैल, 1971 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विशिष्ट गरीब वर्गों को दिये गए छोटे ऋणों की गारंटी की एक योजना प्रारम्भ की है।

3. कृषि पुनर्वित निगम भी छोटे कृषकों की विकास एजेन्सी सीमान्त कृषक एवं कृषि मजदूरों के क्षेत्रों में शुरु की गई योजनाओं के लिये 100 प्रतिशत पुनर्वित प्रदान करता है। कृषि पुनर्वित निगम द्वारा भी शुरु की गयी विश्व बैंक ऋण परियोजनाओं के अन्तर्गत 10,000 रुपये तक के विनियोजन के लिये छोटे कृषकों को रियायती दरों की व्यवस्था है।

Committee for Development and Management of Underground Water Resources

197. **Shri R. V. Bade**: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to the reply given to Unstarred question No. 4912 on the 15th July, 1971 regarding ground water Development Scheme during the fourth Plan and state the names of Members of the Central,

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : A note explaining the organisation of the central ground water board is enclosed, [Placed in the Library. See No. LT—974/71]

Fresent Chairman/Members of the Central Ground water board are as follows :

(i) Chairman	—	Shri B. B. Vohra Joint Secretary, Ministry of Agriculture (Deptt. of Agriculture)
(ii) Member/ Engineering	—	Shri M. P. Pandey, Superintending Engineer, Central Ground water Board,
(iii) Member/ Hydrogeology	—	Dr. K. V. Raghava Rao, Superintending, Hydrogeologist, Central Ground water Board,
(iv) Member/ Area Development		Shri J. K. Jain, Joint Commissioner (MI), Ministry of Agriculture, (Deptt- of Agriculture)
(v) Member/ Finance		Shri M. L. Widhani, Director (Internal Finance) Ministry of Agriculture (Deptt, of Agriculture)
(vi) Member/Administration-Cum-Secretary of the Borad.	—	Shri L. N. Laddha, Deputy Secretary, Ministry of Agriculture (Deptt. of Agriculture

Director general, Geological survey of India, Director general, Observatories and Member (water resources) of the Central Water and Power Commission are ex-officia members of the Central grond water Board,

Decline in Consumption of Milk

193. **Shri S. V. Bade** : Will the Ministry of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether the per capita consumption of milk in the couutry had declined;

(b) Whether the declinc in consumption is due to increase in the price of milk; and

(c) If So, the steps contemplated by the Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes Sir.

The estimated per Capita consumption of milk has declined from 136 gms. during 1955-56 to 105 gms. During 1968-69 inspite of increase in milk production from 19·00 million tonnes in 1955–56 to 21·61 million tonnes dur ng 1968-69.

(b) The per capita consumption (availability) has not increased due to the tact that the increase in milk production has not kept pace with the increase in human population. The decline in cosumption can be partly attributed to the lack of adequate purchasing capacity of the public.

(c) The need for increasing the production of milk to meet the demand is well recognised. Both the Central and the State Governments have been taking up a number of Schemes on cattle and dairy development under the National Five Year Plans. Some more important cattle development schemes, which have a direct bearing on milk production are:—

1. Intensive Cattle Development Project.

2. Key Village Schemes.

3. Cross breading with exotic breeds.

4. Feeds and Fodder Development Schemes.

5. Gosbala Development Schemes.

6. Establishment of large cattle Breeding Farms and Progeny testing of bulls.

7. Hard Registration Schemes for breeding tracts.

Shortage of Fodder in Bihar

199. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) Whether there is an acute shortage of fodder in Bihar State;

(b) Whether laks of cattleheads have died due to the shortage of fodder in the hole State;

(c) The action taken by Government to supply fodder to the said state;

(d) The number of wagon loads of fodder transported to North-Bihar Particularly the number of wagon of fodder supplied to Saharsa, North Monghyr, North Bhagalpur and Purnea districts; and

(e) If no action has been taken in this regard, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes.

(b) Mortality among cattle was very large. The State Govt. of Bihar has been requested to furnish the required information and it will be placed on the Table of the Sabha, in due course.

(c) The following steps have been takeu by the Central Government in this regard:—

(i) The Covt. of Bibar have been delegated powers under the Essential Commo-

dities Act, 1955, to control the prices, stocks, and movement of fodder and feeds so as to conserve the available supply within the State;

(ii) The Government of Punjab, Haryana, Rajasthan and Madhya Pradesh were requested to provide necessary facilities to the Government of Bihar for procurement of fodder within there State;

(iii) The Ministty for Railways was requested in October, 1971 to provide facilities for the movement of cattle fodder from Haryana and Punjab to flood-affected areas in Bihar.

(d) The Railway Board have intimated that during the period 16th August, 1971 to 14 th September, 1971, 2624 broad-gague and 238 meter-gauge wagons were loaded with fodder from stations on the Northern Railway for Bihar. In addition about 152 broad gauge wagons were also loaded from stations on Central Railways for Bihar.

The Railway Board has further, stated that everything possible will be done to load maximum quantity of fodder for Bihar as expeditiously as possibly. The Northern Railway is also stepping up further loading of fodder for Bihar.

Information in regard to the number of wagons of fodder supplied to the specific area like Saharsa, North Monghyr, North Bagalpur and Purnea districts is, however, not available. It is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

(e) Does not arise.

Loans to Farmers for Purchase of Bullock in Bihar

200. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether Government propose to formulate a scheme to give special loans to small and middle class farmers for purchase of bullocks due to shortage of fodder in Bihar; and

(b) If so, the broad features of the scheme and the method thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Aunasaheb P. Shinde) : (a) & (b). No Such scheme has been formulated by the Central Government.

अतारांकित प्रश्न संख्या 5959 दिनांक 20-7-71 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

STATEMENT CORRECTING ANSWER TO USQ NO. 5959 DATED 20.7.71

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : डा० रानेन् सेन, संसद् सदस्य के अतारांकित प्रश्न सं० 5959 के भाग (ख) के उत्तर में, 26 जुलाई, 1971 को यह कहा गया था कि वातानुकूल कार्यों की देखभाल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वाता-

नुकूल। मंडल सं० 11। द्वारा की जा रही है। जांच करने के उपरान्त यह ज्ञात हुआ है कि वातानुकूल कार्यों की देखभाल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वातानुकूल मण्डल सं० 11 द्वारा की जा रही है। परिणामस्वरूप, प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर का संशोधन निम्न प्रकार से किया जाना चाहिये:—

1970—71 के दौरान कार्य भार 17·82 लाख रुपये का था। तथापि, वातानुकूल सम्बन्धी कार्यों की देख-रेख केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वातानुकूल मण्डल संख्या 11 द्वारा की जा रही है।

पहले दिये गये उत्तर में त्रुटि के लिये मुझे खेद है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE: MOTION FOR ADJOURNMENT

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मुझे नियम 60 (1) के अधीन स्थगन प्रस्ताव पेश करना है जिसके लिये सूचना मैं पहले दे चुका हूं। जबकि मुझे बताया गया है कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है, मुझे इस महत्वपूर्ण मामले को यहां उठाने का अधिकार है। अनेक व्यक्तियों की पुलिस द्वारा हत्या की जा रही है।

श्री समर मुखर्जी (हावडा) : सैकड़ों व्यक्ति गिरफ्तार किये जा रहे है और बहुत से लोगों को चोटें लगी हैं। हम चाहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष द्वारा जारी किये निदेशों के अनुसार स्थगन प्रस्ताव से पूर्व शपथ ग्रहण, निधन सम्बन्धी समाचार, प्रश्न जिसमें अल्प सूचना प्रश्न सम्मिलित है तथा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को लेना होता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने जिस नियम का उल्लेख किया है, उसके अनुसार स्थगन प्रस्ताव को प्रश्न काल के तुरन्त पश्चात लेना होता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं दी हैं। यदि सदस्य इसे आवश्यक समझते हैं तो वह मुझे अलग से मिल सकते हैं।

संसद का कार्य इस प्रकार नहीं चल सकता है। कई अवसरों पर आप वाद-विवाद की मांग कर सकते हैं परन्तु स्थगन प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं। आप लोग मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। इस प्रकार स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता। आपको अध्यक्ष के निदेशों को सुनना चाहिए। क्या सभा का मत है कि मैं ऐसी बातें सहन करता रहूं।

कुछ सदस्य : नहीं नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए और मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दीजिए।

बंगाल में राष्ट्रपति का शासन हाल ही में आरम्भ नहीं हुआ है लेकिन काफी समय

से चल रहा है । यदि आप समझते हैं कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है तो आप इस विषय पर वाद-विवाद की मांग कर सकते हैं । आप बलात स्थगन प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते । मैं इस ढंग को स्वीकार नहीं कर सकता । इस प्रकार के व्यवहार द्वारा, चिल्ला कर आप अपनी स्थगन प्रस्ताव की मांग को नहीं मनवा सकते । **(व्यवधान)**

श्री राम सहाय पांडे (राजनन्दगांव) : आप अनुचित व्यवहार करने वाले सदस्यों को निलम्बित कर दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से पुनः अनुरोध करता हूं कि स्थगन प्रस्ताव न रखें अपितु वे इस मामले को कार्य मंत्रणा समिति में उठा सकते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह गम्भीर मामला है इसीलिए इस पर कुछ सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इस स्थिति में आय द्वारा विनिर्णय देना कुछ उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि स्थगन प्रस्ताव ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा कुछ अन्य बातों पर विचार करने के बाद ही चर्चा हेतु लिये जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : उन लोगों ने खड़े होकर न मुझे, न किसी अन्य सदस्य को और न ही सरकार की बात सुनी । उन्होंने कहा कि "हम अपने स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति प्राप्त होने के बाद ही बैठेंगे" । अतः मुझे शीघ्र ही उस बात की घोषणा करनी पड़ी जिसकी बाद में भी करनी पड़ती ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : लेकिन आपको देशवासियों की भावनाओं को भी समझना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चर्चा करना चाहते हैं तो मैं इसे कार्य मंत्रणा समिति को भेज सकता हूं । आप कानून और व्यवस्था पर चर्चा कर सकते हैं जिसमें ये लोग भी बोल सकते हैं । लेकिन कोई ढंग तथा प्रक्रिया भी होनी चाहिये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इतने अध्यादेश जारी होने पर भी अध्यक्ष महोदय, जो प्रजातन्त्र को चलाते हैं, इस बारे में मौन ही रहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अध्यादेश सम्बन्धी प्रश्न जब चर्चा के लिये आयेगा तो आप इस विषय पर उस समय पर बोल सकते हैं ।

श्री समर गुह (कंटाई) : अनेक बार स्मरण पत्र देने तथा कहे जाने पर भी पिछले तीन महीनों से पश्चिम बंगाल सलाहकार समिति की बैठक नहीं हुई । यह देखना आपको कर्तव्य है कि प्रजातंत्रीय संस्थायें काम करें । इसीलिए ये लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह स्थगन-प्रस्ताव आज, यहां और अभी लिया जाना चाहिये ।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : किसी समस्या पर चर्चा की अनुमति देना या न देना आप पर निर्भर करता है । हम आपके आदेश का पालन

करते रहेंगे । किसी विषय पर चर्चा करने से हम डरते नहीं । हम चर्चा का स्वागत करते हैं । **(व्यवधान)**

श्री एल० एम० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सारे मामले पर पुनः विचार करने का आग्रह करूंगा । हमने पश्चिम बंगाल, मूल्य वृद्धि, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय आदि आदि विषयों पर स्थगन प्रस्ताव पेश किये हैं, आप सारे मामले पर निर्णय करने के लिये आज ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलायें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बात को नोट कर लिया है । यदि यह बात प्रक्रिया के अनुसार उठाई जाती तो मैं इसे अनुमति दे देता ।

मेरे सामने कुछ लिखित रूप में पड़ा है । मैंने अनुमति नहीं दी है । लेकिन असंतुष्ट सदस्य मुझे मेरे कमरे में मिलकर मुझे तसल्ली दिलायें और मैं इस पर पुनः विचार करूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 60 स्पष्ट है ।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृति करते हुए मैं कोई कारण नहीं बताता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमारे स्थगत प्रस्तावों का क्या बना ? **(व्यवधान)** कृपया हम सबको बात सुनकर अपना निर्णय दें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपको हमारे प्रस्ताव अस्वीकृत करने का खेद होता है और हमें आपकी बात न सुनने का खेद होता है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा परामर्श यह है कि आप ऐसा न किया करें ।

श्री सरोज मुखर्जी (कटना) : जब भी कोई स्थगन प्रस्ताव पेश हुआ वह अस्वीकृत किया गया । यह मेरा एक दुखद अनुभव है ·· **(व्यवधान)**

श्री राजबहादूर : मेरी समझ में नही आता कि मेरे मित्र क्या चाहते हैं । मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम हर विषय पर चर्चा करने को तैयार हैं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : हमें कोई प्रश्न उठाने तथा उस पर चर्चा करने का अधिकार तो जरुर है लेकिन जब कभी भी हम कोई प्रश्न उठाते या चर्चा करने की इच्छा प्रकट करते हैं तो हमं आज्ञा नहीं मिलती । इसी कारण हमारे कुछ साथी चिढ़ से जाते हैं । नियम बताने से आप किसी विषय पर चर्चा नहीं रोक सकते । मैं अनुरोध करूंगा की प्रक्रिया में इस प्रकार संशोधित किया जाये जिसके द्वारा सभी विषयों पर सभी सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सके ।

श्री रामसहाय पांडे : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन सदस्यों को सात दिनों के लिये निलम्बित किया जाये ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मंत्री महोदय ने कह दिया है कि सरकार चर्चा

करने के लिये तैयार है । अतः आप इस पर विचार करें और विपक्ष के साथियों को बतायें कि इस विषय पर चर्चा कब होगी ।

Shri B. P. Maurya (Hapur) : Sir, I also rise on a point of order. My oligection is that no business is being fransacted in this House for the 45 minutes. you should ensure the proper transaction of business in the House.

श्री ए० के० एम० इलहाक (सिरहात) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि आप इनके विरुद्ध कार्यवाही करें ताकि हम शेष सदस्यों को अपने विशेषाधिकार प्राप्त हो सकें । —**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री पीलू मोदी ने कहा है कि नियमों की अवहेलना होती है । क्या मैं जान सकता हूं कि नियमों की अवहेलना कहां हुई है ?

श्री पीलू मोदी : कई बार ।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन ये मुझ से मेरे चेम्बर में नहीं मिले ।

श्री पीलू मोदी : कई बार मिला हूं । एक बात मैं और कहना चाहता हूं । ऐसे कई विषय थे जिन पर हम संसद के पिछले सत्र में करना चाहते थे और जिन्हें सदन के सामने नहीं लाया गया ।

अध्यक्ष महोदय : ये विषय कार्य मंत्रणा समिति के सामने थे । इसके लिये मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे कुछ समय दें । अध्यक्ष सारा कार्य नियमों के अनुसार करता है, जिसके बाहर वह नहीं जा सकता ।

जहां तक कार्य का सम्बन्ध है, हर बात कार्य मंत्रणा समिति के सामने रखी जाती है जहाँ दलों के सारे नेता होते हैं ।

स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में कुछ प्रक्रियायें होती हैं । इन पर विचार करते हुये पूर्वाधिकारियों द्वारा किये गए निर्णयों को भी ध्यान में रखना पड़ता है । इस सदन की पहले से ही ऐसी प्रणाली रही है ।

कार्य व्यवस्था के बारे में भी इन्होंने कुछ बातें कही हैं । जिन निदेशों को मैं पढ़ता हूं वे मेरे पूर्वाधिकारियों द्वारा दिए गए थे । मैंने इनमें कुछ भी नहीं जोड़ा है । सदन में सदैव इनका ही पालन होता रहा है ।

नियमों को क्यों दोष लगाया जाए ? हमें इस सदन को संसदीय प्रणाली से चलाना है । आप मेरे चेम्बर में आ सकते थे और मैं अपना विनिर्णय बाद में दे सकता था । लेकिन आपने कहा—'अब या कभी नहीं ।'' अतः मैं क्या कर सकता हूं ? इसलिये मैं अब सदन को मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित करता हूं ।

(इसके बाद लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned tor lunch till Fourteen of the clock)

मध्याह्न-भोजन के पश्चात लोक-सभा 2 बजे म० प० पर पुन समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Fourteen of the clock

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारतीय सीमाओं पर पाकिस्तानी सेनाओं का कथित जमाव

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : श्रीमान, मैं रक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य हैं।

"भारतीय सीमाओं पर पाकीस्तानी सेनाओं का जमाव, पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण भारतीय धन-जन की हानि और पाकिस्तानी विभाग द्वारा भारतीय वायु-सीमा के बार-बार उल्लंघनों का कथित समाचार"

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति की उत्पत्ति का कारण सैनिक शासकों एवं बंगला देश की जनता के बीच संघर्ष है।

2. पाक सशस्त्र सेना द्वारा बंगला में 25/26 मार्च, 1971 की निर्णायिक रात्रि को आकस्कि किए गए भयानक प्रहार से सदन अवगत है। इससे पूर्व एक दशक के बाद पहली बार हुए निर्वाचन में बंगला देश की जनता ने आवामी लीग में अपना विश्वास व्यक्त किया और स्वायत्तता के 6 सूत्री कार्यक्रम के समर्थन में अपना मत दिया है। पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने, निर्वाचन के परिणाम का सम्मान करने की बजाय, बंगला देश की जनता को एक चुनौती दी तथा 25/26 मार्च की निर्णायिक रात्री को एक इस तरह का आंतक रचा जैसा कि न पहले देखा गया था या सुना गया था।

3. इस प्रक्रिया में अभूतपूर्व नृशंसता की गई है; लाखों आदमी निष्ठुर ढंग से मौत के घाट उतार दिए गए. गांव के गांव जला दिए गए हैं महिलाओं की बेहुरमती की गई है तथा बच्चों को अपंग कर दिया गया है। ढाका विश्वविद्यालय को आक्रमण का एक विशेष निशाना बनाया गया; सशस्त्र सैनाओं ने बुद्धिजीवियों, किशोरों एवं अल्पसंख्यकों पर विशेष लक्ष्य बनाया युद्ध के आधुनिक हथियार, जिनमें टैंक, आरमर्ड, कारें, तोपखाना एवं वायुयान भी शामिल हैं, का इस्तेमाल किया गया। इस आँतक के पीडितों पर सदन पहले ही अपनी सहानुभूति प्रकट कर चुका है।

4. बंगला देश की जनता एक होकर विद्रोह में उठ खडी हुई। ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और ईस्ट बंगाल रायफल्स ने भी विद्रोह किया और सशस्त्र पुलिस के अनेक सदस्य उनके साथ सम्मिलित हो गये जबकि जाहिरातौर पर सैनिक शासक, आवामी लीग से वार्तालाप मे लगे थे, वह पूर्वी बंगाल में 2 डिविजन सैनिक पहले ही ले आये थे। जब उनका सामना एक दृढ प्रतिरोध से हुआ तब उन्होंने बडे पैमाने पर वायु एवं समुद्र के रास्तों से जल्दी जल्दी कुमुक मंगाई। बाद में बडी संख्या में, पारा मिलीटरी सैनिक जिन्हें पाकिस्तान सिविल आर्मड कोर्स कहा जाता है और रजाकार संगठित किए गए हैं जो वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में तबाही कर रहे हैं।

5. पुरुष, स्त्रियां, तथा बच्चे, मुसलमान, हिन्दु इसाई और बौद्ध धर्मी इस अभूतपूर्व आंतक के कारण भाग खडे हुए तथा एक निरन्तर प्रवाह में भारत में शरण ली। आंतक बिना कम हुए लगातार जारी है। उसी प्रकार से शरणार्थियों का प्रवाह जारी है। यह 90 लाख की डगमगा देने वाली संख्या तक पहुंच गया है।

6. पाकिस्तान द्वारा की गई नृषंसता तथा बंगला देश की जनता की संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समाप्त करने के कठोर प्रयत्न ने, सारे दुनिया की सहानुभूति को जगा दिया है। सहस्त्रों पुरूषों एव महिलाएं जो कि भांति भांति के धर्म तथा उम्र के हैं, और जो कि एक बहुत ही निस्सहाय तथा दुर्बलता की स्थिति में हैं, उनका बलपूर्वक निष्कासन, जहां तक हमारा सम्बन्ध है एक नये प्रकार का आक्रमण हमारे लिए उनको शरण और सहायता के देने सिवाय कोई रास्ता नहीं था। उनका हमारे देश में और अधिक देर तक रहना हमारे ऊपर असहनीय मार डाल रहा है; हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति के लिये खतरा पैदा कर रहा है, हमारे संविधान द्वारा प्रतिष्ठापित मूलभूत मूल्यों को भी जोखिम में डाल रहा है तथा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तनाव पैदा कर रहा है। यह हमारी इच्छा है कि शरणार्थी अपने घर सम्मान मान मर्यादा एवं पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर वापस जाएं।

7. सैनिक शासकों ने अभी तक आंतकपूर्ण स्थिति को समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है तथा वैसी कोई भी स्थिति पैदा नहीं की है जिसमें शपणार्थी अपने घर जा सकें। जनता प्रेस, तथा विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा किए गए प्रयत्न अभी तक निष्फल सिद्ध हुए हैं।

8. बंगला देश की जनता स्वयं यह प्रयत्न कर रही है कि पाक सैनिकों द्वारा आंतक पूर्ण शासन असंभव हो जाए।

एक शक्तिशाली विद्रोही आन्दोलन ईस्ट बंगाल रेजिमेंट तथा ईस्ट बंगाल रेजिमेंट तथा ईस्ट बंगाल रायफल्स से शुरू होकर अब विकसित रूप धारण कर गया है। इसमें कुछ युवक बड़ी संख्या में शामिल हो गये हैं। उनके प्रतिरोध से पाक सेना हतोत्साह हो गई हैं। उनकी सफलताओं ने उनको मुक्ति के लिए आशान्वित किया है।

9. पिछले कई महीनों से सैनिक शासकों द्वारा यह प्रयत्न किया जा रहा है कि वे संसार का ध्यान उनके अभद्रतापूर्ण व्यवहार तथा गलतियों से हट जाए और भारत पर दोष मढ़ने के प्रयत्तन कर रहे हैं। हमारा दोष केवल यही है कि भीषण पीडा में पड़ी वहां की जनता से

हमने सहानुभूति दिखलाई और उसकी सहायता की।

लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति हमसे बदला लेने की धमकी देते हैं। यदि मुक्तिवाहिनी पाकिस्तानी जमघट के शिकंजों से अपने आप को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त करती है, वो जमघट जो कि बंगला देश में बलात्कार और लूट-पाट इस पैमाने पर मचा रहा है जिसका लिखित इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है। 30 जुलाई, 1971 को राष्ट्रपति याहया खान ने पूर्ण युद्ध की धमकी दी थी। 12 अक्तूबर को राष्ट्र के नाम भाषण में, यह धमकी पुनः दी गई इसी बीच, पाकिस्तान की सशस्त्र शक्ति को महत्वपूर्ण रूप में दृढ़ तथा मजबूत किया है। युद्ध के उन्माद को उत्तेजित किया गया है। एक पोस्टर अभियान में भारत को कुचल डालने और। भारत को जीतने की धमकी दी जा रही है। जिहाद की आवाज बुलन्द की गई है।

10. पूर्ण युद्ध की धमकी को स्वरूप देने के लिए राष्ट्रपति याहया खान ने सारे पश्चिमी सीमा पर भारी संख्या में अपनी सेना इक्टठी करने का आदेश दिया। राजस्थान, गुजरात तथा पूर्वी पंजाब की सीमा के साथ साथ पाकिस्तान की सेना हमारी सीमा के बहुत निकट तैनात कर दी गई। युद्ध विराम रेखा पर, करांची समझौते की शर्तों की अवहेलना करते हुए, विशेष ध्यान दिया गया है। अतिरिक्त पी ओ के बटालियन खड़ी की गई हैं। फ्रंटीयर कोर के सैनिक लाये गये है। बड़ी संख्या में मुजाहिद सक्रियित किए गए हैं तथा काराकोरम स्काउन्टस का अतिरिक्त दल संगठित किया गया है। समस्त पश्चिमी सीमा पर तथा युद्ध विराम रेखा पर सैनिक अड्डो के निकट बहुत भारी परिमाण में रक्षा सामग्री तथा गोला बारूद इक्टठा किया जा रहा है अक्तूबर माह के मध्य तक, पाकिस्तान की लगभग पूरी सशस्त्र शक्ति कैन्टोनमेंन्ट से दूर हमारी सीमाओ के निकट, सांग्रामिक तैयार स्थिति में लगा दी गई थीं। तब से पाकिस्तानी सेना क्रमगत रूप में भडकाने वाली कार्यकाही में लगी हुई है। भारी संख्या में सीमा उल्लंघन वायु तथा जमीन पर हुए हैं। पूर्वी सीमा पर भारतीय क्षेत्रों पर व्यापक रूप से गोलाबारी की गई है जिससे कि जान-माल की क्षति हुई है तथा हमारे कुछ नागरिक एवं हमारी भूमि में शरण लेने आए हुए शरणार्थी भी हताहत हुए हैं। युद्ध विराम रेखा पर दोनों तरफ से गोलाबारी हुई है। हमारी समस्त पूर्वी सीमाओं पर तोड-फोड की अनेक घटनायें हमारी संचार व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने के लिए की गई हैं।

11. महोदय मुझे अतिशयोक्ति करने की इच्छा नहीं है लेकिन हमारी सीमा पर स्थिति बहुत गम्भीर है। पाक सेना को हमारी तुलना में नजदीक इन्टीरियर लाइन का लाभ है। उनके आरमर्ड डिवीजन्स, जों कि पूर्ण सतर्कता की स्थिति में हैं, सम्मिलित रूप से कार्य करने के लिये तैयार हैं। हमें जो सूचनायें मिली हैं उनसे पता चला है कि उनकी योजानाओं का एक अंग यह है कि हमारे हवाई अड्डों पर पहले से ही प्रहार करके बेकार कर दिया जाए।

12. ऐसी स्थिति में हमारे समक्ष इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है कि हम अपनी सेना पश्चिमी सीमा पर भेंजे। आज हमारी सुरक्षा सेनायें समस्त पश्चिमी तथा पूर्वी सीमाओं पर किसी भी स्थिति का सामना करने के लिये पूरी तरह तैयार हैं हमारे जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है। सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा है उन्होने पूरे हृदय से

हमारी सुरक्षा सेनाओं को सारी सीमाओं में रक्षा व्यवस्था करने में सहयोग दिया है। हवाई हमला और तोड़फोड़ की कार्यवाही से प्रमुख स्थानों और संस्थानों के बचाव के लिए कदम उठा लिए गये हैं। हम अपनी सीमा क्षेत्र पर किसी भी आक्रमण को विफल करने के लिए कृत संकल्प हैं और यदि आवश्यकता हुई तो युद्ध आक्रमणकारी की भूमि पर ही ले जाया जायगा।

(13) मेरा विश्वास है कि हमारी सतर्कता हमारी तैयारियां पाकिस्तान के सैनिक शासकों को अपनी धमकियों को कार्यान्वित कर तीसरी बार युद्ध छेड़ने से हतोत्साह करेंगी। हम अपनी सतर्कता में शिथिलता लाने का विचार नहीं रखते न ही सीमा से सैनिकों को पीछे हटाने का, जब तक बंगला देश में उत्पन्न स्थिति का एक सन्तोषजनक हल नहीं निकाल लिया जाता जिससे शरणार्थी अपने घर वापस जाने के लिए उत्साहित हो सके तथा जा सकें। मैं चाहता हूं कि इस्लामाबाद और वहां के सत्ताधारी व्यक्तियों को बंगला देश की जनता को सैनिक शक्ति द्वारा दमन करने की निरकर्थता मालूम हो जाए और इतिहास से सबक लें तथा सन्तुलित सलाह को ध्यानपूर्वक सुनें। मैं उत्साह के साथ आशा करता हूं कि पाकिस्तानी शासक जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसे छोड़ देने में अपने को सफल कर पायेंगे और पूरे दिल से बंगला देश का एक राजनीतिक समाधान, जो बंगला देश के शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पूर्व निर्वाचित प्रतिनिधियों को मान्य हो, ढूंड पायेंगे। यही एक रास्ता है जिससे इस उपमहाद्वीप के लोगों की प्रजातांत्रिक स्वतन्त्रता की सुरक्षा हो सकेगी जिससे इस उपमहाद्वीप के लोग आर्थिक एवं सामाजिक विकास के शांतिपूर्ण कार्य में अपने को अर्पित करने का अवसर पा सकेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं इस बात से सहमत हूं कि पाकिस्तान के साथ तनाव का मुख्य कारण वहां के सैनिक शासकों और बंगला देश की जनता का आपसी संघर्ष है। मुक्ति वाहिनी के हाथों बुरी तरह परेशान होने के कारण वे हमारे देश के साथ युद्ध करने पर उतारू हैं। वे इसे अन्तर्राष्ट्रीय रूप देना चाहते हैं ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षक यहां आयें जिससे बंगला देश का स्वतन्त्रता संग्राम आगे न बढ़ पाये। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुक्ति वाहिनी ने बहुत से क्षेत्रों में अपना अधिकार कर लिया है परन्तु दुख इस बात का है कि प्रधान मंत्री ने अभी तक बंगला देश को मान्यता नहीं दी है।

मुझे "पैट्रीयट" समाचारपत्र से यह ज्ञात हुआ है कि पाकिस्तानी विमान हमारी वायु सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं, 1962 और 1965 के संघर्ष के दौरान हमारे जवानों और सैनिक अधिकारियों ने जो वीरता दिखाई थी उससे मुझे विश्वास है कि वे भविष्य में होने वाले किसी भी हमले का सामना करने में समर्थ हैं। हमने अतिक्रमण करने वाले पाकिस्तानी विमानों को नहीं मार गिराया है, ये विमान पंजाब, छम्ब और कतिपय अन्य स्थानों तक आये हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारे जवानों को पाकिस्तानी विमान मार गिराने का आदेश मिला हुआ है या नहीं ? हमने पाकिस्तानी विमानों को यहां तक क्यों आने दिया है ?

मैं यहां सुस्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा दल युद्ध नहीं चाहता है, हम ऐसा वातावरण नहीं बनाना चाहते हैं परन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए

और पाकिस्तानी सेना को हमारी सीमा पार न करने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, आसाम, काश्मीर और अन्य स्थानों की सीमाओं में पाकिस्तान द्वारा लगातार गोलाबारी करने के समाचार मिल रहे हैं जिससे वहां रहने वाले भय के से वातावरण में समय बिता रहे हैं। मंत्री महोदय का कहना है कि हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिये तैयार हैं, इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है। हम जानना चाहते हैं कि क्या सीमा-क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जान तथा माल की रक्षा की जायेगी तथा ऐसी स्थितियाँ पैदा की जायेंगी जिसमें पाकिस्तानी सीमा न पार सकें तथा हमारे देश की निरीह जनता की हत्या न कर सकें।

मैंने रक्षा मन्त्री का संपूर्ण वक्तव्य पढ़ा है। जबकि मुक्ति वाहिनी वहां युद्ध कर रही है, हमें अपनी सीमाओं की चौकसी करनी चाहिये। हम मुक्ति वाहिनी की सफलता चाहते हैं, जबकि हम बंगला देश के लिए विश्व जनमत तैयार कर रहे हैं और वहां जनता स्वतन्त्र बंगला देश के लिये अपना जीवन दे रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि हम इस उद्देश्य के लिये क्या कर रहे हैं ?

क्या हम अभी भी उनके दुःख को चुपचाप देखते रहेंगे या बंगला देश को मान्यता देंगे ?

श्री जगजीवन राम : मैंने जो उत्तर दिया है उसमें पहले के दोनों प्रश्नों के उत्तर आ गये हैं। निस्सन्देह हवाई सीमा का उल्लंघन हुआ है और हमारे विमानों ने पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ दिया था। उन्हें अनुदेश दिये गये हैं कि जब हवाई उल्लंघन हो तो उन्हें खदेड़ा जाना चाहिये... (व्यवधान)

जहां तक त्रिपुरा, आसाम, मेघालय और पश्चिम बंगाल में पूर्वी सीमा पर गोला-बारी का प्रश्न है, मैं कह चुका हूं कि गोलाबरी हुई है। पाकिस्तनी सैनिक सीमा पार करके हमारे देश में नहीं आ सके हैं। यदि उन्होंने सीमा पार की तो उन्हें पाकिस्तान में खदेड़ दिया जायेगा ... (व्यवधान)

यह अनुदेश दिया गया है। यदि आक्रमण होगा तो युद्ध पाकिस्तान की भूमि में ले जाया जायेगा।

जहाँ तक बंगला देश को मान्यता देने का प्रश्न है, उपयुक्त समय आने पर वह भी किया जायेगा।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : रक्षा मन्त्री ने कहा है कि यदि पाकिस्तानी सैनिक हमारी सीमा पार करके देश में घुस आते हैं तो उन्हें खदेड़ दिया जायेगा। में थोड़ा स्पष्टीकरण चाहता हूं।

समूचे त्रिपुरा में लगातार मोर्टारों की गोलाबारी और अन्य गोलाबारी हो रही है। बेलोनिया, सोनपुरा, अगरतला और कमालपुर इन चार शहरों में से तीन शहर पूर्णतया खाली हो गये हैं। हाल में एक शक्तिशाली मोर्टार की गोलाबारी हुई जिसमें 6 व्यक्ति मारे गये और 20 बुरी तरह घायल हुये।

समूचे सीमावर्ती क्षेत्र में आये दिन गोला बारी होती है । पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण लोगों के जीवन तो समाप्त हो ही रहे हैं साथ ही साथ वहां फसलों, मकानों, पशुओं आदि को भी भारी क्षति पहुंच रही है । लोग वहां से अन्य स्थानों को जा रहे हैं ।

जब मंत्री महोदय यह कहते हैं कि हमारे जवान सीमा को सुरक्षित रखने के लिये तत्पर है, तो सरकार सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले उन भारतीय राष्ट्रिकों को राहत देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है जो लगभग शरणार्थी बन चुके हैं और जो वहां से उजड़ गये हैं । यदि यह मामला निपटाया नहीं गया तो वे पुन: अपने घर नहीं लौट सकेंगे ।

मन्त्री महोदय ने कहा है कि बंगला देश को उपयुक्त समय पर मान्यता प्रदान की जायेगी । यह उपयुक्त समय कब आयेगा । पाकिस्तानी सेना सीमावर्ती क्षेत्र में जमी हुई है और लगातार गोला बारी कर रही है । यदि बंगला देश को मान्यता दी गई तो मुक्ति वाहिनी को अधिक शक्ति मिलेगी और फिर वह न केवल पाकिस्तानी सेना को भारतीय सीमा से ही खदेड़ेगी वरन बंगला देश में ही उन्हें कुचल देगी ।

बंगला देश को मान्यता कब दी जायेगी ?

श्री जगजीवन राम : जहां तक सीमा पर त्रिपुरा में गोला बारी का सम्बन्ध है और माननीय सदस्य ने कमालपुर और बेलोनिया का उल्लेख किया है, मैं बताना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में मुक्ति वाहिनी ने अद्भुत कार्य किया है और पाकिस्तानी सेनाओं को खदेड़ कर उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है । सीमावर्ती गांवों और शहरों को खतरा है परन्तु वहां सम्बन्धित प्रशासन लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

बंगला देश को मान्यता उचित समय पर दी जायेगी और उचित समय के लिये कई बातें देखनी पड़ती हैं ।

मुक्ति वाहिनी की जल थल और नभ की गतिविधियों के लिए विदेशों में रहने वाले बहुत से बंगला देश के नागरिकों की ओर से आवश्यक धन राशि और सैनिक सामान मिल रहा है ।

श्रीमती मुकुल बनर्जी (नई दिल्ली) : सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा सम्बन्धी अच्छी तैयारियों के लिये मैं रक्षा मन्त्री को बधाई देती हूं । साथ ही मैं प्रधान मंत्री को भी बधाई देना चाहती हूं जिन्होंने विश्व के अन्य देशों के सम्मुख बंगला देश के बारे में वास्तविक स्थिति स्पष्ट की है । परन्तु जैसा हम देख चुके हैं, कि जिन देशों ने पिछले दिनों में हमारा पक्ष नहीं लिया था वे भी हमारा पक्ष ले रहे हैं और हमारी विदेश नीति समूचे विश्व में हमारे नेताओं की योग्यता के कारण सफल हुई है परन्तु इस सबके बावजूद हमारी सीमाओं पर लगातार गोलाबारी हो रही है और अतिक्रमण हो रहा है, इसे हमारी जनता कब तक सहन करती रहेगी ?

राधिकापुर जो पश्चिम दीनाजपुर में अन्तिम स्टेशन है वहाँ निर्दोष नागरिक मारे गये हैं । आसाम के कचार और दूसरे जिलों में तोड़-फोड़ की कार्यवाही जारी है और कुछ राजनीतिक दल इन्हें संरक्षण दे रहे हैं । इसे रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगजीवन राम : सीमावर्ती क्षेत्रों और गांवों में कभी कभाक गोलाबारी हो जाती है। हमें सयम से काम लेना है। यदि युद्ध होगा तो हमारे जवान और हम उसका दृढ़ता से सामना करेंगे।

हमने जासूसी और तोड-फोड़ करने वालों को रोकने के लिये कार्यवाही की है। ऐसी स्थिति में शत्रु देश बहुत से जासूस भेजता है। हमारी इंटेलीजेंस एजेन्सियों को सतर्क रहना है और जघन्य तत्वों को आवांछनीय कार्यवाही करने से रोकना है। उनके द्वारा बहुत से जासूस पकड़े गये हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The Government is making Contradictory statements. On the one hand our Defence Minister says that the report received by us indicate pre-emptive strikes on our air fields as part of their plans and Pakistan may, at any time, attack and try to make our Air Force ineffective. On the other hand the hon. Minister accepts that there is continous shelling on our border by Pakistan every days there air incidents and air space violations and our jawans and civilians are being killed. Inspite of this situation the hon. Minister says that if the aggression is committed, the instruction is to carry war into Pakistan's soil. Does it mean that we are awaiting any new aggression? Are the influx of 10 million people into India, political instability, economic burden not indication of war?

Why should not our military forces be instructed to enter into the hostile country and destroy the places wherefrom shelling is carried on. On our borders and refugees are pushed into our territory?

The hon Minister has stated that our Air Force has been instructed to chase the aircraft of Pakistan. Does the hon. Minister not remember the statement given by him in Rajya Sabha on 23 July in a reply to questions? Whether the Minister was prepared to give assurance to this House that orders had been given to shoot dwon the indruding Pakistan Air craft; and the Minister replied; well, sir, I can give the assurance. On that occasion it was stated that air craft would be shoot down. Now he is saying that they will be chased. We can't shoot their aircraft. How long we will tolerate air space violations? Was the assurance given by the hon. Minister in Rajya Sabha regarding shoot down the intruding aircraft wrong? Is the hon. Minister still prepared to give assurance in regard to shooting down the intruding aircraft? I talk of attack only for defence. Because attack includes defence.

The hon. Minister of defence say that our troops on borders will be withdrawn only when the Bangla Desh problem is solved. General Yahya Khan is electing other persons in place of those who were elected in the last election in East Pakistan. Will the previously elected leaders of East Pakistan be able to talk of the solution of the problem? Yahya Khan may play a drama of releasing Mujibur Rahman but what will be the fate of 10 millon refugees?

There is no likelihood of the refugees returning unless Bangla Desh is freed and a secular Government is set up there.

There is much hue and cry over political solution. But until the Pakistan military is there in Bangla Desh, and atrocities are committed on the people of Bangla Desh, no refugee will be prepared to return.

Are the Government prepared to give ultimation to Pakistan military dictators saying that aggre sive activities should be stopped within a week failing which every way is opened for India ? There is no question of attack in it but it will be reply to the attack which has been launched on us by Pakistan.

Shri Jagjivan Ram : Shri Vajpayee has raised the question of air violation. We have given clear instructions that any intruding aircraft should be shoot down.

I myself have stated that shelling is contining on our borders and it is a tactful attack by throwing one crore refugees in our country. I have also stated that provocative activities are done but we are exercising restraint. However any air violation or shelling may be declared as attack by us but I have said of aggression in this sense that if the Pakistan troops cross our borders, our jawans will throw them out.

I want to say firmly that there is nothing like indecision in it. We are working with a decision.

The refugees would return only when they are convinced of their prestige and safety. The political solution of the Bangla Desh problem may be the solution which is acceptable to the elected leaders of Bangla Desh. They have stated that only the decision of full freedom and not the other will be acceptable to them. They have repeated it that they want to call their people back to Bangla Desh after setting up a secular and democratic govern- ment. This is the opinion expressed by the elected leaders of Bangla Desh.

As expressed by Mr. Vajpayee that Pakistan militaiy dictators will hold fresh elections in Bangla Desh, it is not a new thing in the history of world. When such a situation arises the puppet-Cabinet are formed. But the Pakistan military rulers will have to meet their doom as others had to meet in the world.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I have full faith in the firmness of the hon. Minister of Defence.

It appears from the activities of the Mukti Bahini that Bangla Desh is going to be independent within a week or two. The 55 crores people of our country have given regcognition to Bangla Desh. I would like to urge upon the hon. Minister to give recognition to Bangla Desh during the weak which is the best and appropriate time

May I know from the hon. Minister of Defence that these U. S. aircrafts (**Interruptions**) They are U. S. aircrafts which are used by Pakistan and they are violating our air space. Whether there are American or foreigner pilots in these aircraft ? If so, whether such aircrafts with foreign pilots will be shoot down?

Shri Jagjivan Ram : Bangla Desh will be recognised at the appropriate time.

Pakistan is a foreign country to us so the pilots are naturally foreigners.

We have given clear instructions to our forces to shoot down any intruding Pakistan aircraft.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अत्यावश्यक सेवाएं बनाये रखना अधिनियम 1968 के अधीन अधिसूचनाएं

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : मैं श्री उमाशंकर दीक्षित की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) एस० ओ० 3748, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अत्यावश्यक सेवाएं बनाये रखना अधिनियम, 1968 के प्रयोजनार्थ दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में स्वच्छता तथा जल निकासी से सम्बन्धित सेवा को अत्यावश्यक घोषित किया गया है।

(2) एस० ओ० 3749, जो भारत के राजपत्र, 10 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में स्वच्छता और जल निकासी से सम्बन्धित किसी सेवा में हड़ताल का निषेधादेश दिया हुआ है। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 928/71]**

Shri Atal Bihari Vajpayyee (Gwaliar) : The honrible Minister is going to lay copies of 13 ordinances befor this House. There was written a letter to the honrible Speaker about the prpriety of two action in the inter-session period.

रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री बी० सी० गांगुली की सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में वक्तव्य

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : मैं रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री बी० सी० गांगुली की समय से पूर्व सेवा-निवृत्ति के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 929/71]**

मैसूर विधान मंडल पीठासीन अधिकारी चिकित्सीय उपचार निगम, अक्तूबर और नवम्बर, 1971 में प्रख्यापित अध्यादेश और महापतन न्यास अधिनियम, 1963

केदार नाथ सिंह : मैं श्री राज बहादुर की ओर से......

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय अध्यादेशों की प्रतिलिपिया सभा-पटल रख रहे हो आप इस सम्बन्ध में बाद में आपति उठा सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस पर चर्चा करने के लिये समय निर्धारित किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका पत्र अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है।

श्री केदार नाथ सिंह : मैं श्री राज बहादुर की ओर से निम्न लिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 27 मार्च, 1971 की उदघोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित, मैसूर विधानमण्डल वेतन अधिनियम, 1956 की धारा 15 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मैसूर विधान-मण्डल

(पीठासीन अधिकारी) चिकित्सीय उपचार (विशेष) नियम, 1971 की एक प्रति, जो मैसूर राजपत्र दिनांक 15 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 212 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 930/71**]

(2) संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 11) जो राष्ट्रपति द्वारा 11 अक्तूबर 1971 को प्रख्यापित किया गया।

(दो) कोकिंग कोयला खान (आपात उपबन्ध) अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 12) जो राष्ट्रपति द्वारा 16 अक्तूबर, 1971 को प्रख्यापिक किया गया।

(तीन) एशियन रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 13) जो राष्ट्रपति द्वारा 1971 को प्रख्यापिक किया गया।

(चार) जयन्ती शिपिंग कम्पनी (अंशों का अर्जन) अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 14) जो राष्ट्रपती द्वारा 17 अक्तूबर, 1971 को प्रख्यापित किया गया।

(पांच) छोटे सिक्के (अपराध) अध्यादेश 1971 (1971 का संख्या 15) राष्ट्रपति द्वारा 22 अक्तूबर, 1971 को प्रख्यापित किया गया।

(छः) स्टाम्प और उत्पादन-शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 16) जो राष्ट्रपति द्वारा 22 अक्तूबर, 1971 को प्रख्यापित किया गया।

(सात) रेल यात्री भाड़ा अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 17) जो राष्ट्रपनि द्वारा 22 अक्तूबर, 1971 को प्रख्यापित किया गया।

(आठ) डाक वस्तुओं पर कर अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 18) जो राष्ट्रपति द्वारा 22 अक्तूबर 1971 को प्रख्यापित किया गया।

(नौ) अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 19) जो राष्ट्रपति द्वारा 30 अक्तूबर, 1971 को प्रख्यापित किया गया।

(दस) उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 20) जो राष्ट्रपति द्वारा 1 नवम्बर, 1971 को प्रख्यापित किया गया।

(ग्यारह) दिल्ली सड़क परिवहन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 21) जो राष्ट्रपति द्वारा 3 नवम्बर, 1971 को प्रख्यापित किया गया।

(बारह) विश्व भारती (संशोधन) अध्यादेश 1971 (1971 का संख्या 22) जो राष्ट्रपति द्वारा 3 नवम्बर, 1971 को प्रख्यापित किया गया है।

(तेरह) मोटर गाड़ी (अधिग्रहण और नियन्त्रण) अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या

23) जो राष्ट्रपति द्वारा 19 नवम्बर, 1971 को प्रख्यापित किया गया।
[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 931/71]

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेंजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कोचीन पत्तनन्यास के वर्ष 1969-70 के वार्षिक लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मारमागाव पत्तन न्यास के वर्ष 1969-70 के वार्षिक लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1969-70 के वार्षिक लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखा परोक्षा प्रतिवेदन।

(चार) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1969-70 के वार्षिक लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(पांच) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1969-70 के वार्षिक लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 932/71]**

वर्ष 1971–72 में केन्द्रीय सरकार के बाजार ऋणों के बारे में एक विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1971-72 के दौरान लिये गये बाजार ऋणों के परिणाम का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 933/71[**

तमिलनाडु विद्युत सप्लाई सेवा को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने सम्बन्धी अधिसूचना

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं अत्यावश्यक सेवाएं बनाये रखना अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3403 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तमिल नाडु राज्य की जनता को विद्युत ऊर्जा की सप्लाई से अथवा ऐसे सप्लाई के प्रयोजनार्थ विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, संग्रहण अथवा पारेषण से सम्बन्धित सेवा का अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 934/71]**

पश्चिम बंगाल अग्निशामक सेवा को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने सम्बन्धी अधिसूचना

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं अत्यावश्यक सेवाएं बनाये रखना

अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3335 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पश्चिम बंगाल अग्निशामक सेवा को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 935/71]**

देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में विवरण

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : मैं देश में बाढ़ की स्थिति और आसाम में हाल ही में आये तूफान के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 936/71]**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, गुजरात कृषिक भूमि अधिकतम सीमा (प्रतिकर बंध) संशोधन नियम, आदि-आदि के अधीन अधिसूचनाएं

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) उर्वरक (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1214 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उर्वरक (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1215 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 937/71]**

(2) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित, गुजरात कृषिक भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 की धारा 53 की उपधारा (4) के अन्तर्गत गुजरात कृषिक भूमि अधिकतम सीमा (प्रतिकर बंध) (संशोधन) नियम, 1971 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एच० एम० 3650– एम. आई. सी. एच. 1071/36958–जे में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 938/71]**

(3) भाण्डागारण नियम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागारण निगम (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर, 1971 में

अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1297 में प्रकाशित हुए थे [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 939/71**]

वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1971

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं प्रो० शेरसिंह की ओर से अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत वनस्पति तेल उत्पाद नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1340 में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 940/71**]

केरल, पश्चिम बंगाल और आसाम में विद्युत सप्लाई सेवा को अत्यावश्यक सेवाएं घोषित करने सम्बन्धी अधिसूचनाएं

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : मैं, श्री बैजनाथ कुरील की ओर से सेवाएं बनाये रखना अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3513, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उपर्युक्त अधिनियम, के प्रयोजनार्थ केरल राज्य की जनता को विद्युत ऊर्जा की सप्लाई से अथवा ऐसी सप्लाई के प्रयोजनार्थ विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, संग्रहण अथवा पारेषण से सम्बन्धित सेवा को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 941/71**]

(2) अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4035, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा उपर्युक्त अधिनियम प्रयोजनार्थ पश्चिमी बंगाल राज्य की जनता को विद्युत ऊर्जा की सप्लाई से अथवा, ऐसी सप्लाई के प्रयोजनार्थ विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, संग्रहण अथवा पारेषण से सम्बन्धित सेवा को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 942/71**]

(3) अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4037, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके उपर्युक्त अधिनियम, के प्रयोजनार्थ असम राज्य की जनता को विद्युत ऊर्जा की सप्लाई से अथवा, ऐसी सप्लाई के प्रयोजनार्थ विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, संग्रहण अथवा पारेषण से सम्बन्धित सेवा को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 943/71**]

गुजरात राज्य के सम्बन्ध में बम्बई मद्य निषेध अधिनियम, 1949 के अधीन अधिसूचनाएं तथा तत्सम्बन्धी विवरण

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैं

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा के खन्ड (ग) (चार) के साथ पठित बम्बई मद्य-निषेध अधिनियम, 1949 की धारा 143 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) बम्बई सीरा (गुजरात संशोधन) नियम, 1971 जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 25 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी एच/एसएच-2688–एम एल एस-1069/9240-पी में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) मादक द्रव के रूप में प्रयोग के लिये अनुपयुक्त गुजरात वस्तु (निर्माण और आयात) (संशोधन) विनियम नियम, 1971, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 25 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जीएच-एसएच, 2704-बी पीए-1270/13834-पी में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) गुजरात औद्योगिक ऐल्कोहल (बन्ध में समुद्रपारीय निर्यात के लिये आयात, संग्रहण और बिक्री) (संशोधन) नियम, 1971, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या जीएच-एसएच–2756 बीपीए-1270-12232-पी में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) गुजरात विकृतीकृत मद्यसारमय निर्मित्तियां (संशोधन) नियम, 1971 जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 20 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जीएच-एसएच-2848-बीपीए-2670/109142-पी में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) अधिसूचना संख्या जीएच/एसएच/2855/बीपीए-1271/34196-पी, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 20 मई, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा गुजरात पोस्ता कैपस्युल (संशोधन) नियम, 1967 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(छः) बम्बई विकृतीकृत स्पिरिट (गुजरात पहला संशोधन) नियम, 1971, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 27 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जीएच-एसएच-2258 डीएनएस-1069-60600-पी में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 723/71]**

(2) (एक) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित बम्बई मद्यनिषेध अधिनियम, 1949 की धारा 143 के उपधारा (4) के अन्तर्गत बम्बई विदेशी शराब (गुजरात संशोधन) नियम, 1970 की एक प्रति, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 28 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जीएच-एसएच-2439/एफएलआर-1069/104710-पी में प्रकाशित हुई थी तथा तत्सम्बन्धी

शुद्धि-पत्र जो दिनांक 1 मई, 1971 की अधिसूचना संख्या जीएच-एसएच 2827/एफएलआर-1069-18374 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण।

(तीन) उपर्युक्त पद (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 944/71]**

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउण्डरी एण्ड फोर्ज टेकनालोजी, रांची का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (प्रो० डी० पी० यादव) : मैं नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउण्डरी एण्ड फोर्ज टेकनालोजी, रांची, के वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 945/71]**

राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान एक सदस्य के आचरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

REPORT OF COMMITTEE ON THE CONDUCT OF A MEMBER DURING PRESIDENT ADDRESS

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान एक सदस्य के आचरण सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर सदस्यों के लिए मार्ग-दर्शन के बारे में समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाने का प्रस्ताव

MOTION RE. EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF REPORT OF COMMITTEE ON GUIDELINES FOR MEMBERS DURING PRESIDENT'S ADDRESS

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा संसद सदस्यों के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर सदस्यों के लिये मार्ग-दर्शन के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान एक सदस्य आचरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय को बजट सत्र, 1972 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि यह सभा संसद् सदस्यों के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर सदस्यों के लिये मार्ग-दर्शन के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान एक सदस्य आचरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय को बजट सत्र, 1972 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा के सम्बन्ध में वक्तव्य

Statement re. Prime Minister's Visit abroad

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : मैं हाल ही में बेल्जियम. आस्ट्रिया, ब्रिटेन, अमरीका फ्रांस तथा पश्चिमी जर्मनी की यात्रा से लौटी हूं । बंगला देश में और पश्चिम पाकिस्तान की सीमा पर गम्भीर स्थिति के बावजूद मैंने यह यात्रा इस लिए की क्योंकि यह हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम पर जो बोझ डाला गया है उसे कम करने और साथ ही उन लोगों को हतोत्साहित करने, जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के बहाने ढूंढ रहे हैं, हर सम्भव उपाय किए जायें । मुझे जनता के मनोबल तथा सब दलों की एकता पर पूरा भरोसा था । इसी लिए मैं इस समय, जब राष्ट्र को खतरा है. इस यात्रा को कर पाई हूं । इस यात्रा में मुझे विभिन्न देशों की सरकारों के अध्यक्षों तथा जनता के नेताओं के साथ विचार विमर्श करने तथा उनके समक्ष अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों, आपसी सम्बन्धों, विशेषकर बंगला देश की स्थिति और इसके परिणामस्वरूप हमारे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे तथा इस क्षेत्र में शान्ति को पैदा हुए खतरे के बारे में अपना मत पेश करने का अवसर मिला है । बातचीत के परिणामस्वरूप कई गलत फहमियां दूर हो गई हैं । समस्या का मूल कारण यह है कि पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने अपनी ही जनता के निर्णय को अस्वीकार किया है और बंगला देश में भारी आतंक फैलाया है जिसके बाद भारी संख्या में शरणार्थी भारत आये हैं । मेरे विचार से अब ये देश तथा अन्य देश महसूस करते हैं कि जब तक इस समस्या का पूर्वी बंगाल की जनता द्वारा निर्वाचित नेताओं के साथ बातचीत करके उनकी वास्तविक इच्छाओं के अनुसार कोई राजनीतिक हल नहीं निकाला जाता, अन्य समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता । अधिकाँश देश इस बात को भी महसूस करते हैं कि शेख मुजीबुर्रहमान को रिहा करना अत्यन्त आवश्यक है और इस परियोजन के लिए पाकिस्तानी शासकों पर दबाव डाला जाना चाहिये । अब तक इस मामले को पाकिस्तान का आंतरिक मामला समझा जाता था परन्तु अब इस समस्या का तुरन्त समाधान करने की भावना बढ़ती जा रही है । पाकिस्तान की मूल विषय को अलग करने और संयुक्त राष्ट्र को बीच में लाकर इस तनावपूर्ण स्थिति को भारत-पाकिस्तान संघर्ष का रूप देने की

कोशिश असफल रही है। अब भारत पाकिस्तान की चालों से गुमराह नहीं होगा और पाकिस्तानी सैनिक जनता को उन लोगों के साथ, जिनके साथ उन्होंने अन्याय और बर्बरत से व्यवहार किया है, समझौता कर लेना चाहिए।

अमरीका की यात्रा के दौरान मुझे बताया गया था कि उन्होंने पाकिस्तान को और सैनिक सामान भेजना बन्द कर दिया है। इस बीच इस बारे में औपचारिक घोषणा कर दी गई है। मुझे यह भी बताया गया था कि ब्रिटेन, फ्रांस, और जर्मन रीपब्लिक से भी हथियार सप्लाई नहीं किये जा रहे हैं। पाकिस्तान को यह महसूस करना चाहिए कि भारत पर सैनिक कार्यवाही करने से कोई लाभ नहीं होगा। मुझे आशा है कि जिन नेताओं से मैं मिली हूं, वे इसके लिए पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे क्योंकि ठोस तथ्यों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम जिस प्रकार 90 लाख शरणार्थियों की देखभाल कर रहे हैं। उसके बारे में सभी देशों की सहानुभूति हमारे साथ है।

ये सब देश इस पर इस बात पर सहमत हैं कि पूर्वी बंगाल में ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जिससे शरणार्थियों की संख्या और न बढ़े और भारत में आए शरणार्थी भी सुरक्षा की भावना और मानवीय प्रतिष्ठा के साथ अपने देश लौट सकें।

इसके साथ मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय पर निर्भर नहीं करना चाहिए। जहां तक हमारी सुरक्षा का सम्बन्ध है, हमें अपनी स्वतन्त्रता और अखण्डता की रक्षा करने के लिये तैयार रहना चाहिए। यह स्पष्ट है कि जब तक बंगला देश की स्थिति का संतोषजनक समाधान नहीं हो जाता, जिससे कि हमारे देश को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है, हम सीमाओं से अपनी सेनाओं को हटाकर खतरा मौल नहीं ले सकते। इस समय योरुप में समझौते की भावना है और हमें आशा है कि इस महाद्वीप में स्थाई सुरक्षा का कोई उपाय निकल आयेगा। इसका प्रभाव विश्व के अन्य भागों पर भी पड़ेगा।

उपर्युक्त देशों के साथ आपसी आर्थिक सम्बन्धों पर भी चर्चा की गई थी। बेल्जियम, फ्रांस तथा पश्चिम जर्मनी ने महसूस किया है कि भारत और योरुपीय आर्थिक समुदाय के बीच सम्बन्धों के सुधार के बारे में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये। औद्योगिक, प्राद्यौगिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में हमारे सहयोग की नई सम्भावनाएं पैदा हुई हैं।

मेरे विचार में इस यात्रा से ब्रिटेन के हमारे सम्बन्धों को, जिन्हें वर्ष 1965 में भारी धक्का लगा था, पुनः सुधारने में भी सहायता मिली है। अन्त में अपनी जनता और राजनीतिक दलों का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने बड़ी बुद्धिमता और संयंत्र से काम लिया है और विदेशी खतरे का सामना करने के लिये एकता बनाये रखी है।

अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में

Re. Motion of no confidence

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री समर गुह से नियम 198 के अन्तर्गत मंत्रीमण्डल में अविश्वास का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कारण यह दिया गया है कि सरकार शरणार्थियों को इनके घर वापस भेजने में असफल रही है। जो सदस्य इसको लिये जाने के पक्ष में है वे अपने अपने स्थान परा खड़े हो जायें।

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिकी मन्त्री, गृह मन्त्री और सूचना तथ प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : माननीय सदस्य सभा में उपस्थित नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है अतः इसको प्रस्तुत किया गया नहीं माना जायेगा।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैंने जैसे ही इसके बारे में सुना मैं यहां पर पहुंच गया हूं। परन्तु मैं इस प्रस्ताव को लिए जाने के लिए जोर नहीं देना चाहता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने हमारा परामर्श स्वीकार कर लिया है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उड़ीसा में खतरनाक समुद्री तूफान आया है जिसमें लगभग 20,000 लोगों की जान गई है। सम्पत्ति को भी बहुत क्षति पहुंची है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : एक वक्तव्य सभापटल पर रखा जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : तूफान में हुई हानि के बारे में एक वक्तव्य सभापटल पर रख दिया गया है।

नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियों तथा सेवा की शर्तें) विधेयक

CONTROLLER AND AUDITOR GENERAL'S (DUTIES, POWERS AND CONDITIONS OF SERVICE) BILL

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की सेवा की शर्तों को अवधारित करने तथा उनके कर्तव्यों और शक्तियों को विहित करने और उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिये विधेयक पर विचार किया जाये"

संविधान में नियंत्रक तथा महलोखापरीक्षक को एक विशेष स्थिति प्राप्त है और इसके कर्तव्यों तथा सेवा की शर्तों के बारे में एक पूरा चैप्टर है। इस समय इस बारे में तीन अधि-

नियम हैं। संविधान के अनुच्छेद 149 में इसके कर्तव्य आदि दिये गये हैं। इन सभी बातों के लिए यह विधेयक लाया गया है। ऐसा ही एक विधेयक पिछली लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और विधेयक की जांच के लिए यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा गया था। संयुक्त समिति द्वारा एक प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया गया था। परन्तु इस विधेयक पर चर्चा नहीं की जा सकी थी और इसका समय समाप्त हो गया था। अतः इस लिए यह नया विधेयक हम लायें हैं। इसमें संयुक्त समिति की सभी सिफारिशों को शामिल किया गया है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के लेखों की लेखापरीक्षा का सम्बन्ध है, हमने पुरानी शक्तियों तथा स्थिति को बनाये रखा है। सेवा की शर्तों में कुछ परिवर्तन किया गया है। वर्तमान विधेयक में नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक को एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान करा दिया गया है।

पहले भी नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का वेतन चार हजार रुपये था। हमने कहा है कि इसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के समान कर दिया जायेगा। कालावधि छः वर्ष ही रहने दी गई है। परन्तु उसकी आयु 65 वर्ष हो जाती है और छः वर्ष पद पर पूरे नहीं होते तो भी नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक को सेवा निवृत कर दिया जायेगा। पेंशन के मामले में भी कुछ परिवर्तन किये गये हैं। मेरे विचार में इससे पिछली स्थिति में कुछ सुधार ही होगा।

नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक अब उन निकायों तथा राज्य सरकारों अथवा संघराज्य क्षेत्रों के, जो केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त सहायता तथा अनुदान लेते हैं, लेखों की लेखापरीक्षा कर सकेगा। यह एक अतिरिक्त जिम्मेदारी इसको सौंपी गयी है।

नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियों को भी लेखापरीक्षा कर सकेगा तथा स्वयं को इस बारे में संतुष्ट करेगा कि तत्सम्बन्धी नियम तथा प्रक्रिया प्रभावशाली जांच के लिए ठीक है।

इसके अतिरिक्त नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक किसी भी अन्य निकाय अथवा प्राधिकार के लेखों की जाँच कर सकेगा। इसके लिए उसे सरकार से लोकहित में अनुरोध करना होगा।

मेरे विचार में मैंने नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बता दिया है मेरे विचार में इस विधेयक को गत संसद में ही स्वीकार कर लिया जाना चाहिए था। अतः मुझे आशा है यह सभा इसको स्वीकार करेगी।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : माननीय मन्त्री ने कहा था कि वह भारतीय विधि निगम सम्बन्धी प्रकट समिति की सिफारिशों को इस विधेयक में शामिल न किये जाने के कारण बतायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि वे कारण क्या हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : संयुक्त समिति में इस प्रश्न पर विचार किया गया था और

यह निर्णय किया गया था कि इस विधेयक में संशोधन करने के बजाय अधिनियम में संशोधन करना बेहतर होगा। अतः हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मुझे खेद है कि गत विधेयक की त्रुटियों को इस विधेयक में भी दूर नहीं किया गया है। इस विधेयक में नियन्त्रण तथा महालेखापरिक्षक के अन्तर्गत काम कर रहे कर्मचारियों के बारे में कोई उपलब्ध नहीं है। लेखों की बातें, त्रुटियां आदि के निकालने के कार्य प्रारम्भ में अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम संगठन को सभी प्रकार के प्रभाव तथा हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। परन्तु इसके साथ-साथ कर्मचारियों को जो नियन्त्रण तथा महालेखापरिक्ष को उसके कार्य में सहायता करते हैं, उचित रुतबा दिया जाना चाहिए उनके बारे में भी साविधिक उपबन्ध होना चाहिए। जहां तक इनकी सेवा की शर्तों का सम्बन्ध है ये कर्मचारी सरकार को दया पर है। अतः इन्हें संविधान में रुतबा दिया जाना चाहिए और इनको वित्त मंत्रालय के अधीन रखने के बजाये नियन्त्रण तथा महालेखापरिक्षक के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।

मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि लेखापरिक्षक तथा लेखापाल केवल अपर डिवीजन क्लर्कों के रुतबे के हैं। अतः मैं चाहता हूं कि इनके बारे में एक अनुपूरक विधेयक प्रस्तुत किया जाये। पिछले दोनों नियन्त्रकों तथा महालेखापरिक्षकों की यही बात थी। इनको स्वतंत्र रुतबा दिया जाना चाहिए।

यह ठीक है कि नियन्त्रक तथा महालेखापरिक्षक को विभिन्न लेखों की जांच के लिये व्यापक राशियां दी जा रही हैं परन्तु खण्ड 18 के उपलब्ध में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति नियन्त्रक तथा महालेखापरिक्षक से परामर्श करने के बाद उसको किसी विशेष लेखे की लेखापरिक्षा करने की जिम्मेदारी से मुक्त कर सकता है। मेरा विचार है कि केवल मात्र फरवरी का उपलब्ध होने से नियंत्रक तथा महालेखापरिक्षक के संगठन की स्वतंत्रता नहीं बनी रह सकती खण्ड 15 में भी ऐसा उपबन्ध है इनके अनुसार विभिन्न मामलों में नियंत्रक तथा महालेखापरिक्षक की सलाह को मानना सरकार तथा राष्ट्रपति के लिये अनिवार्य नहीं है। मेरे विचार में यह कार्य सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए कि वह किसी मंत्रालय अथवा निकाय के लेखों को लेखापरिक्षा के जिम्मेदारी से नियन्त्रक तथा महालेखापरिक्षक को मुक्त कर सकें। राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा जीवन बीमा निगम जैसे निकायों द्वारा धन के व्यय की जांच के लिये नियंत्रक तथा महालेखापरिक्षक को सशक्त किया जाना चाहिए।

भारतीय खाद्य निगम के बारे में मंत्री महोदय ने कहा था कि वह उचित कार्यवाही करेंगे। समझ में नहीं आता कि इसको इस व्यापक विधेयक में क्यों शामिल नहीं किया गया। इसको इसी विधेयक के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। सरकार को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पी० वेंकरासुब्बाय (नन्दयाल) : सरकार ने हमारे इस संशोधन को जो कि नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के वेतन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के समान करने के बारे में अस्वीकार कर लिया है। यह एक अच्छी बात है।

नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक सरकारी धन के व्यय की जांच करने का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। संविधान के अध्याय पांच अथवा वर्तमान विधेयक में यह नहीं बताया गया है कि नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक संसद की वित्तीय समितियों की किस प्रकार सहायता करेगा। यदि इस बारे में नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों में विशिष्ट उल्लेख कर दिया जाता तो अच्छा होता। इसके कर्तव्यों में यह शामिल किया जाना चाहिए था कि यदि किसी वित्तीय समिति का संपादन इसको किसी विभाग का कोई मामला सौंपता है तो उसकी जांच करना नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा के लिए अनिवार्य होगा अमरीका में ऐसी प्रथा विद्यमान है। यदि नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक वित्तीय समितियों की सहायता नहीं करता तो उनके लिए उस ढंग से कार्य करना, जिस ढंग से उन्हें कार्य करना चाहिए, कठिन होगा जहां तक महालेखा-परीक्षक के विभाग में कार्य का सम्बन्ध है एक बार यह सुझाव दिया गया था कि विभिन्न राज्यों में महालेखा पाल का कार्य नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के कार्य में स्वतन्त्र होना चाहिए। परन्तु कार्य में समानता रखने तथा संविधान के उपबन्धों को देखते हुए महालेखापाल विधेयक तथा महालेखापरीक्षक के एजेन्ट के रूप में कार्य करते हैं।

अब जबकि नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के वेतन तथा रुतबे को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान कर दिया है तो महालेखापालों के वेतन तथा रुतबे को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान किया जाना चाहिए।

मुझे आशा है कि माननीय वित्त मन्त्री इस बात पर भी ध्यान देंगे कि जो विभाग सरकारी धन पर नियंत्रण रखते हैं उनको समान रुतबा तथा प्रतिभा प्रदान की जायेगी।

मैं श्री सोमनाथ चटर्जी से इस बात से सहमत हूं कि नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के कर्मचारियों को भी अच्छा रुतबा दिया जाना चाहिए।

विधेयक में अनेक स्वायत्तशासी निगमों को जोकि अभी बने है शामिल नहीं किया गया है। इनको भी नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिए। माननीय मन्त्री ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम अधिनियम में संशोधन किया जायेगा। परन्तु इस विधेयक में ही एक उपबन्ध ऐसा शामिल किया जा सकता है जिससे इसके क्षेत्राधिकार को सरकार से सहायता प्राप्त निगमों तक बढ़ाया जा सकता है।

मैं वित्त मन्त्री से आग्रह करता हूं कि न केवल भारत सरकार में अपितु राज्य सरकारों तथा विभिन्न स्वायत्त निगमों में वित्तीय अनुशासन दृढ़ करें।

जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का मामला है उन्हें महालेखापरीक्षक के अधीन लाना उचित नहीं हैं।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम् (तिरुचिरापल्ली) : इस विधेयक द्वारा यथा पूर्व स्थिति को बनाये रखने की चेष्टा की गई है। वित्त मन्त्री का कहना है कि इसके द्वारा महालेखापरीक्षक की सेवा की शर्तों की सविस्तार व्यवस्था की गयी है।

पिछले 20 वर्षों में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की संचित निधि में पर्याप्त वृद्धि हुई है। सरकारी क्षेत्र में कई कारखाने स्थापित हुए हैं। सरकारी लेखापरीक्षा इस ढंग की होनी चाहिए कि इस सभा के माध्यम से जनता उन लेखों को समझ सके।

लेखापरीक्षा के समूचे व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। वर्तमान विकास की स्थितियों में लेखा परीक्षा प्रभावी होनी चाहिए। परन्तु इस विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है तथा यथा पूर्व स्थिति बनायी रखी गई है।

महालेखापरीक्षक के दर्जे को बढ़ाकर उच्चतम न्यायालय के न्यायायाधीश के समान किया गया है।

परन्तु राज्यों में महालेखापाल का दर्जा मुख्य सचिव से कम है। महालेखापाल का दर्जा बढ़ाया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा विभाग के अधिकारी का दर्जा उन अधिकारियों से ऊंचा होना चाहिये जिनके सम्बन्ध में उन्हें लेखापरीक्षा करनी होती है।

संविधान मे यह व्यवस्था है कि महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी। राष्ट्रपति सत्ताधारी सरकार के परामर्श से ही यह नियुक्ति करता है। मैं समझता हूं कि इस सभा को इस बारे में विश्वास में लिया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा के कार्य को इस सभा की एक समिति को सम्बद्ध किया जा सकता है ताकि वह समय समय पर उसके कार्यो की जांच कर सके।

विधेयक में लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के बारे में कुछ उल्लेख नहीं है। लेखापरीक्षक बहुत कम ही मंत्रालयों अथवा सरकारी प्रतिष्ठानों के लेखों की परीक्षा करते हैं। राजस्व के एक एक पैसे की उगाही की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा उनका यथोचित उपयोग होना चाहिए। एक अधिक व्यापक विधेयक शीघ्र ही रखा जाना चाहिए।

सतर्कता विभाग पर मेरा कोई विश्वास नहीं है। स्थिति यह है कि उक्त विभाग पर सर्तकता रखने के लिये एक और विभाग आवश्यक हो गया है।

विधेयक से वर्तमान स्थिति की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तथा इससे लेखापरीक्षा विभाग के समूचे कर्मचारियों में प्रोत्साहन पैदा नहीं होता। कर्मचारियों का मनोबल बहुत गिरा हुआ है। अतः एक व्यापक विधेयक लाया जाना आवश्यक है।

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नोज) : वित्त के महत्व को ध्यान में रखते हुए महालेखापरीक्षक को संविधान में उन्मुक्ति दी गई है। परन्तु राज्यों के अन्य लेखापालों को वैसी उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है।

[(**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**)
(**Shri K. N. Tewari in the Chair**)]

सभी सरकारी उपक्रमों के खातों का महालेखापाल द्वारा निरीक्षण होना चाहिए। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री मेरे संशोधनों को स्वीकार करेंगे।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : हम इस विधेयक की काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। संसद का कार्य न केवल कानून बनाना है, बलकि यह देखना भी है कि ये कानून पूरी तरह लागू भी किए जा रहे हैं या नहीं। संसद अपना यह कर्तव्य अपनी समितियों द्वारा पूरा करती है जो नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा उसके कार्यालय पर काफी सीमा तक आश्रित है। लोक लेखा समिति से सम्बद्ध होने के नाते मैं बता सकता हूं कि इस विभाग ने सराहनीय काम किया है और कर रहा है।

मुझे खुशी है कि प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं, परन्तु अपने संशोधन द्वारा मैं चाहता हूं कि जैसे नियंत्रक महालेखापरीक्षक को वही वेतन देना मान लिया गया है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, वैसे ही पेंशन भी उसी प्रकार दी जानी चाहिए। मेरे संशोधन के अनुसार उसे कम से कम 14,000 रुपये और अधिक से अधिक 20,000 रुपये वार्षिक की पेंशन दी जानी चाहिए। इसी प्रकार इस विभाग के अन्य अधिकारियों के वेतन और सेवा की शर्तें भी सुधारी जानी चाहिए। योग्य व्यक्ति आकर्षित करने के लिए ये सुधार आवश्यक हैं। उप नियंत्रक महालेखापरीक्षक को वही वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहियें जो केन्द्र के संयुक्त सचिव को दी जाती हैं।

इसी प्रकार यदि महालेखापरीक्षक का पद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष है तो महालेखापाल का पद उच्चन्यायालय के न्यायाधीश के बराबर माना जाना चाहिए। इसी प्रकार लेखा सहायक यू० डी० सी० के बराबर न होकर सहायक के बराबर होना चाहिये। इसी प्रकार इस विभाग के अनुभाग अधिकारों को सचिवालय के अनुभाग अधिकारी के बराबर और लेखापरीक्षा अधिकारी को अवर सचिव के बराबर मान कर वही वेतन दिया जाना चाहिए।

महालेखापरीक्षक को उसी विभाग से धन के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है जिसके लेखाओं की वह परीक्षा करता है और यद्यपि परम्परा के अनुसार उसकी प्रार्थना स्वयं मन्त्री के स्तर से नीचे अस्वीकार नहीं की जाती फिर भी यह पहलू ठीक नहीं है। जब पहले ऐसा विधेयक लाया गया था तो संयुक्त प्रवर समिति ने सुझाव दिया था कि महालेखापरीक्षक अपना बजट सीधे संसद को भेजे जिसकी जांच वित्त मन्त्रालय के स्थान पर एक संसदीय समिति द्वारा की जाय।

भारतीय खाद्य निगम के बारे में अब जबकि मंत्री महोदय ने संगठन अधिनियम में संशोधन करने का आश्वासन दे दिया तो हम मान लेते हैं परन्तु मैं चाहता हूं कि यह संशोधन इसी सत्र में लाया जाये क्योंकि इससे अधिक विलम्ब ठीक नहीं है। साथ ही जीवन बीमा निगम स्टेट बैंक, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकार द्वारा बनाई गई अन्य कम्पनियां भी महालेखा-परीक्षक के क्षेत्राधिकार में लाई जानी चाहियें। पता नहीं सरकार इसमें आनाकानी क्यों कर रही है?

जीवन बीमा निगम के चेयरमैन ने जो तर्क अपने साक्ष्य में दिया है अगर वही भारत सरकार के सभी विभागों पर भी लागू किया जाय तब तो महालेखापरीक्षक की जांच से पूरी

भारत सरकार को मुक्त कर देना होगा। हम चाहते हैं कि उनकी जांच का क्षेत्राधिकार चाहे सीमित ही हो पर होना अवश्य चाहिये।

प्राक्कलन समिति ने भी उन कम्पनियों पर इस नियन्त्रण की सिफारिश की है जिसमें सरकार की 25 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी लगी हुई है। माननीय मन्त्री को इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति का निर्धारण करना होगा।

यद्यपि रिजर्व बैंक अधिनियम और स्टेट बैंक अधिनियम में महालेखापरीक्षक की संपरीक्षा का उपबन्ध रखा गया है परन्तु अब तक एक बार भी उन्हें कोई मामला जांच के लिए नहीं सौंपा गया। संपरीक्षा ऐच्छिक न होकर अनिवार्य होनी चाहिये। यह उपबन्ध इसी विधेयक में शामिल किया जाए जो इस समय सभा के समक्ष प्रस्तुत है। अन्य बातों के बारे में खण्डवार चर्चा के समय बोलूंगा।

Shri A. B. Vajpayee (Gwalior) **:** Sir, although it appears that the hon. Finance Minister is in no mood to make any amendment in the Bill now before the House. But if he has an open mind, I think the bill has still scope for Improvement.

The Bill is not as Comprehensive as it should have been. First, it does not prescribe any qualification for selection of C- A. G. as is in the case of Supreme Court Judges. It is not possible.

Although, many members have mentioned it in their speeches, I think no one has tabled an amendment thereon, viz, putting the status, salaries and conditions of services of officer and staff of C. A. G. at parwith Corresponding levels in the Central Secretariate.

My second amendment petains to making this Department completely independent of Finance Ministry control. This suggestion is very fair aud the hon. Ministers should have no objection in accepting it. I do not know why there is difficulty in enforcing C. A. G's Contral over all statutory corporations and Central Govt. undertakings.

I have also tabled and amendment regarding liberty to C. A. G. to go into the pros and cons of Guarantees given by state Governments.

We expect the hon. Mintster to accept these amendments to make the Bill more comprehensive. So as to enhance the prestige of the C. A. G. and utilise his powers adeqately as a medium of Parliamentary control over Government's expenditure of Public money.

श्री सी० सी० देसाई (सबरकंठा) : मैंने भी कुछ संशोधन रखे हैं जो लगभग उसी प्रकार के हैं जैसे कि पूर्ववक्ताओं के हैं।

यद्यपि इस अधिकारी का आदर किया जाता है फिर भी उससे सरकारी विभाग भयभीत से हैं जैसा कि लोक लेखा समिति के प्रति इनके रवैये से स्पष्ट है।

सरकार का रवैया दो बातों से स्पष्ट है,—एक, जहां नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर रखने का उपबन्ध है वहां दोनों की पेंशनों में फर्क है। दूसरे, अधिमान सूची में जहां महान्यायवादी का दर्जा बढ़ा दिया गया है वहां, इस अधिकारी का दर्जा काफी घटा दिया गया है, इससे सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है।

सरकार इस पद को फालतू समझती है ।

मैं कह सकता हूं कि ये नौकरशाही के मित्र अधिक हैं और लोक लेखा समिति के सदस्य कम हैं ।

मेरे माननीय मित्रों ने कहा है कि यदि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में समानता हो सकती है तो महालेखाकार के मामले में यह समानता क्यों नहीं लायी जा सकती । मेरे विचार में इस असंगति का कोई कारण तथा औचित्य नहीं है ।

मेरे मित्र ने नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के बजट की भी चर्चा की । नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के प्रस्तावों में सचिव तथा अवर-सचिव कटौती करते हैं यह एक गलत प्रणाली है और मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय इस दिशा में प्रभावशाली कदम उठायेंगे । यह अधिकारी संसद से सबसे नजदीक हैं जो संसद के सीधे-सम्पर्क में आता है ।

वैतिक तथा ऋण संस्थाओं को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के अधीन लाने के बारे कुछ सदस्यों ने जो कुछ कहा है उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं । अब भी अन्न निगम नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक कार्य क्षेत्र से बाहर हैं । वित्त मंत्री महोदय ने भारतीय अन्न निगम अधिनियम में संशोधन करके इस ओर कदम उठाने के बारे कहा है ।

यदि जीवन बीमा निगम सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति के कार्यक्षेत्र में आ गया है तो नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा द्वारा उसके लेखों का परीक्षण करवाने में क्या आपत्ति है ? आपकी मुख्य आपत्ति सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के बारे है लेकिन यह आपत्ति रद्द कर दी गयी है और जीवन बीमा निगम को सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के अधीन ले लिया गया है ।

जब मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का सदस्य था तो हमने प्रस्ताव किया था कि स्टेट बैंक आफ इन्डिया , रिजर्व बैंक आफ इन्डिया और औद्योगिक इन्डस्ट्रियल बैंक आफ इन्डिया को सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के कार्यक्षेत्र के अधीन लाया जाना चाहिये । इस प्रस्ताव से सरकार अब तक भी सहमत नहीं हुई । औद्योगिक इन्डट्रियल फाईनेन्स कार्पोरेशन, इण्डस्ट्रियल डैवलपमैंट बैंक आफ इण्डिया का उपसंगी है और यदि एक पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का नियंत्रण हो सकता है तो इन्डस्ट्रियल डैवलपमैंट बैंक आफ इण्डिया पर क्यों नहीं हो सकता ?

सरकार के साथ हुए करार नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षकों के कार्यक्षेत्र से बाहर रखें गये हैं । इसके सम्बन्ध में विधेयक में क्यों नहीं व्यवस्था की गयी ?

मेरा अनुभव है कि अनुदानों के लेखों की तो जांच हो सकती है लेकिन उपदान के लेखों की नहीं । उपदान, भारत के संघटित राशि में रखे अनुदान की तरह ही एक व्यय है । नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यक्षेत्र से उपदान का बाहर रहने के क्या कारण हैं ?

मुझे आशा है कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यक्षेत्र को न केवल इन्डस्ट्रियल डैवलेपमैंट बैंक आफ इन्डिया तक ही बढ़ाया जायेगा बल्कि इसके कार्य क्षेत्र के अधीन रिजर्व बैंक आफ इन्डिया तथा स्टेट बैंक आफ इन्डिया को भी लिया जायेगा ।

मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के अधीन लाने की दिशा में कदम उठायेंगे ।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : देश के लेखाओं का प्रभारी वित्त मन्त्री होता

है अतः महालेखा परीक्षक को वित्त मंत्री की आंख और कान का क्षम करना चाहिये । उन्हें यह देखना चाहिए कि सरकारी कोष से होने वाला खर्च अनुचित न हो । अतः वित्त मन्त्री को इन संशोधनों को स्वीकार कर लेना चाहिए । इनका उद्देश्य अधिकारियों की त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना है ।

स्टेट बैंक, औद्योगिक बैंक और रिजर्व बैंक अथवा जीवन बीमा निगम बड़े उपक्रम होने के नाते करोड़ों रुपए व्यय करते हैं । इनके लेखों की समुचित लेखापरीक्षा से वित्त मन्त्री को निसन्देह सहायता मिल सकती है ।

जहाँ तक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात है यह नियुक्ति एक तालिका में सम्मिलित अधिकारियों के नामों में से की जानी चाहिए और इस तालिका में सम्मिलित नामों का चयन इस सभा द्वारा होना चाहिए । कई विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के बारे में ऐसा किया गया है ।

कोई भी महालेखा परीक्षक तब तक स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं कर सकता जब तक कि पर्याप्त कर्मचारी उसके नियन्त्रणाधीन न हों । इस प्रकार की व्यवस्था के बिना यह आशा करना कि महालेखा परीक्षक स्वतन्त्र रूप से कार्य करे, एक असंगति है । अतः कर्मचारियों को महालेखा परीक्षक के नियन्त्रणाधीन करने के सुझाव को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

लेखा परीक्षक कर्मचारियों के पद उन कर्मचारियों के पदों से ऊंचे होने चाहिए जिनके लेखों की वे परीक्षा करते हैं । उनके वेतन उनसे अधिक होने चाहिए । महालेखा परीक्षक का वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होना चाहिए ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : इस विधेयक में महालेखा परीक्षक की शक्तियों और सेवा की शर्तों की तो व्यवस्था है परन्तु उसके नियन्त्रणाधीन कार्य करने वाले 50,000 कर्मचारियों की सेवा शर्तों आदि दूरी कोई संवैधानिक गारन्टी नहीं है । इन कर्मचारियों का कार्य विशेष प्रकार का है और उसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है । अतः इन कर्मचारियों को भी यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि जो सुरक्षा इस विधेयक द्वारा महालेखा परीक्षक की सेवा शर्तों आदि के बारे में प्राप्त है, वह उन्हें भी प्राप्त है ।

उन कम्पनियों की भी लेखा परीक्षा की जानी चाहिये जिनमें ऋण अथवा शेयर के रूप में सरकार का पैसा लगा है, जिससे कि औद्योगिक कम्पनियों के विकास के लिए लगाए गए सरकारी पैसे का दुरुपयोग न हो सके ।

राज्यों के महालेखापालों की स्थिति महालेखा परीक्षकों के समान ही है परन्तु यह दुर्भाग्य है कि उनकी पदास्थिति और उनके वेतन सरकार के मुख्य सचिव से कहीं कम हैं । इस स्थिति को सुधारना चाहिए और उनकी पद स्थिति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर किया जाना चाहिये ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : संयुक्त समिति में इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया गया था और सरकार के प्रतिनिधियों, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं व विधि विशेषज्ञों आदि के विचार

उसके साथ मूल विधेयक में पर्याप्त सुधार किए गये थे । इस सारी प्रक्रिया के पश्चात ही सरकार ने अपना मत स्थिर किया है ।

सदस्यों के मन में यह धारणा है कि केवल उसी विषय में लेखा परीक्षा उचित होगी जिसे महालेखा परीक्षक को निर्देशित किया जायेगा । यह भावना महालेखा परीक्षक के कार्यालय के साथियों को समझने में गलती के कारण है । यह ठीक है कि संविधान के अन्तर्गत इस कार्यालय को कुछ विशेष कार्य निर्देशित हैं । संबिधान ने संसद को भी विशेष विषयों सम्बन्धी कानून बनाने के अधिकार दिये हैं । परन्तु प्रशासन को विभिन्न प्रकार की आर्थिक कार्यवाहियों को देखना पड रहा है अतः यह कहना कि प्रत्येक विषय को महालेखा परीक्षक को ही निर्देशित किया जाये अपने उत्तरदायित्वों से उन्मुख होना है । हमने इस बात पर गंभीरता से विचार किया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं ।

जहाँ तक महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्वतन्त्रता की बात है संविधान में इस संबंध में गारन्टी है । इस स्थिति को और भी सुदृढ करने के लिए हमने यह स्वीकार किया है कि महालेखा परीक्षा की हैसियत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की हैसियत के समान हो । यह ठीक है कि हमने महालेखा परीक्षक के लिए अर्हताएं नियत नहीं की हैं । इसका कारण यह है कि संविधान में भी यह नियत नही है । इसी कारण हमने ऐसा करना उचित नहीं समझा ।

कुछ सदस्यों ने महालेखा परीक्षक के कार्यालय के कर्मचारियों की स्वतन्त्रता के संबंध में अलग से एक विधान की बात की है । यह ठीक है कि इस बारे में संविधान की धारा 148 (5) में व्यवस्था है परंतु इस समय हमारा ऐसा विधान बनाने का कोई विचार नहीं है । इस सम्बन्ध में अलग विधान बनाने मात्र पर ही उनकी स्वतन्त्रता निर्भर नहीं करती । उनका मुख्याधिकार स्वतन्त्र है और उनकी सेवा शर्तों आदि के बारे में फंसला उसके परामर्श के साथ किया जाता है । इस रूप में वह स्वतन्त्र हैं । अतः यह बात तर्क संगत नही कि किसी संगठन की स्वतन्त्रत एक अलग विधान पर ही निर्भर करती है ।

उनकी हैसियत उनके कृत्यों पर निर्भर करती है । जब कोई लेखा परीक्षा के लिये जाता है तो राजपत्रित अधिकारी न होते हुए भी उसकी विशेष हैसियत होती है ।

संसदीय समीतियों को महालेखा परीक्षक द्वारा सहयोग देने की भी बात की गई है । माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि महालेखा परीक्षक की रिर्पोटों को जब भी आवश्यक हो ससंद में प्रस्तुत किया जा सकता है । लोक लेखा समीति और सरकारी उपक्रम द्वारा इन पर विचार किया जाता है । और फिर इस विधेयक के द्वारा ससंदीय समीतियों का कार्यकरण विनियम्मित नहीं किया जा रहा है । अतः इस सुझाव के पीछे क्या दृष्टिकोण था वह स्पष्ट नहीं है । महालेखा परीक्षक द्वारा परम्परा के रूप में ससंदीय समितियों को सहयोग दिया जा रहा है । अतः इसके लिए व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

सरकारी वित्तीय संस्थाओं के संदर्भ में महालेखा परीक्षक के कार्यों के प्रश्न पर संयुक्त समिति में बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी । भारतीय रिर्जव बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सम्बन्धी अलग अलग विधानों में यह व्यवस्था हैं कि सरकार

द्वारा महालेखा परीक्षक को इन संस्थाओं के कार्यकरण की समस्याओं की जांच करने के लिए कहा जा सकता है। इनके कार्यकरण को यदि आवश्यक रूप से महालेखा परीक्षक के नियन्त्रणाधीन लाया गया तो इससे महालेखा परीक्षक के कार्यालय के दक्षता पूर्ण कार्य में बाधा आएगी। जहां कहीं और जब कहीं कोई आवश्यकता प्रतीत हो वहां पर राष्ट्रपति अथवा गवर्नर द्वारा महालेखा परीक्षक को उस समस्या की जांच करने के लिए कहा जा सकता है।

परन्तु प्रत्येक संस्थान के लेखों को नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरिक्षित कराना बड़ा कठिन है क्योंकि इस विभाग द्वारा लेखा-परिक्षण सामान्य लेखा-परिक्षण से कुछ भिन्न प्रकार का होता है। परन्तु जिन संस्थाओं का नियन्त्रक और महालेखा परिक्षक द्वारा लेखा-परिक्षण नहीं होता उनका यह अर्थ कदापि नहीं कि उनके लेखों की परिक्षा ही नहीं होती। वैसे तो हर किसी के लेखे को उक्त विभाग द्वारा लेखा परीक्षित कराने का कोई विशेष औचित्य भी नहीं है तथापि यदि सरकार चाहे तो किसी भी निकाय के लेखों की उक्त विभाग द्वारा लेखा परीक्षा करा सकती है।

इसके पश्चात् परस्पर बातचीत द्वारा तय हुऐ ठेकों के बारे में प्रश्न उठाया गया कि उनके लेखों की भी उक्त विभाग द्वारा परीक्षा की जानी चाहिए। परन्तु महाधिवक्ता ने कानूनी राय दी है कि संविधान की धारा 149 के अधीन संसद किसी एक व्यक्ति के लेखों के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा परिक्षित करने की व्यवस्था नहीं कर सकती यह एक कानूनी बात है।

दूसरे ऐसा करना मुश्किल भी है। यदि यह अनुभव हो जाये कि उक्त लेखे की जांच नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा होगी तो ठेके प्राप्त करना ही बहुत कठिन हो जायेगा और सम्भव है कि उनके मूल्य भी बढ़ जायें और कार्य कुशलता पर तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा ही।

हमने इस सम्बन्ध में कानूनी बातों सहित सारे प्रश्न पर विचार किया है और अन्त में यह निष्कर्ष निकाला है कि यह न तो न्याय संगत है और न ही क्रिया योग्य है। समिति में कुछ विपक्षी सदस्यों की भी यही राय थी। केवल एक सदस्य ने ही इस सम्बन्ध में अपनी असहमति प्रकट की है।

यही कारण है कि उक्त बात को विधेयक में शामिल नहीं किया गया था। और इस लिये मैं इस सम्बन्ध में दिये गये व्यक्तव्यों को नहीं मान सकता।

जहां तक महालेखाकारों को उच्च न्यायालय के न्यायधीशों अथवा मुख्य सचिवों के समान दर्जा देने की बात है, सो वे सभी नियन्त्रों और महालेखापरीक्षक के अधीन हैं और उन्हीं का उत्तरदायी हैं, अर्थात् इस सीमा तक स्वायत्त है, अत: इस विधेयक में उनके लिये कोई व्यवस्था कैसे की जा सकती है ? जहां तक उनके वेतन, आमदनी का सम्बन्ध है सो यह एक प्रशासन का मामला है इसके लिये विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं है।

हमने पहली बार एक सारगर्भित विधेयक पेश करने का प्रयास किया है और हमें देखना है कि यह किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होता है। इस अधिनियम से होने वाले अनुभवों के पश्चात् संसद जैसा चाहे इसमें उपयुक्त संशोधन कर सकती है इसके कार्य क्षेत्र को घटा-बढ़ा सकती है यदि चाहें तो नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के कृत्यों को भी बढ़ा सकती है। इस समय तो मैं समझता हूं कि वर्तमान विधेयक पर्याप्त रूप से सारगर्भित है और मैं नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक को पूरी कुशलता और प्रभावपूर्ण ढ़ंग से कार्य करने की स्वतंत्रता दूंगा।

सभापति महोदय : अब मैं इस प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखता हूं प्रश्न यह है:—

"कि भारत के तियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की सेवा की शर्तों को अवधारित करने तथा उनके कर्तव्यो और शक्तियों को विहित करने और उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिये विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। खण्ड 2 से 5 पर कोई संशोधन नहीं है। अतः प्रश्न यह है

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड दिये गये

Clause 2 to 5 were added to the Bill

खण्ड 6

Cau seI 9

श्री सेझियान : मैं संशोधन संख्या 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तथा 19 पेश करता हूं।

मेरे उक्त संशोधन का अभिप्राय: यह है नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की पेन्शन को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेन्शन के समान कर दिया जाए जो कि 20,000 रुपये तक होती है। आपने इसे 15,000 रखा है। जब आप वेतन को समान बताते हैं तो फिर पेन्शन भी उसी आधार पर रखिये। नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक के लिये उक्त पद पर प्रति पूरे वर्ष की सेवा पर 1000 रुपये अतिरिक्त दिये जायें।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वस्तुत: उक्त पेन्शन 15,000 रुपये से कम भी और पौंड़ो के आधार पर यह राशि 13,000 रुपये होती है। संयुक्त समिति में हमने सोचा था कि इसे बढ़ायें और यह 20 000 रुपये अथवा इससे कुछ अधिक की राशि भी अधिकतम् है और यह की गई सेवा के पूरे-पूरे वर्षों पर निर्भर करती है क्योंकि जिस व्यक्ति ने नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक के पद पर पूरे छ: वर्ष तक कार्य नहीं किया तो उसे अधिकतम् 15,000 रुपये ही मिलेंगे। अत: यह सब कुछ सेवा-अवधि पर निर्भर है और इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय : पहले मैं संशोधन संख्या 11 से 19 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति द्वारा संशोधन संख्या 11 से 19 सभा में मतदान

के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendment Nos. 11 to 19 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 6 विधेयक में जोड दिया गया

Clause 6 was acoded to the Bill.

सभापति महोदय : खण्ड 7 से 9 पर भी कोई संशोधन नहीं है। अत: प्रश्न यह है

"कि खण्ड 7 से 9 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 7 से 9 विधेयक में जोड दिये गये

Clause 7 to 9 were added to the Bill

खण्ड 9 क (नया)

Clause 9 A (New)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मैं संशोधन संख्या 6 पेश करता हूं। मेरा मत है कि नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के विभाग के कर्मचारियों का दर्जा वेतन तथा सेवा शर्तों केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों के समान ही होने चाहिये और इस सम्बन्ध में उक्त प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होना चाहिये।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वस्तुत: इस समय सभी नियम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से बनाये जाते हैं और यदि कुछ बातें रह जाती हैं तो वह प्राधिकारी उनके बारे में हमारे साथ विचार कर सकता है। इन बातों के लिये कोई विधान बनाने की आवश्यकता नहीं है।

अत: मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : अब मैं श्री वाजपेयी का संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No 6 was put and negatived

सभापति महोदय : खण्ड 10 और 11 पर कोई संशोधन नहीं है। अत: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 और 11 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 10 और 11 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 10 and 11 were added to the Bill

खण्ड 12

Clause 12

नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा संघ सरकार तथा राज्यों को जानकारी तथा सहायता का दिया जाना

Comptroller and Auditor General to give information and render assistance to the Union and States

सभापति महोदय : इस पर श्री मिश्र का एक संशोधन है परन्तु वह उपस्थित नहीं हैं। अत: वह नहीं रखा जा सकता। अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 12 was added to the Bill

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 13 was added to the Bill

खण्ड 14
Clause 14

केन्द्रीय अथवा राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप से वितपोषित निकायों अथवा प्राधिकरणों के आय और व्यय की लेखापरीक्षा
Audit of receipts and expenditure of bodies or authorities substantially financed from Union or State revenues

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं संशोधन संख्या 7 तथा 8 पेश करता हूं और मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इन्हें स्वीकार कर लें।

सभापति महोदय : मैं इन दोनों संशोधनों को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7 तथा 8 मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए
Amendments Nos. 7 and 8 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 14 was added to the Bill

खंड 15
Clause 15

अन्य प्राधिकारियों अथवा निकायों को दिए गए ऋण के बारे में महा नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक के कृत्य
Functions of comptroller and Auditor General in the case of grants or loans given to other authorities or bodies

श्री सी० सी० देसाई : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री सेभियान : मैं अपने संशोधन संख्या 20, 21, 22, 23 और 24 प्रस्तुत करता हूं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं इन्हें स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1, 20, 21, 22 और 24 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।
The amendments Nos. 1, 20, 21, 22, 23 and 24 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 15 was added to the Bill

खंड 16 से 18 विधेयक में जोड़ दिये गये
clause 16 to 18 were added to the Bill

खण्ड 19
Clause 19

सरकारी कम्पनियों और कारपोरेशनों की लेखा परीक्षा
Audit of Government companies and corporations

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सी० सी० देसाई : मैं संशोधन सँख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सेझियान : मैं संशोधन संख्या 25 और 26 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सी० सी० देसाई : ऐसी बहुत सी कम्पनियां हो सकती हैं जिनमें सरकारी पूंजी 50 प्रतिशत से कम हो परन्तु उनमें पूंजी निवेश इतना अधिक हो सकता है कि उनके लेखों की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जांच पड़ताल की जानी वांच्छनीय प्रतीत होती है। यदि पूंजी निवेश एक करोड़ अथवा दो करोड़ है तो उस कम्पनी के लेखों की जाँच नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जानी चाहिये चाहे इसमें सरकारी भाग 51 प्रतिशत से कम ही हो। वित्तमंत्री ने कहा है कि इस प्रक्रिया से कम्पनियों को कठिनाई होगी परन्तु मेरे विचार में ऐसी बात नहीं है। मुझे विदेशी सहयोग का पर्याप्त अनुभव है। विदेशी सहयोगकर्ता सरकारी नियमों तथा आवश्यकताओं में जानकार हो जाते हैं और यदि कोई ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि जिन कम्पनियों तथा निगमों में पूंजीनिवेश 1 करोड़ रुपये है उनके लेखों की जांच पड़ताल नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जायेगी तो वे उससे सहमत हो जाते हैं। विदेश सहयोगकर्ताओं को इसमें कोई कठिनाई नहीं होती कठिनाई केवल वित्तमंत्रालय को स्वीकृति देने में होती है।

श्री सेझियान : जिन कम्पनियों में पूंजीनिवेश एक करोड़ रुपये से अधिक है और सरकारी भाग 25 प्रतिशत से अधिक है उनके लेखों की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कहीं कहीं से अथवा अनुपूरक जांच की जानी चाहिए। प्राक्कलन समिति ने भी अपने 51 वे प्रतिवेदन में इसी बात की सिफारिश की है समिति के विचारानुसार जिन कम्पनियों का पूंजीनिवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक है और सरकारी भाग 25 प्रतिशत से अधिक है उनके लेखों की यत्र

तत्र लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किये जाने के सुझाव पर सरकार को विचार करना चाहिए,।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जैसा कि मैंने कहा है कि इनमें से कुछ बातों पर विचार किया जा सकता है। परन्तु इस समय जहां तक मेरा अनुभव है, इस प्रकार की प्रक्रिया से जनता में भय उत्पन्न होगा। जिन कम्पनियों में सरकारी भाग 51 प्रतिशत है उनकी लेखा परीक्षक की बात से तो मैं सहमत हूं परन्तु जहां सरकार का भाग आधे से कम है वहां लेखा परीक्षा की बात करने से कम्पनी मालिकों में भय उत्पन्न होगा। सरकारी नीति से अवगत हो जाना एक और बात है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से लेखा परीक्षा कराना दूसरी मेरे विचार से श्री देसाई मेरे तर्क से सहमत होगें और अपना संशोधन वापस ले लेगें।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2,9,25 और 26 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

The amendment Nos. 2, 9, 25, and 26 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि

"कि खंड 19 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 19 was added to the Bill

नया खण्ड 19 क

New Clause 19 A

श्री सेझियान : मन्त्री महोदय के आश्वासन के फलस्वरूप में अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। भारतीय खाद्य अधिनियम सम्बन्धी संशोधन इसी सत्र में लाया जाना चाहिये।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : सरकार उसे पूरा करेगी।

श्री सी० सी० देसाई : मैं संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 4 was put-up and negatived

खण्ड 20

Clause 20

श्री सी० सी० देसाई : मैं संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं। यह संशोधन वित्तीय तथा ऋण संस्थाओं के सम्बन्ध में है और सदन में इस विषय में पर्याप्त चर्चा हुई है। सदन में

ऐसी सहमति थी कि इस संस्था को नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र में लाया जाये। यही नहीं वित्त मन्त्री को ध्यान देना चाहिए कि संस्थायें सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के अधिकार क्षेत्र में रहें।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जहां तक संशोधन का प्रश्न है, मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। जहां तक दूसरे सुझाव का प्रश्न है, इस पर विचार किया जा सकता है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 5 was put-up and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 20 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 20 was added to the Bill

खण्ड 20 क

Clause 20 A

श्री सेभियान : मैं संशोधन संख्या 28 तथा 29 प्रस्तुत करता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 10, 28 और 29 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये

The amendment Nos. 10, 28, 29 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 21 से 26 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 21 से 26 तक विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 21 to 26 were added to the Bill

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात कही गयी है। परन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जैसे विकासशील देश में जहां पूंजी निवेश निरन्तर बढ़ रही हो। वहां सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तुलना में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। अत: नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के साथ कार्य करने वाली किसी संस्था की व्यावस्था करते समय हमें उपरोक्त बात ध्यान में रखनी चाहिये।

यह सच है कि लेखा परीक्षक का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। हमें इस ह्रास को रोकने का प्रयत्न करना चाहिये।

लेखा परीक्षा का कार्य बहुत अरूचिकर है तथा लेखा परीक्षा विभाग में कार्य करने वालों का कोई स्तर नहीं है उनको पर्याप्त अधिकार नहीं दिये गये हैं सरकार इस बात की ओर ध्यान नहीं दे सकी है।

विभिन्न प्रकार की लेखा परीक्षा के विषय में कहा गया है, परन्तु मेरे विचार में दो प्रकार की लेखा परीक्षा नहीं हो सकती। लेखा परीक्षा केवल एक ही प्रकार की होती है।

लागत लेखा परीक्षा जैसे अनिवार्य विषय को सरकार ने जानबूझकर छोड़ा है क्योंकि इससे सारा ढांचा ही बदल जायेगा। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि इस पर कोई विधान बनाने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक विधान का सम्बन्ध है इस समय सरकार का इस बारे में कोई विचार नहीं है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई विधान नहीं बनायेगी। जब ऐसा करने की आवश्यकता पड़ेगी तो विधान भी बनाया जायेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि विधेयक पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

कराधान विधियाँ (संशोधन) विधेयक

TAXATION LAWS (AMENDMET) BILL

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि आय कर अधिनियम 1961 धनकर अधिनियम 1957 तथा दान-कर अधिनियम 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

उक्त विधेयक 12 अगस्त 1971 को इस सदन में पेश किया गया था और इस प्रकार यह 13 सप्ताह से देश के समक्ष है। मेरा विचार इस विधेयक के कुछ प्रावधानों को संशोधित रूप में प्रस्तुत करने का है जिससे इस विधेयक में पाई गई कुछ त्रुटियां दूर हो जायें।

हाल के वर्षों में विक्रय विलेख में अचल सम्पत्ति के मूल्यों को कम बताने की प्रथा से बड़ी चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न हो गयी है। पहले इस विधेयक से विक्रय से पूंजीगत लाभ के

सम्बन्ध में कर दायित्वों से बचने के लिए सम्पति विक्रेता को सहायता मिलती थी और आय-कर धन-कर उपहार-कर और सम्पत्ति-कर से बचने के लिए धन को छिपाने में सहायता मिलती थी। मुद्राक-शुल्क और नगर निगम करों से बचने के अतिरिक्त क्रेता अपवंचित अथवा कर से चुराये गये धन का भी उपयोग कर सकता है इस प्रकार विक्रय विलेख में अचल सम्पत्ति के मूल्यों को कम कर दिखाने की प्रक्रिया कर अपवंचन के लिए सार्थक सिद्ध हुई है। अतः कर अपवंचन की इस प्रक्रिया को समाप्त करना इस वर्तमान विधेयक के मुख्य उद्देश्यों में से एक कहै।

विधेयक में आय--कर अधिनियम के अन्तर्गत नया अध्याय 20 क जोड़ने के लिए कहा गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की किसी भी अचल सम्पत्ति को जिसमें कृषि भूमि भी सम्मिलित है उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपये से अधिक है और विक्रय विलेख में घोषित कीमत सम्पत्ति की उचित बाजार कीमत से कम है अर्जित करने की शक्ति दी गई है। यह शक्ति केवल उन मामलों में देना सम्भव है जिनमें इस बात का पता लग जाये कि पार्टियों के बीच स्वीकृत विक्रय मूल्य कर दायित्वों को कम करने या कम अपवंचन करने की दृष्टि से विक्रय विलेख में सही नहीं है अथवा आय-कर या धन-कर के प्रायोजन के लिये किसी आय या धन को क्रेता ने छिपाने के लिए ऐसा किया है।

इस नये प्रावधान के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति को अर्जित करने के लिये इस प्रकार की प्रक्रिया आरम्भ करने की शक्ति सहायक आयकर आयुक्त को दी जायेगी जो इस प्रयोजन के लिये सक्षम अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। यह सक्षम अधिकारी आश्वासन पंजीयक अथवा खरीदने वाले से विक्रय विलेख के पंजीकरण के बारे में सूचना मिलने पर उस तारीख के छः महिनों के अन्दर इसके अर्जन की प्रक्रिया आरम्भ कर देगा। सम्पत्ति को बेचने वाला अथवा खरीदने वाला प्रस्तावित अर्जन के बारे में आपत्ति का मामला उठाने का हकदार होगा। इस विधेयक के अन्तर्गत सरकारी गजट में इस प्रकार के अर्जन की सूचना के प्रकाशन के 30 दिन की अवधि के भीतर इस पर उठाई गई आपत्तियों के बारे में मामला उठा सकते हैं। मैं इस अवधि को 15 दिन और बढाने का प्रस्ताव करता हूं। सम्बद्ध पक्षों द्वारा की गई आपत्तियों पर विचार करने और उन पर सुनवाई होने के उपरान्त यदि सक्षम अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि विवादास्पद अचल समपत्ति का उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपयों से अधिक है तो सक्षम अधिकारी को उस सम्पत्ति को अर्जित करने की शक्ति होगी। इस प्रावधान को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु मैं यह संशोधन पेश करने का प्रस्ताव करता हूं कि यदि किसी अचल सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य अपने वास्तवि मूल्य से 25 प्रतिशत अधिक पाया जाए तो यह समझा जाएगा कि उसका विक्रय मूल्य विक्रय विलेख में सहीं नहीं बताया गया है

आय-कर आयुक्त के पूर्वानुमोदन के बिना अर्जन का कोई आदेश नहीं दिया जायेगा अर्जन के आदेश पर अपील केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को की जायेगी जो सम्बन्धित पक्षों की बात सुनकर अपील पर निर्णय देगा। अर्जन आदेश अपील पर सक्षम अधिकारी के आदेश को बोर्ड द्वारा पुष्टि किए जाने के पश्चात अन्तिम माना जाएगा तत्पश्चात सक्षम अधिकारो सम्पत्ति के स्वामी को आदेश देगा कि वह उस सम्पत्ति को सक्षम अधिकारी को सौप दे। जो केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति बन जायेगी।

इस विधेयक के अन्तर्गत अर्जित की गई सम्पत्ति का मुआवजा उस सम्पत्ति के बिक्री कागजात में लिखी गई राशि और उसमें 15 प्रतिशत और मिलाकर लिया जायेगा । जिस सम्पत्ति में हस्तान्तरण से पूर्व कुछ सुधार किया जाये उसे इस हस्तान्तरण के गजट में प्रकाशन से पूर्व किए गये सुधार की खर्च शुदा राशी मुआवजे की राशी, में जोड़ दी जाएगी । केन्द्रीय सरकार के कब्जे में गई सपत्ति की क्षति होने की दिशा में उसका मुआवजा भी उसी प्रकार से घट जायेगा । मुआकर की लागत अथवा क्षतिग्रस्त सम्पत्ति को उसकी मूल दशा में लाने की लागत सम्बन्धी विवाद के मामले में सक्षम अधिकारी को वह मामला सिविल न्यायालय के निर्णय के लिये सौंपा जायेगा । जहाँ केन्द्रीय सरकार के कब्जे में की गई सम्पत्ति के 30 दिन के भीतर प्रतिकर की राशि का भुगतान किया गया हो वहां सरकार विलम्ब की अवधि के लिए व प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज देगी । इस विधेयक के अन्तर्गत सम्पत्ति की देय मुआवजे की राशि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत अर्जित की गई सम्पत्ति के देय मुआवजे से कम है । तो यह समझा जायेगा कि वह कभी केन्द्रीय सरकार द्वारा वसूल की गयी है । आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अपनी आय छुपाने के लिए खरीदार पर कोई दण्ड नहीं लगाया जायेगा

इस विधेयक में आय-कर धन-कर तथा उपहार-कर के लिए भवनों भूमि और अन्य परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन की वर्तमान व्यवस्था में सुधार लाने के लिये कुछ उपबन्ध किए गए हैं । गैर सरकारी मूल्यांकनो पर उचित विनियमन और अनुशासन रखने के लिये सरकारी मूल्यांकन व्यवस्था की प्रशासनिक व्यवस्था को गति मान करने तथा उसे पर्याप्त शक्तियां प्रदान करने की योजना है केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अन्तर्गत इस समय जो मूल्यांकन विभाग सीमित रूप से कार्य कर रहा है इस उद्देश्य के लिए उसमें क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी जिला मूल्यांकन अधिकारी तथा मूल्यांकन अधिकारी नियुक्त कर इसे बढाया जायेगा । धनकर के निर्धारण के स्तर पर परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के कार्य मूल्यांकन अधिकारी की, जिसमे क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी जिला मूल्यांकन अधिकारी और मूल्यांकन अधिकारी सम्मिलित हैं करना होगा । इस प्रयोजन के लिए धनकर अधिकारी किसी भी सम्पत्ति के मूल्यांकनों के मामले को मूल्यांकन अधिकारी के पास भेजने में समर्थ होगा । इस मामले पर मूल्यांकन अधिकारी कार्य करना आरम्भ कर देगा और इस प्रयोजन के लिए वह कर दाता को अपना मामला पेश करने का अवसर प्रदान करेगा । इसके बाद करदाता की आपत्तियों और अन्य साक्ष्यों पर विचार करने के बाद मूल्यांकन अधिकारी मूल्यांकन को अन्तिम रूप देगा । अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपील करते समय यदि मूल्यांकन के प्रश्न पर विवाद होगा तो वह मूल्यांकन अधिकारी को जिसने मूल्यांकन किया हैं सुनने के बाद अपना निर्णय देगा । यदि अपील में किसी सम्पत्ति के मूल्यांकन का विवाद कर-दाता अथवा धनकर अधिकारी द्वारा उठाया जायेगा तो अपीलीय न्यायाधिकरण के पास अपील करते समय भी वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी । अतः इस सम्बन्ध में न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की अवस्था में किसी आस्ति के मूल्यांकन के दो गैर सरकारी मूल्यांकनों कर्त्ताओं अथवा न्यायाधिकरण द्वारा नाम निर्देशित किसी तीसरे मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा विवाचन की इस वर्तमान प्रक्रिया को समाप्त दिया जा रहा है ।

धनकर अधिकारियों अथवा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चल रही कार्यवाही में जहां कि किसी आस्ति का मूल्यांकन विवादग्रस्त हो करदाता को यह अधिकार होगा कि वह किसी पंजीकृत मूल्यांकनकर्त्ता अर्थात किसी गैर सरकारी मूल्यांकन कर्त्ता जो कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के

साथ पंजीकृत हो, की सहायता प्राप्त कर सकेगा। किसी व्यक्ति को जो इन उपबन्ध के अधीन पंजीकृत मूल्यांकन बनना चाहता है बोर्ड को आवेदन पत्र देना होगा और यह घोषणा करनी होगी कि वह किसी आस्ति का जिसका मूल्यांकन करने को उसको कहा जाय, निष्पक्ष तथा सही मूल्यांकन करेगा तथा इस उद्देश्य के लिये निर्धारित किए जाने वाले प्रपत्र में उसे ऐसे मूल्यांकन की एक प्रति देनी होगी तथा वह निर्धारित की जाने वाली दर से अधिक फीस नहीं लेगा और अन्ततः उसे यह घोषणा भी करनी होगी कि वह किसी आस्ति का मूल्यांकन नहीं करेगा जिसमें उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हित निहित हो। प्रत्येक मूल्यांकन प्रतिवेदन के साथ एक इसी प्रकार की घोषणा भेजनी पड़ेगी। इस बारे में दी जाने वाली किसी झूठी घोषणा से मूल्यांकन को छः महीने का कारावास अथवा दण्ड की व्यवस्था होगी।

आयकर अधिनियम और उपहार कर अधिनियम में सम्बन्धित उपबन्धों को भी इस प्रकार से संशोधित किया जा रहा है जिससे कि इन अधिनियमों के उद्देश्य के लिए भी मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किसी अपत्ति के मूल्यांकनों के समय भी नई प्रक्रिया लागू हो सके। इस प्रकार आयकर अधिनियम तथा धनकर अधिनियम के उद्देश्य के लिये अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष पील के समय किसी आस्ति के मूल्यांकनो के लिये दो गैर सरकारी मूल्यांककों अथवा तीसरे अमूल्यांकक द्वारा विवाचन की वर्तमान प्रक्रिया को भी समाप्त किया जा रहा है।

बेनामी सम्पत्ती को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से विधेयक में आयकर अधिनियम में एक नया उपबन्ध करने का प्रस्ताव है ताकि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पास उसके नाम में बेनामी सम्पत्तिपर दावा करने से वंचित किया जा सके, जब तक कि दावेदार ने उस सम्पत्ति से हुई आय को आयकर के विवरण में अपनी शुद्ध आय में न दिखाया हो। परन्तु यह शर्त उस सम्पत्ति पर लागू नहीं होगी जिसका मूल्य 2,000 रूपये से अधिक न हो और जिसका मुकदमा छोटे न्यायालय अथवा किसी ऐसे न्यायालय में हो।

अतः इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य आयकर तथा अन्य केन्द्रीय प्रत्यक्ष करों की चोरी रोकना है। कर अपवंचन की बुराई काफी हद तक बढ गई है और इसे समाप्त करने के लिये कठोर उपाय करने की आवश्कता है वर्तमान विधेयक का मुख्य रूप से यही महत्वपूर्ण कार्य होगा।

अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि आयकर अधिनियम, 1961 धनकर अधिनियम, 1957 तथा दानकर अधिनियम 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रवर समिति को सोंपा जाए और इस समिति को अनुदेश दिया जाय कि आगामी सत्र के प्रथम दिन इस पर प्रतिवेदन दें।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वह अपना भाषण कल जारी रख सकते है।

सभापति महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार 16 नवम्बर, 1971/25 कार्तिक 1893 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 16 th November 1971/25 Kartika 1893 (Saka)

Ashoka Printing Works Modinagar